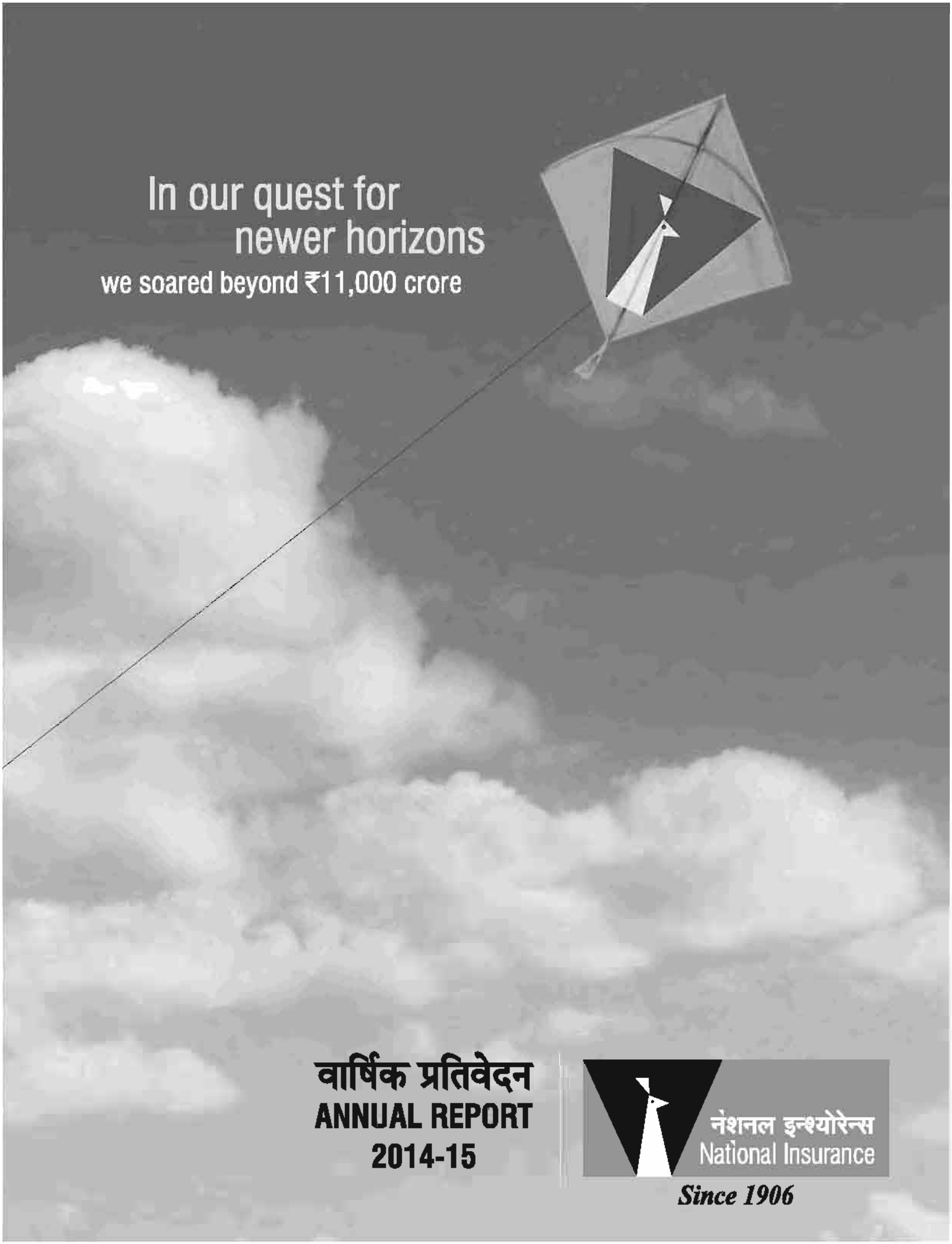

In our quest for
newer horizons
we soared beyond ₹11,000 crore

वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2014-15

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

Since 1906

NATIONAL INSURANCE PAYS ₹193.53 CRORE DIVIDEND FOR THE FY 2014-15

Shri Rajesh Aggarwal, IAS (2nd from Right), Chairman-cum-Managing Director presents the Dividend Cheque of ₹193,52,79,000/- to Hon'ble Finance Minister, Shri Arun Jaitley (extreme Right), in New Delhi on 26th October 2015. Shri M. Vasantha Krishna (2nd from Left), Director & General Manager and Smt. Indu Sharma (extreme Left), Deputy General Manager, Delhi Regional Office-I are also present.

CONTENTS

विषय सूची

108 वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना 2

कार्पोरेट प्रोफाइल 3

आपके निदेशक 4

निदेशक मण्डल 5

कार्पोरेट मैनेजमेंट 6

क्षेत्रीय प्रभारी 8

अध्यक्ष का अभिभाषण 10

सदस्यो को निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन 22

अनुलग्नक -ए व जी 74

प्रबन्धन रिपोर्ट 118

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन 122

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणी 142

वार्षिक लेखा 2014-15 146

अग्नि आय लेखा 148

समुद्री आय लेखा 150

विविध आय लेखा 152

लाभ व हानि लेखा 154

तुलन पत्र 158

नकदी प्रवाह का विवरण 160

विभक्त रिपोर्ट 164

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ 176

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ 196

CONTENTS

Notice of 108th Annual General Meeting 2

Corporate Profile 3

Your Directors 4

Board of Directors 5

Corporate Management 6

Regional Incharges 8

Chairman's Communique 11

Report of the Board of Directors to the Members 23

Annexure - A to G 75

Management Report 119

Independent Auditors' Report 123

Comments of the Comptroller and Auditor General of India 143

Annual Accounts 2014-15 147

Fire Revenue Account 149

Marine Revenue Account 151

Miscellaneous Revenue Account 153

Profit & Loss Account 155

Balance Sheet 159

Cash Flow Statement 161

Segmental Report 165

Schedules forming part of Financial Statements 177

Significant Accounting Policies 197

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नांकित साधारण कारोवार को संपादित करने हेतु नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की 108 वीं वार्षिक आम बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शुक्रवार, 31 जूलाई 2015 को अपराह्न 4:00 बजे, आयोजित होना निर्धारित था जो ***कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 3, मिडिलटन स्ट्रीट, कोलकाता-700 071 में मंगलवार, 29 सितम्बर 2015 को अपराह्न 4:00 बजे पुनर्निर्धारित*** किया गया है।

1. लेखा परीक्षकों तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ-साथ 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण को प्राप्त करने, विचार करने तथा अपनाने हेतु।
2. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभांश को घोषित करने हेतु।
3. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीखक द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल को अधिकृत करने हेतु।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

(रीना माडिया)
कम्पनी सचिव

कोलकाता
23 सितम्बर 2015

टिप्पणी:

1) वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने व मतदान करने के हकदार सदस्यों का बैठक में भाग लेने और स्वंय के बजाय उनमें वोट करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रुप में एक अन्य व्यक्ति, चाहे वह सदस्य हो या न हो, को नियुक्त करने का हक है।

2) प्रतिनिधि नियुक्त करने का यंत्र या कोई अन्य प्राधिकारी, यदि कोंं हो, तो बैठक आयोजित करने से कम से कम 48 घंटे पहले पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 108th Annual General Meeting of the Members of National Insurance Company Limited scheduled to be held on Friday, the 31st day of July 2015 at 4:00 p.m. at the registered office of the Company is ***rescheduled*** to be held on ***Tuesday, 29th September 2015 at 4:00 p.m. at the registered office of the Company at 3, Middleton Street, Kolkata - 700071*** to transact the following Ordinary Business :

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March 2015 together with the Reports of the Board of Directors' and Auditors' thereon.
2. To declare dividend for the financial year ended 31st March 2015.
3. To authorise the Board of Directors to fix the remuneration of the Statutory Auditors, to be appointed by the Comptroller & Auditor General of India for the financial year 2015-16.

By order of the Board
For National Insurance Company Limited

(Rina Madia)
Company Secretary

Kolkata
23rd September 2015

Notes:

1) A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint another person, whether a Member or not, as his proxy to attend the meeting and vote thereat instead of himself.

2) The instrument appointing a proxy or any other authority, if any, can be deposited at the registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting.

CORPORATE PROFILE

Chairman-cum-Managing Director

Rajesh Aggarwal, IAS

Board of Directors

Rajesh Aggarwal
(Chairman-cum-Managing Director)

K.P. Brahma
(Whole-time Director)

M. Vasantha Krishna
(Whole-time Director)

Arun Kaul
(Independent Director)

Bibhuti Bhusan Mishra
(Independent Director)

Board Committees

Audit Committee

Arun Kaul (Chairman)
K. P. Brahma
M. Vasantha Krishna
Bibhuti Bhusan Mishra

Investment Committee

Rajesh Aggarwal (Chairman)
Arun Kaul
M. Vasantha Krishna
Bibhuti Bhusan Mishra
Amitava Das, Chief Investment Officer
P.C. Subudhi, Chief Finance Officer
Bhudev Chatterjee, Appointed Actuary

HR Committee

Rajesh Aggarwal (Chairman)
Arun Kaul
K. P. Brahma
M. Vasantha Krishna
Bibhuti Bhusan Mishra

IT Committee

Rajesh Aggarwal (Chairman)
K.P. Brahma
M. Vasantha Krishna
Arun Kaul

Remuneration Committee

Rajesh Aggarwal (Chairman)
Arun Kaul
Bibhuti Bhusan Mishra

Risk Management Committee

Rajesh Aggarwal (Chairman)
Arun Kaul
K.P. Brahma
M. Vasantha Krishna
N. Banchur, Chief Risk Officer

Policyholder Protection Committee

Rajesh Aggarwal (Chairman)
K.P. Brahma
M. Vasantha Krishna
Bibhuti Bhusan Mishra

Property Review Committee

Rajesh Aggarwal (Chairman)
Arun Kaul
M. Vasantha Krishna
Bibhuti Bhusan Mishra

Corporate Social Responsibility Committee

Rajesh Aggarwal (Chairman)
Arun Kaul
M. Vasantha Krishna
Bibhuti Bhusan Mishra

Corporate Management General Managers

K. P. Brahma
M. Vasantha Krishna
P. Venkatramaiah
Kamlesh Vashist
John Pulinthanam
Amitava Das
Sashikala Muralidharan
P. K. Mahapatra
Vijay Walia

Appointed Actuary

Bhudev Chatterjee

Chief Vigilance Officer

Vijay Walia

Deputy General Managers at Head Office

Dilbagh Singh
K. Sampath
Sunil Gupta
Amiya Kumar
P. C. Subudhi
N. Banchur
Francis Joseph P.
K. Narayanan (Internal Auditor)
Gope Panikkar
M.A.A. Baig
A.K. Ramakrishnan
Amitabha Mitra

Company Secretary

Rina Madia

Joint Statutory Auditors

S. Ghose & Co.
Chartered Accountants

M. C. Bhandari & Co.,
Chartered Accountants

Secretarial Auditor

H.M. Choraria & Co.
Practicing Company Secretaries

Registered Office

3, Middleton Street,
Kolkata - 700071.
Phone : (033) 2283 1705
(033) 2283 1752
Fax No. : (033) 2283 1736
Website : www.nationalinsuranceindia.com
IRDAI Registration No. 58
CIN: U10200WB1906GOI001713

Foreign Office-Nepal

Dr. Pronab Sen (CEO)
Kathmandu Controlling Office
KKM Building (2nd Floor),
P. O. Box 376, Tripureshwor,
Kathmandu - Nepal
Phone No. : 0977-1-4260366
0977-1-4250710
Website : www.nicnepal.com

Note : Position as on 19th June, 2015.

YOUR DIRECTORS

Shri Rajesh Aggarwal, IAS

Shri Rajesh Aggarwal, IAS (49), DIN 03566931, joined the National Board as a representative of Government of India, Ministry of Finance on 4th February 2015. Shri Aggarwal was assigned additional charge as Chairman-cum-Managing Director for a period upto three months since 27th May 2015. An officer of 1989 Batch of Indian Administrative Service, he held various important assignments in Maharashtra & Delhi and has been very active in e-Governance, and is recipient of numerous awards, including Premier (Global) 100 CIOs by Computerworld USA, DataQuest Editor's Choice for CIO, UID (Aadhaar) Innovations Award from Prime Minister, Indian Express IT Award, PC-Quest C-Change award etc. He holds B.Tech. in Computer Science from IIT, Delhi (1983-87), where his main interests were Algorithms and Artificial Intelligence. In last few years, he has been championing the use of Open Source Software, Open Source Hardware, Open Databases and Open APIs, putting public funded research data and algorithms in public domain, etc. His various publications can be read at his website www.eGovernance.guru.

He is presently posted as Joint Secretary in the Department of Financial Services, Government of India, and is associated with Financial Inclusion including Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana. He is a Director on the Board of Punjab National Bank, IFCI Limited and Central Registry of Securitization Asset Reconstruction and Security Interest of India.

Shri K. P. Brahma

Shri K. P. Brahma (60), DIN 02919395, General Manager, joined the National Board as a Whole-time Director effective from 2nd December 2013. He holds Masters degree in Science. He joined General Insurance Industry in the year 1978. During his long tenure, he has acquired wide range of experience in several functions spanning Marketing, Publicity, Administration, Technical, Personnel and Estate and held various positions including Branch Manager / Divisional Manager/Regional in-charge in different parts of the country. He does not hold directorship of any other company.

Shri M.Vasantha Krishna

Shri M.Vasantha Krishna (57), DIN 06960731, General Manager joined the National Board as Whole-time Director on 4th February 2015. He is a First Class Commerce Graduate and also a Fellow of Insurance Institute of India (III) and Associate of Chartered Insurance Institute (ACII), UK.

He had a short banking career before joining the General Insurance Industry as a direct recruit officer in the year 1979. On completion of induction training by GIC, he was posted to the Oriental Insurance Company Limited where he worked in several positions which included a stint of five years as Divisional Head, servicing large corporate accounts in Mumbai and also as Regional Head of the company in Hyderabad for three years. In the year 2007 his services were transferred to the New India Assurance Co. Ltd. on his promotion as Deputy General Manager. He headed New India's Regional Office at Mumbai exclusively handling corporate customers before his posting to London in 2009 as CEO of New India's UK operations. He was promoted as General Manager in 2010. On his return to India in 2014 on completion of his foreign assignment he was posted to United India Insurance Co. Ltd. as a Director and General Manager. His services were later transferred to National Insurance Company Ltd. on 19th January 2015.

Shri Vasantha Krishna is well versed in all classes of insurance and has experience in both administration and marketing. He was also exposed to the international insurance/reinsurance market during his London posting and is familiar with the risk based capital management and regulation prevailing in the European market. Currently, he is on the Board of Health Insurance TPA of India Limited.

Shri Arun Kaul

Shri Arun Kaul (59), DIN 00038447, Chairman & Managing Director of UCO Bank, joined the National Board as Independent Director on 10th May 2013. He is an Honours Graduate of Microbiology and MBA in Finance & Marketing. Shri Kaul started his career as a Probationary Officer in SBI in 1978. He then moved on to Punjab National Bank in 1983 as Senior Manager (Credit) and went on to hold several important posts in its associate companies. During his tenure as Managing Director, PNB Gilts Limited emerged as one of the largest debt trader in the country. Shri Kaul became Executive Director of Central Bank of India in 2009. Currently, he is a Member of the Insurance Advisory Committee of the Insurance Regulatory and Development Authority of India.

Shri Bibhuti Bhusan Mishra

Shri Bibhuti Bhusan Mishra (64), DIN 06770946, joined the National Board as a Non-Executive Independent Director effective from 26th November 2013. He holds a Masters degree in Political Science and degree in Law from Utkal University. He is a socio-political activist and pursued law as his profession. He is the author of various books in Odia language; his articles on socio-economic and political issues have been published in regional and national level. He took keen interest in opening & managing various educational institutions in Odisha. He has represented Government of India in Banks & Port Trusts as director/trustee for more than 13 years. He does not hold directorship of any other company.

Note: This details are as at 19th June 2015.

BOARD OF DIRECTORS

Shri Rajesh Aggarwal, IAS

Shri K. P. Brahma

Shri M. Vasantha Krishna

Shri Arun Kaul

Shri Bibhuti Bhusan Mishra

CORPORATE MANAGEMENT

Shri Rajesh Aggarwal, IAS
Chairman-cum-Managing Director

Shri K. P. Brahma
General Manager

Shri M. Vasantha Krishna
General Manager

Shri P. Venkatramaiah
General Manager

Smt. Kamlesh Vashist
General Manager

Shri John Pulinthanam
General Manager

Shri Amitava Das
General Manager

Smt. Sashikala Muralidharan
General Manager

Shri P. K. Mahapatra
General Manager

Shri Vijay Walia
General Manager & CVO

Shri Bhudev Chatterjee
Appointed Actuary

Smt. Rina Madia
Company Secretary

CORPORATE MANAGEMENT

Shri Dilbagh Singh
Dy. General Manager

Shri K. Sampath
Dy. General Manager

Shri Sunil Gupta
Dy. General Manager

Shri Amiya Kumar
Dy. General Manager

Shri P. C. Subudhi
Dy. General Manager

Shri N. Banchur
Dy. General Manager

Shri P. Francis Joseph
Dy. General Manager

Shri A. K. Ramakrishnan
Dy. General Manager

Shri K. Narayanan
Dy. General Manager

Shri Gope Panikkar
Dy. General Manager

Shri M.A.A. Baig
Dy. General Manager

Shri Amitabha Mitra
Dy. General Manager

REGIONAL IN-CHARGES

NORTHERN ZONE

Smt. Indu Sharma, DGM
Delhi RO-I

Shri A Bhatnagar, DGM
Delhi RO-II

Shri Ravi, CRM
Delhi RO-III

Shri S. C. Ahlawat, CRM
Delhi RO-IV

Dr. M. C. Agarwal, CRM
Jaipur RO

Shri D K Sinha, DGM
Lucknow RO

Shri A. S. Namdhari, CRM
Chandigarh RO-I

Shri S. K. Samantaray, DGM
Chandigarh RO-II

Shri M. L. Mangla, CRM
Dehradun RO

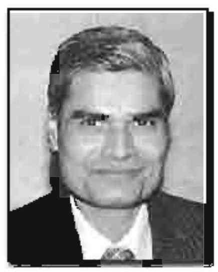
Shri R. K. Vijay, CRM
Jodhpur RO

EASTERN ZONE

Shri C. S. Das, RM
Calcutta RO-I

Shri A. B. Dutta, RM
Calcutta RO-I

Joint Regional Incharges

Shri A. K. Acharya, DGM
Calcutta RO-II

Smt. M. Chand, CRM
Bhubaneswar RO

Shri J. P. Das, CRM
Guwahati RO

Smt. Sophia Singh,
Regional Incharge
Patna RO

REGIONAL IN-CHARGES

WESTERN ZONE

Shri Sanjay Prasad, DGM
Mumbai Corporate RO

Shri D.R. Subodh, DGM
Mumbai RO-II

Shri S. Rasul, DGM
Mumbai RO-III

Shri B.P. Lavania, DGM
Ahmedabad RO

Smt. Alpana Banikya, CRM
Baroda RO

Shri A. K. Singh, CRM
Indore RO

Shri C. Vijayakumar, CRM
Nagpur RO

Shri K. Kedareshwar,CRM
Pune RO

SOUTHERN ZONE

Smt. Nirmala M. Ravishankar, DGM
Chennai RO

Shri R. Sathiyaseelan, DGM
Bangalore RO

Shri J. Panduranga Rao, CRM
Hubli RO

Shri V. Natarajan, CRM
Coimbatore RO

Shri D. Bhargava, CRM
Hyderabad RO

Shri P. Vijayakumar, CRM
Vizag RO

Shri S. Gopakumar, DGM
Kochi RO

Shri T. Pazhanivel, CRM
Madurai RO

मंगलवार 29 सितम्बर, 2015 को 3, मिडिलटन स्ट्रीट कोलकाता – 700 071 में सम्पन्न 108वीं वार्षिक साधारण बैंठक के अवसर पर नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी के सदस्यों के लिए अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक का अभिभाषण

निदेशक मंडल की ओर से, इस कंपनी के सदस्यों की 108 वीं वार्षिक आम बैठक में आप का स्वागत करने और 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा पेश करने में मुझे अपार खुशी हो रही है।

माइक्रो आर्थिक परिदृश्य

भारतीय अर्थव्यवस्था 2013-14 में 6.9% की तुलना में 2014-15 में 7.3% की दर से बढ़ी एवं यह नियंत्रित मुद्रास्फीति, घरेलू मांग में वृद्धि, निवेश में वृद्धि, तेल की कीमतों में गिरावट एवं सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार के कारण महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार की तर्ज पर एक आशाजनक आर्थिक दृष्टिकोण के साथ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरी है। IMF विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, अप्रैल 2015 के अनुसार भारत मौजूदा कीमतों पर GDPI के मामले में विश्व स्तर में सातवें स्थान पर है ।

औद्योगिक क्षेत्र पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 0.1% की वृद्धि के ऊपर 2014-15 (अप्रैल-दिसंबर) में 2.1% की वृद्धि के साथ धीरेधीरे उबर रहा है। विनिर्माण क्षेत्र में कम वृद्धि को उच्च ब्याज दरों, बुनियादी ढाचों में बाधा और घरेलू एवं बाहरी मांग में घटौती के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने भारतीय निर्माण का पुनरुद्धार करते हुए उसे एक शीर्ष प्राथमिकता बना दिया है जो उनके (उद्धरण चिह्न) मेक इन इंडिया अभियान से परिलक्षित होता है। इसका लक्ष्य भारत को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में बदलना है। इस कार्यक्रम से निवेश, नवाचार, कौशल विकास को बढ़ावा, बौद्धिक संपदा की रक्षा एवं निर्माण के बुनियादी ढांचे को सर्वश्रेष्ठ स्तर का बनाने की उम्मीद है।

अनुसंधान, शिक्षा, विस्तार, सिंचाई, उर्वरक, मिट्टी, पानी और वस्तुओं का परीक्षण करने के लिए प्रयोगशालाओं, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कृषि और खाद्य क्षेत्र में वर्धित निवेश की आवश्यकता है। 2014-15 के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इसके अलावा मातहत वैश्विक मांग का सामना करने में, सेवाओं में त्वरण और विनिर्माण वृद्धि भी है। सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के आलोक में, घरेलू व्यापक आर्थिक मापदंडों के लिए दृष्टिकोण आम तौर पर आशावादी है और लगभग 8.5% का विकास दर वर्ष 2015-16 में ही संभव है।

वित्तीय बाजार को विकसित करने और वित्तीय समावेश का प्रसार करने के लिए सरकार ने जन धन योजना जैसे कदम का गठन किया है जिससे हर घर के लिए कम से कम एक बैंक खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुँच प्रदान की जाती है । बीमा क्षेत्र में 2015 की बीमा संशोधन अधिनियम के पारित होने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा दी गई है।

2014-15 में गैर जीवन बीमा परिदृश्य

भारतीय गैर-जीवन बीमा उद्योग ने 9.4% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए ₹84,802 करोड़ की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम हासिल किया है। यह देखा गया है कि मोटर की हिस्सेदारी ₹37,487 करोड़ की है और स्वास्थ्य की हिस्सेदारी ₹20,443 करोड़ की है और इन दो क्षेत्रों ने 2014-15 में क्रमश: 10.8% और 15% की वृद्धि दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए उद्योग ने 1 खरब रूपयों का वार्षिक प्रीमियम आय का लक्ष्य निर्धारित किया है।

वर्ष 2015-16 के लिए विकास कारकों ने अप्रत्याशित रूप से संशोधित मोटर टीपी प्रीमियम, स्वास्थय बीमा का पूर्वानुमान रखते हुए संपदा बीमा से जुड़े निवेश की आंतरिक संरचना को मजबूती प्रदान किया है। यह उद्योग विकास और मूल्य के निर्माण, दोनों के नजरिए से एक महत्वपूर्ण क्षमता रखती है।

Chairman's communiqué to the Members of National Insurance Company Limited at the 108th Annual General Meeting held on Tuesday, 29th September 2015 at 3, Middleton Street, Kolkata -700 071.

On behalf of the Board of Directors, it gives me immense pleasure in welcoming you to the 108th Annual General Meeting of the Members of the Company and present the Annual Report & Accounts for the financial year ended 31st March 2015.

Macro Economic Scenario

The Indian economy grew at the rate of 7.3% in 2014-15 as against 6.9% in 2013-14 and has emerged as one of the largest economies with a promising economic outlook on the back of controlled inflation, rise in domestic demand, increase in investment, decline in oil prices and reforms in key segments., due to improvement in the performance of both services as well as manufacturing sectors. According to IMF World Economic Outlook, April 2015, India ranks seventh globally in terms of GDPI at current prices.

Industrial sector is recovering slowly with a 2.1% growth in 2014-15 (April-Dec.) over the 0.1% increase in the same period in the previous fiscal. The low growth in manufacturing sector can be attributed to high interest rates, infrastructure bottlenecks and low domestic and external demand. The Prime Minister has made the revival of Indian manufacturing a top priority which is reflected in his "Make in India" Campaign. It aims to transform India into a manufacturing hub. This programme is expected to facilitate investment, foster innovation, enhance skill development, protect intellectual property and build best-in class manufacturing infrastructure.

There is a need for increased investment in agriculture and food sector in various areas such as research, education, extension, irrigation, fertilizer, laboratories to test soil, water and commodities, warehousing and cold storages.

The macroeconomic situation in India has improved significantly during 2014-15. Also there is acceleration in services and manufacturing growth in the face of subdued global demand. In the light of government's commitment to reforms, the outlook for domestic macroeconomic parameters is generally optimistic and growth of around 8.5% is possible in 2015-16.

To develop the financial markets and to spread Financial Inclusion, the government has instituted steps such as the 'Jan Dhan Yojana' providing universal access to banking facilities with at least one bank account for every household, FDI in insurance has been increased with the passing of the Insurance Amendment Act of 2015.

Non-Life Insurance Scenario in 2014-15

Indian non-life insurance industry secured a gross direct premium of ₹84,802 crore registering an annual growth of 9.4%. It is observed that the share of Motor is ₹37,487 crore and Health ₹20,443 crore and these two segments recorded a growth of 10.8% and 15% respectively in 2014-15. The industry has set a target of ₹1 trillion in annual premium income for the financial year 2015-16.

The growth drivers for 2015-16 are expectedly revised Motor TP premium, Health Insurance, anticipated firming up of premium rates insurance, expected take-off in infrastructure investment in Property lines. The industry holds a significant potential both from the perspective of growth and creation of value.

भारत में बीमा की पैठ 3.9% पर 6.3% 2013 में विश्व की औसत से कम था। 2013 में सकल घरेलु उत्पाद का प्रीमियम के अनुपात के रूप में मापी गयी बीमा पैठ गैरजीवन बीमा 0.8% के लिए और जीवन बीमा के लिए 3.1% थी। ग्रामीण भारत अभी भी गैरजीवन बीमा उद्योग के लिए अप्रयुक्त बाजार है जिसका पहुंच 0.2% है जबकि शहरी भारत में यह 1.1% है। बीमा पैठ का यह स्तर देश के आर्थिक विकास का स्तर, बचत की हद, बीमा क्षेत्र का आकार और पहुंच, जोखिम सुरक्षा की आवश्यकता पर उपभोक्ता जागरूकता एवं वितरण चैनलों द्वारा सक्रिय आउटरीच जैसे एक बड़ी संख्या के कारकों पर निर्भर करता है।

वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन

लगातार पिछले पांच वित्त वर्षों में, सभी विकास मापदंडों में उद्योग के रिकॉर्ड की स्थापना करते हुए, आपकी कंपनी ₹11,283 करोड़ के सकल प्रीमियम के साथ वर्ष 2014-15 में ₹1197 करोड़ का तगड़ा कर पूर्व लाभ दिखाते हुए देश की सबसे बड़ी गैर-जीवन बीमा कंपनी के रूप में उभरी है । कंपनी को वित्तीय शक्ति के लिए B++ (अच्छा) दर्जा दिया गया है और जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग के लिए A& M Best (और) "bbb+" का दर्जा एवं उसकी वित्तीय शक्ति के लिए CRISIL (एक स्टैंडर्ड एंड पौर कंपनी) द्वारा "AAA/स्थिर" का भी दर्जा दिया गया है।

देश की उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र के बाजार का नेता, यह कंपनी बैंकों के साथ बैंकोश्योरेंस साझेदारी और ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ सामरिक गठबंधन टाई-अप जैसे पथ को तोड़ने वाली पहल का अग्रणी है। मोटर और स्वास्थ्य विभाग - गैर-जीवन बीमा उद्योग के दो प्रमुख विकास ड्राइवरों में इसकी हिस्सेदारी दूसरा सर्वोच्च है। हाल ही में, आपकी कंपनी ने दो नवीन स्वास्थ्य उत्पादों का शुभारंभ किया है - राष्ट्रीय परिवार मेडिक्लेम पॉलिसी और राष्ट्रीय परिवार मेडिक्लेम प्लस पॉलिसी जो एक उपहार के रूप में विभिन्न आकर्षक सुविधाओं के साथ पूरे परिवार के स्वास्थ्य बीमा जरूरतों को कवर करता है ।

कंपनी अपने ग्राहकों के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए देश भर में फैले इसके 1998 कार्यालयों और व्यापार केन्द्रों में काम कर रहे 14757 मानव संपत्ति का एक आधार है। दूरस्थ और अपूर्वदृष्ट क्षेत्रों में व्यापार केंद्र के उद्घाटन ने बेहतर सेवा वितरण, ब्रांड निर्माण और समाज के कमजोर और अपूर्वदृष्ट वर्गों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के अलावा दूरदराज के क्षेत्रों में बीमा के प्रति जागरूकता का प्रसार सुनिश्चित किया है।

कंपनी ने दूरदराज के क्षेत्रों में कार्यालय खोलने के द्वारा एवं ***"पहियों पर बीमा"*** जो वर्तमान 10 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संचालित है, और 9 शीघ्र ही इस कड़ी में शामिल होंगे, जैसे अभिनव पहलों के माध्यम से अपनी सेवाओं को सफलतापूर्वक गरीब भौगोलिक प्रदेशों तक पहुँचाया है। कार्यालयों को विभक्त करना और कार्यालय नेटवर्क को मेट्रो और बड़े शहरों की असेवित क्षेत्रों में विस्तार करना ग्राहक सेवाओं में सुधार करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है।

कंपनी शिक्षा, सूचना, वेब पर नीतियों को ऑनलाइन जारी करना, दावों का शीघ्र प्रसंस्करण और दावा प्रपत्र का सरलीकरण द्वारा ग्राहक सेवा को सुगम करता आया है। ई-गवर्नेस पहल ने सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाओं की एक विशाल श्रेणी का शुभारंभ किया है। कंपनी ने सीएससी के माध्यम से अपने उत्पादों को बेचने के क्रम में सामान्य सेवा केन्द्र - विशेष प्रयोजन वाहन की भागीदारी की है।

कंपनी ने दावा प्रसंस्करण केन्द्र, कुशल ब्रोकर प्रबंधन, समर्पित कॉर्पोरेट कार्यालय खोलकर और अलग-अलग विभाजित व्यापार के संचालन को समेकित कर बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग की एक प्रक्रिया के माध्यम से रणनीतिक हस्तक्षेप भी बना दिया है ।

नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्राहकों को स्वचालित शिकायत रिपोर्टिंग और निवारण सुविधा उपलब्ध कराना और टर्न आराउंड टाईम (Turn around time) में उल्लेखनीय कमी ने ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर में सुधार और कंपनी की ब्रांड छवि को बढ़ाने में योगदान दिया है।

कंपनी 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' नामक भारत सरकार के नेतृत्व की सर्वोत्कृष्ट स्कीम के तहत 8 राज्यों में, गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना और साथ ही साथ समाज के वंचित वर्गों के लिए राज्य सरकार के नेतृत्व में स्वास्थ्य नीतियों के तहत अपनी सेवाएँ प्रदान कर रही है।

भारत सरकार के फ्लैगशिप 'संपूर्ण वित्तिय समावेशन' के तहत, कंपनी ने दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा आवश्यकताओं के अनुरूप 11 नए माइक्रो बीमा उत्पाद तैयार किया है। इन उत्पादों को बैंक व्यवसाय प्रतिनिधि एवं साथ ही साथ सामान्य सेवा केन्द्र - विशेष प्रयोजन वाहन, जिनके साथ कंपनी ने

The insurance penetration in India at 3.9% was below the world average of 6.3% in 2013. Insurance penetration measured as the ratio of premium to gross domestic product was 3.1% of Life Insurance and 0.8% for non-life insurance in 2013. Rural India is still untapped market for non-life insurance industry with penetration of as low as 0.2% whereas it is 1.1% in urban India. The level of insurance penetration depends on a large number of factors such as level of economic development of the country, the extent of savings, the size and reach of the insurance sector and consumer awareness about the need for risk protection as well as proactive outreach by distribution channels.

Financial & operational Performances

Establishing industry records in all growth parameters, consecutively, in the past five fiscal, your Company has emerged as the 2nd largest non-life insurer of the country with a Gross Premium of ₹11,283 crore posting a robust Profit Before Tax of ₹1197 crores in the year 2014-15. The Company has been rated B++(Good) for Financial Strength and "bbb+" for issuer credit rating by A&M Best and also rated as 'AAA/Stable' by CRISIL (a Standard & Poor Company) for its financial strength.

Market leader of both northern and eastern zone of the country, the Company is the pioneer of path breaking initiatives such as Bancassurance partnership with Banks and Strategic Alliance tie-ups with automobile majors. It has the second highest share in the Motor and Health Portfolios - the two major growth drivers of non-life insurance industry. Recently, your Company has launched two innovative health products viz. National Parivar Mediclaim Policy and National Parivar Mediclaim Plus Policy covering requirements of health insurance for the entire family with various attractive features.

The Company has a base of 14757 human assets working in its 1998 offices and business centers spread across the country ensuring easy accessibility to its clientele. Opening of Business Centres in remote and unrepresented areas has ensured improved service deliveries, brand building and spreading of insurance awareness in remote areas besides providing insurance protection to the vulnerable and uninsured sections of the society.

Company has successfully reached its services to underserved geographies by opening offices in remote areas and through innovative initiatives such as 'Insurance on Wheels' presently operated by 10 Regional Offices, 9 more are to be commissioned shortly. Declustering of offices and expansion of office network to unserved areas in metro and bigger cities is on the anvil to improve the customer services.

The Company has been facilitating customer service through education, information, online issuance of policies on web, speedy processing of claims and simplification of claim forms. The e-governance initiative has launched a vast range of citizen-centric services through Common Service Centres (CSCs). The Company has partnered the Common Service Centres-Special Purpose Vehicle in order to sell its products through CSCs.

Company has also made strategic interventions through a process of Business Process Re-engineering by opening Claim Processing Hubs, Efficient Broker Management, dedicated Corporate Offices and consolidation of segmented business operation.

Providing automated grievance reporting and redressal facility to customers using the latest technology and marked reduction in Turn-around-time has contributed to improve customer satisfaction levels and enhancing the Company's brand image.

The Company is servicing the Government of India led flagship Scheme called 'Rastriya Swasthya Bima Yojana' in 8 states, Universal Health Insurance Scheme for the BPL population as well as other State Government led health policies for the marginalised sections of society.

Receiving a fillip under the Government of India's Flagship 'Sampoorna Vittyea Samaveshan', Company has designed 11 new Micro Insurance Products to suit insurance requirements in the remote rural areas. These

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, के माध्यम से विपणन किये जाते हैं।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी देश की आबादी को कम लागत के सार्वभौमिक ***"प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)" के*** माध्यम से बीमित करने में एक अग्रणी भूमिका निभा रही है। ऐसे में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और अन्य जैसे देश के प्रमुख बैंकों सहित 200 से अधिक बैंकों के साथ गठजोड़ करके कंपनी ने PMSBY के तहत इन बैंकों के ***3.5 करोड़*** खाता धारकों को दाखिला दिया है जो गैर-जीवन बीमा कंपनियों में सबसे बड़ा है। नेशनल इंश्योरेंस वह एक मात्र गैर-जीवन बीमा कंपनी है जिसके साथ डाक विभाग (जिसका 1.5 लाख कार्यालयों का नेटवर्क है) ने PMSBY के विपणन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में देश के दूर कोने में अपनी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ।

आपकी कंपनी के प्रदर्शन को मान्यता दी गई है और कॉर्पोरेट जगत द्वारा स्वीकार भी किया गया है। इसे शिक्षा और विकास के माध्यम से व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए बी एम मुंजाल पुरस्कार 2015, मिनी स्ट्रैटेजिक पुरस्कार (बैंकिंग वित्त एवं बीमा) पोर्टर पुरस्कार 2014 और साधारण बीमा में व्यक्तिगत लाइन्स बीमा विकास नेतृत्व (बड़ी कंपनियों की श्रेणी) के लिए भारत बीमा पुरस्कार 2015 जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

मैं कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों को उनके निरंतर संरक्षण और सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हुँ। मैं भारत सरकार, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, निदेशक मंडल एवं अन्य हितधारकों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। अन्त में, मैं हमारे सभी स्तरों के कर्मचारियों के बहुमूल्य योगदान को भी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, और संगठन के लिए भविष्य में उनकी समर्पित सेवाओं की आशा करता हूँ ।

सधन्यवाद

(राजेश अग्रवाल)
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

products are marketed through Bank Business Correspondents as well as through Common Service Centres-Special Purpose Vehicle, with whom the Company has signed a MoU.

National Insurance is also playing a leading role in insuring the country's population through the low cost universal ***"Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)"***. By tying up with over 200 banks including the country's premier banks such as State Bank of India, Bank of Baroda, NABARD, State Bank of Hyderabad and others, Company has enrolled around 3.5 crores account holders of these banks under PMSBY which is the largest amongst the non-life insurance companies. Department of Post, Government of India with its huge network of 1.5 lakh offices has chosen your Company as its partner for marketing PMSBY among its customers and has signed a Memorandum of Understanding with the Company.

Your Company's performance have been recognised and acknowledged by the corporate world. It has been feted with many prestigious awards such as B.M.L. Munjal Award 2015 for 'Business Excellence through Learning & Development', Mini Strategy Award (Banking Finance & Insurance) Porter Prize 2014 and India Insurance Award 2015 for Personal Lines Insurance Growth Leadership in General Insurance (Large Companies Category).

I express my thanks to the Company's valued customers for their continued patronage & cooperation. I convey my sincere thanks to the Government of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Board of Directors and other stakeholders for their valuable guidance and support. Lastly, I would also like to place on record the valuable contribution of our employees, at all levels, and look forward to their dedicated services to the organisation in the future.

With best regards,

(Rajesh Aggarwal)
Chairman-cum-Managing Director

Hon'ble Committee on Finance conducts a study visit to National Insurance Company Limited in Kolkata on 8th July 2015.

CMD, NIC Shri Rajesh Aggarwal, JS, DFS holds the MOU with the CMD, NBCC Dr. A.K. Mittal after signing of the MOU for construction of NIC's new Corporate Office at Rajarhat, Kolkata on 12th June 2015 in Delhi. Officials of NIC and NBCC are also present.

Shri Rajnath Singh, Hon'ble Minister of Home Affairs inspects our 'Insurance on Wheels' Mobile Van after launching of PMSBY, PMJJBY and PMAPY at Indira Gandhi Pratisthan, Lucknow on 09.05.2015.

A cheque for an amount of Rupees one crore is being presented to Shri N. Chandrababu Naidu, Hon'ble Chief Minister, Andhra Pradesh by Shri A.V. Girija Kumar, ex-General Manager & Director towards Company's contribution to "Andhra Pradesh Chief Minister Relief Fund" for Hud Hud Cyclone which ravaged coastal Andhra Pradesh in the month of October 2014. Shri P. Vijayakumar, CRM, Vizag RO and Shri D. Bhargava, CRM, Hyderabad RO are also present.

Shri John Pulinthanam (extreme left), General Manager exchanging MOU on Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana with Smt. Gitanjali Mishra (second from right), GM, SBI in presence of other senior officers of NIC & SBI.

Shri P.J. Joseph, the then CMD holds the trophy of B.M.L. Munjal Awards 2015 for 'Business Excellence through Learning and Development' as Shri K.P. Brahma, General Manager & Director receives the Certificate from Shri B.M.L. Munjal, Chairman, Hero Motocorp at New Delhi on 8th April 2015.

Shri A.V. Girija Kumar, ex-General Manager & Director, receives 'The Mint Institute for Competitiveness Strategy Awards 2014' from Hon'ble Deborah Wince Smith, President & CEO, US Council in Competitiveness in New Delhi on 26th September 2014.

Training is being imparted to the employees of our Corporate Agent Mehsana Urban Co-operative Bank at Mehsana.

Shri S. Rasul, DGM & Smt. S. Choube, RM, MBRO III receive Indian Insurance Award 2015 for Personal Lines Growth Leadership, General Insurance (Large Companies Category) in the month of June 2015 in Mumbai.

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

Empowering the handicapped/differently abled persons through ALIMCO

Spreading the wings of education to tribal children through Friends of Tribals Society

A CSR Initiative of the Company

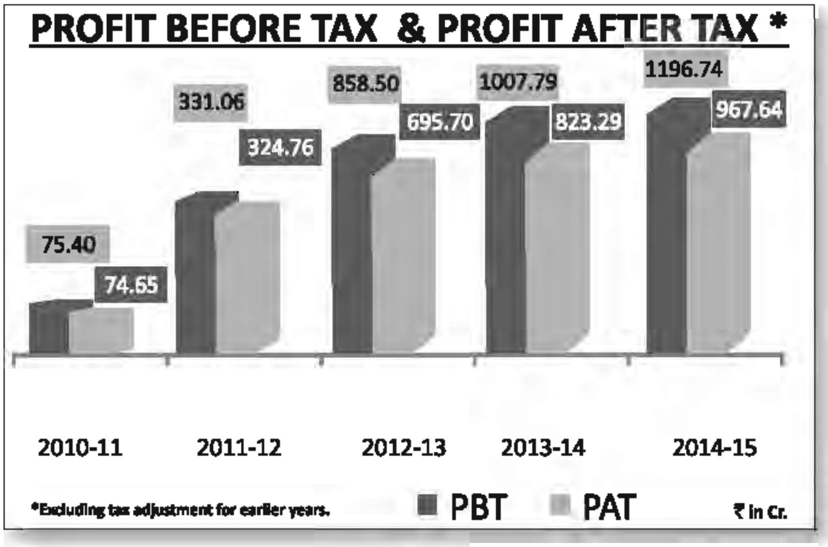
PROFIT BEFORE TAX & PROFIT AFTER TAX *
75.40
74.65
331.06
324.76
858.50
695.70
1007.79
823.29
1196.74
967.64
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
*Excluding tax adjustment for earlier years.
PBT
PAT
₹ in Cr.

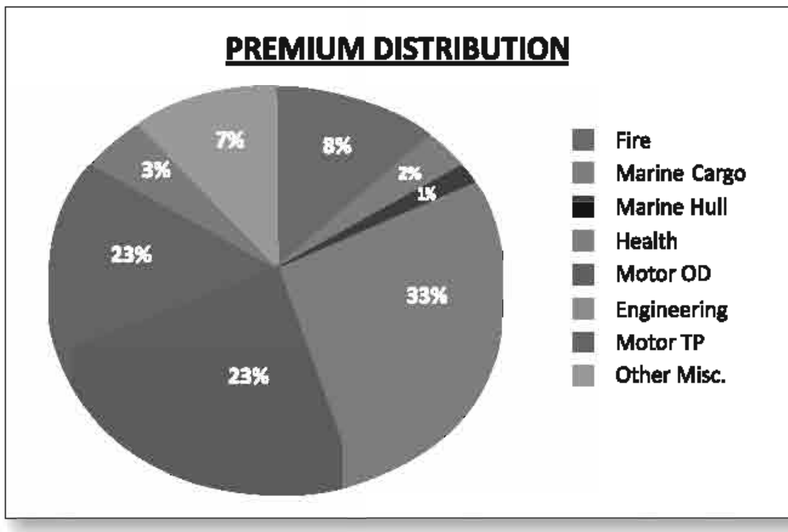
PREMIUM DISTRIBUTION
7%
8%
3%
2%
1%
23%
33%
23%
Fire
Marine Cargo
Marine Hull
Health
Motor OD
Engineering
Motor TP
Other Misc.

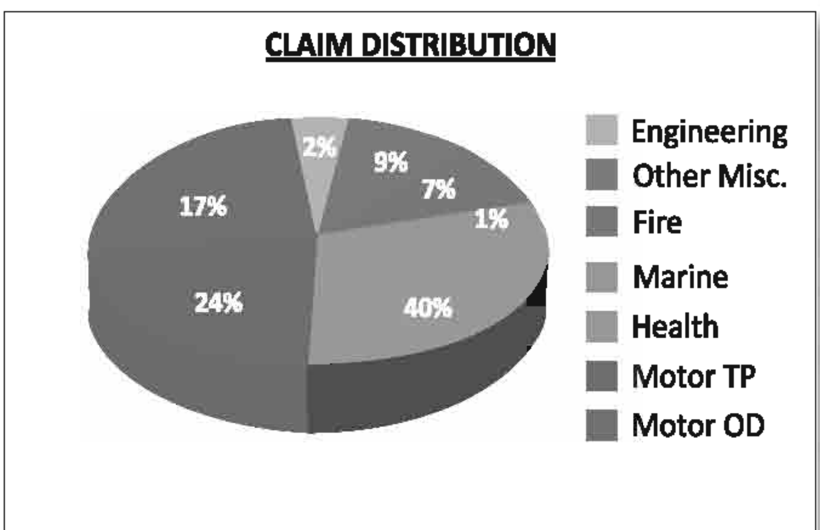
CLAIM DISTRIBUTION
2%
9%
7%
17%
1%
24%
40%
Engineering
Other Misc.
Fire
Marine
Health
Motor TP
Motor OD

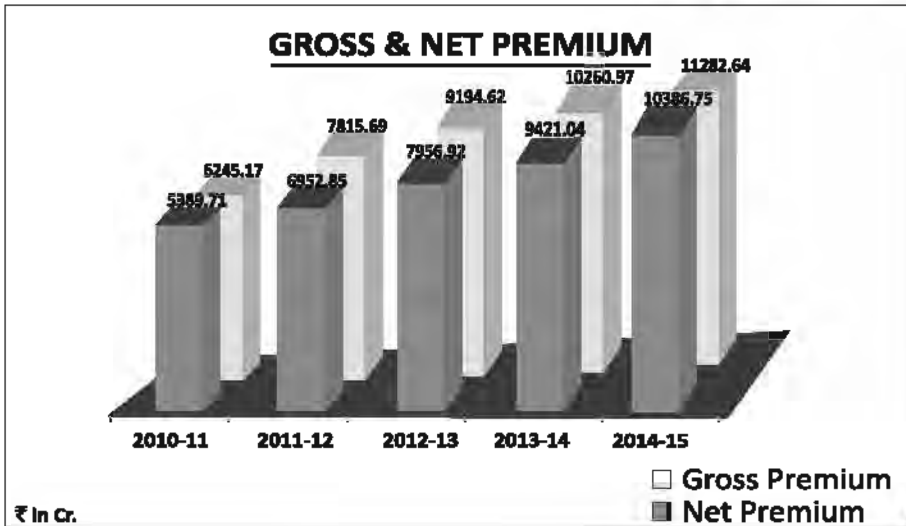
GROSS & NET PREMIUM
5389.71
6245.17
6952.85
7815.69
7956.92
9194.62
9421.04
10260.97
10386.75
11282.64
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
Gross Premium
Net Premium
₹ In Cr.

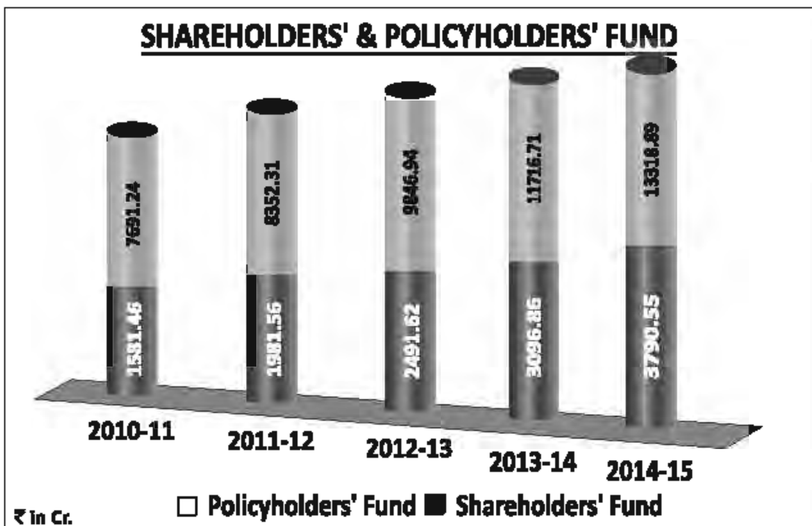
SHAREHOLDERS' & POLICYHOLDERS' FUND
7691.24
8352.31
9846.94
11716.71
13318.89
1581.46
1981.56
2491.62
3096.86
3790.55
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
₹ In Cr.
Policyholders' Fund
Shareholders' Fund

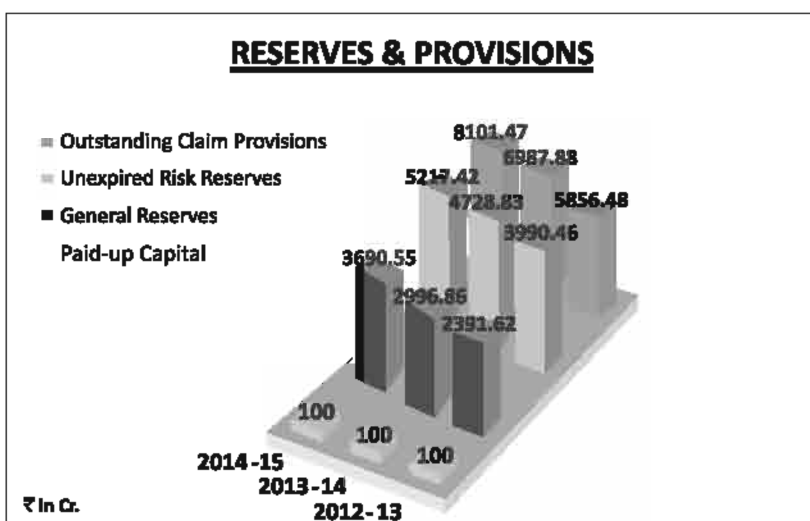
RESERVES & PROVISIONS
Outstanding Claim Provisions
Unexpired Risk Reserves
General Reserves
Paid-up Capital
8101.47
6987.88
5217.42
4728.83
5856.48
3990.46
3690.55
2996.86
2391.62
100
100
100
2014-15
2013-14
2012-13
₹ In Cr.

सदस्यों को निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन :

निदेशकगण को एतद्द्वारा अपना 108वाँ वार्षिक प्रतिवेदन और उसके साथ 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लेखा का लेखा परीक्षित विवरण पेश करते हुए हर्ष है :

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2015 तक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण		अग्नि	समुद्री	विविध	कुल
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय - भारत में	**चा.वर्ष**	**921.33**	**298.59**	**10021.97**	**11241.89**
	पि.वर्ष	878.17	333.51	9011.22	10222.90
(% वृद्धि)	**चा.वर्ष**	**4.91**	**-10.47**	**11.22**	**9.97**
	पि.वर्ष	3.78	-5.24	13.10	11.53
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय - भारत के बाहर	**चा.वर्ष**	**11.39**	**5.29**	**24.07**	**40.75**
	पि.वर्ष	9.60	4.20	24.29	38.09
(% वृद्धि)	**चा.वर्ष**	**18.65**	**25.95**	**-0.91**	**6.98**
	पि.वर्ष	21.83	26.13	37.39	31.84
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय - कुल	**चा.वर्ष**	**932.72**	**303.88**	**10046.04**	**11282.64**
	पि.वर्ष	887.77	337.71	9035.51	10260.99
(% वृद्धि)	**चा.वर्ष**	**5.06**	**-10.02**	**11.18**	**9.96**
	पि.वर्ष	3.95	-4.95	13.15	11.60
स्वीकृत पुनर्बीमा प्रीमियम - भारत में	**चा.वर्ष**	**165.21**	**32.00**	**229.56**	**426.77**
	पि.वर्ष	138.46	22.67	236.91	398.04
भारत के बाहर	**चा.वर्ष**	**0.54**	**0.00**	**0.22**	**0.76**
	पि.वर्ष	0.39	0.01	0.06	0.46
कुल	**चा.वर्ष**	**165.75**	**32.00**	**229.78**	**427.53**
	पि.वर्ष	138.85	22.68	236.97	398.50
अर्पित पुनर्बीमा प्रीमियम - भारत में	**चा.वर्ष**	**334.93**	**126.46**	**851.78**	**1313.17**
	पि.वर्ष	276.46	155.56	796.45	1228.47
भारत के बाहर	**चा.वर्ष**	**3.45**	**0.00**	**6.80**	**10.25**
	पि.वर्ष	3.63	0.00	6.32	9.95
कुल	**चा.वर्ष**	**338.38**	**126.46**	**858.58**	**1323.42**
	पि.वर्ष	280.09	155.56	802.77	1238.42
शुद्ध प्रीमियम - भारत में	**चा.वर्ष**	**751.61**	**204.13**	**9399.75**	**10355.49**
	पि.वर्ष	740.17	200.62	8451.68	9392.47
(% वृद्धि)	**चा.वर्ष**	**1.55**	**1.75**	**11.22**	**10.25**
	पि.वर्ष	7.22	7.24	19.74	18.35
(सकल प्रीमियम का %)	**चा.वर्ष**	**81.58**	**68.36**	**93.79**	**92.12**
	पि.वर्ष	84.29	60.15	93.79	91.88

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE MEMBERS

Your Directors takes immense pleasure in submitting their 108th Annual Report and the Audited Statement of Accounts for the financial year ended 31st March 2015.

FINANCIAL RESULTS

SUMMARISED FINANCIAL RESULTS AS ON 31ST MARCH 2015

(₹ in crore)

Particulars			Fire	Marine	Misc	Total
Gross Direct Premium Income -	**India**	**CY**	**921.33**	**298.59**	**10021.97**	**11241.89**
		PY	878.17	333.51	9011.22	10222.90
	(% Growth)	**CY**	**4.91**	**-10.47**	**11.22**	**9.97**
		PY	3.78	-5.24	13.10	11.53
Gross Direct Premium Income -	**Outside India**	**CY**	**11.39**	**5.29**	**24.07**	**40.75**
		PY	9.60	4.20	24.29	38.09
	(% Growth)	**CY**	**18.65**	**25.95**	**-0.91**	**6.98**
		PY	21.83	26.13	37.39	31.84
Gross Direct Premium Income -	**Total**	**CY**	**932.72**	**303.88**	**10046.04**	**11282.64**
		PY	887.77	337.71	9035.51	10260.99
	(% Growth)	**CY**	**5.06**	**-10.02**	**11.18**	**9.96**
		PY	3.95	-4.95	13.15	11.60
Reinsurance Premium Accepted	**India**	**CY**	**165.21**	**32.00**	**229.56**	**426.77**
		PY	138.46	22.67	236.91	398.04
	Outside India	**CY**	**0.54**	**0.00**	**0.22**	**0.76**
		PY	0.39	0.01	0.06	0.46
	Total	**CY**	**165.75**	**32.00**	**229.78**	**427.53**
		PY	138.85	22.68	236.97	398.50
Reinsurance Premium Ceded	**India**	**CY**	**334.93**	**126.46**	**851.78**	**1313.17**
		PY	276.46	155.56	796.45	1228.47
	Outside India	**CY**	**3.45**	**0.00**	**6.80**	**10.25**
		PY	3.63	0.00	6.32	9.95
	Total	**CY**	**338.38**	**126.46**	**858.58**	**1323.42**
		PY	280.09	155.56	802.77	1238.42
Net Premium	**India**	**CY**	**751.61**	**204.13**	**9399.75**	**10355.49**
		PY	740.17	200.62	8451.68	9392.47
	(% Growth)	**CY**	**1.55**	**1.75**	**11.22**	**10.25**
		PY	7.22	7.24	19.74	18.35
	(% to Gross Premium)	**CY**	**81.58**	**68.36**	**93.79**	**92.12**
		PY	84.29	60.15	93.79	91.88

शुद्ध प्रीमियम	भारत के बाहर	चा.वर्ष	**8.48**	**5.29**	**17.49**	**31.26**
		पि.वर्ष	6.36	4.21	18.03	28.60
	(% वृद्धि)	चा.वर्ष	**33.33**	**25.65**	**-3.00**	**9.30**
		पि.वर्ष	13.35	26.43	50.25	36.52
	(सकल प्रीमियम का %)	चा.वर्ष	**74.45**	**100.00**	**72.66**	**76.71**
		पि.वर्ष	66.35	100.24	74.23	75.09
कुल शुद्ध प्रीमियम		चा.वर्ष	**760.09**	**209.42**	**9417.24**	**10386.75**
		पि.वर्ष	746.53	204.83	8469.71	9421.07
	(% वृद्धि)	चा.वर्ष	**1.82**	**2.24**	**11.19**	**10.25**
		पि.वर्ष	7.27	7.57	19.79	18.40
	(सकल प्रीमियम का %)	चा.वर्ष	**81.49**	**68.92**	**93.74**	**92.06**
		पि.वर्ष	84.09	60.65	93.74	91.81
आरक्षित असमाप्त जोखिम में वृद्धि/कमी		चा.वर्ष	**6.79**	**8.04**	**473.76**	**488.59**
		पि.वर्ष	25.30	13.52	699.56	738.38
	(शुद्ध प्रीमियम का %)	चा.वर्ष	**0.89**	**3.84**	**5.03**	**4.70**
		पि.वर्ष	3.39	6.60	8.26	7.84
अर्जित प्रीमियम			**753.30**	**201.38**	**8943.48**	**9898.16**
			721.23	191.31	7770.15	8682.69
शुद्ध उपगत दावा		चा.वर्ष	**563.33**	**117.48**	**6994.37**	**7675.18**
		पि.वर्ष	527.86	138.05	6382.69	7048.60
	(अर्जित प्रीमियम का %)	चा.वर्ष	**74.78**	**58.34**	**78.21**	**77.54**
		पि.वर्ष	73.19	72.17	82.14	81.18
शुद्ध कमीशन		चा.वर्ष	**60.95**	**20.71**	**482.93**	**564.59**
		पि.वर्ष	65.62	18.20	499.29	583.11
	(अर्जित प्रीमियम का %)	चा.वर्ष	**8.09**	**10.28**	**5.40**	**5.70**
		पि.वर्ष	9.10	9.51	6.43	6.72
प्रबंधन व्यय		चा.वर्ष	**253.61**	**58.03**	**2810.75**	**3122.39**
		पि.वर्ष	186.77	49.13	2038.21	2274.11
	(अर्जित प्रीमियम का %)	चा.वर्ष	**33.67**	**28.82**	**31.43**	**31.55**
		पि.वर्ष	25.90	25.68	26.23	26.19
अन्य आय (-)/जावक (+)			**0.02**	**0.01**	**-1.41**	**-1.38**
			-0.58	-0.33	-4.42	-5.33
बीमा लेखा परिणाम		चा.वर्ष	**-124.61**	**5.15**	**-1343.16**	**-1462.62**
		पि.वर्ष	-58.44	-13.74	-1145.62	-1217.80
	(अर्जित प्रीमियम का %)	चा.वर्ष	**-16.54**	**2.56**	**-15.02**	**-14.78**
		पि.वर्ष	-8.10	-7.19	-14.74	-14.03
निवेश आय - पॉलिसीधारक		चा.वर्ष	**197.73**	**63.19**	**1838.23**	**2099.15**
		पि.वर्ष	185.93	57.57	1562.34	1805.84
पॉलिसीधारक खाता (राजस्व)		चा.वर्ष	**73.12**	**68.34**	**495.07**	**636.53**
		पि.वर्ष	127.49	43.83	416.72	588.04
निवेश आय - शेयर होल्डर्स		चा.वर्ष				**554.83**
		पि.वर्ष				456.94

Net Premium	**Outside India**	**CY**	**8.48**	**5.29**	**17.49**	**31.26**
		PY	6.36	4.21	18.03	28.60
	(% Growth)	**CY**	**33.33**	**25.65**	**-3.00**	**9.30**
		PY	13.35	26.43	50.25	36.52
	(% to Gross Premium)	**CY**	**74.45**	**100.00**	**72.66**	**76.71**
		PY	66.35	100.24	74.23	75.09
Total Net Premium		**CY**	**760.09**	**209.42**	**9417.24**	**10386.75**
		PY	746.53	204.83	8469.71	9421.07
	(% Growth)	**CY**	**1.82**	**2.24**	**11.19**	**10.25**
		PY	7.27	7.57	19.79	18.40
	(% to Gross Premium)	**CY**	**81.49**	**68.92**	**93.74**	**92.06**
		PY	84.09	60.65	93.74	91.81
Addition/Reduction in Un-expired Risk Reserve		**CY**	**6.79**	**8.04**	**473.76**	**488.59**
		PY	25.30	13.52	699.56	738.38
	(% to Net Premium)	**CY**	**0.89**	**3.84**	**5.03**	**4.70**
		PY	3.39	6.60	8.26	7.84
Earned Premium		**CY**	**753.30**	**201.38**	**8943.48**	**9898.16**
		PY	721.23	191.31	7770.15	8682.69
Incurred Claims Net		**CY**	**563.33**	**117.48**	**6994.37**	**7675.18**
		PY	527.86	138.05	6382.69	7048.60
	(% to Earned Premium)	**CY**	**74.78**	**58.34**	**78.21**	**77.54**
		PY	73.19	72.17	82.14	81.18
Commission Net		**CY**	**60.95**	**20.71**	**482.93**	**564.59**
		PY	65.62	18.20	499.29	583.11
	(% to Earned Premium)	**CY**	**8.09**	**10.28**	**5.40**	**5.70**
		PY	9.10	9.51	6.43	6.72
Expenses of Management		**CY**	**253.61**	**58.03**	**2810.75**	**3122.39**
		PY	186.77	49.13	2038.21	2274.11
	(% to Earned Premium)	**CY**	**33.67**	**28.82**	**31.43**	**31.55**
		PY	25.90	25.68	26.23	26.19
Other Income(-)/Outgo(+)		**CY**	**0.02**	**0.01**	**-1.41**	**-1.38**
		PY	-0.58	-0.33	-4.42	-5.33
Underwriting Results		**CY**	**-124.61**	**5.15**	**-1343.16**	**-1462.62**
		PY	-58.44	-13.74	-1145.62	-1217.80
	(% to Earned Premium)	**CY**	**-16.54**	**2.56**	**-15.02**	**-14.78**
		PY	-8.10	-7.19	-14.74	-14.03
Investment Income - Policy Holders		**CY**	**197.73**	**63.19**	**1838.23**	**2099.15**
		PY	185.93	57.57	1562.34	1805.84
Revenue (Policy Holder)Accounts		**CY**	**73.12**	**68.34**	**495.07**	**636.53**
		PY	127.49	43.83	416.72	588.04
Investment Income - Share Holders		**CY**				**554.83**
		PY				456.94

(₹ करोड़ में)

कुल निवेश आय	चा.वर्ष पि.वर्ष				**2653.98** 2262.78
संदिग्ध ऋण का प्रावधान	चा.वर्ष पि.वर्ष				**-11.06** 25.07
जावक घटाकर अन्य आय	चा.वर्ष पि.वर्ष				**-5.68** -12.09
कर पूर्व लाभ	चा.वर्ष पि.वर्ष				**1196.74** 1007.82
कर हेतु प्रावधान	चा.वर्ष पि.वर्ष				**229.10** 184.50
कर पश्चात लाभ	चा.वर्ष पि.वर्ष				**967.64** 823.32
प्रस्तावित लाभांश	चा.वर्ष पि.वर्ष				**193.53** 164.66
लाभांश संवितरण कर	चा.वर्ष पि.वर्ष				**32.89** 27.98
पूर्व वर्षों का समायोजित कर	चा.वर्ष पि.वर्ष				**2.47** -0.41
सामान्य आरक्षित में स्थानान्तरित/आकस्मिक आरक्षित	चा.वर्ष पि.वर्ष				**743.69** 630.27

पूँजी तथा निधियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15		2013-14	
शेयरधारकों का कोष :				
प्रदत्त पूँजी	**100.00**		100.00	
सामान्य आरक्षित	**3690.55**	**3790.55**	**2996.86**	**3096.86**
(आरक्षित डिफार्ड कर सहित)				
पालिसीधारकों का कोष:				
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित	**5217.42**		4728.83	
वर्ष के अत में बकाया दावों के लिए प्राकल्पित देयता	**8101.47**	**13318.89**	6987.88	11716.71
		17109.44		14813.57

विगत वर्ष में ₹2475.01 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान ₹2295.87 करोड़ कुल निधियों की अभिवृद्दि रही। कम्पनी की कुल संपत्तियां ₹30302.27 करोड़ रहीं जो पिछले वर्ष में ₹27050.20 करोड़ थीं।

(₹ in crore)

Total Investment Income	**CY**				**2653.98**
	PY				2262.78
Provision for Doubtful Debts	**CY**				**-11.06**
	PY				25.07
Other Income less Outgo	**CY**				**-5.68**
	PY				-12.09
Profit Before Tax	**CY**				**1196.74**
	PY				1007.82
Provision for Tax	**CY**				**229.10**
	PY				184.50
Profit After Tax	**CY**				**967.64**
	PY				823.32
Proposed Dividend	**CY**				**193.53**
	PY				164.66
Dividend distribution Tax	**CY**				**32.89**
	PY				27.98
Tax Adjustment for Earlier years	**CY**				**2.47**
	PY				-0.41
Transfer to General Reserves/Contingency Reserve	**CY**				**743.69**
	PY				630.27

CAPITAL & FUNDS

(₹ in crore)

Particulars	**2014-15**		2013-14	
Shareholders' Fund:				
Paid-up Share Capital	**100.00**		100.00	
General Reserve	**3690.55**	**3790.55**	**2996.86**	**3096.86**
(including Deferred Tax Reserve)				
Policyholders' Fund:				
Reserve for Unexpired Risks	**5217.42**		4728.83	
Estimated Liability for Outstanding Claims at the end of the year	**8101.47**	**13318.89**	6987.88	11716.71
		17109.44		14813.57

The accretion in total funds in 2014-15 has been ₹2295.87 crore as against ₹2475.01 crore in the previous year. The total assets of the Company amounted to ₹30302.27 crore as against ₹27050.20 crore in the previous year.

शुद्ध उपगत दावा :

कुल शुद्ध उपगत दावा में कमी आई। उपगत दावा वर्ष 2013-14 के 81.18% से घट कर वर्ष 2014-15 में 77.54% रह गया। शुद्ध प्रतिधारण में वृद्दि हुई जोकि पिछ्ले वर्ष में 91.81% थी एवं वर्ष 2014-15 में बढ़कर 92.06% हो गई।

प्रबंधन व्यय :

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 (सी) के प्रावधानों के अनुसार, व्यय की अनुमत सीमा, बीमालेखन व्यवसाय के अनुपात पर आधारित, तथा आवश्यक समायोजन के पश्चात, प्रबंधन व्यय ₹3296.69 करोड़ रहा जो वर्ष 2013-14 में ₹2989.66 करोड़ था। उपरोक्त अनुमत सीमा एवं आवश्यक समायोजन के पश्चात भारत में व्यवसाय प्रचालन पर व्यय ₹3754.80 करोड़ रहा। कम्पनी प्रबंधन व्यय को बीमा अधिनियम के अनुसार निर्धारित सीमा में लाने का हरसंभव प्रयास कर रही है।

कम्पनी ने वर्तमान वर्ष में कर पूर्व शुद्ध लाभ ₹1196.74 करोड़ दर्ज किया जो पिछले वर्ष में कर पूर्व शुद्ध लाभ ₹1007.79 करोड़ था।

लाभांश:

कम्पनी के वित्तीय निष्पादन के आधार पर निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर सहर्ष ₹193.53 करोड़ के लाभांश की संस्तुति की है। कर सहित कुल देय लाभांश ₹226.42 करोड़ रहेगा।

शोधन क्षमता की अपेक्षाओं का अनुपालन:

कम्पनी की शोधन क्षमता 31 मार्च, 2015 को 1.52 रही जबकि 31 मार्च 2014 को यह 1.55 थी।

(₹ करोड़ में)

आईआरडीए के नियमानुसार वांछित शोधन क्षमता	2568.26
उपलब्ध शोधन क्षमता	3902.11

ए एम बेस्ट रेटिंग :

अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ए एम बेस्ट द्वारा कम्पनी को वित्तीय ताकत के लिए B++ (अच्छी) एवं जारीकर्ता केडिट के लिए "bbb+" रेटिंग दी गई है जोकि स्थिरता को दर्शाती है।

क्रिसिल रेटिंग :

पालिसीधारकों के प्रति दायित्वों को पूरा करने के लिए क्रिसिल द्वारा लगातार कम्पनी को AAA/STABLE रेटिंग दी जा रही है जोकि कम्पनी की उच्चतम वित्तीय ताकत को दर्शाती है।

दान:

कम्पनी ने हुदूद साईकलोन से प्रभावित तीन जिलों विशाखापट्नम, विजयनगरम एवं श्रीकाकुलम में राहत कार्यों के लिए आंध्र प्रदेश मुख्य मंत्री राहत कोष में ₹1 करोड़ का योगदान दिया है।

विदेशी विनिमय आय तथा व्यय :

विदेशी मुद्रा में आय ₹109.99 करोड़ तथा व्यय ₹98.57 करोड़ रहा। आय में आवक पुनर्बीमा अर्जन पर दावा वसूली तथा निधियों एवं विदेशों की आवक जमा शामिल है। जबकि व्यय में जावक पुनर्बीमा अर्पण, पुनर्बीमा स्वीकृति पर दावा निष्पादन आदि शामिल हैं।

निवेश :

31 मार्च 2015 को भारत में कुल निवेश ₹16477.99 करोड़ हुआ जोकि गत वर्ष में ₹14981.68 करोड़ था। इसमें समाजोन्मुख क्षेत्रों, जिनमें शामिल हैं केन्द्रीय ओर राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां, गारंटीशुदा बंधपत्र, ढांचागत बंधपत्र, आवास और अग्निशमन उपकरणों के लिए हुडको एवं विभिन्न सरकारों को दिए गए ऋणों में 31 मार्च, 2015 को ₹8926.01 करोड़ का निवेश हुआ जो पिछ्ले वर्ष 31 मार्च, 2014 तक ₹8145.05 करोड़ था।

कम्पनी ने सेकंडरी मार्किट में प्रचालन जारी रखा और कम्पनी की प्रतिभूतियों की बिक्री से से अर्जित लाभ वर्तमान वर्ष में

NET INCURRED CLAIMS:

The overall Net Incurred Claim has gone down from 81.18% in 2013-14 to 77.54% in 2014-15 with increase in Net Retened Premium as % to GDPI from 91.81% in the last fiscal to 92.06% in the current fiscal.

EXPENSES OF MANAGEMENT:

As per the provision of Section 40C of the Insurance Act, 1938, the permissible limit of expenses, being a ratio of the business underwritten, after the adjustment, was ₹3296.69 crore as against ₹2989.66 crore in 2013-14. As against the allowable limit as aforesaid, the actual expenses incurred on business operations in India, after the adjustment, amounted to ₹3754.80 crore.

The Company has recorded a Net Profit Before Tax of ₹1196.74 crore in the current year as against Net Profit Before Tax of ₹1007.79 crore in the previous year.

DIVIDEND:

Considering the financial performance of the Company, your Directors are pleased to recommend a dividend of ₹193.53 crore for the financial year ended 31st March 2015. Total outgo in the form of dividend including taxes will be ₹226.42 crore.

COMPLIANCE OF SOLVENCY MARGIN REQUIREMENTS:

The Company has the solvency margin of 1.52 as at 31st March 2015 as against 1.55 as at 31st March 2014.

(₹ in crore)

Required Solvency Margin under IRDA Regulation	2568.26
Available Solvency Margin	3902.11

A.M. BEST RATING:

The Company has been rated B++ (Good) for financial strength and "bbb+" for issuer credit rating which reflects stable outlook by A.M. Best, an international rating agency.

CRISIL RATING:

The Company continues to enjoy the 'AAA/STABLE' rating by CRISIL, which reflects the highest financial strength to meet the policyholders' obligations.

DONATION:

The Company has donated Rupees One crore to 'Andhra Pradesh Chief Minister Relief Fund' towards the relief work in the 'Hudhud' cyclone affected areas in the three districts of Visakhapatnam, Vizianagaram and Srikakulam.

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:

The income and outgo in foreign exchange aggregated to ₹109.99 crore and ₹98.57 crore respectively. The income was on account of inward reinsurance acceptances, claims recovery on outward reinsurance cessions, inward remittances of funds and investments, while outgo was due to outward reinsurance cessions, claim settlement on inward reinsurance acceptances.

INVESTMENT:

The total Investments in India as on 31st March 2015 was ₹16477.99 crore as against ₹14981.68 crore as on 31st March 2014. Out of this, investments in Socially-oriented Sectors which include Central and State Government Securities, Government Guaranteed Bonds, Infrastructure Bonds, Loans to HUDCO and various State Governments for Housing and Fire Fighting Equipments amounted to ₹8926.01 crore as on 31st March 2015 as against ₹8141.05 crore as on 31st March 2014.

The Company continued to operate actively in the secondary market. The profit earned on sale and redemption of securities during the year was

₹1284.39 रहा जोकि गत वर्ष में ₹1050.62 करोड़ था। वर्ष के दौरान कुल निवेश आय (बिक्री/विमोचन पर लाभ सहित) ₹2653.98 करोड़ रही जो पिछले वर्ष ₹2262.79 करोड़ थी। निवेश से (लाभ सहित) वर्ष 2014-15 में 16.87% प्राप्त हुआ जो पिछले वर्ष 16.16% था।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने निवेश संचय ₹1496.27 करोड़ का संचय किया जबकि पिछले वर्ष ₹1879.90 करोड़ का किया था।

कम्पनी ने ऋण एवं ऋणपत्रों के वर्गीकरण एवं निष्क्रिय सम्पति के लिए वित्तीय संस्थानों पर लागू प्रावधानों के लिए इरडा द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया है। सकल निष्क्रिय सम्पति के लिए प्रावधान घटकर ₹0.28 करोड़ हुआ है एवं निष्क्रिय सम्पति का शुद्ध प्रतिशत घटकर वर्तमान वर्ष में 0.15% रहा जो पिछले वर्ष 0.17% था। कम्पनी ने वर्ष के दौरान निष्क्रिय सम्पति से ₹1.16 करोड़ की प्रतिपूर्ति की।

वर्ष के दौरान अपलिखित निवेश ₹1.34 करोड़ रहा जोकि पिछले वर्ष ₹4.50 करोड़ था।

31 मार्च 2015 को भारत में इक्विटी निवेश ₹3832.83 करोड़ था। इन निवेशों का अद्यतन शुद्ध मूल्य ₹12565.14 करोड़ था जो बही मूल्य 327.83% को प्रदर्शित करता है।

पुनर्बीमा

01 अप्रैल, 2014 के नवीकरण के दौरान पुनर्बीमा का झुकाव दो बातो पर निर्भर या-सकारात्मक परिणामों एवं तृतीय पक्ष के निवेशकों द्वारा पूंजी की निर्बाध आपूर्ति। इसके परिणामस्वरुप सभी वर्ग के लोगो व सभी देशों में नवीकरण की दरों में बदलाव देखने को मिले। कुछ निवेशकों ने इस अवसर को और भी अधिक कवर खरीदने में लगाया तो कुछ नवीकरण ने नियम व शर्तों का विस्तार देखा। हालाकि अधिकांश खरीददारों के लिए अधिभावी लक्ष्य मूल्यों में ह्रास या सीडिंग कमीशन में वृद्धि प्राप्त करना था। बाजार की रिपोर्ट के अनुसार पूंजी अंतर्वाह का विकल्प अर्थात बीमा से संबंधित सुरक्षा (आई.एल.एस) एवं समानांतर बाजार ने वृहत् पैमाने पर पुनर्बीमा खरीददारी के समर्थन में कार्य किया। आई.एल.एस एवं समानांतर बाजार की प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु प्रमुख पारंपरिक पुनर्बीमाकर्ताओं ने ग्राहकों के साथ अपने संबंधों, सामर्थ्य एवं तकनीकी बीमालेखन क्षमता को सुधारने हेतु कड़ी मेहनत की है। आई.एल.एस एवं समानांतर बाजार के लिए मुख्य पुनर्बीमा बाजार के अतिरिक्त रीट्रोसेशन बाजार उनकी सक्रियता का मुख्य केंद्रबिंदु रहा है। अधिकांश पुनर्बीमा कंपनियों के लिए संपदा, उर्जा एवं विमानन के क्षेत्र में मूल्य निर्धारण की अपर्याप्तता रही है। बड़ी संख्या में हानियों एवं वायुयान से संबंधित जोखिम के कारण विमानन की दरें काफी सख्त हो गये हैं।

हालांकि सारी पुनर्बीमा कंपनियां मूल्यों में कमी के अतिरिक्त विस्तृत नियम व शर्तों को स्वाकार करने के लिए तैयार नहीं थीं। कुछ कंपनियां अपने पुनर्बीमा विभाग को सक्रियतापूर्वक वापस ले जा रही थीं। यह विशेष रुप से प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में सच है जहां कुछ बीमा कंपनियों ने दिए गए शर्तों को किसी व्यवस्था में कम अंतर से अस्वीकार कर दिया हो और दीर्घकालिक संबंधों का विच्छेद हुआ है। उसी तरह कई पुनर्बीमा कंपनियों ने अपने मुख्य सहयोगियों के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों को टूटने से बचाए रखा है एवं सर्वोत्तम बाजार की शर्तों से उपर मूल्य पर पक्का आदेश दिया है। वर्ष 2014 में विकट मौसम की परिस्थितियां करीब 48% हानियों का कारण बनीं जिसमें अमेरिका व यूरोप की एक अरब डॉलर की हानि की घटनाएं प्रमुख थीं। अत्यधिक हिमपात व बर्फबारी की घटनाओं के कारण जापान में फरवरी महीने के ठंढ के मौसम में अरबों डॉलर बीमा हानि देश के औद्योगिक इतिहास में सबसे महंगी घटनाएं सिद्ध हुई जबकि अमेरिका में जनवरी के महीने में अत्यधिक ठंढ - शून्य से नीचे तापमान - एवं भारी बर्फबारी के कारण काफी नुकसान हुआ। 35 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा या समस्त विश्व की हानियों का 89% नुकसान अकेले अमेरिका, एशिया व यूरोप में हुआ।

भले ही भारत मे वर्ष 2014 में बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन समेत कई विनाशकारी नुकसान हुए किंतु ऐसी घटनाओं का बाजार पर सीमित प्रभाव ही पड़ा। पुनर्बीमा करनेवालों के द्वारा अपनी चिंताओं को मुखरित करने एवं आनुपातिक कारणों से पीछे हटने के बावजूद मौलिक संपदा की दरें धीमी ही रहीं।

₹1284.39 crore as against last year's figure of ₹1050.62 crore. The total investment income (inclusive of profit on sale/redemption) during the year was ₹2653.98 crore as against ₹2262.79 crore in the previous year. The yield on investment (with profit) for 2014-15 was 16.87 % as against 16.16% in the previous year.

During the year, the Company added ₹1496.27 crore to its investment corpus as against ₹1879.90 crore in the previous year.

The Company has followed the norms prescribed by IRDAI relating to classification of Loans and Debentures and provision for Non-Performing Assets (NPA). The total provision for NPA decreased by ₹0.28 crore and the net NPA percentage is 0.15% in the current year as compared to 0.17% in previous year. The Company has recovered ₹1.16 crore from NPA during the year.

Investment written off/down during the year was ₹1.34 crore as against the last year's figure of ₹4.50 crore.

The aggregate book value of Equity Investments in India as on 31st March 2015 amounted to ₹ 3832.83 crore. The fair value of these investments as on that date was ₹12565.14 crore, representing 327.83% of the book value.

REINSURANCE:

The reinsurance trends during 1st April 2014 renewals hinged on the twin engines of positive results and unabated supply of capital from third party investors. As a result renewals saw a softening of rates across classes and geographies. Some buyers took this opportunity to buy more cover and some renewals saw an expansion in terms and conditions. The overriding target for most buyers, however, was to achieve price reductions or an increase in ceding commissions. As per market reports, alternative capital inflow i.e. Insurance-Linked Securities (ILS) and collateralized markets worked in favour of the reinsurance buyers by way of large capacity. To help withstand the challenges of competing with the ILS and collateralized markets, major traditional reinsurers have worked hard to optimize their client relationships, capacity and technical underwriting capability. In addition to the primary reinsurance market, the retrocession market has been the key area of activity for ILS and collateralized markets where they continued to dominate. The main area of pricing inadequacy for most reinsurers, continued to be in Property, Energy and Aviation. Aviation rates hardened considerably due to high number of losses coupled with increase in aircraft exposures.

However, not all reinsurers were prepared to follow down pricing in addition to accepting wider terms and conditions - some were actively scaling back their reinsurance portfolios. This is particularly true of natural catastrophe where some reinsurers have declined offered terms on some placements with thin margins and longstanding relationships have been severed. Similarly, a number of buyers have drawn back from breaking longstanding relationships with key partners and have given firm order at prices above the best market terms. Severe weather events comprised roughly 48 percent of the losses in 2014, primarily driven by billion-dollar events in the United States and Europe. A multi-billion-dollar February winter weather insured loss event in Japan due to considerable snowfall and ice was one of the costliest ever for the country's industry; while frigid sub-zero temperatures and heavy snow caused heavy losses in the U.S. in January. More than USD35 billion - or 89 percent - of overall global losses were sustained in the U.S., Asia, and Europe.

Although India was hit by a number of catastrophe losses in 2014 including flooding and cyclone landfall, the events had a limited impact on the market. Original property rates remained soft despite reinsurers voicing concern and retreating from proportional programs. Notwithstanding, our fears of non placement at 1st April, programs did get placed, supported by select reinsurers who put

पहले अप्रैल को स्थान नियोजन से संबंधित हमारी आशंकाओं के बावजूद कार्यक्रम नियोजित किए गए जिनका समर्थन चुने हुए बीमाकर्ताओं ने किया था और जिन्होंने ठोस सीमाएं रखीं तथा गैर आनुपातिक में समान हिस्सेदारी पाने के लिए अपनी स्थिति का पूरा फायदा उठाया। संधिपत्रों की हानियों (Loss of Treaty) को देखते हुए कमीशन स्तर में मामूली कमी के साथ पुनर्बीमा बाजार में सरप्लस ट्रीटी स्लिप (Surplus Treaty Slip) लागू किए गए। हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पारंपरिक पुनर्बीमा व्यवस्था के लिए क्षमता की मुश्किलें एवं हमारे ट्रीटी के परिणाम जो कि विपरीत दिशा में जा रहे थे प्रोपोर्शनल ट्रीटीज का नियोजन काफी सौदेबाजी के बाद किया गया।

हमारे नॉन प्रोपोर्शनल प्रोग्राम (नेट एकाउंट एक्सेस ऑफ लॉस प्रोग्राम) पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए बढ़ी हुई बीमालेखन की सूचनाएं, सूक्ष्म आंकड़े व विभागों के विश्लेशण हेतु काफी दबाव के साथ अधिक होती गईं । बीमाराशि विवरण व जोखिम की रुपरेखा मुहैया कराते हुए हम इन्हें बहुत हद तक कम कर पाए हैं। व्यवसाय की वृद्धि एवं जोखिम स्तर के अनुरुप हानि से सुरक्षा के आधिक्य के लिए हमने बढ़ी हुई परिसीमा की खरीद की है। हमारे मोटर तृतीय पक्ष की कटौती राशि हानि कवर कार्यक्रम को एक उपयुक्त उप परत कवर खरीद कर कम कर दिया गया है। यह रिपोर्ट करते हुए हमें खुशी हो रही है कि सुरक्षित मूल्य एवं शर्तें जोखिम व हानि के अनुभवों के अनुरुप ही थे।

वैश्विक कार्यप्रणाली से हमें अवगत कराने और हमारे शुद्ध प्रीमियम आय को बढ़ाने हेतु हम विदेशी बीमा व्यवसाय का बीमालेखन एक निश्चित रुप में करते हैं। अब हमारे पास एक बहुत बड़ा आंतरिक विभाग है और हम आनेवाले वर्षों में इस विभाग को धीरे-धीरे और अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव करते हैं। उपयुक्त पूर्वव्यापी कवर (रीट्रो) खरीदे गए ताकि हम अपने विदेशी स्वीकार्यता को सुरक्षित रख सकें और अपने आपको इस योग्य बना सकें कि विभिन्न् देशों की ट्रीटीज की विस्तृत श्रृंखला का बीमालेखन कर सकें और एक संतुलित विभाग का संग्रह कर सकें।

सर्वोत्कृष्ट दर पर उपयुक्त पुनर्बीमा सुरक्षा की व्यवस्था करने के फलस्वरुप अपनी कंपनी में हमारी शुद्ध संचित आय प्रीमियम वर्ष 2013-14 के 91.81% से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 92.06% हो गई।

टेक्नो मार्केटिंग विभाग

आधारभूत संरचना,उर्जा आदि समेत प्रायः सभी क्षेत्रों मे वृद्धि सुस्त थी और इसीलिए नई परियोजनाओं में कोई उछाल नहीं देखने को मिला। निकट भविष्य में इसमें सुधार होने की आशा की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में महत्वपूर्ण इन्फ्रा परियोजनाओं के लागू होने की संभावनाओं को देखते हुए हमलोगों ने उच्चकोटि की बीमालेखन क्षमता के लिए अपने आपको तैयार कर लिया है। हम अपने विभाग को पुनर्संगठित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं ताकि हम निम्नलिखित उपायों को अपनाकर लाभकारी संपदा विभाग की संभावना को कार्यरुप दे सकें। कंपनी के सभी कार्यालयों,प्रकोष्ठों को सीधे तौर पर प्रधान कार्यालय के टेक्नो मार्केटिंग विभाग की देखरेख में लाने का भी प्रस्ताव है। क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी इंजीनियरों को मिलाकर एक टीम बनाने का प्रस्ताव है जो प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे एवं उनकी सेवाओं को जोखिम निरीक्षण,जोखिम आकलन आदि के लिए उपयोग में लाया जाएगा ताकि हमारे पास मुख्य जोखिमों का एक डाटाबेस तैयार हो सके। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान हमलोगों ने सभी मुख्य एवं चालू पॉलिसियों के नवीकरणों को बचाए रखा है।

मोटर तृतीय पक्ष (टी.पी. दावे)

अत्यधिक मूल्यवाले दावों,पुराने दावों का प्रत्यक्ष सत्यापन एवं नियमित आकलन/लंबित मामलों के प्रलेखीकरण पश्चात परस्पर हल करने के तरीकों द्वारा दाव के निपटान पर बल देते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में मोटर तृतीय पक्ष दावों का प्रबंधन प्रमुख केंद्रबिंदु बनकर रहा है।

लोक अदालत समाधान बढ़ाने हेतु कदम उठाए गए और इसके लिए कार्य योजनाएं बनाई गईं ताकि लोक अदालतों,ट्रिब्यूनलों,उच्च न्यायलयों एवं सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर नियमित सार्थक सहयोग द्वारा पूरी गंभीरता से इसे प्रभावी तौर पर लागू किया जा सके । इन निरंतर प्रयासों के फलस्वरुप इस वित्तीय वर्ष में 20685 लोक अदालत मामलों के निपटारा करने की उपलब्धि हासिल हुई जो पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक है और पिछले वर्ष निपटारा किए गए मामलों मे 10% अधिक है।

2 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (एऩएएलएसए) के संरक्षण में एवं वित्तीय सेवा विभाग,वित्त विभांग,भारत सरकार के प्रयास एवं प्रेरणा के साथ दिनांक 12 अप्रैल, 2014 एवं 06 दिसंबर 2014 को सभी ट्रिब्यूनलों/उच्च न्यायालयों एवं भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 02 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया । एक दिन (06 दिसंबर 2014) मे ही ₹224.93 करोड़ की राशि के 13121 मोटर तृतीय पक्ष दावों का निपटारा सभी समय के लिए एक रिकॉर्ड

up substantial lines and then leveraged their position to get equal shares on non-proportional programs. Surplus Treaty slips were floated in the reinsurance markets with marginally reduced commission levels in view of the losses suffered by the treaties. However, the capacity crunch in the international markets for the traditional reinsurance arrangements and our treaty results pulling in the opposite direction, proportional treaties placement were done after hard negotiations.

With respect to our Non-proportional programme (Net Account excess of loss programme), reinsurers requirement for enhanced underwriting information continued to escalate with greater pressure being applied for providing micro data and portfolio analysis. We have been able to mitigate this to a larger extent by being able to provide sum insured exposures and risk profiles. We have bought increased limits in our excess of loss protection in consonance with our business growth and exposure levels. The deductible of our Motor TP excess of loss programme cover was reduced by buying a suitable sub layer cover. We are pleased to report that the secured prices and conditions were commensurate with the exposures and loss experience.

In order to make ourselves aware of Global insurance practices and augment our net premium income we write foreign inward insurance business in a structured way. We have now a sizeable inward portfolio and propose to increase this portfolio gradually in the ensuing years. Suitable retro cover was purchased to protect our foreign acceptances and enable us to underwrite a wider range of treaties from various regions and garner a balanced portfolio.

Consequent to arranging suitable reinsurance protection at optimum rates, our net retained premium within the Company has gone up to 92.06% in 2014-15 from 91.81% in 2013-14.

TECHNO-MARKETING DEPARTMENT:

The growth was sluggish in almost all sectors including infrastructure, energy etc and hence there was no significant spurt in the number of new projects. It is expected to improve in the near future.

Keeping the possibility of major infra projects getting implemented during the financial year 2015-16, we have prepared ourselves with higher underwriting capacity. We also propose to reorganize the department so that we tap the potential in the profitable property portfolio by adapting the following measures. It is proposed to bring all the corporate offices /corporate cells under the direct supervision of Head Office Techno Marketing department. It is also proposed to have a team of Regional Engineers who will report to HO and their services will be utilized for risk inspection, risk assessment etc so that we have a data base on major risks. We have retained all the major operational policy renewals during the financial year 2014-15.

MOTOR TP CLAIMS:

The management of Motor TP Claims continued to remain a focus area in the year 2014-15 through review of high value claims, physical verification of old cases and emphasis on settlement through various Alternate Dispute Resolution Mechanisms after regular review/documentation of pending cases.

Steps were taken to maximize the Lok Adalat settlement for which action plan was drawn for its effective implementation in all earnestness through regular meaningful participation in the Lok Adalats, at Tribunal, High Court & Supreme Court levels. These continuous efforts resulted in achieving Lok Adalat settlement of 20685 number of cases during the year which is not only the highest since last 10 years but also 10% more than the number of cases settled during the last year.

2 National Mega Lok Adalats, under the aegis of National Legal Services Authority (NALSA) with the initiative & inspiration from the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, were held in all the Tribunals/High Courts and the Supreme Court of India on 12th April 2014 and 6th December 2014. An all time record of 13121

है। हमारी कंपनी की तैयारी और प्रतिबद्धता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उल्लिखित मामलों में 73% (सभी पीएसयू कंपनियों में सफलता का सर्वाधिक प्रतिशत) मामलों का निपटारा दूसरे दौर के राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ जो 06 दिसंबर, 2014 को आयोजित किया गया था।

तृतीय पक्ष दावों को संभालनेवाले अधिकारियों/मधयस्थता करनेवालों की तकनीकी एवं विधिक दक्षता को बेहतर बनाने हेतु वर्ष के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर 5 कार्यशालों के साथ-साथ प्रधान कार्यालय की सहभागिता से पैनल अधिवक्ताओं एवं अन्वेषकों के साथ इंटरऐक्टिव सेशन आयोजित किए गए। क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कामकाज के आकलन हेतु हैदराबाद,भुवेश्वर व दिल्ली में भी बैठकें आयोजित की गईं जिसमें उच्च् मूल्य के दावों जिनका बकाया प्रावधान 25 लाख रुपयों से अधिक था,का आकलन प्रधान कार्यालय मोटर तृतीय पक्ष विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया। नवनियुक्त विधिक पदाधिकारियों के लिए एक प्रवेशिका प्रशिक्षण कंपनी के प्रशिक्षण केंद्र, बीमा शिक्षा का राष्ट्रीय केंद्र,कोलकाता में आयोजित किया गया।

उपयुक्त के अलावा जनवरी, 2015 के महीने में मुंबई क्षे.का. "व", इंदौर क्षे.का.एवं पुणे क्षेत्रीय कार्यालयों में मोटर तृतीय पक्ष दावों की देखरेख करनेवाले अधिकारियों के लिए मोटर तृतीय पक्ष दावों का प्रबंधन विषय पर एक चार दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया गया। मार्च, 2015 के महीने में एऩसीआईएल में 30 क्षेत्रीय कार्यालयों को मिलाकर एक दो दिवसीय सर्विस्ड दावों का समन्वय अभ्यास आयोजित किया गया। मामलों को केंद्रीत व प्रभावशाली तरीके से निपटने के लिए पिछले 03 वर्षों में मोटर तृतीय पक्ष हबों का निर्माण किया गया है। वर्तमान में चेन्नई, बंगलोर, हुबली, बेलगाम, हैदराबाद, विजयवाड़ा, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लुधियाना, जयपुर, पुदुचेरि, गुलबर्गा, दिल्ली व कोलकाता जैसे बड़े केंद्रों पर 16 ऐसे हब काम कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में अधिक संख्या में ऐसे तृतीय पक्ष दावा हब विभिन्न केंद्रों पर, जहां मामलों का जमाव अधिक है, खोलने की योजना बनाई गई है। उपभोक्ता मामलों, मोटर तृतीय पक्ष मामलों की देखरेख के लिए उप महाप्रबंधक कैडर के एक काफी वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में अपनी तरह का एक पहला राष्ट्रीय विधिक वर्टिकल दिल्ली मे खोला गया ताकि कंपनी अपने सर्वोत्तम हित में न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर के सामने एक कुशल व उत्तरदायी मुकदमेबाज के रुप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में सक्षम हो सके।

रिपोर्ट किए गए दावों से अधिक संख्या में दावा का निपटारा किए जाने से लंबित मामलों के पिछले शेष कार्य का निपटारा अनुपात 29.17% के साथ 148278 से घटकर 145329 हो गया। आई.सी.आर (आईबीएनआर के बिना) 31 मार्च, 2015 को यह 73% हो गया।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान लोक अदालतों,उचित जांच कार्य एवं उच्च मूल्य के मामलों के प्रबंधन श्रम शक्ति की तैनाती,कौशल का विकास एवं मानव संसाधन की कार्यकुशतलता एवं मोटर तृतीय पक्ष हब के निर्माण के द्वारा मामलों के निष्पादन के लिए अधिक निपटान दर को प्रथमिकता दी जाएगी ।

31 मार्च 2015 को बकाया एमएसीटी वाद मामलों का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

कब से लंबित	संख्या	राशि (आईबीएनआर के बिना)
3 माह से कम	7649	530.98
6 माह या कम किन्तु 3 माह से अधिक	5204	141.22
1 वर्ष या कम किन्तु 6 माह से अधिक	12460	302.88
3 वर्ष या कम किन्तु 1 माह से अधिक	38459	892.21
5 वर्ष या कम किन्तु 3 वर्ष से अधिक	29120	466.99
5 वर्ष से अधिक	52437	863.92
योग	**145329**	**3198.20**

number of Motor TP cases were settled in a single day (6th December 2014) for a sum of ₹224.93 crore. The preparedness & commitment of our Company could be evident from the achievement that, 73% of the referred cases (the highest percentage of success among all PSU companies) were settled in the 2nd round of National Lok Adalat held on 6th December 2014.

5 number of regional level workshops along with interactive sessions with the panel advocates and investigators with Head Office participation were held to improve the technical & legal expertise of the TP claims handling officers/Intermediaries during the year. RO level performance review meetings were also held in Hyderabad, Bhubaneswar & Delhi wherein high value cases, having outstanding provisions over ₹25 lakh, were reviewed by the officers of the HO Motor TP department. Induction training programme for the newly recruited Legal Officers was also held at the National Centre for Insurance Learning, the Corporate Training Centre located in Kolkata (NCIL).

Apart from the above, a four day intensive training programme on "Effective Management of Motor TP Claims" involving all the Motor TP claims handling officers of Mumbai RO-II & III, Indore RO & Pune RO was conducted in the month of January 2015. A two days serviced claims reconciliation exercise involving all the 30 Regional Offices were held at NCIL in the month of March 2015.

Motor TP Hubs have been created during the last 3 years to deal with the cases in a focused and effective manner. Presently, 16 such Hubs are functioning at major centers viz. Chennai, Bangalore, Hubli, Dabvangere, Hyderabad, Vijayawada, Mumbai, Ahmedabad, Jaipur, Ludhiana, Jammu, Puducherry, Cuttack, Delhi & Kolkata (2 nos.). Plan has been drawn to open more number of such TP claim hubs at different centers, where the concentration of cases is high, in the financial year 2015-16.

A National Legal Vertical, the first of its kind, headed by a very senior ranked officer in the cadre of Deputy General Manager was opened in Delhi to look after Consumer cases, Motor TP cases and all other legal matters in all courts in Delhi including NCDRC & Supreme Court to enable the Company to discharge its duties as an efficient & responsible litigant before the highest level of judiciary in the best interest of the Company.

The backlog of pending cases further reduced from 148278 to 145329 by effecting settlement more than reported with settlement ratio at 29.17%. The ICR (without IBNR) as at 31st March 2015 stood at 73%.

During the financial year 2015-16, high priority will be accorded for higher disposal rate of settlement of cases through Lok Adalats, appropriate investigation & handling of high value cases, human capital deployment, development of skill & efficiency of human resources and creation of Motor TP Hubs.

Age-wise analysis of Outstanding Suit (MACT only) cases as at 31st March 2015

(Amount ₹ in Crore)

Period of pendency	**Nos.**	**Amount (without IBNR)**
Cases pending for less than 3 months	7649	530.98
Cases pending over 3 months up to 6 months	5204	141.22
Cases pending over 6 months up to 1 year	12460	302.88
Cases pending over 1 year up to 3 years	38459	892.21
Cases pending over 3 years up to 5 years	29120	466.99
Cases pending for more than 5 years	52437	863.92
Total	**145329**	**3198.20**

स्वास्थ्य बीमा प्रबंधन

स्वास्थ्य बीमा विभाग ने कंपनी के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बाजार की जबरदस्त प्रतिस्पर्धा के बावजूद कंपनी ने दूसरी सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कंपनी के रुप में अपनी साख को बनाए रखा है।

प्रीमियम वृद्धि

पिछले वर्ष के प्रीमियम ₹3030 करोड़ के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय 23% के सराहनीय दर पर आगे बढ़ी है और पिछले वर्ष की प्रीमियम आय ₹3030 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹3751 करोड़ का प्रीमियम हासिल किया। यह वृद्धि ₹721 करोड़ की है। कंपनी के कुल जीडीपीआई में स्वास्थ्य प्रीमियम की हिस्सेदारी 33% है।

वर्ष के दौरान किए गए प्रयास

स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में नियामक के बढ़ते कार्यों के मद्देनजर वर्ष 2014 में हैदराबाद में स्वास्थ्य प्रकोष्ठों की एक कार्यशाला आयोजित की गई। बीमालेखन में नियामक के विभिन्न प्रावधानों,दावा प्रबंधन एवं पीपीएन मामलों के बारे में सहभागियों को सूचित किया गया । कंपनी के डॉक्टरों व तृतीय पक्ष प्रशासकों (टीपीए) के लिए एक कार्यशाला भी आयोजित की गई जिसमें औषधि व तकनीक के क्षेत्र में अद्यतन प्रगति एवं हमारी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की तुलना में उनकी व्याख्या की जानकारी दी गई। दावा प्रबंधन,धोखाधड़ी नियंत्रण एवं हमारी पॉलिसियों में चिकित्सा के क्षेत्र में हुई अद्यतन प्रगति के उपयोग हेतु विस्तृत दिशानिर्देश हमारे कार्यालयों एवं तृतीय पक्ष प्रशासकों को जारी किए गए है।

बाजार की जरुरतों को पूरा करने हेतु उच्चकोटि के स्वास्थ्य उत्पाद की तरह 15 अगस्त, 2014 को 'नेशनल मेडिक्लेम प्लस पॉलिसी' नामक एक नया उत्पाद आरंभ किया गया। सारे पीएसयू कंपनियों में यह पहला उत्पाद है जिसकी बीमाराशि 50 लाख रुपए से अधिक है। आईआरडीएआई स्वास्थ्य अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरुप स्वास्थ्य विभाग ने भी स्वास्थ्य दावों के सीधे भुगतान की प्रक्रिया की शुरुआत की है। क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के प्रभारियों को इस प्रक्रिया से अवगत करा दिया गया है। भुगतान की मंजूरी देनेवाले कंपनी के अधिकृत अधिकारियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

दावा नियंत्रण व तृतीय पक्ष प्रशासकों का प्रबंधन

वर्ष 2014-15 में दावा निष्पादन व धोखाधड़ी नियंत्रण के लिए तृतीय पक्ष प्रशासकों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन दिशानिर्देशों का पालन तृतीय पक्ष प्रशासक ईमानदारीपूर्वक करें और क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रकोष्ठों को तृतीय पक्ष प्रशासकों की गतिविधियों की देखरेख हेतु संवेदनशील बनाया जा सके।

ग्राहक सेवा

स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमेशा से ही ग्राहक सेवा को महत्व दिया जाता रहा है। आइआऱडीएआई, शिकायत पोर्टल, सीआरएम विभाग जैसे विभिन्न मंचों से एवं प्रत्यक्ष पहुँच के माध्यमों से शिकायतें मिलती हैं। हर एक शिकायत को हमारी ओर से उचित महत्व दिया जाता था और पूरी संवेदनशीलता के साथ उन पर कारवाई की जाती थी। 2014-15 में विभाग ने प्रत्यक्ष रुप से कुल 300 शिकायतें प्राप्त कीं और उनमें से अधिकांश का समाधान कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त वेब पोर्टल द्वारा 1000 से अधिक ग्राहकों के प्रश्नों एवं शिकायतों का भी संचालन किया गया। इन प्रश्नों व शिकायतों का दैनिक तौर पर ध्यान रखा जाता है ताकि पूछताछ करनेवालों को संतोषजनक उत्तर प्राप्त हो सके।

अग्नि व मरीन बीमा

वर्ष 2014-15 के दौरान कम्पनी के संपदा विभाग का कुल व्यवसाय ₹1171.29 करोड़ था। कुल जी.डी.पी.आइ में इसका योगदान 10.42% था। अग्नि विभाग में 5.27% की वृद्धि हुई। वर्ष 2014-15 में अग्नि विभाग का प्रीमियम ₹932.72 करोड़ तक पहुंच गया जो कि पिछले वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹887.77 करोड़ था। वर्ष 2014-15 में कुल इंजीनियरिंग प्रीमियम ₹246.80 करोड़ हो गया जो कि पिछले वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹322.13 करोड़ था। और यह 23.38% कम था। जम्मू व कश्मीर के बाढ़, हुदहुद चक्रवात जैसे

HEALTH INSURANCE MANAGEMENT:

The health Insurance department has contributed to the growth of the Company in a substantial manner. There was intense competition in the market and yet the Company's position as 2nd largest Health insurer was retained.

Premium Growth

The Health Insurance business grew at a commendable rate of 23% to achieve a premium of ₹3751 crore during the year 2014-15 as against the last year premium of ₹3030 crore. The accretion is of ₹721 crore. The share of health premium to the total GDPI of the Company is 33%.

Initiatives taken during the year

In view of the expanding role of the regulator in the field of Health Insurance, a workshop was organized for all the Regional Health Cells at Hyderabad in July 2014. The participants were informed about the various regulatory provisions in underwriting, claims management and PPN matters. A workshop was also organized for the Doctors of the Company and TPAs to deliberate upon the latest advancements in the field of Medicine and Technology and their interpretation vis-a-vis our Health policies. Detailed guidelines have been issued to our offices and TPAs for claims management, fraud control and application of latest medical advancements in our policies.

A new product "National Mediclaim Plus Policy" was launched on 15th August 2014 to cater to market requirement of high end health products. This is the first product among the PSUs which offers sum insured as high as ₹50 lakh.

The Health department also initiated the process of Direct Payments of Health claims in keeping with the provisions of IRDAI Health Regulations 2013. The Regional Health Cell In-charges have been apprised of the process, authorized officials of the Company to approve the payments have been identified and necessary training is being imparted.

Claims control & TPA management

The TPAs have been issued detailed guidelines for claims settlement and fraud control in 2014-15. Efforts are being made to ensure that these guidelines are scrupulously followed by the TPAs and the Regional Health cells are being sensitized to monitor the TPA activities.

Customer Service

Customer Service has always been given paramount importance by the Health department. Grievances are received through various platforms like-IRDAI, Grievance portal, CRM department as well as by direct approach. Due importance was given to each grievance and they were dealt with sensitivity. The department had received about 300 grievances directly in 2014-15 and majority of them have been resolved. In addition, the department has also handled over 1000 customer queries and grievances through our Web Portal. These queries and grievances are attended on daily basis to the satisfaction of the querists.

FIRE & ENGINEERING INSURANCE:

The total business of the Company in the property segment was ₹1171.29 crore during the year 2014-15. Its contribution to total GDPI was 10.42%. There has been growth of 5.27% in Fire segment. The premium in fire segment reached ₹932.72 crore during the year 2014-15 as compared to ₹887.77 crore during the previous year 2013-14.The total Engineering premium reached ₹246.80 crore during the year 2014-15 as compared to ₹322.13 crore during the previous year 2013-14, registering a decline of 23.38%.

विनाशकारी हानियों के कारण अग्नि व इंजीनियरिंग दोनों ही विभागों में आईसीआर (इनकर्ड क्लेम रेशियो) 2014-15 में बढ़ गए।

अग्नि बीमा पॉलिसियों में जोखिम का मूल्य निर्धारण एक नई बात है। आईआरडीएआई नियामक के लिए यह एक चिंता की बात थी कि मुक्त बाजार व्यवस्था एवं लाइसेंस धारक कंपनियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा एवं विभिन्न बाह्य कारकों,बीमायोग्य जोखिमों का उचित रुप से मूल्य निर्धारण नहीं हो पा रहा था। आई आर डीए आई ने सामान्य बीमाकर्ताओं के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को जोखिम के उचित मूल्य निर्धारण का सुझाव दिया। इसी बीच विभिन्न बीमा कंपनियों से आंकड़े इकट्ठा करने के बाद भारत के बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) ने 89 तरह के उन जोखिमों के लिए एक बर्निंग कॉस्ट तैयार किया है जो स्टैंडर्ड फायर व पेरिल पॉलिसी के बीमा कवर में थे । एसके लिए आईआईबी ने 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के आंकड़ों को ध्यान में रखा। सिर्फ फ्लेक्सा (एफएलइएक्सए) जोखिमों का विश्लेषण किया गया। एसटीएफआई,भूकम्प व आतंकवाद का विचार नहीं किया गया। आईआरडीएआई ने सभी कंपनियों को सलाह दिया कि वे अपने पिछले अनुभवों के आधार पर अपने बर्निंग कॉस्ट की संगणना करें। बीमाकर्ताओं को यह भी सुझाव दिया गया कि वे दोनों मे से कम अंतर को ले सकते हैं। बीमाकर्ता कम दर को भी स्वीकार कर सकते हैं किंतु इसके लिए उन्हें कंपनी के मुख्य जोखिम अधिकारी के द्वारा संबंधित बोर्ड के सामने पेश करना होगा। आईआरडीएआई के निर्देशों के अनुसार 1 जनवरी, 2015 से प्रभावी 89 ऑक्यूपेंसी की गणना हमलोगों ने एक नए दर पर की है।

एसटीएफआई एवं भूकंप से संबंधित जोखिमों के मूल्य संशोधन के लिए के लिए कंपनी ने काफी प्रयास किए हैं। आईसीआर एवं जोखिमों के वास्तविक विशेषताओं के आधार पर मूल्य निर्धारित किए गए हैं। यथासंभव जोखिमों का निरीक्षण किया गया है और जोखिम सुधार व हानि कम करने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य व्यवसाय की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समुचित वारंटी लगाना है जो जोखिम के बेहतर तरीके से प्रभावित कर सके। जोखिमों के लिए कटौती राशि भी लगाई गई है जो कि उनकी रुपरेखा/ बीमाराशि पर आधारित थे।

हम अभी भी अग्नि व्यवसाय में कंपनी द्वारा जारी दिशा निर्देशों को जारी रखे हुए हैं जिसने बेहतर बीमालेखा नियंत्रण पर बल दिया और जो - कपास से बिनौला निकालने एवं प्रेस कारखाने, प्लास्टिक सामान बनाने की इकाइयां,जूट मिल व पानी में काम करने जैसे जोखिमों के लिए थे। एमएलओपी/एएलओपी कवर की दरें, हाइड्रोपावर के जोखिम (प्रचालन व प्रोजेक्ट दोनों) एवं पतन परिसर में खुले में रखे गए कोयले के स्टॉक के लिए बीमाकवर की जांच करता है और इसका मार्गदर्शन करता है। एलओपी व ट्रीटी के सीमांकन का बीमालेखन आज भी प्रचलन मे है।

विदेश प्रचालन

कंपनी का सिर्फ नेपाल में प्रचालन है।

नेपाल

हमारे नेपाल प्रचालन का संचालन 8 कार्यालयों द्वारा होता है जिसमें नियंत्रक कार्यालय एवं इसके 3 शाखा कार्यालय काठमांडू में स्थित हैं। जबकि अन्य 4 कार्यालय क्रमशः बीरगंज, विराटनगर, नेपालगंज एवं पोखरा में हैं। उप शाखा कार्यालय क्रमशः जनकपुर, हेटाउडा, नारायणघाट एवं बूटवाल में स्थित हैं। पूर्व के वर्षों की तरह नेपाल कार्यालय ने पिछले वित्तीय वर्ष में भी संतोषजनक वृद्धि दर्ज की है

हॉंगकॉंग

18 फरवरी, 2002 से हॉंगकॉंग शाखा ने नए व्यवसाय को स्वीकार करना बंद कर दिया है। रन ऑफ प्रचालन न्यू इंडिया कंपनी द्वारा संभाले जा रहे हैं जो वर्तमान पॉलिसियों एवं दावों से संबंधित सेवाएं देना जारी रखे हुए है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में हमारे विदेशी प्रचालन का कार्यकारी परिणाम निम्नलिखित है -

The ICR (Incurred Claim Ratio) of both Fire and Engineering segments during the year 2014-15 increased due to catastrophic losses in J & K flood & Hudhud Cyclone.

There is a new development in the pricing of the risks under Fire insurance policies. It was a concern for the regulator IRDAI that due to free market regime coupled with intense competition among licensed entities and various external factors, the insurable risks were not being priced at adequate levels. IRDAI advised all CEOs of general insurers about proper pricing of the risks. Meanwhile, Insurance Information Bureau of India (IIB) has prepared the Burning Cost for the 89 risk covered under Standard Fire and Special Peril Policy after collecting the data from the various general insurers. The IIB considered the data for the years 2011-12, 2012-13 & 2013-14. The analysis was done only on FLEXA perils. STFI, Earthquake & Terrorism were not considered. The IRDAI also advised all the individual companies to compute their own Burning Cost on the basis of their past experiences. It was also advised to the insurers that they can take the lower rate of the two. The insurers may accept even lower rate but the same has to be filed before their respective Board through the Chief Risk Officer of the Company. As per IRDAI instructions, we have computed a new rate for 89 occupancies for implementation with effect from 1st January 2015.

The Company made efforts in price correction in respect of STFI and Earthquake perils. Pricing was on the basis of ICR and the physical features of the risk. As far as possible risks were inspected and emphasis was on risk improvement and loss minimization. The motto has been to arrive at terms depending on the quality of business on offer and imposing appropriate endorsements/warranties which describe the risk better. Deductibles were imposed on risks, depending on their profile/sum insured.

We are still continuing the guidelines issued by the Company in fire business which emphasized better underwriting controls for risks like cotton ginning and press factories, plastic goods manufacturing units, jute mills and works in water. Rating of MLOP/ ALOP covers, hydro power risks (both operational and projects) and fire cover for stocks of coal in open at port premises are continued to be monitored and guided from Head Office irrespective of the sum insured. Guidelines on underwriting of ALOP and treaty limitation are also in place.

The Company has already documented Claim Facilitation Guide and underwriting. The procedures are updated from time to time to deal with the new challenges faced.

FOREIGN OPERATIONS:

The Company has operations in Nepal only.

Nepal:

Our Nepal operation is conducted through 8 offices of which the Controlling Office and 3 Branch Offices are located in Kathmandu - the other 4 are located in Birganj, Biratnagar, Nepalganj and Pokhra respectively. Sub Branch Offices are located at Janakpur, Hetauda, Narainghat and Butwal respectively. As in earlier years, Nepal Office has shown satisfactory growth even in the past fiscal.

Hong Kong:

Hong Kong branch stopped accepting new business since 18th February 2002.The run-off operations are being handled by 'New India' who continues to service existing policy and claims.

The working result of our Foreign Operations for the year 2014-15 is as follows:

विदेश शाखा परिणाम :

(₹ करोड़ में)

विवरण	नेपाल		हांगकाग		योग	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	40.74	38.09	0.00	0.00	40.74	38.09
शुद्ध प्रीमियम	31.26	28.60	0.00	0.00	31.26	28.60
शुद्ध उपगत दावा	21.17	15.56	0.49	0.00	21.66	15.56
शुद्ध कमीशन	0.45	1.00	0.00	0.00	0.45	1.00
प्रबन्धन वर्ष	5.12	4.79	0.40	0.42	5.52	5.21
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में कमी/वृद्धि	1.24	3.83	0.00	0.00	1.24	3.83
निवेश तथा अन्य आय	5.70	5.98	0.32	0.33	6.02	6.31
विदेशी मुद्रा लाभ/हानि	0.00	0.00	1.42	3.80	1.42	3.80
शुद्ध लाभ (+) / हानि (-)	8.98	9.40	0.85	3.71	9.83	13.11

*नेपाल शाखा का विदेशी मुद्रा हानि ₹0.85 करोड़ आईसीएआई द्वारा जारी एएस–11 के अनुसार विदेशी मुद्रा अंतरण रिजर्व में स्थानांतरित किया गया है।

ग्रामीण व सामाजिक क्षेत्र के व्यवसाय

वित्तीय वर्ष 2014-15 के संदर्भ में ग्रामीण व सामाजिक क्षेत्र के दायित्व व उपलब्धियों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है -

वर्ष	भारत में लिखित कुल सकल प्रीमियम (₹ करोड़ में)	ग्रामीण क्षेत्रों में बीमित पालिसियां (संख्या)	ग्रामीण क्षेत्रों में बीमित सकल प्रीमियम (₹ करोड़ में)	कुल जीडी पीआई से ग्रामीण व्यवसाय का% (4/2x100)	सामाजिक क्षेत्र में संरक्षित जीवन की संख्या
1	2	3	4	5	6
2014-15	11241.89	3271257	809.56	7.20%	111479308

संगठनात्मक व्यवस्था :

31 मार्च, 2015 तक क्षेत्रीय कार्यालयों,मंडल कार्यालयों, शाखा कार्यालयों एवं व्यवसाय केंद्रों की कुल संख्या निम्नलिखित है -

क्षेत्रीय कार्यालय	मंडल कार्यालय	शाखा एवं डीएबी	व्यवसाय केन्द्र	योग
31	353	595	1016	1995

वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न वितरण चैनलों,बाजार से जुड़ी ताकतों एवं व्यवसाय विभागों समेत विपणन से संबंधित सभी क्षेत्रों को कूटनीतियों व रणनीतियों द्वारा प्रेरित करने का लक्ष्य था । कंपनी व्यवसाय विभाग की धीमी प्रगति को देखते हुए खुदरा व्यवसाय विभाग पर अधिक बल दिया गया जिसमें एजेंसी चैनल को उर्जा देने,स्थानीय स्तर पर टाई अप्स व बैंकाश्योरेंस पर धयान केंद्रित किया गया था ।

एजेंसी चैनलों द्वारा व्यवसाय का विकास

चूंकि एजेंसी चैनलों का व्यवसाय में बहुत बड़ा योगदान है इसलिए इस चैनल को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्ष बहुत सारे उपाय किए गए और क्षेत्रीय एजेंसी कोओर्डिनेटर्स,मंडलीय एजेसी कोओरडिनेटर्स एवं शाखा एजेसी कोओरडिनेटर्स को अंतिम रुप

FOREIGN BRANCH RESULTS :

(₹ in crore)

Particulars	Nepal		Hongkong		Total	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
Gross Direct Premium	40.74	38.09	0.00	0.00	40.74	38.09
Net Premium	31.26	28.60	0.00	0.00	31.26	28.60
Net Incurred Claims	21.17	15.56	0.49	0.00	21.66	15.56
Net Commission	0.45	1.00	0.00	0.00	0.45	1.00
Expenses of Management	5.12	4.79	0.40	0.42	5.52	5.21
Decrease(-)/Increase(+) in Reserve for Unexpired Risk	1.24	3.83	0.00	0.00	1.24	3.83
Investment and other Income	5.70	5.98	0.32	0.33	6.02	6.31
Foreign Exchange Gain/Loss*	0.00	0.00	1.42	3.80	1.42	3.80
Net Profit (+)/Loss (-)	8.98	9.40	0.85	3.71	9.83	13.11

* Exchange Loss for Nepal Branch is ₹0.85 crore, which has been transferred to Foreign Exchange Translation Reserve as per the requirements of AS-11 issued by ICAI.

RURAL & SOCIAL SECTOR BUSINESS:

Rural & Social Sector obligations and achievements with details in respect of the year 2014-15 are furnished herein below :-

Year	Total Gross Premium under written in India (₹ in crore)	Policies u/w in Rural areas (in nos.)	Gross Premium u/w in Rural areas (₹ in crore)	% of Rural business to Total GDPI (Col 4/2x100)	No. of lives covered in the Social Sector
1	2	3	4	5	6
2014-15	11241.89	3271257	809.56	7.20%	111479308

ORGANISATIONAL SET UP:

Total number of ROs, DOs, BOs & Business Centres as on 31st March 2015 are as follows :

Regional Offices	Divisional Offices	Branch & DABs	Business Centres	Total
31	353	595	1016	1995

During the current year, the target was to galvanize all areas relating to marketing including the various distribution channels, marketing forces and business segments through several strategies. In view of the slow growth in the corporate business segment, more emphasis was given to the retail segment, which involved energizing the Agency channel, focus on local level tie-ups and Bancassurance.

Business development from Agency Channel :

Agency channel being the major contributor of business, several measures were taken to energize the channel. In the previous year, Regional Agency

दिया गया। वर्तमान वर्ष में एजेंसी चैनल द्वारा व्यवसाय की निगरानी व विकास के लिए कार्यनीति बनाए गए,क्षेत्रीय एजेसी कोओरडिनेटर्स की 4 आंचलिक बैठकें आयोजित की गईं। एजेंटों के बीच जो बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं वैसे एजेंटों को प्रोत्साहित करने हेतु क्षेत्रीय प्रभारियों के क्लबों,महाप्रबंधकों के क्लब एवं अध्यक्ष क्लब के स्टार एजेंट्स की एक सूची तैयार की गई और उन्हें बधाई देने के लिए एक बैठक भी आयोजित की गई।

उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें अलग से प्रोत्साहन भी दिया गया और इस तरह और अधिक एजेंटों को स्टार एजेंट बनने की प्रेरणा दी गई। प्रमुख खुदरा विभागों में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एवं क्रॉस सेलिंग द्वारा पर्सनल लाईन ऑफ बिजनेस के विकास के लिए और स्वास्थ्य,मोटर,गृहस्वामियों के लिए बीमा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की बिक्री को और भी अधिक प्रोत्साहित करने हेतु एजेंटों के लिए विविध पुरस्कार योजनाएं शुरु की गईं।

इसके अतिरिक्त एक नई एजेंसी फोर्स बनाने के लिए प्रधान कार्यालय द्वारा एजेंटों की भर्ती के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस विशेष भर्ती अभियान द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुल 2028 नए एजेंटों की भर्ती की गई।

व्यवसाय केंद्र

चूंकि कंपनी द्वारा फाइनांशियल इन्क्लुजन प्रोग्राम (एफआईपी) के तहत या अन्य तरीकों से बड़ी संख्या में व्यवसाय केंद्र खोले गए हैं इसलिए यह आवश्यक था कि उन केंद्रों से संबंधित विषयों के समन्वय एवं निगरानी का ध्यान रखा जाए । बेहतर समन्वय एवं प्रशासनिक नियंत्रण के उद्देश्य से उन्हें 26 क्षेत्रीय व्यवसाय केंद्र हबों के अंतर्गत संगठित किया गया है । व्यवसाय केंद्रों से जुड़े विविध विषयों का ध्यान रखने के लिए एवं उन्हें आवश्यक सहयोग व प्रशिक्षण देने के लिए 26 क्षेत्रीय व्यवसाय केंद्र हबों के प्रभारियों की एक कार्यशाला आयोजित की गई एवं सभी व्यवसाय केंद्रों के लिए एक प्रचालन मैनुअल भी निकाली गई ।

इन्श्योरेंस ऑन ह्वील्स (आइ.ओ.डब्ल्यू)

ग्राहकों के दरवाजों तक पहुंचने के लिए इन्श्योरेंस ऑन ह्वील्स एक महत्वपूर्ण पहल है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न् क्षेत्रीय केंद्रों में 10 इन्श्योरेंस ऑन ह्वील्स की शुरुआत की गई। आइ. ओ. डब्ल्यू द्वारा कुल 9000 पॉलिसियां जारी की गईं ।

कार्यक्रम

पर्फारमेंस रिव्यू के लिए क्षेत्रीय प्रभारियों के लिए एक बैठक आयोजित की गई। आगे बाजार की रणनीति एवं कंपनी के लक्ष्यों को केंद्रित करने के लिए मंडल प्रभारियों एवं शाखा प्रभारियों की की एक ढांचागत बैठक 18 क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित की गई जिसमें प्रधान कार्यालय के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

फाइनांशियल इन्क्लुजन

(I) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरु की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) के आरंभ होने के साथ ही योजना के आरंभ होने की तिथि 28 अगस्त, 2014 को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में उनके सक्रिय एवं पूर्ण सहयोग हेतु 34 बड़े कैंप एवं 700 अन्य कैंप एस.एल.बी.सी.बैंकों द्वारा आयोजित किए गए।

(ii) आई.आर.डी.ए.आई.एवं त्रिपुरा सरकार द्वारा अगरतला में बीमा जागृति कार्यक्रम के आरंभ करने के साथ ही सक्रिय सहयोग की शुरुआत हुई। हमारी कंपनी ने त्रिपुरा राज्य के 02 जिलों में जिला स्तर पर सेमिनार आयोजित किए।

(iii) हर राज्य में में एस.एल.बी.सी.,डी.एल.बी.सी. एवं बी. एल. बी. सी. के लिए हमारी कंपनी के प्रमुख अधिकारियों की पहचान की गई एवं एस.एल.बी.सी.,डी.एल.बी.सी. एवं बी.एल.बी.सी. के कार्यक्रमों एवं बैठकों में सहयोग किया गया।

(iv) कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल परपस वेहिकल (CSC SPV) के साथ एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए गए।

स्ट्रेटिजिक एलायंस विभाग की गतिविधयां

31 मार्च, 2015 तक कंपनी ने मारुति, हीरो मोटर कॉर्प, टाटा मोटर्स (सी. बी.यू एवं पी.सी.बी.यू), टाटा मोटर्स फाइनैंस लिमिटेड, हौंडा कार, निशान, स्थानीय टाई अप्स एव बैंकाश्योरेंस व्यवसाय के

Coordinators (RAC), Divisional Agency Coordinators (DAC) and Branch Agency Coordinators (BAC) were finalized. In the current year, in order to monitor and develop business from agency channel and to formulate strategies for such business development, four Zonal Meetings of Regional Agency Coordinators were conducted. Further, Regional level meeting of Regional Agency Coordinators along with their operating offices were also conducted at all Regional Offices.

In order to encourage high business performers among agents, list of Star Agents of Regional In-charges Club, General Managers' Club and Chairman's Club was prepared and felicitation meets were organized for them. Additional Incentive was given to the Star Agents for their performance and thus, more agents were encouraged to become Star Agents. In order to encourage growth in the major retail segments and develop other personal lines of business through cross selling, various Prize Schemes were launched for agents, encouraging them to sell Health, Motor, Householders' and Personal Accident policies.

In addition, to infuse new agency force, a Special Drive for centralized recruitment of Agents was taken up from Head Office. Through the Special Drive, 2028 new Agents were recruited for the Regions.

Business Centres

As a large number of Business Centres have been opened by the Company under Financial Inclusion Programme (FIP) or otherwise, it was necessary to coordinate, monitor and address the issues relating to them. For the purpose of better coordination and administrative control, the Business Centres have been organized under 26 Regional Business Centre Hubs. In order to address the various issues relating to the Business Centres and to provide the necessary inputs and training, a workshop was organized for 26 Regional Business Centre Hub In-charges and a Business Centre operational manual was released for all Business Centre In-charges.

Insurance On Wheels

Insurance On Wheels (IOW) is an important initiative taken to reach out to customers at their doorstep. In the current year, 10 Insurance on Wheels were made operational in various Regional centres. More than 9000 policies were issued by IOW.

Programmes

Meet for Regional In-charges for performance review were held. Further, in order to focus on the marketing strategies and the Corporate Goals, structured review meetings of Divisional In-charges and Branch In-charges were held in 18 Regional Offices in which there was participation by Head Office officials.

Financial Inclusion

(i) With the launching of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) by Hon'ble Prime Minister, followed-up with all Regional Offices for their active and full-fledged participation on the launching day 28th August 2014 at 34 Mega Camps and around 700 other Camps organized by SLBC Banks.

(ii) Active participation was made at the launching of Insurance Awareness Programme at Agartala by IRDAI and Government of Tripura. Our Company organized District level seminars in the State of Tripura in two Districts.

(iii) Nodal Officers from our Company for SLBC, DLBC & BLBC identified in each State and participation made in programmes and meetings conducted by the SLBCs, DLBCs & BLBCs.

(iv) MOU signed with Common Service Centre - Special Purpose Vehicle (CSC-SPV).

ACTIVITIES OF THE STRATEGIC ALLIANCE DEPARTMENT:

As on 31st March 2015, the total premium from the strategic alliances with Maruti, Hero MotoCorp, Tata Motors (CVBU & PCBU), Tata Motors Finance Limited, Honda Cars, Nissan, Local tie-up and

साथ रणनीतिक गठबंधन करके ₹2727 करोड़ रुपयों का व्यवसाय किया। वित्तीय वर्ष 2014-15 में कंपनी के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय में रणनीति गठबंधन व्यवसाय का सहयोग करीब 24.27% था।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 02 बड़े मोटर वाहन निर्माता कंपनियों मारुति एव हीरो मोटर कॉर्प ने क्रमशः ₹1135 करोड़ एवं ₹514 करोड़ का प्रीमियम अर्जित किया। टी.एम.एफ.एल. टाई अप्स ने अपने प्रचालन के तीसरे वर्ष में ही ₹361 करोड़ का प्रीमियम हासिल किया। कंपनी ने विभिन्न ऑटोमोबाइल डीलरों के साथ स्थानीय टाई अप्स के संबंध बनाए हैं। स्थानीय टाई अप्स की कुल संख्या 1224 हो गई है और वित्तीय वर्ष 2014-15 में इनसे ₹238.55 करोड़ रुपयों का योगदान मिला है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में बैंकाश्योरेंस व्यवसाय ने ₹328 करोड़ प्रीमियम की उत्पति की है। 02 बड़े बैंक जिन्होंने बैंकाश्योरेंस के व्यवसाय में अधिकांश योगदान दिया है वे आज भी बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ही हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान इन बैंकों का ब्रांडेड स्वास्थ्य बीमा पोर्टफोलियो बढ़कर ₹95 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2014-15 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/अन्य बैंकों का व्यवसाय बढ़कर ₹23 करोड़ हो गया।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में रणनीति गठबंधन प्रबंधन विभाग ने कई नए कदम उठाए हैं जो निम्नलिखित हैं-

- वित्तीय वर्ष 2014-15 में कंपनी ने मारुति टाई अप के अंतर्गत सिस्टम द्वारा दावा की तुरत सूचना देने एवं सर्वेक्षक की नियुक्ति हेतु ऑनलाइन क्लेम मॉड्यूल का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है ।
- नैटमार व्यवसाय को ढांचागत रुप से और अधिक शक्तिशाली बनाने हेतु नैटमार व्यवसाय हब आज भी केंद्रबिंदु बने हुए हैं। 31 मार्च, 2015 तक नैटमार व्यवसाय हबों की कुल संख्या 29 रही है।
- पैन इंडिया ऑटो टाई अप व्यवसाय को संगठित करने के लिए मुजफ्फरपुर एवं तारनाका में एसएएटीएच खोले गए हैं जिन्हें मिलाकर इनकी संख्या 5 हो गई है। वर्तमान नैटमार हबों को एसएएटीएच मे परिवर्तित करने की योजना बनाई गई है।
- डीलरों एवं ग्राहकों को शीघ्र एवं बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु हीरो मोटो कार्प टाई अप को वेब सेवा की सुविधा दी गई है। अन्य टाई अप को भी वेब सेवा देने का काम अंतिम रुप में है।
- हमारे हीरो मोटर कार्प टाइ अप ग्राहकों के लिए नए एड ऑन कवर लागू किए गए हैं। हीरो मोटर कार्प ग्राहकों के लिए नए उत्पाद लाने हेतु नियामक को दाखिल किए गए हैं।
- हीरो मोटर कार्प एवं टीएमएफएल टाइ अप सहयोगियों के लिए आंचलिक बैंठकों एवं ब्रीफिंग सेशनों का संचालन किया गया है।
- विभिन्न क्षेत्रों में हमारे नवीकरण की पैठ बढ़ाने हेतु हीरो मोटर कार्प के नवीकरण व्यवसाय के लिए अभियान चलाए गए थे।
- हमने एस.के.ऑटो फाइनेंस लिमिटेड के ग्राहकों की मोटर बीमा की जरुरतों के लिए उनके साथ एक नए टाई अप की शुरुआत की है। अगले वित्तीय वर्ष में इस टाई अप को क्रियाशील बनाया जाएगा।

प्रचार-प्रसार गतिविधियां

वर्ष 2014-15 में प्रचार-प्रसार गतिविधियां शुरु की गईं जिसमें प्रतिस्पर्धात्मक लागत पर परंपरागत व गैर परंपरागत मीडिया के माध्यमों के द्वारा समाज के विभिन्न सामाजिक व आर्थिक पहलुओं से जुड़े लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई। एनआईसी के बेहतरीन ऐतिहासिक प्रदर्शन की घोषणा के साथ वर्ष की शुरुआत हुई जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर ग्राहकों के भरोसे व विश्वास के प्रति आभार प्रकट किया गया तथा राष्ट्र के हिंदी,अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के वित्तीय समाचार पत्रों में ऑनलाइन उत्पादों को प्रचार-प्रसार करने का प्रिंट अभियान चलाया गया ।

परंपरागत व बीटीएल (सीमा के भीतर) की गतिविधयों द्वारा आक्रामक तरीके से व्यवसाय को बढ़ाने एवं पर्सनल लाइन ऑफ इन्श्योरेंस के विकास हेतु रणनीति जारी रही तथा बैकड्रॉप्स, बैनर, स्टैंडीज, गेट आदि महत्वपूर्ण समारोहों में लगाए गए, इस्टर्न रीजनल काउंसिल ऑफ दी इंस्टीच्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 35वे कॉस्ट कॉन्फ्रेंस 2014, कॉरपोरेट वारंटीज

Bancassurance business was ₹2727 crore. The contribution of Strategic Alliance business to the total GDPI of the Company in the financial year 2014-15 was around 24.27%.

The two major tie-ups with automobile manufactures, namely Maruti and Hero MotoCorp, have procured a premium of ₹1135 crore and ₹514 crore respectively during the financial year 2014-15. The TMFL tie-up in its third year of operation has generated a premium of ₹361 crores. The Company has forged local tie-ups with various automobiles dealers. The number of local tie-ups stood at 1224 and has contributed premium of ₹238.55 crore in financial year 2014-15. The Bancassurance business has generated a premium of ₹328 crore during the financial year 2014-15. The 2 major banks which contributed most to the Bancassurance business continued to be Bank of India and Bank of Baroda. The co-branded Health Insurance Portfolio of these banks has grown to ₹95 crore during the financial year 2014-15. The business from Regional Rural Banks/Other banks during the fiscal 2014-15 has grown to ₹23 crore.

During the financial year 2014-15, the Strategic Alliances Management department has undertaken a number of new initiatives, which are as follows:

- During the financial year 2014-15, Company has successfully implemented the online claims module under Maruti tie-up for instant intimation of Claim and Surveyor appointment through system.
- Structural strengthening of NATMAR business continues with focus on the Natmar Business Hubs. The number of Natmar Business Hubs as on 31st March 2015 was 29.
- In order to consolidate Pan India Auto tie-up businesses, SAATHs have been opened at Muzzafarpur, & Tarnaka taking the total to 5. It has been planned to convert the existing Natmar Hubs into SAATH.
- Web services have been enabled for Hero MotoCorp tie-up for faster and better services to the dealers and customers. Web service for other tie- ups is being finalized.
- For our Hero MotoCorp tie-up customers, new add on covers have been introduced. Also new products for Hero MotoCorp customers have been filed with the regulator.
- Zonal meeting and briefing sessions have been conducted for Hero MotoCorp & TMFL tie-up partners.
- Campaigns were conducted for Hero Motocorp renewal business in various regions to increase our renewal penetration.
- We have initiated a new tie-up with Ess Kay Auto Finance Ltd for Motor insurance of their customers. The tie-up will be made functional in the next financial year.

PUBLICITY ACTIVITIES:

Publicity activities for 2014-15 were initiated emphasizing on Maximum Reach at most competitive cost through a wide spectrum of Media i.e. both Traditional and Non-Traditional targeting audience belonging to a variety of Socio economic demographics. The year began with an announcement of outstanding historic performance of NIC, acknowledging Trust and Faith of our nation-wide customers, in national level financial dailies followed by a number of follow up Print Campaign in national level English, Hindi and vernacular dailies for publicizing on-line products.

For a Aggressive Business Promotion & Development Strategy of Personal Lines of Insurance through Traditional and BTL (below the Line) activities continued e.g. Backdrops, Banners, Standees, Gates etc. were put up in important functions, Sports and Cultural Events such as 35th Cost Conference 2014 of Eastern Regional Council of The Institute of Cost Accountants of India, Corporate Warranties Invitational Golf Tournament 2014,Conference on Indian Insurance Industry: Road Ahead organized by BCCI, 7th Insurance Summit 2014 by ICC, Financial Inclusion Conclave organized by Dun & Bradstreet, Ramnath Goenka

इन्वीटेशनल गोल्फ टूर्नामेंट 2014, बीसीसीआइ द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्रीः रोड अहेड, आइसीसी द्वारा 7वें इंश्योरेस समिट 2014, डन व ब्रैडशीट द्वारा आयोजित फाइनैंशियल इन्क्लुजन कॉनक्लेव, मेसर्स इंडियन एक्सप्रेस लिमिटेड के रामनाथ गोयनका एक्सलेंस अवाड्र्स 2014, नेशनल इश्योरेस ऐकेडमी के इंश्योरेस समिट 2014, इंडिया टुडे ग्रुप के ऑटो बिल्ड गोल्डेन स्टीयरिंग ह्वील्स अवाड्र्स 2015, बीसीसीआइ द्वारा आइडीइएल बंगाल चैंबर, नेशनल सेमिनार ऑन हेल्थ मैनेजमेंट गोल्फ जैसे खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

नेशनल इनश्योरेन्स कम्पनी ने जनसाधारण के बीच जागरुकता लाने के लिए मेगा ट्रेड फेयर ,एक्जीविशन,ट्रेड फेयर वॉकथॉन मेसर्स कन्शर्न फॉर ह्यूमन फेयर एंड डोवर लेन म्यूजिक कॉनफ्रेस जैसे कुछ बड़े कार्यक्रमों में भी सक्रियतापूर्वक भाग लिया।

ब्रांड की पहचान स्थापित करने के लिए जमीनी गतिविधियां एवं महत्वपूर्ण साधन भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। वर्ष के दौरान नई दिल्ली हवाई अड्डा पर डिजीटल स्क्रीन, नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलोर, चेन्नई व पुणे हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए ट्रॉली के द्वारा कंपनी की ब्रांडिंग की गई। एनआईसी के संदेशों को दिल्ली मेट्रो के अंदर एवं कोलकाता मेट्रो ए.सी.ट्रेनों पर दर्शाया गया।

डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, एनडीटीवी न्यूज नेटवर्क, लोकसभा टीवी, टाइम्स नाऊ, इटी नाऊ, टीवी 18, सीएनबीससी आवाज, सीएनएन आईबीएन, जी बिजनेस, जी न्यूज जैसे विभिन्न टेलिविजन टैनलों पर हमारी उपस्थिति ने हमारे ब्रांड को स्थापित करने में सहयोग किया। इसके अतिरिक्त विभिन्न वेबसाइटों के द्वारा एनआईसी ने ऑनलाईन अभियान जारी रखा।

ग्राहक संबंध प्रबंधन

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सिटिज़न चार्टर को कम्पनी की वेबसाईट पर डाला गया। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा द्विभाषी सिटिज़न चार्टर, जिसमें सेवा मापदण्ड शामिल हैं, कार्यालयों में लगाये गए। सभी प्रचालन कार्यालयों में समुचित स्थान पर शिकायत अधिकारी का नाम,पदनाम, संपर्क संख्या तथा इरडा द्वारा निर्धारित पालिसीधारकों के लिए सेवा समय सीमा का विवरण लगाया गया। समय सीमा के अन्दर हल न होने वाले शिकायतों के निवारण में तेजी लाने के लिए पॉलिसी संरक्षण समिति के निर्देशानुसार कम्पनी के शिकायत निवारण क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है। ग्राहक सेवा के स्तर को और बढ़ाने के लिए ऑटो एस एम एस सुविधा को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

कार्मिक,लोक शिकायत, विधि और न्याय सम्बन्धी स्थायी संसदीय समिति, जिसमें राज्य सभा एवं लोक सभा के माननीय सांसद सम्मिलित थे, ने दिनांक 5 नवम्बर, 2014 को कम्पनी के कार्पोरेट प्रबंधन के साथ बैठक कर सिटिज़न चार्टर एवं लोक शिकायत की निवृति के कार्यन्वयन के बारे में जानकारी ली। अपेक्षित विवरण के अवलोकन के पश्चात् माननीय समिति ने प्रणाली के कार्यन्वयन एवं कामकाज पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की।

कम्पनी द्वारा माह दिसम्बर, 2014 को शिकायत निवारण माह घोषित किया गया। पुरानी शिकायतों के निपटान के साथ-साथ ग्राहकों की अधिक से अधिक शिकायतों को और तेजी से निपटाने पर ध्यान केन्द्रित कर एक अभियान चलाया गया। माह के दौरान सभी स्तरों पर किये गये विशेष प्रयासों से लंबित शिकायतों की संख्या पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 972 की तुलना में घटकर 412 रह गई।

उत्तरी क्षेत्र के 10 क्षेत्रीय कार्यालयों के ग्राहक सेवा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ एक एकदिवसीय समीक्षा बैठक का आयोजन दिनांक 6 जनवरी, 2015 को दिल्ली में किया गया। इस बैठक में क्षेत्रीय शिकायत निवारण अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर शिकायतों के निपटान हेतु जागरूक किया गया।

पॉलसिधारक सुरक्षा समिति द्वारा लंबित शिकायतों की समीक्षा के लिए एक तिमाही बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सुरक्षा समिति के सुझावों के अनुसार प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ग्राहक सेवा के मानकों के अनुसार शिकायतों के शीघ्र समाधान पर विशेष जोर दिया गया। इन सब से शिकायत निपटान अनुपात में ओर अधिक सुधार आने की सम्भावना है।

शिकायतों के शीघ्र समाधान एवं परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने के साथ बाज़ार की उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्ष 2015-16 में इसपर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।

Excellence Awards 2014 by M/s Indian Express Ltd., Insurance Summit 2014 by National Insurance Academy, Auto Bild Golden Steering Wheel Awards 2015 by India Today Group, IDEL-Bengal Chamber Golf by BCCI, National Seminar on Health Management organised by Indian Insurance Society, Golf Tournament 2015 of Corporate Warranties etc.

NIC also actively participated in some mega events like International Mega Trade Fair, Exhibitions, Trade Fair, Walkathon, M/s Concern for Human Welfare & Dover Lane Music Conference, to create awareness amongst masses.

Ground activities are also equally vital & significant tools to establish Brand-Identity. During the year Branding on Digital Screen in New Delhi Airport, Passenger Trolleys in New Delhi, Kolkat a, Hyderabad, Bangalore, Chennai & Pune Airports was undertaken. NIC Messages were also displayed inside Delhi Metro Rotem Trains & Kolkata Metro AC Trains.

Presence on Television Channels like DD National, DD News, NDTV News Network, Lok Sabha TV, Times Now, ET Now, TV 18, CNBC Awaaz, CNN IBN, IBN7, Zee Business, Zee News helped us to establish our Brand. In addition to that NIC carried out online campaign through various websites.

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT:

Board approved Citizens' Charter has been hosted on the Company's website. All Regional Offices have confirmed that bilingual Citizens' Charter containing servicing benchmarks have been displayed. Name, designation and contact numbers of the Grievance Officers and IRDAI prescribed Policyholders' servicing Turnaround Time (TAT) have also been displayed at a prominent place in all operating offices. An updated list of all grievance handling officers in the Regional Offices along with e-mail IDs and contact numbers are made available on the Company's website.

As per the directive of the Policyholders Protection Committee (PHPC), auto SMS with escalation matrix at senior levels for expediting redressal of grievances, on which were not resolved within the time frame, was established to improve the efficiency of the Grievance Redressal Mechanism of the Company.

The Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice consisting Hon'ble MPs from Rajya Sabha & Lok Sabha, during their visit to Kolkata on 5th November 2014,had held meeting with the Corporate Management on the status of implementation of Citizens' Charter & Public Grievances. On perusal of the requisite details, the Hon'ble Committee had expressed its satisfaction on implementation and functioning of the system.

The month of December 2014 was declared as the "Grievance Clearance Month". A special drive for resolution of maximum number of customer grievances with focus on old pending grievances was undertaken. Sustained continuous efforts taken during the month at all levels in resolving the grievances had resulted in reducing the pendency from 972 to 412 compared to the corresponding quarter of previous year.

A one day review meeting was organized with Customer Relationship Management department officials of 10 Regional Offices of northern zone at Delhi on 6th January 2015.The Regional Grievance Officers were sensitized during this programme for resolution of the grievances within TAT.

A quarterly review of pending grievances is being made by the Policy Holders' Protection Committee. Committee's suggestions were earnestly implemented for improvement of customer service performance parameters and early resolution of grievances was undertaken by Head Office and Regional Offices. It helped in substantially improving the 'grievance disposal ratio'.

Expeditious resolution of grievances, providing hassle free services to the customers along with timely redress of grievances will be the focus area in the year 2015-16 in order to meet the emerging challenges in the market.

i) ऑन लाइन शिकायत निवारण वर्ष 2014-15

01.04.2014 को लम्बित शिकायतों की संख्या	2014-15 में सूचित शिकायतों की संख्या	2014-15 में निपटान की गई शिकायतों की संख्या	31.03.2015 को लम्बित शिकायतों की संख्या	2014-15 में शिकायतों के निपटाने का अनुपात (%)	2013-14 में शिकायतों के निपटान का अनुपात (%)
239	5078	5178	139	97.44	96.00

ii) जारी किये गये दस्तावेज

01.04.2014 को लम्बित शिकायतों की संख्या	2014-15 में सूचित शिकायतों की संख्या	2014-15 में निपटान की गई शिकायतों की संख्या	31.03.2015 को लम्बित शिकायतों की संख्या	2014-15 में शिकायतों के निपटाने का अनुपात (%)	2013-14 में शिकायतों के निपटान का अनुपात (%)
शून्य	1,88,80,476	1,88,80,476	शून्य	100	100

मानव संसाधनः

1. 31 मार्च, 2015 तक श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या

श्रेणी	कुल स्टाफ संख्या
I	5901
II विपणन प्रशासनिक	782 353
III	6026
IV	1695
योग	**14757**

2. कंपनी में 2014-15 में सम्मिलित कार्मिकों की संख्या

						इससे अलग	
श्रेणी	योग	अजा	अजजा	अपिजा	सामान्य	शावि	भूतपूर्व सैनिक
I	397	59	37	107	194	11	2
II	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-
योग	397	59	37	107	194	11	2

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ पीडब्ल्यूडी भुतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

एससी/एसटी/ओबीसी के लिए पदों के आरक्षण,शिथिलता एव छूट संबंधी दिशानिर्देश भर्ती एवं आरक्षण/ एससी/एसटी के लिए छूट का पालन किया जा रहा है । शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों के लिए लागू प्रावधानों को भी आवश्यकतानुसार लागू किया जा रहा है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों/ अधिकारियों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु नेशनल इंश्योरेंस ऐकेडमी (एनआईए), पुणे एवं कॉलेज ऑफ इंश्योरेंस, मुंबई भेजा गया है जिसमें एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी के कार्मिकों की सहभागिता पर्याप्त थी।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिनियम, 2005 को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) के अंतर्गत इसे मान्यता दी गई है और इसे 12 अक्तूबर, 2005 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। इस अधिनियम के पारित होने के 10 वर्षों के बाद आरटीआई अधिनियम, 2005 की जागरुकता बढ़ती ही जा रही है एवं इसका विस्तार संपूर्ण भारत में हो रहा है। तथ्यों व आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय नागरिकों के बीच इस अधिनियम के प्रति काफी जागरुकता आई है एवं मीडिया के सहभागिता व सहयोग से, बड़ी शख्सियतों के आरटीआई कार्यकर्ता के रुप में जुड़ने से,देश के विभिन्न कोनों से अब आरटीआई आवेदन प्राप्त होने लगे हैं और जनसाधारण लोग विभिन्न अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने के लिए साहस के साथ आगे आ रहे हैं।

पूरे वित्तीय वर्ष 2014-15 में हमें बड़ी संख्या में आरटीआई के आवेदन एवं अपील प्राप्त हुए हैं और आरटीआई अधिनियम, 2005 के द्वारा दिए गए समय के भीतर हमने सफलतापूर्वक आरटीआई के सभी आवेदनों/अपीलों पर जानकारी प्रदान करते हुए कार्रवाई की है ।

i) On-line Grievance Redressal for the year 2014-15

Number of grievances outstanding as on 01/04/2014	Number of grievances reported during 2014-15	Number of grievances redressed during 2014-15	Number of grievances outstanding as on 31/03/2015	Grievance resolution ratio during 2014-15 (%)	Grievance resolution ratio during 2013-14 (%)
239	5078	5178	139	97.44	96.00

ii) Issuance of Documents

Number of documents reported pending as on 01/04/2014	Number of documents incepted during 2014-15	Number of documents issued during 2014-15	Number of documents pending as on 31/03/2015	Documentation ratio during 2014-15 (%)	Documentation ratio during 2013-14 (%)
nil	1,88,80,476	1,88,80,476	nil	100	100

HUMAN RESOURCES :

1. Class wise employees strength as on 31st March 2015

Class		No. of employees
I		5901
II	Marketing	782
	Administration	353
III		6026
IV		1695
Total		**14757**

2. The Net addition to the work force of the Company in the year 2014-15 is given under:

						Out of which	
Class	Total	SC	ST	OBC	GEN	PWD	Ex-Serv
I	397	59	37	107	194	11	2
II	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-
Total	397	59	37	107	194	11	2

Welfare of SC/ST/OBC/PWD/ex-Servicemen

The guidelines on reservation of posts, relaxation and concession for SC/ST/OBC in recruitment and reservation/concession for SC/ST are being followed. The provisions governing persons with disabilities are being implemented as required.

Pre-promotion training programmes are being conducted for SC/ST employees/officers. The officers and employees have been sent for training at National Insurance Academy (NIA), Pune and College of Insurance at Mumbai in which the participation of employees from SC/ST/OBC categories was adequate.

RIGHT TO INFORMATION:

The Right to Information Act, 2005 has been recognised under Article 19(1)(a) of the Constitution of India and brought into force by the Government of India on 12th October 2005. 10 years after passing the Act consciousness of RTI Act, 2005 is ever increasing and also being spread all over India. It is observed from the facts & figures that the awareness of this Act among the Indian citizen is very high and the RTI applications are now being received from various corners of our country with the involvement & assistance of media and with eminent personalities acting as RTI Activists, common people are coming up courageously to seek information from different Public Authorities.

We have received RTI Applications and Appeals throughout the financial year 2014-15 in huge numbers and we have successfully dealt with each and every RTI Applications/Appeals by providing the relevant information always well within the stipulated time line as per the RTI Act, 2005.

कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रचालन कार्यालयों में उन कार्मिकों के लिए जिन्हें आरटीआई आवेदनों से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं और विभिन्न क्षे.का./मं.का. में नियुक्त क्षेत्रीय एफएए एवं सीपीआइओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए हैं । हमने 22 अगस्त, 2014 को (वाइजैग में विशाखापतनम क्षे.का. का आरटीआई अधिकारियों के लिए), 9 जनवरी, 2015 को (कोलकाता में को.क्षे.का.-1 के आरटीआई अधिकारियों के लिए), 24 मार्च, 2015 को (हैदराबाद में है.क्षे.का. के आरटीआई अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किए हैं और इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने संबंधित क्षे.का. के आरटीआई अधिकारियों को अधिक कुशलता,सक्रियता एवं सहजता से कार्य करने में मदद किया है। एक निश्चित अंतराल पर सभी क्षे.का.में हम और भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन की आशा करते हैं ताकि सभी क्षे.का.के.आरटीआई विभागों में सहजता से ऐसे कार्य सुनिश्चित किए जा सकें।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में आरटीआई मामलों से जुड़े आंकड़ों का विवरण निम्नलिखित है

क्रम सं	आवेदन	2014-15	2013-14
1.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	2199	2625
2.	सूचना दिये गये मामलों की संख्या	2047	2456
3.	जिन मामलों में सूचना देने से मना किया	152	169
	अपील		
1.	प्राप्त अपीलों की संख्या	275	282
2.	सूचना माँगते वालें के पक्ष में निस्तारित की गयी अपीलों की संख्या	247	250
3.	जिन अपीलों में सूचना देने से मना किया गया	28	24
4.	तक लंबित अपील	0	8
	सीआईसी प्रकरण		
1.	अपील/शिकायतों की संख्या	31	32
2.	खारिज केस	19	4
3.	सूचना मांगने वाले के पक्ष में निर्णीत केस	9	27
4.	सीआईसी में लंबित मामलें	3	1

मानव संशाधन विकास

वित्तीय वर्ष 2014-15 में हमारी शिक्षा एवं विकास हेतु रणनीति हमारे वर्तमान श्रमशक्ति के कौशल को गहन व विशिष्ट प्रशिक्षण तथा प्रभावकारी मानव संशाधन परिसंपत्ति की उन्नति (एचआरएए) को बढाने हेतु लगाई गई थी। हमारा मुख्य फोकस ग्राहकों के लिए सेवा स्तरों में श्रेष्ठता के लिए हमारे पारंपरिक शक्ति को और अधिक सुदृढ़ करना था। प्रशिक्षण द्वारा प्रभावकारी सेवा एवं गुणवत्ता में एक ठोस अंतर लाना मानव संसाधन का एक मुख्य प्रयास था।

व्यावसायिक स्तर पर उत्पादकता बढ़ाने एवं सभी के कौशल संग्रह के लिए संगठन में कौशल विकास एवं प्रेरणा को महत्व दिया गया। मिड्ल प्रबंधन स्तर पर हमारे अधिकारियों में नेतृत्व व प्रबंधकीय प्रशिक्षण को लागू किया गया। अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए डोमेन की जानकारी,कार्यस्थल की प्रभावकारिता एवं सर्वश्रेष्ठ कौशल को काम में लगाने के लिए प्रशिक्षण - की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की गई।

कंपनी के शिक्षण एवं विकासात्मक प्रक्रिया पर उस समय गर्व की अनुभूति हुई जब नेशनल इंश्योरेंस को शिक्षा एवं विकास द्वारा व्यवसाय में श्रेष्ठता के लिए प्रतिष्ठित बीएमएल मुंजाल अवार्ड 2014 दिया गया। यह मुख्य पुरस्कार कंपनी के उन रणनीतिक प्रयासों को पहचान दिलाने के लिए था जो इसने पिछले 3-4 वर्षों में एल एंड डी और इसके लिए मानव संपदा के लिए किया। इंडस्ट्री में सर्वश्रेठ के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए इस पुरस्कार को जीतना इस बात की पहचान थी कि हमारे एचआर की रणनीतिक योजना एवं कार्यान्वयन प्रक्रिया पीएसयू कंपनियों एवं प्राइवेट कंपनियों तथा एमएनसी के बीच देश में पहले स्थान पर थी।

The Company has taken necessary steps to acquaint personnel who are entrusted with the job of dealing RTI Applications in various Regional and Operating Offices by organizing training programme for the Regional FAAs and CPIOs appointed at various ROs/DOs. We have conducted "One-day Workshop" on 22nd August 2014 (at Vizag for Vishakhapatnam RO's RTI officials), on 9th January 2015 (for RTI officials of CRO-I, Kolkata) and on 24th March 2015 (for RTI officials under HRO, Hyderabad) and these training programme help the concerned RO's RTI officials to work more efficiently, actively and smoothly. We look forward to conduct more training programme in all RO's at regular interval to ensure smooth functioning of all Regional RTI departments.

The Statistics for the fiscal 2014-15 in respect of RTI matters are furnished hereunder:

Sl. No.	Applications	2014-15	2013-14
1.	No. of requests received	2199	2625
2.	No. of cases where information was provided	2047	2456
3.	No. of requests where information was denied	152	169
	Appeals		
1.	No. of appeals received	275	282
2.	No. of appeals disposed in favour of information seekers	247	250
3.	No of appeals where information was refused	28	24
4.	Appeals pending at the close of fiscal	0	8
	CIC cases		
1.	No. of appeals/complaints	31	32
2.	Cases decided in favour of the Company	19	4
3.	Cases decided providing information to seeker	9	27
4.	Cases pending at CIC	3	1

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT :

During the fiscal 2014-15, our Learning and Development strategy was directed towards enhancing the skills of our existing workforce through intensive and specific training as well as effective human resource asset augmentation (HRAA). The key focus was on reinforcing our traditional strengths in service standards of excellence for the customer. Providing effective service and achieving a tangible difference in quality through training was another strategic HR initiative.

Skill development and motivation within the organization with a view to enhance productivity and increase the skill sets of the individual on a professional level were met. Leadership and managerial training for our officers in the middle management was also implemented. For other employees and officers, domain knowledge, workplace effectiveness and optimum skill engagement training were taken up on priority basis.

A feather in the cap of the Company's Learning and Development process was added when, National Insurance was awarded the prestigious BML Munjal Award 2015 for Business Excellence through Learning & Development. This premier award is in recognition of the Company's strategic focus towards L & D for all its human assets in the past 3-4 years. Competing with the best in the industry and winning this award was a recognition that our HR Strategic planning and implementation process ranked amongst the best in the country both amongst PSUs as well as Private players and MNCs.

यह पुरस्कार प्रक्रिया बड़े ही कठिनता के साथ लड़ी गई और इसमें चार चरणों में प्री क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया एवं तकनीकी एचआर लेखा परीक्षा भी शामिल थी। एनआइसी ने देश के सर्वश्रेष्ठ 30 पीएसयू कंपनियों की प्रतियोगिता में यह पुरस्कार जीता। देश के सर्वश्रेष्ठ 10-15 सीइओ के विख्यात पैनल के सामने अंतिम स्टेज प्रस्तुतीकरण था। ऐसे जबरदस्त प्रतिस्पर्धा के मैदान में एनआइसी की पहचान हमारी प्रभावकारी एल एंड डी की रणनीति एवं सफलता को बयान करती है।

हमारे कंपनी के प्रशिक्षण केंद्र एनसीआइएल को भी आइएसओ 9001-2008 का प्रमाणपत्र मिला है जो बीमा शिक्षा के लिए शैक्षिक हब के रुप में वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता के स्तरों को पूरा करती है। इस वर्ष एनसीआइएल ने भूटान व नेपाल से आए अंतरराष्ट्रीय सहभागियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी संचालन किया।

एऩआईए में प्रशिक्षण

एक नियमित गतिविधि के तहत सारे देश के अधिकारियों को नेशनल इंश्योरेंस ऐकेडमी, पुणे मे विशिष्ट बीमा डोमेन, प्रबंधन एवं आईटी आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नामित किया गया वित्तीय वर्ष 2014-15 में 318 अधिकारियों को नामित किया गया जो मुख्य रुप से स्केल III -V के थे ।

कॉलेज ऑफ इंश्योरेस (सीओआई) मुम्बई में विशिष्ट प्रशिक्षण (2014-15)

कॉलेज ऑफ इंश्योरेंस,मुंबई जिसे इंश्योरेंस इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया का संरक्षण प्राप्त है और जो देश का एक प्रमुख बीमा शिक्षा एवं शोध का केंद्र है,में सारे देश से सवर्ग I/II एवं III के कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

1) **एक्सेलेंस इन मैनेजमेंट** - 7 बैच में कुल 215 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। व्यावहारिक कौशल एवं व्यवसायिक विकास के प्रशिक्षण हेतु सभी 31 क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों (स्केल I से V) को नामित किया गया था।
2) **महिला कार्यपालकों के लिए नेतृत्व क्षमता संबंधी कार्यक्रम** - कुल 56 महिला अधिकारियों को को नेतृत्व विकास का प्रशिक्षण दिया गया।
3) **एक्सक्लुसिव प्रोग्राम फॉर एऩआईसी बिजनेस सेंटर हेड्स (बीसीएच)** - 6 बैचों में कुल 136 बीसीएच को प्रशिक्षित किया गया। मार्केटिंग व विक्रय कौशल एवं फ्रंट ऑफिस सीआरएम प्रशिक्षण हेतु सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से बीसीएच (सहायक/वरीय सहायक/ प्रशा. अधि./ सह. प्रबंधक/ विकास अधिकारी) नामित किए गए थे।
4) **परफॉरमेंस बिल्डर फॉर स्टार डेवेलेपमेंट ऑफिसर्स** - 02 बैचों में कुल 50 स्टार विकास अधिकारी एवं स्टार प्रशा. अधि. (विकास) एवं सह. प्रबंधकों (विकास) को प्रशिक्षण दिया गया। यह कार्यक्रम पहली बार शुरु किया गया था और सकारात्मक फीडबैक मिलने पर इसे आगे भी जारी रखने की संभावना है।
5) **मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर ब्रांच मैनेजर्स** - सारे देश से कुल 59 शाखा प्रबंधकों/वरीय शाखा प्रबंधकों को इस प्रशिक्षण हेतु चुना गया था और उन्हें 3 बैचों में प्रशिक्षण दिया गया। यह कार्यक्रम भी पहली बार शुरु किया गया था और सकारात्मक फीडबैक मिलने पर इसे आगे भी जारी रखने की संभावना है।
6) **जेनेरल इंश्योरेंस अप्रेजल** - 11 बैचों में कुल 273 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। व्यावहारिक कौशल, व्यावसायिक विकास एवं डोमेन ट्रेंड हेतु मौलिक प्रदर्शन के लिए 24 क्षे.का. एवं प्रधान कार्यालयों से कार्मिकों (वरीय सहायक एवं सहायकों) को नामित किया गया था।
7) **डोमेन संबंधित ट्रेनिंग** - सीओआई के विभिन्न कैलेंडर कार्यक्रमों जैसे - इंटरनेशनल रीइंश्योरेंस प्रोग्राम, न्यू विस्टाज में ऑनलाइन मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ प्रोपर्टी इंश्योरेंस, एजेंसी मैनेजमेंट में कुल 15 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2014-15 कुल 804 कार्मिकों (संवर्ग I/II/III) को इंस्टीच्यूट में प्रशिक्षित किया गया।

बाह्य प्रशिक्षण

हमारे स्वतंत्र निदेशक श्री विभूति भूषण मिश्रा को भी एससीओपीइ (स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज), दिल्ली के दो दिवसीय कॉरपोरेट गवर्नेस प्रोग्राम में नामित किया गया।

इंस्टीच्यूट ऑफ पब्लिक ऐडमिनिसट्रेशन,बंगलोर, फिक्की, टाइम्स ग्रुप, इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटैंट्स (इआईआऱसी), आईटीपीआर- इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एंड पॉलिसी रिसर्च,एससीआई - एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, सीबीआई एकेडमी, गाजियाबाद,

This award process was hard fought and involved a 4 stage pre qualification process and technical HR auditing. NIC won the award from amongst a field of the top 30 PSU companies in the country. The final stage presentation was before an illustrious panel of the top 10-15 CEOs in the country. NICs recognition in such a strong field spoke volumes of our effective L & D strategy and its success.

Our corporate training centre NCIL has also been certified ISO 9001:2008 meeting the globally recognized quality standards as an educational hub for insurance learning. This year, NCIL also conducted training programmes for international participants from Bhutan and Nepal.

Training at NIA

As part of the regular activities, officers from all over the country were nominated to specialized insurance domain, management and IT based training programmes at the National Insurance Academy, Pune. 318 officers were nominated for training at NIA during the year 2014-15 primarily from Scale III to Scale V.

Specialised Training at College of Insurance (COI), Mumbai 2014-15

Various training programmes were organized for Class I / II and III employees from across the country at College of Insurance, Mumbai which is under the aegis of Insurance Institute of India, the premier Insurance learning and research academy in the country.

1) **Excellence in Management -** A total of 215 officers were trained in 7 batches. The officers (Scale I - IV) were nominated from all 31 Regional Offices for soft skill and professional development training.
2) **Leadership Programme for Women Executives -** A total of 56 lady officers were trained in 2 batches. The lady officers (Scale I-IV) were nominated from all Regional Offices for leadership development training for women leaders.
3) **Exclusive Programme for NIC Business Centre Heads (BCH) -** A total of 136 BCH were trained in 6 batches. The BCH (Assistant/Senior Assistant/ AO/AM / Development Officers) were nominated from all 31 Regional Offices for marketing and sales skill development training and on front office CRM.
4) **Performance Builder for Star Development Officers -** A total of 50 Star Development Officers and Star AO(D) & AM(D) were trained in 2 batches. This programme was introduced for the first time and is expected to be continued as a performance incentive.
5) **Marketing Strategy for Branch Managers-** A total of 59 Branch Managers and Senior Branch Managers were selected for this training from across the country and were trained in 3 batches. This programme was also introduced for the first time and is expected to be continued based on the positive feedback received.
6) **General Insurance Appraisal -** A total of 273 employees were trained in 11 batches. The employees (Sr Assistant / Assistant) were nominated from 24 Regional Offices and HO for soft skill and professional development and basic exposure to domain trends.
7) **Domain Related training -** About 15 officers were trained in various calendar programmes of COI namely - International Reinsurance Programme, New Vistas in Online Marketing, Management of Property Insurance, Agency Management among others.

A total of 804 employees (Class I / II / III) were trained at the Institute during the year 2014-15.

External Training

Shri Bibhuti Bhusan Mishra, Independent Director was also nominated to attend two-days Programme on Corporate Governance by SCOPE (Standing Conference on Public Sector Enterprises), Delhi.

Approx 45 officials from across the country were also nominated for training, seminars and workshops by reputed external institutes and organizations namely Institute of Public Administration, Bengaluru, FICCI, Times Group, Institute of Chartered Accountants of India (EIRC),

इआईआईएलएम,बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,एंड नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट द्वारा प्रशिक्षण,सेमिनार एवं कार्यशालाओं केंट,पुणे जैसे प्रतिष्ठित बाह्य इंस्टीच्यूटों एवं संगठनों-से भी सारे देश के करीब 45 अधिकारियों को चुना गया।

एक नई पहल के रुप में हमारे इन्वेस्टमेंट विभाग के अधिकारियों के लिए अल्बाट्रोस सॉफ्टवेयर ऑन टेक्नीकल एनालिसिस ऑफ दी स्टॉक मार्केट ने प्रशिक्षण दिया। स्टॉक की गतिविधि से संबंधित तकनीकी समझ एवं समीक्षात्मक विकास के लिए हमारे कार्यालय में इन्वेस्मेंट विभाग के सभी 19 अधिकारियों के लिए एक ही साथ एक प्रशिक्षण आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के फीडबैक के आधार पर दूसरे विशिष्ट विभागों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

2014-15 में प्रारंभिक (इंडक्शन) प्रशिक्षण

वर्ष 2014-15 के दौरान 4 साधारण बीमा कंपनियों की ओर से नेशनल इंश्योरेस कंपनी को संयुक्त भर्ती अभियान द्वारा कुल 1434 स्पेशलिस्ट एवं जेनरेलिस्ट प्रशासनिक अधिकारियों (स्केल -1) की भर्ती का काम सौंपा गया। हमारी कंपनी के लिए कुल 423 पद रखे गए। 2014 भर्ती अभियान के तहत सारे देश से कुल 423 सहायकों की भर्ती की गई। इस इंडक्शन प्रक्रिया के अंतर्गत स्पेशलिस्ट एवं जेनरेलिस्ट अधिकारियों के लिए 06 सप्ताह के लिए गहन आवासीय प्रशिक्षण इंश्योरेस इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया, मुंबई के कैंपस में एवं रामाडा होटल,मुंबई में आयोजित किए गए। 80 लेखा व विधिक अधिकारियों के बैच को एनसीआईएल, नरेंद्रपुर, कोलकाता में प्रशिक्षण दिया गया।

कंपनी के सर्वोतम संकायों को चुनने एवं नए अधिकारियों को सुविधा मुहैया कराने के अलावा इस बात के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई कि उन्हें कंपनी के कार्यकलापों के बारे में प्रशिक्षण में अच्छी तरह बताया जाए।

हीरो माइंडमाइन-हमारे नॉलेज पार्टनर- के सहयोग से विशिष्ट अखिल भारतीय कार्यशाला

सीधी भर्ती से एनआईसी में आए अधिकारियों के लिए अखिल भारतीय कार्यशाला के लिए हीरो माइंडमाइन,दिल्ली की सेवाओं को लिया गया जो कि पीएसयू समेत कॉरपोरेट हाउसेज के लिए एक अग्रणी प्रशिक्षण संस्था है और जो कि स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन के एल एंड डी में हमारे नेक्स्ट लेवेल रेडी से संबंधित नेतृत्व क्षमता पर प्रशिक्षण कराती है। एनसीआईएल, नरेंद्रपुर, बंगलोर, पुणे एवं दिल्ली में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यशाला हेतु अधिकारियों को चुना गया था। तकरीबन 120 अधिकारियों (स्केल II/III) को प्रशिक्षण दिया गया। अगले वित्त वर्ष में सारे देश में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

एऩसीआईएल/आरटीसी में प्रशिक्षण

प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास से संबंधित गुणवत्ता एवं सुविधाओं को बेहतर बनाने के हमारे सतत प्रयासों के तहत हमारे कॉरपोरेट प्रशिक्षण केंद्र, एनसीआईएल (शिक्षा का मंदिर), नरेंद्रपुर ने विगत वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस वर्ष एनसीआईएल को नेशनल इंश्योरेंस के कार्मिकों एवं सार्क देशों से आए बाहर के प्रशिक्षणार्थियों के लिए गैर जीवन बीमा प्रशिक्षण से सबंधित प्रयासों एवं सुविधाओं के लिए प्रतिष्ठित आईएसओ 9001:2008 प्रमाणपत्र (तीन वर्षों के लिए दिसंबर, 2017 तक) भी प्राप्त हुआ है।

वर्ष 2014-15 में 2014 बैच के सीधी भर्ती से आए अधिकारियों के प्रशिक्षण के अलावा संवर्ग II व III के पदोन्नति पानेवालों अधिकारियों के लिए भी एनसीआईएल ने मरीन व विमानन विषय पर विशेष कार्यशालाएं और रॉयल इंश्योरेस ऑफ भूटान लिमिटेड एवं हमारे एऩआईसी नेपाल के कार्मिकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की हैं।

आईआऱडीएआई के सहयोग से एऩसीआईएल (सीटीसी) में ब्रोकर्स ट्रेनिंग ऑफ इस्टर्न जोन,पैन इंडिया क्विज कम्पीटिशन (क्वार्टर फाइनल एंड सेमी फाइनल) जैसे अन्य कार्यक्रम आयोजित कराए।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के (सीटीसी एंड आऱटीसी/एटीसी) प्रशिक्षण आंकड़े गए हैं -

एनसीआईएल/ आरटीसी में प्रशिक्षण	एनसीआईएल (सीटीसी) में श्रेणी-I अधिकारी	1459
	●क्षे.प्रशि. केन्द्रों पर श्रेणी-I	1045
	श्रेणी-II	61
	श्रेणी-III	752
	श्रेणी-IV	653
	●एटीसी पर एजेंट्स	5759

ITPR-Integrated Training & Policy Research, ASCI-Administrative Staff College, CBI Academy, Ghaziabad, EIILM, Bengal Chamber of Commerce & Industry and National Institute of Bank Management, Pune among others.

As a new Initiative for our Investment Department officers, a training programme was held by Albatross Software on Technical Analysis of the Stock Market. There was live training held at our office for technical understanding and critical knowledge development on stock movements simultaneously for all 19 Investment Department Officers. Based on the feedback of this programme more such live training would be organized for other specialized departments also.

Induction Training 2014-15

During 2014-15, the combined recruitment exercise of 1434, Specialist and Generalist Administrative Officer (Scale-I) on behalf of 4 Public Sector General Insurance Companies was entrusted to National Insurance. 423 posts were earmarked for our Company. As part of the 2014 recruitment exercise, 423 new officers were recruited from across the country. The induction process seamless integration for the generalist and specialist officers included a six week intensive residential training programme at Insurance Institute of India, Mumbai campus and its off-site training centre at Ramada Hotel, Mumbai. The Accounts and Legal batches (80 officers were trained at NCIL, Narendrapur).

Apart from the selection of the best available faculty in the industry and facilities for the new recruits, no efforts were spared to provide the best in class training to integrate them seamlessly to the working of the Company.

Specialised All India Workshops in association with HERO MINDMINE our Knowledge partner

All India Zonal Workshops for Direct Recruit Officers - NIC engaged the services of HERO MINDMINE, New Delhi, the leading training capacity builders for corporate houses including PSUs to conduct leadership training for our "Next Level Ready" strategic intervention in L&D. Direct Recruit Officers were selected for this training workshops held at NCIL, Narendrapur, Bangalore, Pune and Delhi. A total of around 120 officers (primarily in Scale II / III) were trained. More such workshops will be conducted across the country in the next fiscal too.

Training at NCIL / RTCs

As a part of our continuous endeavour towards betterment of quality and facilities for Training and Human Resource Development, our Corporate Training Centre, NCIL (Temple of Learning), Narendrapur has taken a series of measures in the recent past. This year NCIL also earned the prestigious ISO 9001:2008 certification (for three years i.e. up to December 2017) for its training initiatives and facilities to the employees of National Insurance and outside participants from SAARC countries in the field of Non Life Insurance training.

During the year 2014-15, apart from Induction Training for Direct Recruits of 2014 and promotees from Class-II & III cadre, NCIL conducted specialized workshops on Marine & Aviation as well as an International Workshop for Royal Insurance Corporation of Bhutan Limited and our own employees from NIC, Nepal.

Other programmes organized at NCIL (CTC) with the help of IRDAI are Brokers Training of Eastern Zone, PAN India Quiz Competition (Quarter Final & Semi Final).

Training Statistics during the fiscal 2014-15 (At CTC and RTC/ATC) are given below:

Training at NCIL CTC/RTCs	Class-I Officers at NCIL, (CTC)	**1459**
	• At RTCs - Class-I	**1045**
	Class-II	**61**
	Class-III	**752**
	Class-IV	**653**
	• Agents at ATCs	**5759**

एनआईसीजीआरएफ (नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लाइज ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम)

इस फोरम द्वारा सभी विभागों के कर्मचारियों की आंतरिक शिकायतों का निवारण किया गया। वर्ष 2014-15 में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कुल 8 मामलों को एनआईसीजीआरएफ स्टेज -3 में भेजा गया।

कार्यस्थल में महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, 2013 (प्रीवेंशन, प्रोहिबिशन एवं रिड्रेसल)

कार्यस्थल में महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, 2013 (प्रीवेंशन, प्रोहिबिशन एवं रिड्रेसल) को लागू किया गया ताकि कार्यस्थल में महिलाओं को सेक्सुल हरासेंट से सुरक्षा दी जा सके और सम्मान के साथ कार्य करने का अधिकार मिल सके। तदनुसार, अधिनियम के प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा एक आंतरिक शिकायत समिति बनाई गई।

वर्तमान में समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं -

1. श्रीमती वाई.लामा,मुख्य प्रबंधक - पीठासीन पदाधिकारी
2. श्री एस.सी.दास,मुख्य प्रबंधक - सदस्य (विधिक)
3. श्रीमती सी. बी. ब्रह्म, वरीष्ठ मंडल प्रबंधक, मं.का. कलकाता-5 - सदस्य
4. श्रीमती पारामिता चौधरी - तृतीय पक्ष के सदस्य के रुप

इस अवधि में 6 मामले दर्ज किए गए जिसमें 4 मामलों का निपटारा कर दिया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान सेक्सुअल हरासमेंट के प्रति कार्मिकों के बीच जागरुकता व संवेदनशीलता लाने के लिए हमारी कंपनी द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम किए गए हैं वे निम्नलिखित हैं -

- नए अधिकारियों के लिए रामाडा होटल व कॉलेज ऑफ इंश्योरेंस,मुंबई में कार्यक्रम ।
- उच्च न्यायलय के माननीय न्यायाधीश श्रीमती समाप्ति चटर्जी की उंपस्थिति में प्रधान कार्यालय में कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय -1 व 2 के मंडल/ शाखा प्रभारी (नगरीय समुदाय) की एक बैठक ।
- अहमदाबाद में महिला एनआईसियन्स की बैठक
- एनसीआईएल में पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों के प्रारंभिक प्रशिक्षण में उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु कक्षा ।

उपक्रम जोखिम प्रबंधन (इआरएम)

कंपनी संगठन में इआरएम के महत्व को पहचानती है। कार्यपालकों को पहचानने व उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु वर्ष 2010 में बी.एस.आई के सहयोग से व्यावसायिक जोखिम मूल्यांकन किया गया।

कंपनी के व्यवसायिक रणनीतिक लक्ष्य, लाभप्रदता, ग्राहक सेवा, खुदरा व्यवसाय की वृद्धि एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रसार के लिए 20 वरीय कार्यपालकों ने काफी मंथन किया और 215 नए व्यवसायिक जोखिमों की पहचान की। काफी छानबीन एवं समान व्यावसायिक जोखिमों को मिलाकर और उन्हें प्राथमिकता देकर इस समूह ने इन जोखिमों के होने की संभावना,व्यवसाय पर उनके प्रभाव और उनके नियंत्रण को देखते हुए 14 प्रमुख जोखिमों की पहचान की।

पहचाने गए जोखिमों में शामिल हैं - मूल्य निर्धारण,कार्मिकों की बढ़ती हुई उम्र,नेतृत्व,जानकारी की कमी,कार्य संस्कृति,आर्थिक मजबूती एवं ऋण चुकाने की क्षमता,निर्णय क्षमता,टाई अप्स, मार्केटिंग चैनल, बीमा लेखन, दावा प्रबंधन, लाभ नहीं देनेवाले व्यवसाय, कम मूल्य रखना एवं कार्यान्वयन,निगरानी व सुधार।

उपक्रम के प्रकार के रुप में जोखिम की पहचान करने के लिए, जोखिम रजिस्टर बनाने के लिए,सहनशीलता की सीमा तय करने के लिए,संगठन में जागरुकता बनाने के लिए कंपनी ने एक निविदा प्रक्रिया के तहत जोखिम प्रबंधन सलाहकार के रुप में मेसर्स प्राइसवाटर कूपर्स को चुना है। संयोग से एनआईसी के द्वारा लिए गए पहल के कारण मेसर्स प्राइसवाटर कूपर्स तीन अन्य पीएसयू सदस्य कंपनियों-नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल एवं युनाइटेड इंश्योरेस की भी सलाहकार है।

18 नवंबर, 2014 को जोखिम प्रबंधन का कार्य पूरा करने हेतु मेसर्स प्राइसवाटर कूपर्स को औपचारिक रुप से कार्यादेश दिए गए।

इस सलाहकार ने पहले ही कार्य के दो चरणों को पूरा कर लिया है यथा - 19 फरवरी, 2015 को कंपनी के मुख्य प्रबंधकों व उनसे उपर के वरीय अधिकारियों के अधिवेशन की शुरुआत के साथ योजना का आरंभ एवं प्रधान कार्यालय में 20 विभिन्न विभागों के जोखिम की पहचान।

NICEGRF (National Insurance Company Employees' Grievance Redressal Forum)

Internal Grievances of all sections of employees were redressed through this forum. A total of 8 cases were escalated to NICEGRF Stage 3 from the ROs in 2014-15.

The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, prohibition and Redressal) Act, 2013 was enacted with a view to provide protection to women against sexual harassment at workplace and right to work with dignity. Accordingly, a Committee called 'Internal Complaints Committee' has been constituted at Head Office level by the Company in accordance with the provisions of the Act.

Presently, the Committee consists of the following members:

1. Smt. Y. Lama, Chief Manager, as Presiding Officer
2. Shri S.C. Das, Chief Manager, as Member (Legal)
3. Smt. C.B. Brahma, Sr. Divisional Manager, DO V, Kolkata as Member
4. Smt. Paramita Chaudhuri as Third Party Member

During the period, six number of complaints were filed, out of which four were disposed off. During the year 2014-15, our Company has conducted various awareness and sensitization programmes to create awareness among the employees of the Company regarding sexual harassment which are summarised as follows:

- Programme for new Officers at Ramada Hotel and College of Insurance, Mumbai.
- Divisional/Branch In-charges under Calcutta Regional Office I & II (urban agglomeration) Meeting at Head Office in the presence of Hon'ble High Court Judge Ms. Samapti Chatterjee.
- Lady Nicians' Meet at Ahmedabad.
- Class on sensitisation are also conducted during Induction Training of Promotee Officers at NCIL.

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)

The Company recognizes the importance of ERM in the organization.

In order to identify and sensitize the executives, a business risk assessment was carried out with the assistance of BSI in the year 2010.

Top 20 executives brainstormed and identified 215 raw business risks to attain Company's strategic business goals, profitability, customer service, growth of retail business and international expansion. After screening and clubbing similar business risks and prioritization, the group identified 14 major risks keeping in view its probability of occurrence, its impact on business and control functions in existence.

The risks identified include pricing, aging employees, leadership, poverty of knowledge, work culture, financial strength and solvency, decision making, tie-ups, marketing channels, underwriting, claims management, growth of non-profitable business, under pricing and implementation, monitoring and improvement.

As a measure of enterprise wise level of risk identification, creation of risk register, fixing of tolerance limits, creation of awareness and institutionalizing risk management across the organization, the Company has selected M/s. Pricewaterhouse Coopers as Risk Management Consultant through a tender process. Incidentally, Pricewaterhouse Coopers are the consultant for three PSU Member companies - National Insurance, Oriental Insurance & United Insurance.

The formal work order for carrying out the risk management was awarded to M/s. Pricewaterhouse Coopers on 18th November 2014.

The consultant has already completed two stages of work viz: project initiation through a kick off session of Chief Managers and above senior officials of the Company on 19th February 2015 and risk identification of 20 different departments in Head Office.

जोखिम मूल्यांकन और उन्हें प्राथमिकता देना,जोखिम रजिस्टर तैयार करना,जोखिम प्रवृति से संबंधित स्टेटमेंट,जोखिम कम करने व इआर्एम की भर्ती जैसे शेष कार्य 15 जून, 2015 से लिए जाएंगे और 16 नवंबर, 2015 तक इन्हें समाप्त किया जाएगा।

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के रुप में और आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के तहत, कम्पनी के पास पहले से ही बोर्ड द्वारा मंजूरी प्राप्त एंटी फ्रॉड पॉलिसी है जो कि संगठन में हर तरह की धोखेबाजी की घटनाओं से संबंधित विषयों की देखरेख करती है एवं उनकी सुनवाई करती है। प्रचालन कार्यालयों से इसकी तिमाही रिपोर्ट मंगवाई जाती है और बोर्ड को इससे अवगत कराया जाता है।

इसके अलावा आंतरिक अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु कंपनी के पास एंटी मनी लॉड्रिंग पॉलिसी,आंतरिक लेखा एवं सतर्कता मशीनरी है।

कुल मिलाकर, कंपनी के पास बोर्ड से मंजूरी प्राप्त बीमालेखन व पुनर्बीमा पॉलिसी है जो कि संगठन में व्यवसाय की स्वीकृति एवं विभिन्न व्यावसायिक जोखिमों के लिए वृहत रुपरेखा निर्धारित करती है।

संपदा व स्थापना विभाग

हाल के वर्षो में इस बात पर बल दिया गया है कि काम करने के लिए एक साफ एवं स्वस्थ तथा शोरगुल से मुक्त वातावरण हो। संपदा व स्थापना विभाग हमेशा से इस दिशा में कार्य करता रहा है। कार्यालयों को बेहतर चेहरा देने एवं उपलब्ध जगह के सर्वाधिक उपयोग करने हेतु विभाग ने सभी प्रचालन कार्यालयों में विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। भारत सरकार के स्वच्छ भारत की पहल को देखते हुए विभाग ने देश के सभी कार्यालय परिसरों में इस मिशन को पूरे उत्साह के साथ शुरु किया है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की नियमित रुप से निगरानी की गई और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सभी प्रचालन कार्यालयों में लागू किया गया। कार्यालयों के आंतरिक व बाहरी रुप में काफी सुधार एवं पहले से अधिक स्थान देखने को मिला है।

आंतरिक सज्जा के लिए प्रधान कार्यालय के दूसरे व तीसरे मंजिल पर प्राथमिकता के आधार पर काम लिया गया है। दूसरे मंजिल का काम पूरा हो चुका है और तीसरे मंजिल पर काम शुरु किया गया है।

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय - III व IV में आंतरिक सज्जा का काम सफलतापूर्वक किया जा चुका है और कार्यालय नए परिसरों में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया में हैं।

हुबली क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत बंगालकोट में कार्यालय-सह-आवास का निर्माण सफलतापूर्वक किया जा चुका है।

रॉयल इंश्योरेंस बिल्डिंग,कोलकाता - एक धरोहर इमारत में मरम्मति/पुर्नउद्धार एवं आंतरिक सज्जा का काम शुरु किया गया है। इसके लिए एक सलाहकार को नियुक्त किया गया है और छत मरम्मति का काम पूरा हो चुका है। दूसरी मंजिलों पर साज-सज्जा एवं मरम्मति/पुर्नउद्धार का काम शुरु किया जा चुका है।

चंडीगढ़ क्षे.का.-1 को लुधियाना के नए परिसर में एवं नागपुर क्षे.का.को भी नए परिसर में शिफ्ट कराने के लिए पूरा पूरा सहयोग दिया गया। दोंनो परिसरों की आंतरिक सजावट के लिए सलाहकार नियुक्त किए गए थे।

न्यू टाउन, कोलकाता में हमारे नए कर्पोरेट कार्यालय कंपलेक्स के लिए WBHIDCO द्वारा खरीदी गई भूमि कंपनी के नाम पर डीड ऑफ कनवेयेंस की रजिस्ट्री की जा चुकी है । विभाग ने एऩबीसीसी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंस्लटेंट की सेवा को लिया है जिसने राजरहाट कॉरपोरेट कार्यालय कंप्लेक्स प्रोजेक्ट को कंसेप्ट टू कमीशनिंग के रुप में लिया है। प्रचालन एवं नियंत्रक कार्यालयों हेतु नवीकरण, शिफ्टिंग, पुनर्वास एवं नए परिसरों को भाड़े पर लेना जैसे दिनचर्या के कामों में प्रतिक्रिया और तय समय में कार्य निष्पादन के स्तर में और अधिक सुधार आया है।

नेशनल इन्श्योरेन्स और एनबीसीसी के बीच सीएमडी के उपस्थिति में 12 जून, 2015 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुआ है।

संचालन और नियंत्रण कार्यालयों को नए परिसर में नवीकरण/स्थानांतरण/पुन:स्थापन एवं भाड़े पर लेने के समय और प्रक्रिया के मामलें में और सुधार किया जायेगा।

चल और अचल सम्पत्ति के खरीद/मरम्मत/नवीकरण/रखरखाव में तेजी लाई गई है। सभी कार्यालयों के आंतरिक सजावट व परिसर एक समान लगने के लिए एनआईसी के प्रस्तुत ब्रांड को सुदृढ़ कर टोंड कर दिया गया है।

शोध व विकास गतिविधियां

भारतीय बीमा क्षेत्र का बदलाव अच्छे और वास्तविक रुप में जारी है। इस बदलाव के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं -

- एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था

The remaining works comprising risk assessment and prioritization, preparation of Risk Register, Risk appetite Statement, Risk Mitigation and institutionalizing ERM will be taken up from 15th June 2015 and will be complete by 16th of November 2015.

As a part of the risk management process and to comply with the IRDAI guidelines, the Company has already a Board approved Anti-Fraud Policy that addresses all the issues connected to the dealing of fraud in the organization. Quarterly report on frauds is obtained from operating offices and the Board is kept informed.

In addition, the Company has Anti-Money Laundering Policy, an Internal Audit and Vigilance machinery to ensure internal discipline.

Over and above, the Company has Board approved Underwriting & Reinsurance Policy that lays down the broad framework of business acceptance in the organization and dealing with different business risks.

ESTATE & ESTABLISHMENT ACTIVITIES:

The emphasis in recent times has been on providing a clean & healthy working atmosphere and a clutter-free office. Estate and Establishment department have been working in this direction throughout. The department had initiated special cleanliness drive in all operating offices with a view to provide a better look and maximise utilisation of available space. Following the initiative of "Swachh Bharat" by the Government of India, the department has taken up the mission in all our Company premises vigorously. All the Regional Offices were monitored regularly and the exercise was carried out successfully in all the operating offices. A substantial improvement was observed in the internal and external look of the office generating extra space.

Interior furnishing of second and third floor at Head Office has been taken up on priority. The second floor has been completed and the work at third floor has begun.

Interior furnishing of Delhi Regional Office - III & IV has been completed successfully and the Offices are currently in the process of shifting to the new premises.

Construction of office-cum-residence at Bagalkot under Hubli RO has been completed successfully.

Repair/renovation and interior furnishing of Royal Insurance Building, Kolkata, a Heritage building has been initiated. A consultant has been engaged for the same and the roof treatment has been completed. The process of furnishing as well as repair/renovation of other floors has been initiated.

Wholehearted support was provided for shifting of CHRO-I to new premises at Ludhiana and also for shifting of Nagpur RO to new premises. Consultant has been appointed for the interior furnishing of the above two premises.

In respect of the land acquired from WBHIDCO for constructing new Corporate Office at New Town, Kolkata, the process of registration of the Deed of Conveyance in the name of National Insurance Company Limited was completed. The department has engaged the services of NBCC as Project Management Consultant who has undertaken the Rajarhat Corporate Office Complex Project from "Concept to Commissioning".

A memorandum of understanding (MOU) has been signed on 12th June 2015 in presence of CMDs of National Insurance & NBCC.

Performance level in terms of response and turnaround times in handling routine matters like renewal/shifting/relocation and hiring of new premises for operating and controlling offices has further been improved.

Purchase/repair/renovation/maintenance of movable and immovable properties has been expedited. Interior decoration & furnishing of office premises has been toned up to provide a uniform look to all the offices to reinforce Brand NIC.

RESEARCH & DEVELOPMENT ACTIVITIES:

The metamorphosis of the Indian Insurance sector is well and truly underway. Key factors influencing this change are -

- An expanding economy,

- तेजी से शहरीकरण
- बढ़ती हुई सुलभ आय
- अनुकूल जनसांख्यिकीय
- एक उच्च स्तर की आर्थिक जागरुकता
- एक विकसित होती हुई नियामक का परिदृश्य
- संसद द्वारा बीमा कानूनों का पारित होना (संशोधन बिल)

उपर दिए गए सभी कारक आनेवाले समय में बीमा इंडस्ट्री के लिए अच्छे समय की ओर इशारा करते है। हम इन परिवर्तनों को समझते हैं और वैसे नए उत्पादों को आगे लाने का प्रयास करते हैं जिसमें इन परिवर्तनों को विचार में रखा जा सके।

जैसे-जैसे प्रतिस्पर्द्धा बढ़ती है और इंडस्ट्री परिपक्व होती है नए उत्पादों को लाने के प्रयास में समय से आगे जाने की कोशिश करते हैं। हम जीवन के बदलते तौर तरीकों और ग्राहकों की पसंद को लेकर भी संवेदनशील हैं। हमारे नए उत्पाद हमारी इस संवेदनशीलता को दर्शाते हैं।

2015 के वित्तीय वर्ष में हमारा फोकस पर्सनल लाइन पर ही रहा है जिसमें मुख्य रुप से स्वास्थ्य एवं मोटर हमारे बढ़ते हुए एवं प्रधान व्यवसाय के विभाग रहे हैं।

इस वर्ष नेशनल मेडिक्लेम प्लस पॉलिसी -एक उच्च कोटि के भिन्न खुदरा स्वास्थ्य बीमा उत्पाद - की शुरुआत देखी। पीएसयू कंपनियों के बीच अपने तरह का पहला उत्पाद होने के अलावा एक ही बीमाराशि में - ₹2 लाख से ₹50 लाख तक के - इसमें तीन प्लान हैं। यह पॉलिसी निम्नलिखित कवर देती है -

- एलॉपैथिक एवं वैकल्पिक उपचार
- मातृत्व
- अस्पताल के लिए नकद खर्च
- मेडिकल इमरजेंसी पुनर्योग एवं एयर एंबुलेंस
- विश्व के अग्रणी मेडिकल केंद्रों से चिकित्सा संबंधी दूसरी राय
- ओ.पी.डी.कवर
- गंभीर बीमारियों के लिए कवर

पॉलिसी परिवार,नौजवान सदस्यों के लिए छूट की भी व्यवस्था करती है और ऑनलाइन खरीद के लिए प्रोत्साहित करती है ।

हमलोगों ने 2 नए पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा फ्लोटर्स पॉलिसियों को विकसित एवं श्रेणीबद्ध किया है जिनमें कई में हमें पहला होने का श्रेय प्राप्त है। अन्य विशेषताओं के अलावा ये उत्पाद उच्च बीमाराशि,दीर्घकालिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद,मातृत्व एवं बंध्यता कवर,एलोपैथिक व वैकल्पिक उपचार,दावा न होने पर छूट, चिकित्सा संबंधी दूसरी राय जैसी सुविधाएं अपनी सेवा के रुप में प्रदान करते हैं। हमलोग वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद को अंतिम रुप देने की प्रक्रिया में है और जो शीघ्र ही श्रेणीबद्ध होगी।

मोटर बीमा विभाग में हमारे प्रस्तावों में इनवॉयस प्रोटेक्ट,एड ऑन टू प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी, टू ह्वीलर पैकेज पॉलिसी ,निल डेप्रिसिएशन, एड ऑन टू कमर्शियल वेहिकल्स एंड लॉग टर्म लायविलिटी ओनली पॉलिसी फॉर टू ह्वीलर्स शामिल हैं।

- इनवॉयस प्रोटेक्ट पैकेज पॉलिसी का पूरक है और ग्राहकों को उनके वाहनों के आइडीवी एवं वर्तमान एक्सशोरुम प्राइस के बीच की खाई को पाटते हुए अनवरत कवर प्रदान करता है । इस उत्पाद के शुरुआती 6 महीनों में ही 42000 पॉलिसी की बिक्री एक रिकॉर्ड है।
- निल डेप्रिसिएशन, एड ऑन टू कमर्शियल वेहिकल्स के अंतर्गत मूल्य ह्रास की वजह से कटौती ग्राहकों को दावाराशि का भुगतान किया जाता है।
- दोपहिया/तिपहिया वाहनों के लिए हमारी लांगटर्म लायबिलिटी ओनली पॉलिसी ग्राहकों के लिए सहायक होंगी क्योंकि वे एक लंबे समय तक नवीकरण के झंझटों से मुक्त होकर कवर के लिए आश्वस्त रहेंगे।
- इंजन प्रोटेक्ट, नो क्लेम बोनस प्रोटेक्ट, लांग टर्म टू ह्वीलर पैकेज पॉलिसी का विकास किया गया है और उन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है।

अपने सूक्ष्म बीमा उत्पादों को फैलाते हुए हम समाज के आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों को बीमा की छतरी के नीचे लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। संपदा,दुर्घटना एवं स्वास्थ्य के कवर को लेकर इस वर्ष 11 प्रकार के नए सूक्ष्म बीमा उत्पाद लाए गए।

पिछले वर्षों में खुदरा व्यवसाय की मात्रा एवं मूल्य में काफी बढ़ोतरी हुई है। यह इंटरनेट उपभोक्ताओं के ऑनलाइन आर्थिक लेनदेन से संबंधित आराम को दर्शाता है। अपने ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को देखते हुए हमारा जोर ऑनलाइन बिक्री हेतु खुदरा उत्पादों के विकास पर रहेगा।

- Rapid urbanization,
- Growing disposable income,
- Favourable demographics,
- A higher level of financial awareness and
- An evolving regulatory landscape,
- Passing of the Insurance Laws (Amendment Bill) by the Parliament.

All of the above factors point to interesting times ahead for the insurance industry. We understand these changes and endeavour to provide innovative products that take these changes into account.

As competition intensifies and the industry matures, we strive to stay ahead of the curve in an attempt to provide innovative products. We are also sensitive to changing lifestyles and buying preferences of our customers. Our new products reflect this sensitivity.

During fiscal 2015, our focus continued to be on personal lines, primarily health and motor, our growing and predominant business portfolios. In both the segments the Company introduced new and innovative products.

This year saw the introduction of 'National Mediclaim Plus Policy', a high variant retail health insurance product. Besides being a first of its kind in the PSU space, the product includes three plans with a sum insured ranging from ₹2 lakh to ₹50 lakh. The policy provides cover for -

- Allopathic and alternative treatment,
- Maternity,
- Hospital cash expenses,
- Medical emergency reunion and air ambulance,
- Medical second opinion from world leading medical centres,
- Outpatient department cover and
- Critical illness cover.

The Policy also provides discounts for family, young members and encourages online buying.

We have developed and filed two new family health insurance floaters with many firsts to our credit. Besides other features, these products offer high sum insured, long term health insurance products, maternity and infertility cover, allopathic and alternative treatment, no claim discount and medical second opinion as a service. We are also in the process of finalizing a health insurance product for senior citizens which will be filed shortly.

In the Motor Insurance segment, our new offerings included Invoice Protect, an Add-on to Private Car Package Policy and Two Wheelers Package Policy, 'Nil' Depreciation, add-on to Commercial Vehicles and Long Term Liability Only Policy for Two Wheelers.

- Invoice Protect complements the Package Policy, providing a seamless cover to customers by bridging the gap between the Insured Declared Value (IDV) and Current Ex-showroom Price of the vehicle. The product has recorded sales of 42,000 policies in about 6 months.
- Under 'Nil' Depreciation add-on to Commercial Vehicles, customers get the claim amount without deduction on account of depreciation.
- Our long term Liability Only Policy for Two Wheelers for two/three years will be helpful to customers as they are assured of cover for a long period without the hassle of renewing their policy yearly.
- Engine Protect, No Claim Bonus Protect and Long Term Two Wheeler Package Policy have been developed and filed.

Increasing efforts are being made to bring the economically weaker sections under the insurance umbrella by expanding our bouquet of micro insurance products. This year saw the introduction of eleven new micro Insurance products, covering Assets, Accident and Health.

There has been a surge in the volume and value of retail transactions in the last few years. This reflects the comfort of internet users with online financial transactions. Keeping with our commitment to provide superior value proposition to customers, the emphasis will be on developing retail products to be sold online.

कंपनी के देयता मामलों में वृद्धि के कारण देयता बीमा विभाग का महत्व काफी बढ़ गया है । आगे जाकर हम देयता बीमा उत्पादों में राइडर जोड़ेंगे जिससे हमारे देयता विभागों की अहमियत और बढ़ जाएगी।

राजभाषा कार्यान्वयन

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी (2014-15) का वार्षिक कार्यक्रम हमें प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में उल्लिखित राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी लक्ष्यों के आधार पर कम्पनी का एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार कर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा गया एवं समय-समय पर इसकी समीक्षा की गई।

प्रधान कार्यालय द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। नए भर्ती सहायकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भी लक्ष्य के अनुसार कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं के माध्यम से कर्मचारियों को व्यवहारिक कार्य का प्रशिक्षण दिया गया।

प्रधान कार्यालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कृत लेखों को प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर से निकलनेवाले पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया।

राजभाषा नीति का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 08 क्षेत्रीय कार्यालयों का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण किया गया।

कम्पनी में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियों को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 27-28 फरवरी, 2015 को वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें समस्त राजभाषा अधिकारी शामिल होकर राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की। "क", "ख" एवं "ग" क्षेत्र में राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यालयों को अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक शील्ड से पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही "क", "ख" एवं "ग" क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रकाशित होनेवाले उत्तम पत्रिकाओं को भी इस सम्मेलन में पुरस्कृत किया गया।

वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी पुरस्कार:

1. नराकास (उपक्रम), कोलकाता द्वारा प्रधान कार्यालय को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए शील्ड तथा गृह पत्रिका बीमावार्ता को प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
2. चण्डीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय-2 को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नराकास चण्डीगढ़ द्वारा प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया।

व्यवसाय-प्रक्रिया में सुधार करने के लिए आईटी पहल

हम मोबाइल एप्लिकेशन, कोर बीमा समाधान, ऑफिस ऑन व्हील तथा व्यवसाय केन्द्र हेतु पोर्टल, 24x7 लाइव चैट सेवा के माध्यम से संचार चैनल, ग्राहकों हेतु टोल फ्री, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ग्राहक सेवा प्रदान **करने** के लिए अपने प्रयास में **सुधार** कर सकते हैं।

कोर बीमा समाधान के कार्यान्वयन

- ❖ उच्च एकीकृत कोर बीमा समाधान ईजी बड़ी खुदरा और कॉर्पोरेट व्यवसाय-आधार की पूर्ति हेतु चेन्नई, बेंगलुरु, हुबली, हैदराबाद, विशाखापट्टनम और कोलकाता 1 क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत 92 (बानबे) संचालन कार्यालयों में शुरु किया गया है।
- ❖ देश भर में 20 क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत ईजी के अंतर्गत 463 व्यापार केन्द्र लाइव हैं।
- ❖ आगे शेष कार्यालयों को शुरु किए जाने का कार्य प्रगति पर है।
- ❖ ईजी के तहत नई कॉर्पोरेट बेबसाइट और एर्जेंट पोर्टल शुरु की गई है।

ऑनलाईन ग्राहक पोर्टल

- ❖ 24 x 7 आधार पर कार्य करने वाले ऑनलाईन ग्राहक पोर्टल ने पुरानी पालिसियों के नवीकरण एवं नई 78,938 पालिसियां ऑनलाईन जारी करके ₹26,61,83,529 (छब्बीस करोड़ इकसठ लाख तिरासी हजार पांच सौ उन्तीस रु) प्रीमियम इकट्ठा करके दिया है।
- ❖ वर्ष 2013-14 में आनलाइन पालिसियां जारी करके कमाए गए प्रीमियम के ऊपर प्रीमियम वृद्दि की दर 150% रही।
- ❖ निम्नलिखित पर्सनल लाइन पालिसियां आनलाइन जारी की जा रही हैं: मोटर,नेशनल मेडिक्लेम, नेशनल मेडिक्लेम प्लस, परिवार मेडिक्लेम, वरिष्ठ मेडिक्लेम, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा,

With companies recording an increase in the number of liability suits, the liability insurance segment has assumed considerable significance. Going forward we will be adding riders to our liability products which will add value to our liability portfolio.

OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION:

For the year 2014-15, we have received an Annual Programme on Official Language Implementation from Ministry of Home Affairs, Official Language Department. As cited in the said programme, a special annual target relating to Official Language Implementation has been prepared and forwarded to all Regional Offices and periodically reviews were undertaken to ensure progress in achieving such targets.

In compliance with the target so fixed, Hindi Workshops were conducted at Head Office level during the financial year. A special Hindi Workshop was organized for new recruit Assistants. At Regional Office level Workshops were also organized towards fulfillment of the said target. Through these Workshops, employees were imparted training to use Hindi in their Official desk-job.

Head Office along with all Regional Offices celebrated Hindi Day/Week. On this occasion, numerous competitions were conducted and prize-winners were felicitated. Prize-winning write-ups were further published in Head Office and Regional Office's House Magazine.

Inspections to ensure optimum implementation of Official Language Policy were done for 8 Regional Offices.

For effective implementation of Official Language, All India Hindi Officers' Conference was organized on 27-28 February 2015 in Varanasi. In the said Conference various points regarding Official Language implementation at RO/ DO/ BO were discussed. For better implementation of Official Language and best Magazine, CMD Shield Prize were awarded region wise to the concerned Regional Offices during this Conference

Prizes/ Awards received during the year for the Implementation of Official Language:

1. Town Official Language Implementation Committee (PSU) Kolkata awarded Rajbhasha Shield for the Implementation of Official Language and incentive Prize for House Magazine 'Bima Varta' to our Head Office.
2. TOLIC, Chandigarh awarded incentive Prize for the Implementation of Official Language.

IT INITIATIVES TO IMPROVE BUSINESS PROCESS

We could improve upon our endeavour to provide customer service through online portal, mobile application, core insurance solution, Portal for Business Centre and Office-on-Wheels and communication channels through 24 x 7 Live Chat Service and Toll Free Number for Customers.

IMPLEMENTATION OF CORE INSURANCE SOLUTION

- The highly integrated Core Insurance Solution EASI has been rolled out at 92 (Ninety two) Operating Offices under Chennai, Bengaluru, Hubli, Hyderabad, Visakhapatnam and Kolkata I Regional Offices catering to large Retail and Corporate Business base.
- 463 Business Centres are live in EASI under 20 Regional Offices across the country.
- Further roll out at rest of the Offices are under progress.
- New Corporate Website has been launched and Agents Portal has been deployed in EASI.

ONLINE CUSTOMER PORTAL

- The 24 x 7 online Customer Portal for issuance of new policies and renewal of existing policies has generated Premium Income of ₹26,61,83,529 from 78,938 Policies issued online.
- The Premium growth through Online Customer Portal has been 150% over the Premium earned from Online Channel in 2013-14.
- The Personal line policies available for online issuance are Motor, National Mediclaim, National Mediclaim Plus, Parivar Mediclaim, Overseas

घर स्वामी बीमा, एवं इसके साथ ही घरों के लिए मानक अग्नि बीमा पॉलिसी भी आनलाईन उपलब्ध हैं।

- ग्राहकों की सुविधा के लिए वित्तीय समावेशन की जनता निजी दुर्घटना बीमा, ग्रामीण सुस्वास्थ्य एवं ग्रामीण सुरक्षा पालिसियां भी आनलाईन उपलब्ध हैं।
- ग्राहक द्वारा चुने गए कार्यालय के डाटा बेस में उसकी पॉलिसी उपलब्ध करवा दी जाती हैं।

मोबाईल उपयोग

- पहले से जारी पॉलिसी के नवीकरण के लिए ग्राहकों की सुविधा के लिए मोबाईल एप्लीकेशन भी उपलब्ध करवाया गया हैं।
- वर्ष 2014-15 में 650% वृद्दि के साथ कुल ₹16,45,276 का कुल प्रीमियम मोबाईल एप्लीकेशन द्वारा जारी पालिसियों से अर्जित की गई।
- मोबाईल एप्लीकेशन द्वारा जारी की गई पालिसियां सम्बंधित कार्यालय को भेज दी जाती हैं।

वित्तीय समावेशन

- 463 व्यासायिक केंद्र पूरे भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में वेब आधार के एप्लीकेशन से ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहे हैं।
- ऑफिसऑनव्हील्स अर्थात पूरी तरह से सुसज्जित मोबाईल वैन वर्ष 2012 से कोलकाता,बैंगलोर एवं चंडीग़ढ में ग्राहकों की सुविधा अनुसार पालिसियां उपलब्ध करवा रही हैं।

ग्राहक सम्प्रेषण बिंदु

- 24 x 7 लाईव ऑनलाइन चैट हमारे नए एवं पुराने ग्राहकों के बहुत तेजी से लोकप्रिय हुई है जोकि आनलाईन पोर्टल का प्रयोग करना चाह रहे हों अथवा अन्य कोई जानकारी या स्पष्टीकरण चाहते हों।

  कम्पनी के टोल फ्री नम्बर का भी नए एवं पुराने ग्रहकों द्वारा अपनी सुविधा के लिए निरंतर उपयोग किया जा रहा है।
- ई एस एम एस सन्देश एवं ई मेल सन्देश हमारे ग्राहकों द्वारा आन लाईन पोर्टल के प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं।

आई टी इन्फ्रास्ट्रक्चर

- 1000 उच्च कार्य क्षमता एवं तकनीक वाले बहु उपयोगी प्रिंटर पूरे भारत में सभी प्रचालन कार्यालयों में एक-एक दिए गए हैं।
- 900 बहु उपयोगी प्रिंटर पूरे भारत में सभी व्यावसायिक केन्द्रों में एक एक दिए गए हैं।

ऑटो टाईअप

- मारुती बीमा ग्राहकों के लिए दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने के एक घंटे के अन्दर एस एम एस आधारित सर्वेयर नियुक्ति, जोकि पूर्ण स्वैचालित सिस्टम से संचालित है। इससे सर्वेयर नियुक्ति में नियमित आवर्तन को सुनिश्र्चित हुआ है एवं इससे समय से सर्वेयर की नियुक्ति संभव हो पाई है।
- कोलकाता में कार्यरत हीरो मोटोकोर्प के विकेताओं के लिए ऑनलाईन दावा प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। वर्ष 2015-16 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा।

सतर्कता

वित्तीय वर्ष 2014-15 में दण्डात्मक कार्रवाई के सन्दर्भ में 75 अनुशासनात्मक कार्रवाई के केसों, जिनमें 106 कार्मिक सम्मिलित थे, का निस्तारण किया गया जिसके परिणामस्वरूप 42 कार्मिकों को मेजर दंड दिया गया एवं 64 कार्मिकों को निम्न दंड दिया गया।

इसके साथ ही वर्ष 2014-15 में 119 कार्मिकों के विरुद्द 56 नए मामले शुरू किये गए हैं।

मेजर पेनाल्टी योग्य एक वर्ष से अधिक लंबित मामले जोकि वर्ष 2013-14 में 12 थे, 31 मार्च 2015 को घटकर 7 रह गए हैं। अनुशासनात्मक केसों को जल्दी निपटाने के लिए अत्यधिक प्रयास किये जा रहे हैं।

जाँच के लिए लंबित केसों में तेजी से कमी आई है। 31 मार्च, 2015 को मात्र 37 केस जांच के लिए लंबित थे जबकि गतवर्ष कुल 107 केस जांच के लिए लंबित थे।

निवारक सतर्कता पर विशेष जोर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल 106 औचक निरीक्षण सतर्कता अधिकारीयों द्वारा किये गए।

Mediclaim, Varistha Mediclaim, Personal Accident, Householders' Insurance Policies as well as Standard Fire and Special Perils policy for dwellings.

- The policies supporting Financial Inclusion are Janata Personal Accident, Gramin Suswasthya and Gramin Suraksha Policies which are available online at the convenience of the customer.
- The Policies issued through Online System are integrated with the Policy database of the Operating Office selected by the Customer.

MOBILE APPLICATION

- Mobile Application for renewal of Motor Policies has been deployed for convenience to Customers.
- In 2014-15 a Total Premium of ₹16,45,276 has been earned by NIC at a growth rate of 650% over the previous year from Mobile Channel of Business Procurement.
- The Policies renewed through the Mobile Option are transmitted to the Policy issuing office of NIC.

FINANCIAL INCLUSION

- 463 Business Centres are operating across India from relatively remote locations through web-based applications.
- Office-on-Wheels i.e. fully equipped Mobile Vans in Kolkata, Chandigarh and Bangalore have become operative in 2012 to facilitate easy access to customers.

CUSTOMER COMMUNICATION INTERFACE

- 24 X 7 Live Online Chat has gained high usage for current and potential customers for assisting them in the process of using Online Customer Portal as well as any other communication or clarification.
- Toll-Free Number is also consistently used by the Customers for communicating on new and existing policies as well as other issues.
- e-SMS alerts and emails are pushed to Customers successfully utilizing our Online Portal.

IT INFRASTRUCTURE

- 1000 High end Multi-Function Printers have been delivered one each for all Operating Offices across India.
- 900 Multi-Function Printers have been delivered one each for all Business Centers.

AUTO TIE-UPS

- SMS based Surveyor appointments through automated System ensuring rotation of Surveyors as well as timely appointment of Surveyors within one hour of intimation of claim for our Maruti Insurance Customers.
- Online Claims Management System introduced for Kolkata based Dealers of Hero MotoCorp. This will be rolled out for rest of the country in 2015-16

VIGILANCE:

In the financial year 2014-15, as part of punitive action, 75 cases involving 106 officials were disposed off pertaining to disciplinary proceedings, resulting in imposition of major penalties against 42 officials and minor penalties against 64 officials.

Further, in 56 number of cases disciplinary proceedings have been initiated during the year 2014-15, involving 119 officials.

Major penalty proceedings pending for more than 1 year on 31st March 2015 have been reduced to 7 as against 12 pending as on 31st March 2014. Continuous follow up is being done for early disposal of disciplinary proceedings.

The number of cases pending for investigation has shown drastic reduction with only 37 investigations pending as on 31st March 2015 as against 107, as on 31st March 2014.

Special thrust has been given on Preventive Vigilance. 106 surprise inspections were conducted during the financial year 2014-15 by the Vigilance Officers. The operating managers and claim settling officers besides other officials were sensitized in 9

9 क्षेत्रीय कार्यालयों में स्टाफ मीटिंग एवं परस्पर संवादात्मक मीटिंग करके कार्मिकों इसके बारे में जानकारी दी गई है।

पूरे भारत वर्ष में 2014 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया एवं विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गए।

आंतरिक लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण गतिविधियाँ:

कम्पनी की कॉर्पोरेट गवर्नेस में आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग एक महत्वपूर्ण साधन है। यह प्रबंधन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के लागू होने में की जा रही कोताहियों को उजागर करना, कम्पनी के सिस्टम की कमियों को ढूँढना एवं आंतरिक कंट्रोल की कमजोरियों की जांच उत्तर करना है। यह सारी कमियां नियमित रिपोर्टों के माध्यम से कॉर्पोरेट प्रबंधन के ध्यान में लाई जाती हैं ताकि इनके ऊपर कार्यवाई हो सके। आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के लेखा परीक्षा कार्यक्रम आयोजित करता है। व्यासायिक केंद्र,शाखा कार्यालय,मंडलीय, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रधान कार्यालय, विभिन्न विभाग, दावा केंद्र के लेनदेन की लेखा परीक्षा, विकास अधिकारियों को मिलने वाले प्रोत्साहन की लेखा परीक्षा, टी पी ए की लेखा परीक्षा एवं स्पेशल लेखा परीक्षा गत तीन वर्षों में प्रचालित कार्यालयों के संयुक्त अनुपात के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा परीक्षा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान लेखा परीक्षा निरीक्षण निम्नवत किये गये :

रेगुलर व तकनीकी लेखा	इंसेंटिव लेखा	टीपीए (यूनीटस्) लेखा	दावा हब लेखा	अन्य लेखा	कुल
1613	171	59	26	270	2139

वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा के अनुपालन पर बल दिया गया। लेखा परीक्षा दौरान पूछे गए प्रश्नों को निपटाने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किये गए जिसके अनुसार क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अनुपालन समिति, प्रधान कार्यालय लेखा परीक्षा अनुपालन समिति एवं उच्च प्रभावी लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया। इनके गठन से विभिन्न क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अनुपालन समितियों द्वारा 191 बैठकें करके कुल ₹80.04 करोड़ मूल्य की 10078 क्वेरीज का निपटान किया गया।

जैसाकि आवश्य्कता है, निवेश प्रचालन का लेखा परीक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट की बाहरी ऑडिट फर्म द्वारा किया गया तथा रिपोर्टे ऑडिट समिति के सामने प्रस्तुत की गई एवं ऑडिट के प्रभावीकरण के पश्चात् आईआरडीए को भेजी गईं।

सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा जारी निरीक्षण रिपोर्टों के अनुपालन पर विशेष बल दिया गया। सरकारी लेखा परीक्षा की क्वेरीज एवं पैरा को निपटाने के लिए, वर्ष के दौरान उत्तरी क्षेत्र एवं क्षेत्रीय (कोच्ची एवं बैंगलोर क्षेत्र) की रिविऊ बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में काफी अधिक मात्रा में निरीक्षण रिपोर्ट पैरा एवं ड्राफ्ट पैरा का निपटान किया गया। की गई कार्यवाई के नोट्स ड्राफ्ट पैरा के प्रशासनिक मंत्रालय को विचार, परामर्श एवं आगे सी ए जी कार्यालय को प्रेषित करने के लिए भेजे गए है।

कम्पनी नियम 2014 (प्रबन्धन कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) के अंतर्गत कर्मचारियों का विवरण:

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कम्पनी नियम 2014 (प्रबन्धन कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) के नियम 5(2) में उल्लिखित नियमों के अनुसार प्रयोज्य संशोधित सीमा अर्थात ₹5 लाख प्रति माह वर्ष में ₹60 लाख से अधिक का भुगतान नहीं किया गया है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी एवं निवेश का विवरण:

कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई भी ऋण लिया है, न ही कोई गारंटी दी है एवं न ही किसी प्रकार का निवेश किया ह।

संबंधित पक्ष लेनदेन:

कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के अंतर्गत कोई भी संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया है इसलिए फ़ार्म AOC-2 भरने की आवश्यकता नहीं है।

Regional Offices by way of conducting Interactive Sessions/Staff meetings during the year.

Vigilance Awareness Week 2014 was also organized throughout the country and various awareness programmes were organized.

INTERNAL AUDIT AND INSPECTION ACTIVITIES:

Internal Audit department is an important tool in the Corporate Governance of the Company. It reviews various activities of the Company so as to locate deviations from the guidelines issued by the management, identify weaknesses in internal control and detect loopholes in the systems followed in the Company. Such exceptions are brought to the notice of the corporate management through regular reports for necessary action.

Internal Audit and Inspection department conducted various types of audit during the year.

Transaction audit of Business Centres, Branch, Divisional and Regional Offices, Head Office departments, Claims hubs, Pre-payment audit of Incentives to Development Officers, Audit of TPAs and Special Audit. Annual Audit Plan of respective Regional Audit Cells are drawn up on the basis of Combined Ratio of Operating Offices for the last three years.

During the fiscal 2014-15, the following audits were conducted:-

Regular & Technical Audits	Incentive Audit	TPA (Units) Audit	Claims Hub Audit	Other Audits	Total
1613	171	59	26	270	2139

During the year ,the focus of attention was on audit compliance. A revised guideline was issued for speedy disposal of audit queries by virtue of which Regional Audit Compliance Committees (RACC), Head Office Audit Compliance Committee (HOACC) and High Power Audit Compliance Committee (HPACC) were constituted. Since inception,191 meetings were held by various RACCs and 10078 queries involving an amount of ₹80.04 crore were disposed of.

As per the requirement, ConcurrentAudit of Investment operations of the Company is conducted by an External Audit Firm of Chartered Accountants and their quarterly reports are placed before the Audit Committee and subsequently submitted to IRDAI.

Initiatives were taken for timely compliance of the Inspections Reports (IR) issued by the Government Auditors. During the year, Northern Zone & Regional (Kochi and Bangalore Region) review meetings were held to dispose of outstanding Government Audit queries/paras. A number of IR paras /Draft paras were resolved during these meetings leading to a considerable reduction in outstanding paras. Similarly, Action Taken Notes (ATNs) and replies to the Draft paras were also submitted to the Administrative Ministry for consideration, advises and onward transmission to the office of C&AG.

PARTICULARS OF EMPLOYEES UNDER COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014

During the financial year 2014-15, none of the employees was in receipt of remuneration in excess of the applicable limits i.e. ₹5 lakh per month or ₹60 lakh per annum as prescribed in Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013:

The Company has not made any loans, guarantees or investments pursuant to the provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013.

RELATED PARTY TRANSACTIONS:

The Company has not entered into any related party transaction which attracts the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013. Therefore, disclosure in Form AOC-2 is not required.

निदेशकों का दायित्व विवरण:

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के अनुपालन में निदेशकगण पुष्टि करते हैं कि:

i) 31मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है तथा साथ में महत्वपूर्ण विचलन के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है, अगर कोई हैं तो।

ii) वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों, उसी अवधि के लिए लाभ तथा हानि की वास्तविक एवं स्पष्ट स्थिति से अवगत करने के लिए निदेशकों द्वारा समुचित लेखांकन नीतियों का चयन किया गया और उपयुक्त तथा विवेकपूर्ण निर्णय व प्राक्कलन किया।

iii) उन्होंने कम्पनी की परिसम्पतियों की सुरक्षा के लिए एवं जालसाजी एवं अन्य अनियमितायों को ढूँढने के लिए तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती।

iv) उन्होंने ने सक्रिय व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया, एवं

v) उन्होंने ने सही प्रणाली तैयार की ताकि सभी लागू कानूनों का अनुपालन हो सके एवं ऐसी प्रणाली सुचारू रूप से कार्यरत रहे।

निदेशक मंडल

श्री राजेश अग्रवाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा, को सरकारी नामित निदेशक के तौर पर दिनांक 04 फरवरी 2015 को कम्पनी के निदेशक मंडल में शामिल किया गया। श्री अग्रवाल जी को, मंत्रालय के आदेशानुसार दिनांक 27 मई, 2015 से तीन महीने के लिए, कम्पनी के अध्यक्ष सहप्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।

श्री एम वसंत कृष्णा, महाप्रबंधक ने कम्पनी में दिनांक 19 जनवरी, 2015 को कार्यभार संभाला था। तत्पश्चात उन्हें दिनांक 4 फरवरी, 2015 से कम्पनी का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है।

निदेशक मंडल निम्नलिखित बोर्ड सदस्यों द्वारा अपने कार्यकाल में कम्पनी को दी गई सेवायों एवं योगदान के लिए हार्दिक प्रशंसा करता है:

क) श्री पी.जे.जोसफ, भूतपूर्व सीएमडी (20.02.2015 से 19.05.2015 तक)।

ख) श्री ए.वी. गिरिजा कुमार, महाप्रबंधक एवं निदेशक (30.07.2009 से 14.01.2015 तक)।

ग) श्री अनुराग जैन, भा.प्र.से. (सरकारी नामिती) (30.11.2011 से 30.11.2014 तक)।

घ) श्री अमिताभ कोठारी, स्वतंत्र निदेशक (24.08.2011 से 24.08.2014 तक)।

ङ) श्री मोती लाल शर्मा, स्वतंत्र निदेशक (06.07.2011 से 06.07.2014 तक)।

श्री पी सी सुबुद्धि, उप महाप्रबंधक को आईआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 203 के प्रावधान के अनुसार संबंधित मामलों में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्य करेगें।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में बोर्ड एवं समिति की बैठकों की संख्या के बारे में विवरण, उपस्थिति सहित, इस रिपोर्ट के ***परिशिष्ट- C*** में दर्ज है।

निदेशक मंडल की संरचना

कम्पनी के निदेशक मंडल में कार्यपालक एवं गैरकार्यपालक निदेशक हैं। यह रिपोर्ट स्वीकार किये जाने की तिथि को निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

संवर्ग	निदेशकों की संख्या
कार्यपालक निदेशक	3
गैर कार्यपालक - स्वतंत्र	2

निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक - केंद्र सरकार के नियमानुसार

कार्यपालक निदेशक - कम्पनी के नियमानुसार

गैरकार्यपालक निदेशक - केंद्र सरकार के नियमानुसार बोर्ड एवं बोर्ड समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सिटिंग फ़ीस का भुगतान किया जाता है तथा नामितों को किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता ह। वित्तीय वर्ष 2014-15 में भुगतान की गई सिटिंग फीस का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	नाम	राशि	बैठक	
			बोर्ड	समिति
1	श्री अमिताभ कोठारी	₹ 45,000/-	2	5
2	श्री मोती लाल शर्मा	₹ 15,000/-	1	1
3	श्री बिभूति भूषण मिश्रा	₹ 1,10,000/-	5	12

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

Pursuant to Section 134(5) of the Companies Act, 2013, directors hereby confirm that -

i) in preparation of the Annual Accounts for the financial year ended 31st March 2015, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any,

ii) they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for that period,

iii) they had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities,

iv) they had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

v) they had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Board of Directors

Shri Rajesh Aggarwal, IAS, has been appointed as a Government Nominee Director on the Company's Board on 4th February 2015. Shri Aggarwal was assigned additional charge as Chairman-cum-Managing Director of the Company for a period upto three months with effect from Ministry's order dated 27th May 2015.

Shri M. Vasantha Krishna, General Manager joined the Company on 19th January 2015. Further, he was appointed as Whole-time Director of the Company with effect from 4th February 2015.

The Board conveyed their sincere appreciation for the contributions made by the following outgoing members during their tenure as directors of the Company-

a) Shri P.J. Joseph, ex-CMD (20.02.2015 to 19.05.2015).

b) Shri A.V.Girija Kumar, General Manager & Director (30.07.2009 to 14.01.2015).

c) Shri Anurag Jain, IAS (Government Nominee) (30.11.2011 to 30.11.2014).

d) Shri Amitav Kothari, Independent Director (24.08.2011 to 24.08.2014).

e) Shri Moti Lal Sharma, Independent Director (06.07.2011 to 06.07.2014).

Shri P.C. Subudhi, Deputy General Manager appointed as a Chief Finance Officer in compliance with the IRDA Guidelines on reporting of key persons will also act as a Chief Financial Officer in terms of the provision of Section 203 of the Companies Act, 2013.

Statements showing number of Board & Committee meetings held during the financial year 2014-15 including their attendance is appended as ***Annexure C*** to this Report.

Composition of the Board

The Board of the Company comprises of Executive and Non-Executive Directors. The composition of the Board on the date of addoption of this Report is as follows :

Category	No. of Directors
Executive Director	3
Non-Executive Director - Independent	2

Remuneration to Directors

For CMD - as per Central Government norms.

For Executive Directors - as per Company norms.

For Non-executive Directors - Sitting fees is paid for attending the meeting of Board & Board sub-Committees of the Board as per Government norms. However, no sitting fee is paid to the nominees. The sitting fees paid during the financial year 2014-15 is as follows :

Sl. No.	Name	Amount	Meetings	
			Board	Committee
1	Shri Amitav Kothari	₹ 45,000/-	2	5
2	Shri Moti Lal Sharma	₹ 15,000/-	1	1
3	Shri Bibhuti Bhusan Mishra	₹ 1,10,000/-	5	12

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के प्रावधान के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान श्री अरूण कौल और श्री विभूति भूषण मिश्रा, स्वतंत्र निदेशक से घोषणा प्राप्त हो गया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआर):

कम्पनी अधिनियम 2013 के की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी ने एक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों को लेकर किया है :

- श्री राजेश अग्रवाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (अध्यक्ष)
- श्री एम वसंत कृष्णा
- श्री अरुण कौल
- श्री विभूति भूषण मिश्रा

कम्पनी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सामाजिक दायित्व पॉलिसी तैयार की है एवं इसमें किये जा रहे सभी कार्य अनुसूची फ में उल्लिखित कार्यों के अनुरूप ही होंगे। कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में सामाजिक दायित्व कार्यक्रम प्रारंभ किये हैं। सामाजिक दायित्व कार्यों के ऊपर वार्षिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के ***परिशिष्ट- D*** में है।

लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया एवं वर्तमान में समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

1. श्री अरुण कौल (अध्यक्ष)
2. श्री के.पी.ब्रह्म
3. श्री एम.वसंत कृष्णा
4. श्री विभूति भूषण मिश्रा

पारिश्रमिक समिति

कम्पनी की पारिश्रमिक समिति का गठन वर्ष 2008 में किया गया था। कम्पनी के अध्यक्ष सहप्रबंध निदेशक के प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन पर समिति वित्त मंत्रालय से अनुमोदन के अनुसार निर्णय लेती है।

वर्ष 2014-15 के दौरान पारिश्रमिक समिति की कोई भी बैठक नहीं हो पाई है।

वर्तमान में समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

1. श्री राजेश अग्रवाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (अध्यक्ष)
2. श्री अरुण कौल
3. श्री विभूति भूषण मिश्रा

सांविधिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 139 के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए महालेखा परीक्षक,भारत सरकार द्वारा मेसर्स एम. सी. भंडारी एंड कंपनी, चार्टड एकाउंटेंट्स एवं मेसर्स एस.घोष एंड कंपनी, चार्टड एकाउंटेंट्स को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रुप में फिर से नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रचालन कार्यालयों तथा विदेशी कार्यालयों के लिए भी लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/दुबारा नियुक्ति की जाती है। लेखा परीक्षकों के बहुमूल्य दिशानिर्देशों के लिए निदेशक मंडल उनका हार्दिक धन्यवाद करता है।

साचिविक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204 के तहत एच. एम. चोरारिया एंड कंपनी (सीपी 1499), कोलकाता के पेशेवर कंपनी को वित्तीय वर्ष 2014-15 में कंपनी के साचिविकीय लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए साचिविकीय लेखा परीक्षा की रिपोर्ट को इस प्रतिवेदन के ***परिशिष्ट- E*** में संलग्न किया गया है।

साचिविक लेखा परीक्षक के दिनांक 19 जून, 2015 में दी गई टिप्पणियों की व्याख्या

अपने रिपोर्ट में साचिविक लेखा परीक्षक के द्वारा की गई टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट है और बोर्ड इस बात को मानती है कि बोर्ड में एक महिला निदेशक की नियुक्ति का मामला पहले ही मंत्रालय के साथ उठाया गया है और इस नियुक्ति की प्रतीक्षा है।

नामांकन व पारितोषिक समिति की संरचना के संदर्भ में यह बात मानी जाती है कि एक सरकारी कंपनी होने के कारण एक निदेशक की नियुक्ति वित्त मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा की जाती है।

Declaration made by Independent Directors:

During the financial year, 2014-15, the Company has received declarations from Shri Arun Kaul and Shri Bibhuti Bhusan Mishra, Independent Directors in terms of the provision of Section 149(7) of the Companies Act, 2013.

Corporate Social Responsibility Committee (CSR)

In line with the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 and Rules made there under, Company has constituted a 'Corporate Social Responsibility Committee' of the Board comprises of the following members:

- Shri Rajesh Aggarwal, IAS (Chairman)
- Shri M. Vasantha Krishna
- Shri Arun Kaul
- Shri Bibhuti Bhusan Mishra

The Company has formulated CSR Policy in line with the provisions of the Act and all the CSR activities undertaken/to be undertaken will be within the sphere of activities as laid down in Schedule VII to the Companies Act, 2013. The Company has initiated CSR activities and the financial year 2014-15 is the first year of CSR implementation. The Annual Report detailing the CSR activities is appended as ***Annexure D*** to this Report.

Audit Committee

The Audit Committee of the Board has been re-constituted and at present the Committee comprises of the following Members:-

1. Shri Arun Kaul (Chairman)
2. Shri K.P. Brahma
3. Shri M. Vasantha Krishna
4. Shri Bibhuti Bhusan Mishra

Remuneration Committee

Remuneration Committee was constituted by the Company in the year 2008 for determining the Performance Linked Incentive (PLI) of Chairman-cum-Managing Director based on the Ministry's Performance Evaluation Matrix.

Remuneration Committee did not meet in the year 2014-15.

At present, the Committee comprises of the following members:

1. Shri Rajesh Aggarwal, IAS (Chairman)
2. Shri Arun Kaul
3. Shri Bibhuti Bhusan Mishra

STATUTORY AUDITORS

M/s.M.C.Bhandari & Co.,Chartered Accountants and M/s.S.Ghose & Co., Chartered Accountants were re-appointed as Statutory Auditors of the Company for the financial year 2014-15 by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) in terms of Section 139 of the Companies Act, 2013. Further, appointment/re-appointment of Auditors is made for the various Regional & Operating Offices and also for the Foreign Branches. The Board of Directors wishes to convey their sincere appreciation to the Auditors for their valuable guidance.

SECRETARIAL AUDITOR

In terms of the provision of Section 204 of the Companies Act, 2013, M/s. H.M. Choraria & Co.(CP 1499), Practicing Company Secretaries, Kolkata have been appointed as the Secretarial Auditor to conduct secretarial audit of the Company for the financial year 2014-15. The Secretarial Audit Report for the financial year 2014-15 is appended as ***Annexure E*** to this Report.

EXPLANATION ON THE COMMENTS MADE BY THE SECRETARIAL AUDITOR IN THEIR REPORT DATED 19TH JUNE 2015:

The observation made by the Secretarial Auditor in his report is self-explanatory and the Board further submits that the matter of appointment of a woman director on the Board has already been taken up with the Ministry and the said appointment is awaited.

In regard to constitution of Nomination and Remuneration Committee, it is submitted that being a government company the appointment of a director is made by the Ministry of Finance, Government of India.

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 के प्रावधानों के तहत कंपनी मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 के द्वारा आंशिक छूट प्रदान किया है जिसके अंतर्गत निदेशक के नामांकन व पारितोषिक के लिए समिति मंजूरी लेने की जरुरत नहीं है।

हालांकि यह छूट वरिष्ठ प्रबंधन व अन्य कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगी। यहां यह बताया जाना आवश्यक है कि गैर जीवन बीमा लोक उद्यम कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधन व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति व पारितोषिक के लिए नियम भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं।

इस बीच कंपनी अधिनयम के प्रावधानों का पालन करने हेतु 'नामांकन व पारितोषिक समिति' बनाने पर विचार कर रही है।

आंतरिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के प्रावधान और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में श्री के नारायणन, उप महाप्रबंधक (निवेश) को कंपनी के आंतरिक **लेखा** परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

पर्सनल लाइन ऑफ इंश्योरेंस के प्रदर्शन का विवरण

पर्सनल लाइन ऑफ इंश्योरेंस के प्रदर्शन का विवरण इस प्रतिवेदन के ***परिशिष्ट-F*** में दिखाया गया है।

वार्षिक विवरण का निष्कर्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134 (3) (a) के अनुरुप वार्षिक विवरण को फर्म MGT-9 अनिष्कर्ष इस प्रतिवेदन के ***परिशिष्ट-G*** में दिखाया गया है।

भारत के नियंत्रक व महालेखक द्वारा लेखा परीक्षण

निदेशक मंडल भारत के नियंत्रक व महालेखक लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष,वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रिंसिपल निदेशक,और लेखा परीक्षा बोर्ड-II,कोलकाता के पदेन सदस्य को उनके बहुमूल्य दिशानिर्देशों एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता है।

संसद के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 394 के तहत संसद के दोनों सदनों में कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन निदेशकों के रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

आभार

निदेशक मंडल सभी स्तर के अधिकारियों,विकास अधिकारियों, तथा अन्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा पॉलिसीधारकों को कुशल सेवा प्रदान करने तथा कंपनी का कार्य निष्पादन सुधारने में उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए अपना आभार प्रकट करना चाहता है। बड़ी संख्या में वर्तमान एवं नए ग्राहकों द्वारा कंपनी में विश्वास व्यक्त करने के लिए निदेशक मंडल उनकी भूरपूर प्रशंसा करता है। कंपनी का पुनर्बीमा व्यवसाय स्वीकार करने हेतु ओवरसीज पुनर्बीमाकर्ताओं एवं राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ताओं, भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) द्वारा दिए गए सहयोग एवं समर्थन के लिए निदेशक मंडल अपना आभार प्रकट करता है। कंपनी के कार्य प्रबंधन में दिए गए समर्थन,सहयोग एवं दिशानिर्देशं के लिए बीमा प्रभाग,वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग,भारत सरकार एवं जेनरल इंश्योरेंस (पब्लिक सेक्टर) एसोशिएशन ऑफ इंडिया (जिप्सा), बीमा विनियामक एव विकास प्राधिकरण के प्रति भी निदेशकगण प्रशंसा करते हुए अपना आभार व्यक्त करते हैं।

कृते निदेशक मंडल

(राजेश अग्रवाल, भाप्रसे)
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

कोलकाता, 19 जुन 2015

Ministry of Corporate Affairs vide its notification dated 5th June, 2015 has given part exemption to the provisions of Section 178 of the Companies Act, 2013 whereby the appointment and remuneration of a director is no more required to be done through this Committee.

However, this exemption is not given in case of senior management and other employees. It may be noted that the norms for appointment and remuneration of senior management and other employees in public sector non-life insurance companies are decided by the Government of India.

In view of the above, the Company is considering constitution 'Nomination and Remuneration Committee' in order to comply with the provision of the Act.

INTERNAL AUDITOR:

Shri K. Narayanan, Deputy General Manager (Investment) has been appointed as Internal Auditor of the Company in compliance with the provision of Section 138 of the Companies Act, 2013 & Rules made thereunder.

DETAILS OF PERFORMANCE OF PERSONAL LINES INSURANCE

The performance of Personal Lines Insurance is detailed and shown as ***Annexure F*** to this Report.

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

In accordance with Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013, an extract of the Annual Return in Form MGT-9 is appended as ***Annexure G*** to this Report.

AUDIT BY COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

The Board of Directors wishes to convey their thanks to the Comptroller & Auditor General of India, the Chairman of the Audit Board, Principal Director of Commercial Audit and ex-officio Member, Audit Board-II, Kolkata for their valuable guidance and co-operation.

PLACEMENT OF ANNUAL REPORT BEFORE THE PARLIAMENT

The Annual Report of the Company along with the Directors' Report is being placed before both the Houses of the Parliament under Section 394 of the Companies Act, 2013.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors wishes to place on record their appreciation for the commendable work done by the officers and other classes of employees comprising of development officers and staff at all levels in rendering efficient services to the policyholders thereby contributing to the performance of the Company. The Directors also deeply appreciate the confidence reposed in the Company by a wide spectrum of its client base, existing as well as new. The Directors acknowledge the excellent support extended by overseas Reinsurers and the General Insurance Corporation of India (GIC) as the National Reinsurer in the placement of Company's Reinsurance business.

The Directors would also like to place on record their gratitude and deep appreciation of the support and guidance received from the senior officials of the Insurance Division, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India & General Insurers' (Public Sector) Association of India (GIPSA) and from the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) in the management of the affairs of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors

(Rajesh Aggarwal, IAS)
Chairman-cum-Managing Director

Kolkata, 19th June 2015

परिशिष्ठ - A

मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी का प्रमाणपत्र

(आईआरडीए के दिनांक 28 जनवरी, 2010 के परिपत्र के अनुपालन में)

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणाम जिनको कम्पनी के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इसमें कोई भी भ्रामक एवं गलत बयान वाले विवरण/आंकड़े शामिल नहीं हैं। इसके इलावा हमारे विश्वास एवं सूचना के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण में ऐसी किसी तथ्य सामग्री को छुपाया नहीं गया है जो विवरणों एवं आंकड़ों को भ्रामक करते हों।

(पी सी सुबुधि)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(राजेश अग्रवाल, भा.प्र.से)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

19 जून, 2015

परिशिष्ठ – B

कॉर्पोरेट गवर्नेस दिशानिर्देश अनुपालन प्रमाणपत्र

(आईआरडीए के दिनांक 29 जनवरी, 2010 के परिपत्र के अनुपालन में)

मैं, रीना माडिया एतद्वारा प्रमाणित करती हूँ कि समय-समय पर संशोधित कॉर्पोरेट गवर्नेस दिशा निर्देशों का कम्पनी द्वारा पूर्णतः अनुपालन किया गया है एवं इस सम्बन्ध में किसी भी तथ्य को छुपाया अथवा दबाया नहीं गया है।

(रीना माडिया)
कम्पनी सचिव

ANNEXURE – A

CEO & CFO CERTIFICATION

(In compliance of the IRDAI circular dated 28th January, 2010)

We do hereby certify that to the best of our knowledge & belief the financial results for the year ended 31st March 2015 as placed before the Board of Directors of the Company do not contain any false or misleading statement or figures. Further, to the best of our knowledge & information the said financial statements do not omit any material fact which may make the statement(s) or figures contained therein misleading.

(P. C. Subudhi) Chief Financial Officer	**(Rajesh Aggarwal, IAS)** Chief Executive Officer

19th June 2015

ANNEXURE – B

CERTIFICATION FOR COMPLIANCE OF THE CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

(In compliance of the IRDAI circular dated 29th January, 2010)

I, Rina Madia, hereby certify that the Company has complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurance Companies, as amended from time to time, and nothing has been concealed or suppressed.

(Rina Madia)
Company Secretary

परिशिष्ठ - C

वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों/समितियों की संख्या और उन बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति दर्शाता विवरण

1. मंडल बैठक

बैठकों की संख्या : 6

निदेशकों के नाम	बैठकों की तारीख					
	30/05/2014	**14/08/2014**	**25/09/2014**	**15/11/2014**	**13/02/2015**	**26/03/2015**
श्री राजेश अग्रवाल (सरकार द्वारा नामित-04/02/2015 से नियुक्त)	-	-	-	-	अनुपस्थित	अनुपस्थित
श्री अरुण कौल (स्वतंत्र निदेशक)	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री के. पी. ब्रह्म (कार्यपालक निदेशक)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री एम वसंत कृष्णा (कार्यपालक निदेशक 04/02/2015 से नियुक्त)	-	-	-	-	उपस्थित	उपस्थित
श्री विभूति भूषण मिश्र (स्वतंत्र निदेशक)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	भारत से बाहर	उपस्थित
श्री पी जे जोसफ (सीएमडी नियुक्त दिनांक 20/02/2015 से 19/05/2015 से नियुक्त समाप्त)	-	-	-	-	-	उपस्थित
श्री ए. वी. गिरिजा कुमार (14/01/2015 से निदेशक पद समाप्त)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	-	-
श्री अनुराग जैन (30/11/2014 से निदेशक पद समाप्त)	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	-	-
श्री मोती लाल शर्मा (06/07/2014 से निदेशक पद समाप्त)	उपस्थित	-	-	-	-	-
श्री अमिताभ कोठारी (24/08/2014 से निदेशक पद समाप्त)	उपस्थित	उपस्थित	-	-	-	-

ANNEXURE – C

STATEMENT SHOWING NUMBER OF BOARD/COMMITTEE MEETINGS HELD DURING THE FINANCIAL YEAR 2014-15 AND ATTENDANCE OF THE DIRECTORS/MEMBERS THEREAT

1. BOARD MEETING

No. of meetings held: 6

Name of the Directors	Date of Meetings					
	30/05/2014	14/08/2014	25/09/2014	15/11/2014	13/02/2015	26/03/2015
Shri Rajesh Aggarwal (appointed as Government Nominee on 04/02/2015)	-	-	-	-	Absent	Absent
Shri Arun Kaul (Independent Director)	Absent	Present	Absent	Present	Present	Present
Shri K.P. Brahma (Whole-time Director)	Present	Present	Present	Present	Present	Present
Shri M. Vasantha Krishna (Whole-time Director - appointed on 04/02/2015)	-	-	-	-	Present	Present
Shri Bibhuti Bhusan Mishra (Independent Director)	Present	Present	Present	Present	Out of India	Present
Shri P. J. Joseph (appointed CMD from 20/02/2015 to 19/05/2015)	-	-	-	-	-	Present
Shri A. V. Girija Kumar (directorship ceased on 14/01/2015)	Present	Present	Present	Present	-	-
Shri Anurag Jain (directorship ceased on 30/11/2014)	Present	Absent	Present	Present	-	-
Shri Moti Lal Sharma (directorship ceased on 06/07/2014)	Present	-	-	-	-	-
Shri Amitav Kothari (directorship ceased on 24/08/2014)	Present	Present	-	-	-	-

2. लेखा परीक्षा समिति (मेंडेटरी)
बैठकों की संख्या :4

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख			
	30/05/2014	14/08/2014	15/11/2014	13/02/2015
श्री अरुण कौल (अध्यक्ष)	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री अमिताभ कोठारी (पूर्व अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	-	-
श्री राजेश अग्रवाल	-	-	-	अनुपस्थित
श्री अनुराग जैन	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	-
श्री के. पी. ब्रह्म	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री एम. वसंत कृष्णा	-	-	-	उपस्थित

3. निवेश समिति (मेंडेटरी)
बैठकों की संख्या: 4

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख			
	30/06/2014	25/09/2014	17/12/2014	26/03/2015
श्री पी. जे. जोसफ (अध्यक्ष)	-	-	-	उपस्थित
श्री ए. वी. गिरिजा कुमार (पूर्व अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	-
श्री अरुण कौल	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री अमिताभ कोठारी	उपस्थित	-	-	-
श्री राजेश अग्रवाल	-	-	-	अनुपस्थित
श्री एम. वसंत कृष्णा	-	-	-	उपस्थित
श्री विभूति भूषण मिश्रा	-	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री अमिताभ दास (मुख्य निवेश अधिकारी)	-	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री पी. सी. सुबुद्धि (मुख्य वित्तीय अधिकारी)	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित
श्री भूदेव चटर्जी (आमंत्रित नियुक्त एक्चुयरी)	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित

2. AUDIT COMMITTEE (Mandatory)
No. of meetings held: 4

Name of the Members	Date of Meeting			
	30/05/2014	14/08/2014	15/11/2014	13/02/2015
Shri Arun Kaul (Chairman)	Absent	Present	Present	Present
Shri Amitav Kothari (ex-Chairman)	Present	Present	-	-
Shri Rajesh Aggarwal	-	-	-	Absent
Shri Anurag Jain	Present	Absent	Present	-
Shri K. P. Brahma	Present	Present	Present	Present
Shri M. Vasantha Krishna	-	-	-	Present

3. INVESTMENT COMMITTEE (Mandatory)
No. of meetings held: 4

Name of the Members	Date of Meeting			
	30/06/2014	25/09/2014	17/12/2014	26/03/2015
Shri P.J. Joseph (Chairman)	-	-	-	Present
Shri A. V. Girija Kumar (ex-Chairman)	Present	Present	Present	-
Shri Arun Kaul	Present	Absent	Present	Present
Shri Amitav Kothari	Present	-	-	-
Shri Rajesh Aggarwal	-	-	-	Absent
Shri M. Vasantha Krishna	-	-	-	Present
Shri Bibhuti Bhusan Mishra	-	Present	Present	Present
Shri Amitava Das (Chief Investment Officer)	-	Present	Present	Present
Shri P.C. Subudhi (Chief Finance Officer)	Present	Present	Absent	Present
Shri Bhudev Chatterjee (Appointed Actuary)	Absent	Absent	Absent	Absent

4. जोखिम प्रबंधन समिति (मेंडेटेरी)
बैठकों की संख्या :4

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख			
	30/06/2014	**25/09/2014**	**17/12/2014**	**26/03/2015**
श्री पी. जे. जोसफ (अध्यक्ष)	-	-	-	उपस्थित
श्री ए. वी. गिरिजा कुमार (पूर्व अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	-
श्री अरुण कौल	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री के. पी. ब्रह्म	-	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री एम. वसंत कृष्णा	-	-	-	उपस्थित
श्री राजेश अग्रवाल	-	-	-	अनुपस्थित
श्री अमिताभ कोठारी	उपस्थित	-	-	-
श्री एन. बांचुर (मुख्य जोखिम अधिकारी)	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित

5. पालिसीधारक सुरक्षा समिति (मेंडेटेरी)
बैठकों की संख्या : 4

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख			
	30/06/2014	**25/09/2014**	**17/12/2014**	**26/03/2015**
श्री पी. जे. जोसफ (अध्यक्ष)	-	-	-	उपस्थित
श्री ए. वी. गिरिजा कुमार (पूर्व अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	-
श्री के. पी. ब्रह्म	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री अनुराग जैन	अनुपस्थित	उपस्थित	-	-
श्री राजेश अग्रवाल	-	-	-	अनुपस्थित
श्री विभूति भूषण मिश्रा	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री एम. वसंत कृष्णा	-	-	-	उपस्थित
श्री मोती लाल शर्मा	उपस्थित	-	-	-

4. **RISK MANAGEMENT COMMITTEE (Mandatory)**
No. of meetings held: 4

Name of the Members	Date of Meeting			
	30/06/2014	25/09/2014	17/12/2014	26/03/2015
Shri P.J. Joseph (Chairman)	-	-	-	Present
Shri A. V. Girija Kumar (ex-Chairman)	Present	Present	Present	-
Shri Arun Kaul	Present	Absent	Present	Present
Shri K.P. Brahma	-	Present	Present	Present
Shri M. Vasantha Krishna	-	-	-	Present
Shri Rajesh Aggarwal	-	-	-	Absent
Shri Amitav Kothari	Present	-	-	-
Shri N. Banchur (Chief Risk Officer)	Present	Present	Absent	Present

5. **POLICYHOLDER PROTECTION COMMITTEE (Mandatory)**
No. of meetings held: 4

Name of the Members	Date of Meeting			
	30/06/2014	25/09/2014	17/12/2014	26/03/2015
Shri P.J. Joseph (Chairman)	-	-	-	Present
Shri A.V. Girija Kumar (ex-Chairman)	Present	Present	Present	-
Shri K. P. Brahma	Absent	Presen	Present	Present
Shri Anurag Jain	Absent	Present	-	-
Shri Rajesh Aggarwal	-	-	-	Absent
Shri Bibhuti Bhusan Mishra	Present	Present	Present	Present
Shri M.Vasantha Krishna	-	-	-	Present
Shri Moti Lal Sharma	Present	-	-	-

6. मानव संसाधन समिति
बैठकों की संख्या : 3

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख		
	14/08/2014	25/09/2014	26/03/2015
श्री पी. जे. जोसफ (अध्यक्ष)	-	-	उपस्थित
श्री ए. वी. गिरिजा कुमार (पूर्व अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	-
श्री अरुण कौल	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित
श्री राजेश अग्रवाल	-	-	अनुपस्थित
श्री के. पी. ब्रह्म	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री विभूति भूषण मिश्रा	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री एम. वसंत कृष्णा	-	-	उपस्थित

7. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सी एस आर)
बैठकों की संख्या : 4

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख			
	14/08/2014	25/09/2014	13/02/2015	26/03/2015
श्री पी. जे. जोसफ (अध्यक्ष)	-	-	-	उपस्थित
श्री ए. वी. गिरिजा कुमार (पूर्व अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	-	-
श्री अरुण कौल	-	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री अनुराग जैन	अनुपस्थित	उपस्थित	-	-
श्री राजेश अग्रवाल	-	-	अनुपस्थित	अनुपस्थित
श्री एम. वसंत कृष्णा	-	-	उपस्थित	उपस्थित
श्री विभूति भूषण मिश्रा	-	उपस्थित	भारत से बाहर	उपस्थित
श्री अमिताभ कोठारी	उपस्थित	-	-	-

8. सूचना तकनीक समिति
बैठकों की संख्या : 1

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख 17/12/2014
श्री ए. वी. गिरिजा कुमार	उपस्थित
श्री अरुण कौल	उपस्थित
श्री के. पी. ब्रह्म	उपस्थित

9. सम्पत्ति एवं पारिश्रमिक समीक्षा समिति की वर्ष 2014-15 में बैठक आयोजित नहीं हो पाई।

6. **HR COMMITTEE**
No. of meetings held: 3

Name of the Members	Date of Meeting		
	14/08/2014	25/09/2014	26/03/2015
Shri P.J. Joseph (Chairman)	-	-	Present
Shri A.V. Girija Kumar (ex-Chairman)	Present	Present	-
Shri Arun Kaul	Present	Absent	Present
Shri Rajesh Aggarwal	-	-	Absent
Shri K.P. Brahma	Present	Present	Present
Shri Bibhuti Bhusan Mishra	Present	Present	Present
Shri M. Vasantha Krishna	-	-	Present

7. **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE**
No. of meetings held: 4

Name of the Members	Date of Meeting			
	14/08/2014	25/09/2014	13/02/2015	26/03/2015
Shri P. J. Joseph (Chairman)	-	-	-	Present
Shri A.V. Girija Kumar (ex-Chairman)	Present	Present	-	-
Shri Arun Kaul	-	Absent	Present	Present
Shri Anurag Jain	Absent	Present	-	-
Shri Rajesh Aggarwal	-	-	Absent	Absent
Shri M.Vasantha Krishna	-	-	Present	Present
Shri Bibhuti Bhusan Mishra	-	Present	Out of India	Present
Shri Amitav Kothari	Present	-	-	-

8. **IT COMMITTEE**
No. of meeting held: 1

Name of the Members	Date of Meeting 17/12/2014
Shri A.V. Girija Kumar	Present
Shri Arun Kaul	Present
Shri K.P. Brahma	Present

9. **No meeting of Remuneration Committee & Property Review Committee was held during the year 2014-15.**

परिशिष्ट-D
सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **कंपनी की सीएआर नीति की संक्षिप्त रूप रेखा, जिसमें शुरू करने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों/ परियोजनाओं का ब्यौरा और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वैब–लिंक का संदर्भ शामिल हो।**

अपने आप को कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार करने के लिए, कम्पनी ने सी एस आर कार्य प्रारंभ किये हैं एवं वर्ष 2014-15 इन कार्यों के लिए प्रथम वर्ष रहा। इन कार्यकलापों से सम्बंधित प्राजेक्टों एवं कार्यक्रमों की देख रेख आंतरिक सी एस आर कमेटी करती है एवं वह अपनी रिपोर्ट/सुझाव सी एम डी महोदय के सामने रखती ह। सी एम डी महोदय से सहमती मिलने के पश्चात् यह प्रस्ताव कम्पनी के बोर्ड की सी एस आर उप समिति के समक्ष पेश किये जाते हैं जोकि अपनी सहमति के साथ इसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करती है। कम्पनी की सी एस आर पॉलिसी को कम्पनी की वेबसाईट (www.nationalinsuranceindia.com) पर प्रदर्शित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान किये गए कार्यक्रमों एवं परियोजनायों का अवलोकन :

क. **भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO):**

ALIMCO, भारत सरकार का एक उपक्रम, जोकि एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में कम्पनी अधिनियम 2013 में धारा 8 में पंजीकृत है तथा मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त है। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के विकलांगता विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। ALIMCO बहुत बड़ी मात्रा में शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों के लिए सहायक यंत्रों का निर्माण करती है एवं इनको पूर्ण भारत में वितरण करती है।

समाज के अत्यधिक पिछड़े वर्ग तक पहुँचने के लिए ALIMCO कॉर्पोरेटों को अपने कार्पोरेट सोशल दायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करवाता ह।

ख. **वनबंधु परिषद :**

पश्र्चिम बंगाल/झारखंड/ओड़िसा/बिहार के जन जाति इलाकों में एकल अध्यापक स्कूलों की सहायता। वर्ष 1989 में पश्र्चिम बंगाल सोसायटी एक्ट के अंतर्गत स्थापित, जन जाति समाज के मित्र, एक गैर सरकारी संस्था है जोकि बच्चों को प्रारंभिक विद्या प्रदान करवा के जन जाति एवं ग्रामीण इलाकों के उत्थान का कार्य कर रही है। हमारी कम्पनी जन जाति मित्र द्वारा पश्र्चिम बंगाल/झारखंड/ओड़िसा/बिहार में संचालित 250 एकल विद्यालय एकल अधायपक स्कूलों को प्रायोजित कर रही ह।

ग. **स्वच्छ भारत कोष :**

स्वच्छ राष्ट्र की स्थापना की ओर कदम बढाने के लिए स्वच्छ भारत कोष में योगदान डाला गया है।

2. **सी एस आर समिति की संरचना**

वर्तमान सी एस आर समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :

1. श्री राजेश अग्रवाल,भा.प्र.से. (अध्यक्ष)
2. श्री एम.वसंत कृष्णा
3. श्री अरुण कौल
4. श्री बी.बी.मिश्रा

3. **विगत तीन वित्तीय वर्षों में कम्पनी का औसत लाभ :**

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत शुद्ध लाभ :

- वित्तीय वर्ष 2013-14 : ₹795.09 करोड़
- वित्तीय वर्ष 2012-13 : ₹ 640.86 करोड़
- वित्तीय वर्ष 2011-12 : ₹ 326.87 करोड़

तीन वित्तीय वर्षो का कुल शुद्ध लाभ : ₹1762.82 करोड़
औसत शुद्ध लाभ : ₹587.61 करोड़

ANNEXURE - D TO DIRECTORS' REPORT

ANNUAL REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) ACTIVITIES

1. **A brief outline of the company's CSR Policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programs.**

   To align itself with the requirement under Companies Act, 2013, the Company has initiated CSR activities and the financial year 2014-15 is the first year of CSR implementation. Projects or programs relating to CSR activities are examined by the Internal CSR Committee which submits their report/recommendation to the CMD. After obtaining approval of CMD, the proposals are placed before the CSR sub-committee of the Board for their onward recommendation to the Board for their approval. CSR Policy of the Company is displayed on the website of the Company at www.nationalinsuranceindia.com.

   Overview of Projects or Programs undertaken during the financial year 2014-15:

   a. **Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO):**

      ALIMCO, a Government of India Undertaking, is a non-profit organization registered under Section 8 of the Companies Act, 2013, having 'Mini Ratna' status, and is under the Department of Disability Affairs, Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India. ALIMCO is engaged in manufacturing of a wide range of assistive devices for Orthopedically, Visually, Hearing & Intellectual Impaired including their distribution across the country.

      To reach out to the most deprived sections of society, ALIMCO helps corporates to provide aid and appliances to Persons with Disabilities (PwDs) under their Corporate Social Responsibility Projects.

   b. **Friends of Tribals Society:**

      Established in the year 1989 under the West Bengal Societies Registration Act of 1961, Friends of Tribals Society (FTS) is a non-government organization dedicated to the cause of upliftment of the tribal and rural areas by providing primary education to the children.

      Our Company has sponsored 250 number of 'Ekal Vidyalaya - One Teacher School' run by Friends of Tribals Society in the states of West Bengal, Odisha, Jharkhand and Bihar.

   c. **Swachh Bharat Kosh:**

      Contributed to 'Swachh Bharat Kosh' in order to support national endeavour for improving cleanliness.

2. **The Composition of the CSR Committee.**

   Presently, the CSR Committee is composed of the following Members:

   1. Shri Rajesh Aggarwal, IAS (Chairman)
   2. Shri M. Vasantha Krishna
   3. Shri Arun Kaul
   4. Shri B.B. Mishra

3. **Average net profit of the Company for last three financial years:**

   Net Profit under Section 135 of the Companies Act, 2013

   - Financial Year 2013-14 : ₹795.09 crore
   - Financial Year 2012-13 : ₹640.86 crore
   - Financial Year 2011-12 : ₹326.87 crore

Total Net Profit for three financial years: ₹1762.82 crore

Average Net Profit: ₹587.61 crore

4. **विहित सीएसआर व्यय में (ऊपर मद 3 में दी राशि का दो प्रतिशत राशि):**
औसत शुद्ध लाभ का 2%: ₹11.75 करोड़ (₹12 करोड़).

5. **वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सीएसआर व्यय के ब्यौरे :**
(क) कुल व्यय की जाने वाली राशि: ₹12 करोड़
(ख) व्यय न की गई राशि, अगर कोई हो: ₹7,82,50,000/-
(ग) वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार हैं:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. स.	अभिज्ञात सीएसआर परियोजना/कार्यकलाप	वह सेकटर जिसमें परियोजना कवर की गई है	परियोजनाएं कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) (उस जिले/राज्य का नाम जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम चलाया गया)	परिव्यय रकम (बजट) परियोजना/ कार्यक्रम)	परियोजना/कार्यक्रम पर खर्च की गई रकम उप:शीर्ष : (1) परियोजनाओं अथबा कार्यक्रमों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिब्यय	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	बर्ष की गई रकम: प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयनकारी अभिकरण के माध्यम से
1.	स्वच्छ भारत कोष	साफसफाई	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	₹3.80 करोड़	₹3.80 करोड़	-	कोष में सीधे दान
2.	विभिन्न विकलांगता वाले लोगों को सहायक यंत्र उपलब्ध करना	सेहत संभाल, निवारक सेहत संभाल सहित	पश्चिम बंगाल, ओडिशा एवं झारखण्ड के राज्य	₹2.50 करोड़	₹25 लाख	-	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
3.	जनजाति एवं ग्रामीण बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करवाना	शिक्षा द्वारा उत्थान	पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखण्ड एवं बिहार के राज्य	₹50 लाख	₹12.50 लाख	-	वनबंधु परिषद
	कुल			₹680 लाख	₹417.50 लाख	-	-

6. **विगत तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% व्यय न करने के कारण :**

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुरूप कार्य करने के लिए कम्पनी के बोर्ड की सी एस आर उप समिति का गठन किया गया एवं कम्पनी की सी एस आर पॉलिसी बनाई गई, हालांकि प्रथम वर्ष होने के कारण सी एस आर प्रोजेक्टों/कार्यक्रमों को अंतिम स्वरूप देने एवं उनके क्रियान्वयन में समय तो चाहिए ही है।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए, जम्मू एवं काश्मीर में आई आपदा के लिए मंजूर किये गए ₹5 करोड़ खर्च नहीं किये जा सके क्योंकि प्रधानमंत्री राहत कोष में निजी अथवा संस्थागत दान स्वीकार तो किये जाते हैं परन्तु भारत सरकार के उपक्रमों की बैलेंश शीट में प्रावधान के अनुसार स्वीकार नहीं किये जाते।

7. **सीएसआर समिति का एक उत्तरदायित्व परक-कथन सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के अनुपालन में है।**

हम घोषणा करते हैं कि सीएसआर नीति का कार्यन्वयन एवं निगरानी कम्पनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के अनुपालन में किया जा रहा है।

(राजेश अग्रवाल, भा.प्र.से.)
अध्यक्ष-सीएसआर समिति

(एम.वसंत कृष्णा)
पूर्णकालिक निदेशक

कोलकाता, 6 जून, 2015

4. **Prescribed CSR Expenditure (two percent of the amount as in item 3 above):**
   2% of the Average Net Profit: ₹11.75 crore (₹12 crore rounded off).
5. **Details of CSR spent during the financial year 2014-15 :**
   (a) Total amount to be spent for the financial year: ₹12 crore
   (b) Amount unspent, if any: ₹7,82,50,000/-
   (c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the State and district where projects or programs was undertaken	Amount outlay (budget) project or programs wise	Amount spent on the projects or programs Sub-heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2)Overheads	Cumulative expenditure upto to the reporting period	Amount spent Direct or through implementing agency
1.	Swachh Bharat Kosh	Sanitation	Ministry of Finance, Govt. of India	₹3.80 crore	₹3.80 crore	-	Direct contribution to Kosh.
2.	Providing Aid & Appliances to the differently able persons	Promoting health care including preventive health care	States of West Bengal, Odisha and Jharkhand	₹2.50 crore	₹25 lacs	-	Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO)
3.	Primary Education to the tribal & rural children	Promoting education	States of West Bengal, Odisha, Jharkhand & Bihar	₹50 lacs	₹12.50 lacs	-	Friends of Tribals Society
	Total			₹680 lacs	₹417.50 lacs	-	-

6. **Reasons for not spending 2% of the averaget profit of the last three financial years:**
   To align itself with the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 and the Rules made there under, the CSR sub-Committee of the Board was constituted and CSR Policy of the Company was put in place. Further, being the first year of implementation, finalization of CSR projects/programmes took some time before execution of the CSR activities.

   Further, the sanctioned amount of ₹5 crore to the Prime Minister's National Relief Fund ('PMNRF') towards the relief works in the flood affected areas in the State of Jammu & Kashmir could not be contributed to PMNRF as it accepts only voluntary donations by individuals and institutions and not from the budgetary sources of government or from the balance sheets of the Public Sector Undertakings.
7. **A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the company.**

We hereby declare that implementation and monitoring of the CSR Policy is in compliance with CSR objectives and policy of the Company.

(Rajesh Aggarwal, IAS)
Chairman - CSR Committee

(M. Vasantha Krishna)
Whole-time Director

Kolkata, 6th June 2015

परिशिष्ट - E

फार्म संख्या. MR-3

सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट

31मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कम्पनी अधिनियम 2013 के खंड 204(1) एवं नियम संख्या 9 के प्रावधानों के अनुसार (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014]

सदस्य,
नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड,

हमने नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (इसको अब कम्पनी लिखा जाएगा) का लागू प्रावधानों की जांच के लिए सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट जिस तरह से किया गया उससे हमें कार्पोरेट व्यवहार एवं प्रावधानों के उपर अपने विचार पेश करने का अवसर प्राप्त हुआ।

कम्पनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, दस्तावेजों, प्रस्ताव पुस्तकों, फार्मों एवं जमा की गई रिटर्नों एवं अन्य रिकार्डों के आधार पर एवं कम्पनी, इसके अधिकारीयों एजेंटों, जोकि सचिवीय ऑडिट के समय उपस्थित थे, द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, हम यह रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कम्पनी द्वारा बोर्ड के प्रावधानों एवं अन्य प्रावधानों का पूर्णरूपें से पालन किया गया। इसके अनुसार रिपोर्ट निम्नानुसार है।

हमने पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत पुस्तकों, फार्मों एवं जमा की गई रिटर्नों एवं अन्य रिकार्ड जोकि कम्पनी द्वारा 31 मार्च,2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, निम्न के प्रावधानों के अनुपालन के लिए प्रस्तुत किये थे, की जांच की।

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं इसके पश्र्चात् इसके नियम

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 ('SCRA') एवं इसके पश्चात् इसके नियम ;

(iii) डिपाजिटरीज अधिनियम,1996 एवं इसके अंतर्गत बने नियम,उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा विनयमन अधिनियम, 1999 एवं इसके नियम,उपनियमों के अनुसार, विदेशी सीधे निवेश, एवं बाहरी व्यापारिक ऋण,

(V) निम्नानुसार सेबी द्वारा लागू प्रावधान कम्पनी के ऊपर लागू नहीं होते क्योंकि कम्पनी सूचीबद्द नहीं है।

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों एवं अधिग्रहण के पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम , 1992 ;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी एवं प्रकटीकरण आवश्र्यकतायों की समस्या) विनियम, 2009;

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना एवं कर्मचारी स्टाक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999;

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्द एवं जारी करना) विनियम 2008;

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड विनियम, 1993 कम्पनी अधिनियम के अनुसार;

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयर की डी लिस्टिंग)विनियम, 2009; तथा

(झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुन: खरीद) विनियम, 1998;

ANNEXURE - E

FORM NO. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT

For the Financial Year Ended on 31st March, 2015

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To
The Members
National Insurance Company Limited

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by National Insurance Company Limited (hereinafter called "the Company"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2015 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by National Insurance Company Limited for the financial year ended on 31st March, 2015 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made thereunder;
(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder, to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') is not applicable, as the company is unlisted:
    (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
    (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;
    (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
    (d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999;
    (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
    (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
    (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; and
    (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;

(vi) बीमा अधिनियम, 1938,
(vii) इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवेलपमेंट ऑथारिटी अधिनियम 1999,
(viii) इंडस्ट्रियल विवाद (बैंकिंग एवं बीमा) अधिनियम 1972,
(ix) मैरीन बीमा अधिनियम, 1963,
(x) कार्मिक भविष्य निधि फंड एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
(xi) आयकर अधिनियम, 1961 एवं अप्रत्यक्ष कर कानून।

हमने निम्न के लागू प्रावधानों की धाराओं की भी जांच की:

(i) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों।
(ii) लिस्टिंग एग्रीमेंट के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते क्योंकि कम्पनी सूचीबद्द नहीं है, एवं न ही किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ किसी करार में बंधी है।

विचारणीय समय के अन्दर कम्पनी ने अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, दिशानिर्देशों, उपनियमों, मानकों का पालन किया है। यह निम्नलिखित टिप्पणियों के अतिरिक्त अनुसार वर्णित है।

1. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के प्रावधानों के अनुरूप एक महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।
2. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के अनुरूप नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है।

हालाँकि यह समझा गया है कि कम्पनी भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है एवं निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर तय होते हैं। इसलिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का सरकारी कम्पनी में किसी प्रकार का प्रभावी कार्य नहीं रहेगा।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

कम्पनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यपालक विदेशक, गैरकार्यपालक निदेशक एवं स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन से किया गया है। विचारणीय समय के अन्दर अगर कोई बदलाव किया भी गया है तो वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही किया गया है। सभी निदेशकों को किसी भी बैठक से पहले समुचित नोटिस दिया जाता है। एजेंडा एवं एजेंडा के उपर विस्तारपूर्वक नोट बैठक से कम से कम सात दिन अग्रिम में भेजे जाते हैं। एक प्रणाली बनाई गई है जो बैठक से पहले तक एजेंडा के बारे में और अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण लेने के लिए कार्य करती है ताकि बैठक की कार्यवाई सार्थक हो सके।

बहुमत का निर्णय मान्य होता है जबकि असहमत सदस्यों के विचार नोट कर लिए जाते हैं एवं कार्यवृत में रिकार्ड किये जाते हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी के आकार एवं प्रचालन के अनुरूप मौजूद है जो लागू कानूनों, नियमों विनियमों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती ह।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि ऑडिट के समय के दौरान कोई भी विनिर्दिष्ट कार्य नहीं घटा है न ही कम्पनी द्वारा ऐसा कोई बड़ा निर्णय लिया गया है जिससे कम्पनी द्वारा उपरोक्त लिखित लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों,दिशानिर्देशों के अनुपालन में कोई अंतर आया हो।

एच एम चोरारिया एन्ड कम्पनी
प्रेकटिसिंग कम्पनी सचिव

(एच एम चोरारिया)
प्रोपाइटर
एफसीएस सं. 2398, सीपी सं.:1499

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 19/06/2015

(vi) Insurance Act, 1938,
(vii) Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999,
(viii) Industrial Disputes (Banking and Insurance) Act, 1972,
(ix) Marine Insurance Act, 1963,
(x) The Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952
(xi) Income Tax Act, 1961 and Indirect Tax Laws.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

(ii) The provisions of the Listing Agreements are not applicable to the company, as the company is unlisted and, therefore, have not entered into any agreement with any Stock Exchange.

During the period under review, the company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations:

1. The company has not appointed a woman director pursuant to the provisions of Section 149(1) of the Companies Act, 2013.
2. The company has not constituted the 'Nomination and Remuneration Committee' pursuant to the provisions of Section 178 of the Companies Act 2013.

However, it is understood that the company is a Wholly-owned Government of India Undertaking and the appointment and remuneration of the directors is decided at the level of Ministry of Finance, Government of India. Therefore, Nomination and Remuneration Committee may not have any purposeful role to play in a Government Company.

We further report that:

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period no specific event has happened and no action has been taken by the Company having a major bearing on the company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc. referred to above.

H M Choraria & Co
Practicing Company Secretaries

(H M Choraria)
Proprietor
FCS No. 2398, C P No.:1499

Place : Kolkata
Date : 19/06/2015

परिशिष्ट - F

पर्सनल लाइन बीमा संबंधी निष्पादन का विवरण

जनता व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	153210	700787	79853	2908	2732	388919	249.75
2011-12	121184	665993	137535	2858	2100	265132	150.00
2012-13	121893	1159524	137776	687	1707	287946	148.15
2013-14	78702	215602	621037	1128	2209	373512	60.14
2014-15	68936	223218	52107	2053	1371	220449	420.84

ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	7242	49368	462	31	26	258	63.34
2011-12	12607	43331	429	25	22	288	63.79
2012-13	11688	43570	428	29	27	280	63.53
2013-14	1698	1698	482	28	32	160	33.19
2014-15	4246	4218	325	24	18	210	82.99

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	5963	1084565	30228	468	325	18834	68.16
2011-12	5275	723950	21717	495	320	17589	84.54
2012-13	4736	-	23457	425	260	14270	72.61
2013-14	4015	220825	22548	205	196	8446	37.63
2014-15	3324	-	26522	421	387	19803	63.93

ANNEXURE - F

DETAILS OF PERFORMANCE OF SOME OF THE PERSONAL LINES INSURANCE

JANATA PERSONAL ACCIDENT POLICY :

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	153210	700787	79853	2908	2732	388919	249.75
2011-12	121184	665993	137535	2858	2100	265132	150.00
2012-13	121893	1159524	137776	687	1707	287946	148.15
2013-14	78702	215602	621037	1128	2209	373512	60.14
2014-15	68936	223218	52107	2053	1371	220449	420.84

GRAMIN PERSONAL ACCIDENT POLICY :

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	7242	49368	462	31	26	258	63.34
2011-12	12607	43331	429	25	22	288	63.79
2012-13	11688	43570	428	29	27	280	63.53
2013-14	1698	1698	482	28	32	160	33.19
2014-15	4246	4218	325	24	18	210	82.99

PERSONAL ACCIDENT INSURANCE FOR KISSAN CREDIT CARD HOLDERS :

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	5963	1084565	30228	468	325	18834	68.16
2011-12	5275	723950	21717	495	320	17589	84.54
2012-13	4736	-	23457	425	260	14270	72.61
2013-14	4015	220825	22548	205	196	8446	37.63
2014-15	3324	-	26522	421	387	19803	63.93

राजराजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना : (₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	3853	3905	113	-	-	-	-
2011-12	1413	1439	29	1	1	25	86.00
2012-13	551	592	45	1	1	25	55.30
2013-14	57	427	28	nil	nil	nil	nil
2014-15	109	128	16	nil	nil	nil	nil

भाग्यश्री शिशु कल्याण बीमा योजना : (₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	555	740	1123	3	1	17	46.80
2011-12	139	129	120	-	-	-	-
2012-13	99	109	199.70	13	11	527.20	827.00
2013-14	83	83	10.44	nil	nil	nil	nil
2014-15	69	69	3.00	1	nil	nil	-

जन आरोग्य बीमा पालिसी : (₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	4389	6079	1110	363	339	14519	1203.63
2011-12	3646	5355	925	313	265	1083	123.41
2012-13	2142	3069	695	185	169	679	96.94
2013-14	1882	2801	690	148	150	660	95.65
2014-15	729	937	262	111	101	495	185.16

सार्वभौम स्वास्थ्य बीमा : (₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	91511	302305	211173	16327	11161	173402	89.38
2011-12	62642	213914	194270	17194	12205	206402	111.17
2012-13	140900	829354	75601	11465	10557	47932	63.40
2013-14	31583	100461	39813	11307	7602	69328	174.41
2014-15	29103	93134	40391	8622	8850	52939	128.00

RAJRAJESHWARI MAHILA KALYAN BIMA YOJANA : **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	3853	3905	113	-	-	-	-
2011-12	1413	1439	29	1	1	25	86.00
2012-13	551	592	45	1	1	25	55.30
2013-14	57	427	28	nil	nil	nil	nil
2014-15	109	128	16	nil	nil	nil	nil

BHAGYASHREE CHILD WELFARE BIMA YOJANA : **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	555	740	1123	3	1	17	46.80
2011-12	139	129	120	-	-	-	-
2012-13	99	109	199.70	13	11	527.20	827.00
2013-14	83	83	10.44	nil	nil	nil	nil
2014-15	69	69	3.00	1	nil	nil	-

JAN AROGYA BIMA POLICY : **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	4389	6079	1110	363	339	14519	1203.63
2011-12	3646	5355	925	313	265	1083	123.41
2012-13	2142	3069	695	185	169	679	96.94
2013-14	1882	2801	690	148	150	660	95.65
2014-15	729	937	262	111	101	495	185.16

UNIVERSAL HEALTH INSURANCE SCHEME : **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	91511	302305	211173	16327	11161	173402	89.38
2011-12	62642	213914	194270	17194	12205	206402	111.17
2012-13	140900	829354	75601	11465	10557	47932	63.40
2013-14	31583	100461	39813	11307	7602	69328	174.41
2014-15	29103	93134	40391	8622	8850	52939	128.00

नेशनल मेडिक्लेम बीमा :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	943883	8534286	13089487	278031	244420	11911433	91.00
2011-12	1015372	10837079	16621403	296220	258487	15552633	93.72
2012-13	1543167	13821033	21281504	371206	328588	20736804	99.40
2013-14	1377311	15359900	24676782	374713	336199	23266388	94.20
2014-15	1094804	2750745	9201430	239798	240950	7728178	84.00

नेशनल मेडिक्लेम प्लस बीमा :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2014-15	2824	5420	87832	809	773	7440	13.00

विद्यार्थी मेडिक्लेम पॉलिसी :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	3396	6107	23550	1377	490	11762	53.46
2011-12	4060	6454	25280	1403	447	10024	60.98
2012-13	3844	7741	23882	1677	727	14859	46.24
2013-14	4041	6699	30304	1557	510	13117	43.00
2014-15	4180	7946	34790	1820	1846	15430	45.00

परिवार मेडिक्लेम पॉलिसी :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	115070	353990	810625	25620	16570	527437	66.39
2011-12	142836	440917	1040997	32931	21872	725367	75.48
2012-13	199175	617858	1225758	42722	31897	1009084	80.85
2013-14	209795	654982	1410832	47185	35610	1319786	93.50
2014-15	207644	655256	1676920	57893	56736	1540105	92.00

NATIONAL MEDICLAIM POLICY :

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	943883	8534286	13089487	278031	244420	11911433	91.00
2011-12	1015372	10837079	16621403	296220	258487	15552633	93.72
2012-13	1543167	13821033	21281504	371206	328588	20736804	99.40
2013-14	1377311	15359900	24676782	374713	336199	23266388	94.20
2014-15	1094804	2750745	9201430	239798	240950	7728178	84.00

NATIONAL MEDICLAIM PLUS POLICY :

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2014-15	2824	5420	87832	809	773	7440	13.00

VIDYARTHI MEDICLAIM POLICY :

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	3396	6107	23550	1377	490	11762	53.46
2011-12	4060	6454	25280	1403	447	10024	60.98
2012-13	3844	7741	23882	1677	727	14859	46.24
2013-14	4041	6699	30304	1557	510	13117	43.00
2014-15	4180	7946	34790	1820	1846	15430	45.00

PARIVAR MEDICLAIM POLICY

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	115070	353990	810625	25620	16570	527437	66.39
2011-12	142836	440917	1040997	32931	21872	725367	75.48
2012-13	199175	617858	1225758	42722	31897	1009084	80.85
2013-14	209795	654982	1410832	47185	35610	1319786	93.50
2014-15	207644	655256	1676920	57893	56736	1540105	92.00

वरिष्ठ मेडिक्लेम पॉलिसी : **(₹ हजार में)**

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	21359	25483	176134	8428	3599	100233	59.62
2011-12	26254	31382	217311	10075	4871	142359	65.22
2012-13	38046	45380	238347	12638	6994	171891	74.81
2013-14	31263	37352	257641	12579	6964	214474	83.20
2014-15	31330	37877	266596	15231	15243	257861	96.00

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी : **(₹ हजार में)**

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	33	14111136	805357	135632	104017	580892	72.12
2011-12	38	15496416	944100	242149	208220	1277900	54.76
2012-13	65	11752608	2187144	149122	132534	1307774	61.79
2013-14	97	28600000	1799577	2023	1823	1713052	83.06
2014-15	107	3016607	1750092	236116	167071	2226003	114.00

पशु बीमा पालिसी : **(₹ हजार में)**

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	157965	488948	462695	19327	16243	287651	65.09
2011-12	124522	397690	548755	17878	14760	313409	59.00
2012-13	148828	401566	616762	27188	18393	346182	54.99
2013-14	100879	405440	580475	14742	12617	387855	66.81
2014-15	78793	317433	498622	15877	14539	430486	81.79

ग्रामीण बीमा व्यवसाय: **(₹ हजार में)**

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	472933	2905214	782510	41078	33540	965213	99.83
2011-12	403473	3358273	904540	35811	28726	856670	88.48
2012-13	2164252	5381431	13194744	402175	335363	11620111	89.01
2013-14	778381	3897200	604016	72489	66388	582407	96.42
2014-15	54508	603088	133908	5502	5083	204078	106.17

VARISTHA MEDICLAIM POLICY : **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	21359	25483	176134	8428	3599	100233	59.62
2011-12	26254	31382	217311	10075	4871	142359	65.22
2012-13	38046	45380	238347	12638	6994	171891	74.81
2013-14	31263	37352	257641	12579	6964	214474	83.20
2014-15	31330	37877	266596	15231	15243	257861	96.00

RASHTRIYA SWASTHYA BIMA POLICY : **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	33	14111136	805357	135632	104017	580892	72.12
2011-12	38	15496416	944100	242149	208220	1277900	54.76
2012-13	65	11752608	2187144	149122	132534	1307774	61.79
2013-14	97	28600000	1799577	2023	1823	1713052	83.06
2014-15	107	3016607	1750092	236116	167071	2226003	114.00

CATTLE INSURANCE POLICY: **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of lives covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	157965	488948	462695	19327	16243	287651	65.09
2011-12	124522	397690	548755	17878	14760	313409	59.00
2012-13	148828	401566	616762	27188	18393	346182	54.99
2013-14	100879	405440	580475	14742	12617	387855	66.81
2014-15	78793	317433	498622	15877	14539	430486	81.79

RURAL INSURANCE : **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	472933	2905214	782510	41078	33540	965213	99.83
2011-12	403473	3358273	904540	35811	28726	856670	88.48
2012-13	2164252	5381431	13194744	402175	335363	11620111	89.01
2013-14	778381	3897200	604016	72489	66388	582407	96.42
2014-15	54508	603088	133908	5502	5083	204078	106.17

माईक्रो बीमा पालिसी :

(अ) ग्रामीण सुस्वास्थ्य माईक्रो बीमा पालिसी **(₹ हजार में)**

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	16100	46368	9362	3929	2883	16056	171.42
2011-12	14027	42536	9983	3801	2812	21130	214.94
2012-13	38129	152508	18302	3487	3403	20689	113.04
2013-14	19944	79776	9453	3698	2891	20127	212.91
2014-15	664	1510	8797	1064	776	8883	83.50

(ब) ग्रामीण सुरक्षा माईक्रो बीमा पालिसी : **(₹ हजार में)**

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	3979	10913	24189	4619	3157	9997	51.25
2011-12	1640	4243	7268	2064	1404	8450	83.92
2012-13	126075	378216	18407	1023	979	8203	44.56
2013-14	67900	203703	9914	2640	839	11117	112.14
2014-15	6917	21920	9795	2485	1484	16524	165.66

MICRO INSURANCE POLICIES :

(a) Gramin Suswasthya Micro Insurance Policy **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	16100	46368	9362	3929	2883	16056	171.42
2011-12	14027	42536	9983	3801	2812	21130	214.94
2012-13	38129	152508	18302	3487	3403	20689	113.04
2013-14	19944	79776	9453	3698	2891	20127	212.91
2014-15	664	1510	8797	1064	776	8883	83.50

(b) Gramin Suraksha Micro Insurance Policy : **(₹ in thousand)**

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	3979	10913	24189	4619	3157	9997	51.25
2011-12	1640	4243	7268	2064	1404	8450	83.92
2012-13	126075	378216	18407	1023	979	8203	44.56
2013-14	67900	203703	9914	2640	839	11117	112.14
2014-15	6917	21920	9795	2485	1484	16524	165.66

परिशिष्ट - G

फार्म संख्या MGT-9

वार्षिक विवरणी का निष्कर्ष

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर

[कम्पनी अधिनियम 2013 के खंड 92(3) एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासकीय) नियम 2014 के नियम 12(1)]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

i)	सी आई एन	U10200WB1906GOI001713
ii)	पंजीकरण तिथि	5 दिसम्बर, 1906
iii)	कम्पनी का नाम	नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
iv)	कम्पनी की श्रेणी / उप श्रेणी	सरकारी कम्पनी
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण टेलिफेक्स : वेबसाइट :	3, मिडल्टन स्ट्रीट, कोलकाता - 700 071 (033) 22831717 www.nationalinsuranceindia.com
vi)	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है ?	नहीं
vii)	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एर्जेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण	लागू नहीं

II. कम्पनी की प्रमुख व्यावसायिक कार्यविधियाँ :

उन सभी व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण दिया जाना है जिनका कुल व्यवसाय में 10% अथवा अधिक योगदान हो :

कर्म सं.	मुख्य उत्पादों / सेवायों के नाम एवं विवरण	उत्पाद / सेवायों का एन आई सी कोड	कम्पनी के कुल कारोबार का %
1	गर जीवन बीमा	6512	100%

III. होल्डिंग, सहायक एवं सहयोगी कम्पनियों का विवरण :

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम व पता	सी आई एन / जी एल एन	होल्डिंग / सहायक / सहयोगी	शेयर का %	लागू सेक्शन
1	हेल्थ इंश्योरेंस टी पी ए आफ इंडिया लिमिटेड तृतीय तल, ए-उइंग, आईएफसीआई टबर, 61, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110 019	U85100DL2013PLC256581	सहायक	23.75%	2(6)
2	इण्डिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राईवेट लिमिटेड 64, सिसिल स्ट्रीट, आईओवी व्लिडिंग, #04/#05, सिंगापुर -049711	लागू नहीं	सहायक	20%	2(6)

ANNEXURE -G

FORM NO. MGT-9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN
as on the financial year ended on 31st March 2015

[Pursuant to Section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Managementand Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i)	CIN	U10200WB1906GOI001713
ii)	Registration Date	5th December 1906
iii)	Name of the Company	National Insurance Company Limited
iv)	Category / Sub-Category of the Company	Government Company
v)	Address of the Registered Office and contact details Telefax : Website :	3, Middleton Street, Kolkata - 700 071. (033) 22831717 www.nationalinsuranceindia.com
vi)	Whether listed company	No
vii)	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any.	Not Applicable

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:

Sl.No.	Name and description of main products/ services	NIC Code of the Product/Services	% to total turnover of the company
1	Non-life Insurance	6512	100%

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sl.No.	Name and Address of the Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares held	Applicable Section
1	Health Insurance TPA of India Limited, 3rd Floor, A-Wing, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi-110 019.	U85100DL2013PLC256581	Associate	23.75%	2(6)
2	India International Insurance Pte. Ltd, 64, Cecil Street, IOB Building #04/#05, Singapore-049711.	Not Applicable	Associate	20%	2(6)

IV. शेयर होल्डिंग पैट्रन (कुल इक्विटी शेयर के प्रतिशत में इक्विटी शेयर पूँजी का ब्रेकअप)

i) शेयर होल्डिंग – श्रेणीवार

शेयरहोल्डर की श्रेणी	वर्ष के आरम्भ में शेयरों की संख्या				वर्षांत में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % में तबदोली
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रोमोटर (1) भारतीय a) व्यक्तिगत/HUF b) केंद्र सरकार c) राज्य सरकार/रें d) बोडीज/कार्पो. e) बैंक/वि. संस्था f) अन्य कोई... **उप कुल (क) (1):-** (2) विदेशी a) एनआरआ का व्यक्तिगत b) अन्य व्यक्तिगत c) बोडीज/कार्पो. d) बैंक/वि. संस्था e) अन्य कोई... **उप कुल (क) (2):-**		10 करोड़	10 करोड़	100%	-	10 करोड़	10 करोड़	100%	-
कुल कुल प्रोमोटरों की हिस्सेदारी (क) = (क)(1)+(क)(2)		10 करोड़	10 करोड़	100%	-	10 करोड़	10 करोड़	100%	-
ख. **सार्वजनिक शेयरधारिता** 1. संस्थान a) म्यूच्यूअल फंड b) बैंक/वि.स. c) कैद्र सरकार d) राज्य सरकार/रें e) व्यापार पूँजी फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)-

i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Share	
A. Promoters									
(1) Indian									
a) Individual/HUF									
b) Central Govt.		10 crore	10 crore	100%	-	10 crore	10 crore	100%	-
c) State Govt(s)									
d) Bodies Corp.									
e) Banks/FI									
f) Any Other....									
Sub-total (A) (1):-									
(2) Foreign									
a) NRIs - Individuals									
b) Other - Individuals									
c) Bodies Corp.									
d) Banks/FI									
e) Any Other....									
Sub-total (A) (2):-									
Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)		10 crore	10 crore	100%	-	10 crore	10 crore	100%	-
B. Public Shareholding	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Institutions									
a) Mutual Funds									
b) Banks/FI									
c) Central Govt.									
d) State Govt(s).									
e) Venture Capital Funds									

	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का %	
f) बीमा कम्पनियां g) वि.वि h) विदेशी उद्यम पूंजीगत फंड i) अन्य (उल्लेख करें)									
उप कुल (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर संस्थागत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) बोडीज कार्पो. i) भारतीय ii) विदेशी b) व्यक्तिगत i) व्यक्तिगत ₹1 लाख तक शेयर रखने वाले छोटे शेयर धारक ii) ₹1 लाख से अधिक शेयर रखने वाले छोटे शेयरधारक c) अन्य (उल्लेख) **उप-कुल (ख)(2):-**									
कुल पब्लिक शेयर होल्डिंग (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. कस्टोडियन द्वारा GDRs & ADRs के लिए रखे शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (क+ख+ग)	-	10 करोड़	10 करोड़	100%	-	10 करोड़	10 करोड़	100%	-

	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Share	
f) Insurance Companies									
g) FIIs									
h) Foreign Venture Capital Funds									
i) Others (specify)									
Sub-total (B)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Non-Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Bodies Corp.									
i) Indian									
ii) Overseas									
b) Individuals									
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto ₹1 lakh									
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹1 lakh									
c) Others (specify)									
Sub-total (B)(2):-									
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total (A+B+C)	-	10 crore	10 crore	100%	-	10 crore	10 crore	100%	-

(ii) प्रोमोटरों की हिस्सेदारी

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर			वर्षांत तक शेयर			
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों का % भारित / गिरवी	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों का % भारित / गिरवी	वर्ष में शेयर हिस्सेदारी में बदलाव %
1	भारत के राष्ट्रपति	10 करोड़	100%	-	10 करोड़	100%	-	-

(iii) प्रोमोटर शेयरधारकों में बदलाव (कृपया स्पष्ट करें अगर कोई बदलाव नहीं हो)

क्रमांक		वर्ष के प्रारंभ में शेयर		वर्ष के दौरान कुल शेयर भागीदारी	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	10 करोड़	100%	10 करोड़	100%
	दिनांक अनुसार प्रोमोटर शेयरधारकों के हिस्से में कमी / बढ़ोतरी, इसके कारण स्पष्ट रूप से उल्लिखित करते हुए (जैसेकि आबंटन / हस्तांतरण / लाभांश / स्वेट इक्विटी इत्यादि)	-	-	-	-
	वर्ष के अंत	10 करोड़	100%	10 करोड़	100%

नोट: शेयर धारिता में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(iv) सर्वोच्च 10 शेयरधारकों का शेयरहोल्डिंग पैटर्न (निदेशक, प्रोमोटर जी डी आर एवं ए डी आर रखने वालों के अतिरिक्त)

क्रमांक		वर्ष के प्रारंभ में शेयर		वर्ष के दौरान कुल शेयर भागीदारी	
	सर्वोच्च 10 शेयरधारको में से प्रत्येक	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-

(ii) Shareholding of Promoters

Sl. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Share holding at the end of the year			
		No. of Shares	% of total Shares of the company	%of shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of Shares	%of total Shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	% change in share holding the year
1	President of India	10 crore	100%	-	10 crore	100%	-	-

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	10 crore	100%	10 crore	100%
	Date wise Increase/Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc.)	-	-	-	-
	At the end of the year	10 crore	100%	10 crore	100%

Note : There is no change in the shareholding.

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs)

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	For Each of the Top 10 Shareholders	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	-	-	-	-

क्रमांक		वर्ष के प्रारंभ में शेयर		वर्ष के दौरान कुल शेयर भागीदारी	
	दिनांक अनुसार शेयरधारकों के हिस्से में/कमी बढ़ोतरी, इसके कारण स्पष्ट रूप से उल्लिखित करते हुए (जैसेकि आबंटन/हस्तांतरण/लाभांश स्वेट इक्विटी इत्यादि)	-	-	-	-
	वर्षांत तक हिस्सेदारी (अथवा अलग होने की तिथि को, अगर अलग हुए हों)	-	-	-	-

नोट : भारत सरकार के नामित शेयरधारक होने के कारण सभी निदेशकों/महाप्रबंधकों के पास 10 शेयर रहते हैं (प्रत्येक के पास 01)

(v) निर्देशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीयों कर्मियों की हिस्तेदारी:

क्रमांक		वर्ष के प्रारंभ में शेयर		वर्ष के दौरान कुल शेयर भागीदारी	
	प्रत्येक महाप्रबंधक एवं निदेशक	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-
	दिनांक अनुसार शेयरधारकों के हिस्से में कमी/बढ़ोतरी, इसके कारण स्पष्ट रूप से उल्लिखित करते हुए (जैसेकि आबंटन/हस्तान्तर/लाभांश/स्वेट इक्विटी इत्यादी)				
	वर्षांत तक	-	-	-	-

नोट : भारत सरकार के नामित शेयरधारक होने के कारण सभी निदेशकों/महाप्रबंधकों के पास 10 शेयर रहते है (प्रत्येक के पास 01)

V. ऋणग्रस्तता :
कम्पनी की ऋणग्रस्तता ब्याज सहित जोकि चाहे अभी देय न हो।

	जमानती ऋण जमा के अतिरिक्त	गैर–जमानती ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता i) मूल राशि ii) ब्याज देय, जो दिया नहीं गया	-	-	-	-

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	Date wise Increase/ Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/ bonus/sweat equity etc.)	-	---		
	At the end of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	-	---		

Note: Ten Equity Shares are held by Directors/General Managers (one share each) as nominee shareholders on behalf of Government of India.

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel :

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	For Each of the Directors and KMP	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Date wise Increase/ Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/ bonus/sweat equity etc.)	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-

Note: Ten Equity Shares are held by Directors/General Managers (one share each) as nominee shareholders on behalf of Government of India.

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid	Nil	Nil	Nil	Nil

	जमानती ऋण जमा के अतिरिक्त	गैर-जमानती ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
iii) ब्याज उपार्जित परन्तु देय नहीं				
कुल (i + ii + iii)	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में बदलाव ● जमा ● कमी	-	-	-	-
कुल बदलाव	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता i) मूल राशि ii) ब्याज देय, जो दिया नहीं गया iii) ब्याज उपार्जित परन्तु देय नहीं	-	-	-	-
कुल (i + ii + iii)	-	-	-	-

VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक एवं/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक :

क्रमा. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंध निदेशक का नाम			कुल राशि
		श्री ए. वी. गिरिजा कुमार (पुर्व पूर्णकालिक निदेशक 14.01.2015 तक) (₹)	श्री के. पी. ब्रह्म (पूर्णकालिक निदेशक) (₹)	श्री एम. वसंत कृष्णा (पूर्णकालिक निदेशक- 19.01.2015 से 31.03.2015 तक) (₹)	(₹)
1.	कुल वेतन	12,09,937.72	14,60,579.58	2,50,641.86	29,21,159.16
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन				
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के प्रावधानों के अनुसार अनुलाभ	92,862.01	1,36,211.76	22,701.96	2,51,775.73
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के प्रावधानों के अनुसार वेतन के एवज में लाभ	-	-	-	-
2.	पूँजी विकल्प	-	-	-	-

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
iii) Interest accrued but not due				
Total (i + ii + iii)	Nil	Nil	Nil	Nil
Change in Indebtedness during the financial year • Addition • Reduction	Nil	Nil	Nil	Nil
Net Change	Nil	Nil	Nil	Nil
Indebtedness at the end of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	Nil	Nil	Nil	Nil
Total (i + ii + iii)	Nil	Nil	Nil	Nil

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/Manager			Total Amount
		Shri A.V. Girija Kumar (ex-WTD upto 14.01.2015) (₹)	Shri K.P. Brahma (WTD) (₹)	Shri M. Vasantha Krishna (WTD- from 19.01.2015 to 31.03.2015) (₹)	(₹)
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income-tax Act, 1961.	12,09,937.72	14,60,579.58	2,50,641.86	29,21,159.16
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	92,862.01	1,36,211.76	22,701.96	2,51,775.73
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961.	-	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-	-

क्रमा. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंध निदेशक का नाम			कुल राशि
		श्री ए. वी. गिरिजा कुमार (₹)	श्री के. पी. ब्रह्म (₹)	श्री एम. वसंत कृष्णा (₹)	(₹)
3.	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-
4.	कमीशन - लाभ का % - अन्य, उल्लेख करें	-	-	-	-
5.	अन्य कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-
	कुल (क)	**13,02,799.73**	**15,96,791.34**	**2,73,343.82**	**31,72,934.89**
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा				

नोट : श्री पी. जे. जोसफ, सीएमडी (एआईसीएल) को नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के सीएमडी के रूप में 3 महीने (20/02/2015 से 19/05/2015 तक) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। वे उक्त अवधि के दौरान पारिश्रमिक केवल एआईसीएल से ही लिया।

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

क्रमा. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम			कुल राशि
		श्री अमिताभ कोठारी (₹)	श्री बी. बी. मिश्रा (₹)	श्री एम. एल. शर्मा (₹)	(₹)
	1. स्वतन्त्र निदेशक ● बोर्ड / समिति की बैठक में शामिल होने की फीस ● कमीशन ● अन्य, कृपया स्पष्ट करें	45,000/- - -	1,10,000/- - -	15,000/- - -	1,70,000/- - -
	कुल (1)	45,000/-	1,10,000/-	15,000/-	1,70,000/-
		श्री राजेश अग्रवाल (₹)	श्री अनुराग जैन (₹)	श्री अरुण कौल (₹)	(₹)
	2. अन्य गैर कार्यपालक निदेशक ● बोर्ड/समिति की बैठक में शामिल होने की फीस ● कमीशन ● अन्य, कृपया स्पष्ट करें	सरकार द्वारा मनोनीत एवं स्वतन्त्र निदेशक जो बैठक का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें सिटिंग फीस का भुगतान नहीं किया जाता है।			
	कुल (2)	-	-	-	-
	कुल (ख)=(1+2)				1,70,000/-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक				
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा				

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/Manager			Total Amount
		Shri A.V. Girija Kumar (₹)	Shri K.P. Brahma (₹)	Shri M. Vasantha Krishna (₹)	(₹)
3.	Sweat Equity	-	-	-	-
4.	Commission - as % of profit - others, specify ...	-	-	-	-
5.	Others, please specify	-	-	-	-
	Total (A)	**13,02,799.73**	**15,96,791.34**	**2,73,343.82**	**31,72,934.89**
	Ceiling as per the Act				

Note : Shri P. J. Joseph, CMD of AICL was assigned additional charge as CMD of National Insurance for a period of 3 months (from 20.02.2015 to 19.05.2015). He drew remuneration during the said period only from AICL.

B. Remuneration to other directors:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors			Total Amount
		Shri Amitav Kothari (₹)	Shri B. B. Mishra (₹)	Shri M. L. Sharma (₹)	(₹)
	1. Independent Directors • Fee for attending board/ committee meetings • Commission • Others, please specify	 45,000/- - -	 1,10,000/- - -	 15,000/- - -	 1,70,000/- - -
	Total (1)	45,000/-	1,10,000/-	15,000/-	1,70,000/-
		Shri Rajesh Aggarwal (₹)	Shri Anurag Jain (₹)	Shri Arun Kaul (₹)	(₹)
	2. Other Non-Executive Directors • Fee for attending board/ Committee meetings • Commission • Others, please specify	Sitting Fees is not paid to government nominee director and independent director representing bank.			
	Total (2)	-	-	-	-
	Total (B)=(1+2)				1,70,000/-
	Total Managerial Remuneration				
	Overall Ceiling as per the Act				

ग. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशक के अलावा)

क्रमा. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक		
		कम्पनी सचिव (₹)	मुख्य वित्तीय अधिकारी (₹)	कुल (₹)
1.	कुल वेतन			
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा के 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	9,88,901.98	12,99,180.96	22,88,082.94
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा के 17(2) के प्रावधानों के अनुसार अनुलाभ	-	21,600.00	21,600.00
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा के 17(3) के प्रावधानों के अनुसार वेतन के एवज में लाभ	-	-	-
2.	पूँजी विकल्प	-	-	-
3.	स्वेट इक्विटी	-	-	-
4.	कमीशन			
	– लाभ का %	-	-	-
	– अन्य, उल्लेख करें	-	-	-
5.	अन्य कृपया उल्लेख करें	-	-	-
	कुल	9,88,901.98	13,20,780.96	23,09,682.94

VII. अपराधों का दंड / जुर्माना / अर्थदंड :

किस्स	कम्पनी अधिनियम का खंड	संक्षिप्त विवरण	लगाये गए अर्थ दंड/जुर्माने/समझौता फीस का विवरण	प्राधिकरण (आर डी/एन सी एल टी/अदालत)	टायर अपील : अगर कों हो (विवरण दें)
क. कम्पनी					
जुर्माना	-	-	-	-	-
ढंड	-	-	-	-	-
समझौता	-	-	-	-	-
ख. निदेशक					
जुर्माना	-	-	-	-	-
ढंड	-	-	-	-	-
समझौता	-	-	-	-	-
ग. दोष में अन्य अधिकारी					
जुर्माना	-	-	-	-	-
ढंड	-	-	-	-	-
समझौता	-	-	-	-	-

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel		
		Company Secretary (₹)	CFO (₹)	Total (₹)
1.	Gross Salary (a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	9,88,901.98	12,99,180.96	22,88,082.94
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act 1961	-	21,600.00	21,600.00
	(c) Profits in lieu of salary under Section 17(3) Income-tax Act 1961.	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-
4.	Commission			
	– as % of profit	-	-	-
	– others, specify....	-	-	-
5.	Others, please specify	-	-	-
	Total	9,88,901.98	13,20,780.96	23,09,682.94

VII. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD/NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give details)
A. COMPANY					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
B. DIRECTORS					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों की वित्तीय विवरणियों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार किया जाना) विनियमन, 2002 की अनुसूची 'ख' के भाग IV की अपेक्षानुसार प्रबंधन रिपोर्ट

हम प्रमाणित करते है कि :

1. साधारण बीमा व्यवसाय करने के लिए हमारी कम्पनी ने प्राधिकरण से पंजीकरण का नवीकरण करा लिया है; (पंजीकरण सं.58 दिनांक 25.02.2014)
2. सांविधिक प्राधिकारियों को देय राशियों का विधिवत भुगतान कर दिया गया ;
3. वर्ष के दौरान शेयर धारण परिपाटी तथा शेयरों का अंतरण सांविधिक/विनियामक की अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है ;
4. भारत में जारी पालियियों के धारकों की निधियां प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत के बाहर निवेशित नहीं की गई है ;
5. आईआरडीए (बीमाकर्ता की सम्पित्त, देयता और शोधन क्षमता) विनियम 2000 के अनुसार 31 मार्च 2015 को वांक्षित शोधन क्षमता कायम रखी गई है;
6. सभी परिसम्पत्तियों के मूल्यों की तुलनपत्र की तिथि को समीक्षा की गई है तथा हमारे विश्वास के अनुसार तुलनपत्र में व्यक्त कई शीर्षोंत्रष्टा, निवेश, एजेंट अधिशेष, बकाया प्रीमियम, ब्याज, प्रोदभूत ब्याज, लाभांश तथा किराया लेकिन प्राप्य नहीं, बीमा व्यवसाय करने वाले अन्य व्यक्तियों अथवा निकायों से प्राप्य राशि, विविध देनदारी, प्राप्य बिल, नकद तथा अन्य लेखा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मदों के अंतर्गत परिसम्पत्तियों का वसूली योग अथवा बाजार मूल्य से अनधिक कुल राशि दर्शायी गई है ;
7. हमारी कम्पनी को अनेक प्रकार के जोखिमों अर्थात महाविनाशकारी /दुर्घटनात्मक सामाजिक जोखिमों से खतरा कम करने के लिए अपनाई गई रणनीति तीन स्तरीय है। प्रथमत: हमने किसी एक दुर्घटना पर अपनी अधिकतम देयता को सीमित करने के लिए एक सुव्यवस्थिति पुनर्बीमा कार्यक्रम बनाया है। प्रतिधारण को कम्पनी के शुद्ध मूल्य से संबंद्ध किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार अग्नि विभाग में प्रतिधारण के सर्वोच्च स्तर को रखा गया है तथा व्यक्तिगत जोखिम के आधार पर व्यवसाय के अन्य वर्गों में इसे कम किया गया है। दूसरा, हमारे मुख्य रूझान गैरमोटर बीमा बाजार के बड़े भाग की ओर है जो अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रद है। तीसरा, संगठित क्षेत्र के व्यवसाय में अधिक बाजार भागीदारी हासिल करना।
8. नेपाल तथा हांगकांग में स्थित दो विदेशी शाखाओं में से नेपाल के बाजार में मुख्य खतरा सम्पत्ति बीमा के क्षेत्र में तथा इस प्रकार के जोखिमों के लिए कम्पनी के पुनर्बीमा कार्यक्रमों में मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है। हांगकांग शाखा के संबंध में न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के साथ हुए समझौते के आधार पर समस्त सम्पित्त एवं दायित्व के वर्तमान मूल्य के अनुसार शाखा प्रचालन को न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी को स्थानांतरित करना है। यह स्थानांतरण बीमा कंपनी के अध्यादेश (अध्याय 41) के खंड 25डी के अंतर्गत हांगकांग बीमा प्राधिकरण की स्वीकृति के अधीन है। अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। वर्तमान व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक की समस्त बकाया देयताओं का पूर्णत: भुगतान नहीं कर दिया जाता।
9. दावों का अवधिवार विवरण (सकल व्यवसाय पर) निम्नवत है। विवादित मामलों को छोड़कर, दावे उपयुक्त समयावधि में निपटाये जाते है ।

अवधिवार दावा विवरण (सकल आधार पर) 2014-15: (₹ हजार में)

विभक्त	30 दिन	30 दिन से 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 वर्ष से 5 वर्ष	5 वर्ष व अधिक	योग
अग्नि	1461874	4050481	2701357	4854293	522578	13590583
(दावों की संख्या)	272	951	638	774	201	2836
मरीन	516813	697056	350646	1286908	262297	3113720
(दावों की संख्या)	932	1149	740	568	58	3447
विविध	10902665	7610970	5785598	20573571	9153451	54026255
(दावों की संख्या)	29902	78713	24870	71877	54550	259912
कुल	12881352	12358507	8837600	26714772	9938326	70730557
(दावों की संख्या)	31106	80813	26248	73219	54809	266195

MANAGEMENT REPORT AS REQUIRED IN PART IV OF SCHEDULE `B' OF INSURANCE REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY (PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITORS' REPORT OF INSURANCE COMPANIES) REGULATIONS, 2002

We certify that:

1. Renewal of Registration for carrying out the General Insurance Business of our Company has been obtained from the Authority (Registration No.58 dated 25.2.2014),
2. All undisputed dues payable during the year to the statutory authorities have been duly paid;
3. The shareholding pattern and transfer of shares effected during the year are in accordance with statutory/regulatory requirements;
4. The funds of the holders of policies issued in India have not been directly or indirectly invested outside India;
5. The required solvency margins as at 31st March, 2015 as per IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000 have been maintained.
6. The value of all the Assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and that in our belief the Assets set forth in Balance Sheet are shown in the aggregate at amounts not exceeding their realizable or market value, under the several headings - "Loans", "Investments", "Agents' Balances", "Outstanding Premiums", "Interest, Dividends and Rents accruing but not due", "Amounts due from other Persons or Bodies carrying on Insurance Business", "Sundry Debtors", "Bills Receivable", "Cash" and items specified under "Other Accounts";
7. The Company is exposed to various kinds of risks i.e. catastrophic/accidental/social etc. However, the strategy adopted to mitigate the same is mainly threefold. Firstly, we have devised a well laid out re-insurance programme to arrest our maximum liability in any one eventuality. The retentions are linked to net worth of the Company. The highest level of retentions are maintained in Fire Department as per international practices and graded down in other classes of business on an individual risk. Secondly, our thrust area is to have greater share of non-motor insurance market which is comparatively more profitable. Thirdly, we are trying to acquire more market share in organised sector business.
8. Out of the offices in two foreign countries situated in Nepal and in Hong Kong, the exposure in Nepal is predominantly in property insurance area and the assumption of risks of this kind is mainly taken care of by the reinsurance programme of the Company. In respect of Hong Kong Branch, an agreement has been entered into with New IndiaAssurance Co. Ltd. to transfer the branch's operation, Assets and Liabilities at their carrying values. This transfer is subject to approval by the Insurance Authority of Hong Kong in accordance with Section 25D of the Insurance Companies Ordinance (chapter 41). The approval has been obtained. The present arrangement would continue as a pure run-off operation and the run-off exercise will be over once the entire outstanding liability is fully paid-off.
9. The ageing of claims (on gross business in India) is given below. Barring disputed cases, the claims are settled within a reasonable period of time.

Ageing of Claims (on gross basis) 2014-15:

(₹ In thousand)

Segment	30 Days	30 Days to 6 Months	6 Months to 1 Year	1 Year to 5 Years	5 Years and above	TOTAL
FIRE	1461874	4050481	2701357	4854293	522578	13590583
(No. of Cases)	272	951	638	774	201	2836
MARINE	516813	697056	350646	1286908	262297	3113720
(No. of Cases)	932	1149	740	568	58	3447
MISCELLANEOUS	10902665	7610970	5785598	20573571	9153451	54026255
(No. of Cases)	29902	78713	24870	71877	54550	259912
TOTAL	12881352	12358507	8837600	26714772	9938326	70730557
(No. of Cases)	31106	80813	26248	73219	54809	266195

10. तुलनपत्र में दर्शाए गए के अनुसार सभी निवेश तथा स्टॉक को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में वर्णित ढंग से मूल्याकित किया गया है (अनुसूची16) अर्थात

I) इक्विटी शेयर तथा म्यूचुअल फंड की यूनिटों के अलावा निवेश लागत पर वर्णित है तथा प्रत्याभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम की बाकी अवधि के लिए किस्त निर्धारित की गई है।

ii) इक्विटी शेयरों, जिनका बाजार में सक्रिय कारोबार होता है, में निवेश तथा म्युचुअल फंडों में यूनिटों को उचित मूल्य पर वर्णित किया गया है।

iii) ऐसे शेयर का, जिनका कारोबार कम होता है, लागत पर अथवा विघटित मूल्य पर, जो कम हो, मूल्यांकन होता है।

iv) विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अधिग्रहण दरों पर किया जाता है।

v) ऋण तथा ऋणपत्रों के संबंध में, गैर निष्पादित परिसंपत्ति के प्रावधान के संबंध में कंपनी द्वारा विवेकपूर्ण मानदंडों को अपनाया गया है।

11. परिसम्पत्ति की गुणवत्ता तथा निवेश पोर्टफोलियों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा :

(₹ हजार में)

विवरण	बही मूल्य	बाजार मूल्य	आय
इक्विटी शेयर	38371945	125695008	14560061
इक्विटी शेयरों के अलावा	126451561	126514829	11278367
कुल :	164823506	252209837	25838428

12. सभी निवेशों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और सम्पित्तयां बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) विवेकपूर्ण नियमों के आधार पर निष्पादन योग्य और गैर निष्पादन योग्य के रूप में वर्गीकृत है।

13. हम पुष्टि करते है कि :

i) वित्तीय विवरण तैयार करने में मूलभूत परिवर्तन, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों, सिद्धांतो तथा नीतियों का पालन किया गया है।

ii) प्रबंधन ने लेखांकन नीतियां अपनाई है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी की हानि तथा वर्ष के दौरान कम्पनी की प्रचालन हानि का सही एवं वास्तविक दृश्य प्रस्तुत करने के लिए तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय और प्राक्कलन दिए है ।

iii) प्रबंधन द्वारा कम्पनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित करने के लिए तथा कपट एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए बीमा अधिनियम 1938 (1938 के 4)/ कंपनी अधिनियम 2013 (2013 के 18)/ के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रखरखाव के लिए उपयुक्त तथा समुचित ध्यान रखा गया है।

iv) प्रबंधन द्वारा गतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

v) प्रबन्धन ने सुनिश्चित किया है कि व्यवसाय के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली विद्यमान है तथा प्रभावी रूप से कार्यरत है।

14. हम पुष्टि करते है कि ऐसे किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनियों तथा संगठ्नों को कोई भुगतान नहीं किया गया है जिसमें कम्पनी के निदेशकों का हित निहित हो।

कृते नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

(राजेश अग्रवाल, भा.प्र.से)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

कोलकाता, 19 जुन, 2015

10. All investments and stocks, as shown in the Balance Sheet, have been valued in the manner disclosed in Significant Accounting Policies (Schedule 16), i.e.
    i) Investments other than Equity Shares and units of Mutual Funds are stated at cost and the premium paid on securities is amortised over the remaining period.
    ii) Investments in Equity Shares that are actively traded in the market and the units of Mutual Funds are stated at fair value.
    iii) Shares that are thinly traded are valued at lower of Cost or Break up value.
    iv) Foreign Government securities are valued at the acquisition cost.
    v) In respect of loans and debentures, prudential norms as prescribed by IRDA regarding provisioning have been followed by the Company.
11. Review of Assets quality and performance of Investment Portfolio :

(₹ In thousand)

Particulars	Book Value	Market Value	Income
Equity Shares	38371945	125695008	14560061
Other than Equity Shares	126451561	126514829	11278367
Total :	164823506	252209837	25838428

12. All investments are reviewed periodically and assets are classified into performing and non-performing based on Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) Prudential norms.
13. We confirm that:
    i) in the preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any;
    ii) the management has adopted accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at the end of the financial year and of the operating profit of the Company for the year;
    iii) the management has taken proper and sufficient care for maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)/Companies Act, 2013 (18 of 2013), for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
    iv) the management has prepared the financial statements on a going concern basis;
    v) the management has ensured that an internal audit system commensurate with the size and nature of the business exists and is operating effectively.
14. We confirm that no payments have been made to individuals, firms, companies and organizations in which the Directors of the Company are interested.

For and on behalf of National Insurance Company Limited

(Rajesh Aggarwal, IAS)
Chairman-cum-Managing Director

Kolkata

19th June, 2015

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों हेतु

वित्तीय विवरण संबंधी रिपोर्ट

हमने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का 31 मार्च, 2015 का संलग्न तुलन पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न अग्नि, मरीन तथा विविध बीमा आय लेखा और लाभ तथा हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा की है जिसमें अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा 31 क्षेत्रीय कार्यालयों, 363 मंडल कार्यालयों, 21 व्यवसाय केन्द्र हबों की लेखा परीक्षित विवरणियां तथा दो विदेशी शाखाओं के ओवरसीज आडिटर्स द्वारा कानूनों के अनुसार की गईं लेखा परीक्षित विवरणियां शामिल हैं।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी अधिनियम 1938, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 कम्पनी अधिनियम 2013 के की धारा 133 में दिए गए लेखांकन मानकों तथा कम्पनी नियम 2014 के नियम 7 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व प्रबंधन का है जो कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाह को प्रदर्शित करता है। इस दायित्व में वित्तीय विवरण को बनाने तथा प्रदर्शित करने संबंधी डिजाइन, लागू करना तथा उनका रख रखाव करने संबंधी नियंत्रण भी सम्मिलित है जिससे यह प्रदर्शित होता है कि वित्तीय विवरणों में कोई तात्विक मिथ्याकथन नहीं है जो किसी फ्राड या भूल से हुआ है।

ऑडिटर का दायित्व

हमारा दायित्व हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार प्रस्तुत करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखा की जांच की है। हमने जांच करते समय ऑडिटिंग मानकों को सामने रखा है अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जोकि ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किये जाते हैं।

हमने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के प्रावधानों के अनुसार ऑडिट मानकों के अनुरूप हमने ऑडिट का कार्य संपन्न किया है। उन मानदण्डों की अपेक्षा है कि हम अपने लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन इन उद्देश्यों से करें कि हमें यह आश्वासन प्राप्त हो कि वित्तीय विवरणों में कोई मिथ्याकथन नहीं है। आडिट के द्वारा वित्तीय विवरणों में निहित राशियों के साक्ष्य तथा निष्पादन प्रक्रिया की जॉच की जाती है। चयनित प्रक्रिया आडिटर के निर्णय पर निर्भर करता है जिसमें वित्तीय विवरण में मिथ्याकथन संबंधी जोखिम का आंकलन होता है जो किसी फ्राड या भूल से हुई हो। उन जोखिमों का आंकलन करने में आडिटर कंपनी के वित्तीय विवरणकी प्रस्तुति में आडिट प्रक्रिया संबंधी कंपनी का आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है। आडिट में प्रबंधन द्वारा लेखा नीतियों की तथ्यता तथा उनकी अनुमानित लेखा विवरण एवं वित्तीय विवरण के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाता है।

हमारा विश्वास है कि आडिट साक्ष्य के रूप में हमें जो प्राप्त हुआ वह हमारे आडिट संबंधी विचार देने के लिए पर्याप्त है।

विचार

उपलब्ध सूचनाओं एवं हमारे मत के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुरूप सूचनाएं प्रदान करता है तथा भारत में मान्य सामान्य लेखा सिद्धातों के अनुरूप स्पष्ट स्थिति प्रदर्शित करता है ।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

TO THE MEMBERS OF NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of National Insurance Company Limited ("the Company") which comprises Balance Sheet as at 31st March, 2015, the related Fire, Marine and Miscellaneous Insurance Revenue Accounts, the statement of Profit & Loss and Cash Flow Statement for the year ended on that date and a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are incorporated the audited returns of 31 Regional Offices, 363 Divisional Offices, 21 Business Centre Hubs audited by other auditors and also the statement of accounts of 2 Foreign Branches audited by overseas auditors under the applicable local laws.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flow of the Company in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) Act, 1999 and in accordance with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act 2013, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, to the extent applicable. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these standalone financial statements based on our audit. We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the

कम्पनी के 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के तुलनपत्र के प्रकरण में, राजस्व लेखा के प्रकरण में अग्नि, मरीन बीमा व्यवसाय एवं विविध बीमा व्यवसाय के सम्बन्ध में आधिक्य, लाभ तथा हानि के प्रकरण में 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष पर लाभ विवरण।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5), की अवश्यकार्यों के अनुसार, सी ए जी द्वारा मामलों पर निर्देशित एक बयान जोकि हमने परिशिष्ट-I में दिया है।

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इंश्योरेन्स कम्पनी का वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षक रिपोर्ट तैयार करना) नियम, 2002 के अनुसार हमारी रिपोर्ट निम्नवत है :

   क) हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए हमारे श्रेष्ठ ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक सभी सूचनाएँ तथा स्पष्टीकरण हमने प्राप्त किया;

   ख) हमारे विचार में संबंधित बहियों की हमारे जाँच से पता चलता है कि कम्पनी द्वारा नियमानुसार अपेक्षित समुचित लेखा बहियाँ रखी गई है;

   ग) इस प्रतिवेदन में शामिल कम्पनी का तुलनपत्र, राजस्व लेखा लाभहानि तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों तथा विवरणियों से मेल खाती है। इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों एवं विदेशी शाखाओं से समेकित रिटर्न प्राप्त हैं जिनका हमारे द्वारा नहीं किया गया।

   घ) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान कम्पनी लॉ बोर्ड के सामान्य परिपत्र सं.GSR 463(E) दिनांक 05.06.2015 के परिपेक्ष्य में कम्पनी के निदेशकों पर लागू नहीं है;

   ङ) हमारे विचार से वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए चयनित में संदर्भित लेखा सिद्धांतों के साथ कम्पनी अधिनियम 2007 की धारा 133 की उपधारा (3सी) के लेखांकन मानकों और आईआरडीए द्वारा निर्धारित लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है ;

3. अन्य शामिल किए जाने योग्य मामलों में ऑडिटर्स रिपोर्ट में शामिल करने के लिए कम्पनी (ऑडिट एवं ऑडिटर्स) नियम 11, 2014, हमारे मतानुसार तथा हमरे श्रेष्ठ ज्ञान एवं हमें प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार

   क) कम्पनी ने लंबित मुकदमेबाजी से इसके वित्तीय कारोबार पर पढ़ने वाले प्रभावों के बारे में अपने वित्तीय विवरण में लिखा है। वित्तीय विवरण की सूधी 17 के नोट संख्या 39 पर ध्यान दें।

   ख) लागू कानूनों एवं लेखांकन मानकों के अनुसार कम्पनी, लम्बे समय के करारों के लिए निकट वस्तुगत हानियों के प्रावधान रखने के लिए बाध्य नहीं है, अगर कोई हों। वित्तीय विवरण की सूची 17 के नोट संख्या 40 पर ध्यान दें।

   ग) कम्पनी द्वारा ₹292 हजार की एक राशि निवेशकों की शिक्षा फंड में ट्रान्सफर की जानी है। वित्तीय विवरण की सूची 17 के नोट संख्या 41 पर ध्यान दें।

4. विनियमन की आवश्यकता अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि:

   क) कम्पनी द्वारा नियुक्त एक्चुअरी द्वारा उपगत किन्तु सूचित नहीं तथा दावा उपगत किन्तु पर्यास सूचित नहीं के दायित्व के सम्बन्ध में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 15 के अनुसार, जो कार्मिकों की

financial statements give the information required by the aforesaid Acts in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2015, and its revenue accounts, profit and its cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies Act, 2013 under Section 143(5), we give in the Annexure - I, a statement on the matters directed by C& AG.

2. As required by Section 143 (3) of the Companies Act, 2013 and the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 "(the Regulations"), we report that:

   (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

   (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

   (c) The Balance Sheet, Revenue Accounts, Profit & Loss Accounts and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts and consolidated returns received from Regional Offices and Foreign Branches not visited by us.

   (d) The provisions of section 164(2) of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Directors of the Company in view of Notification No. GSR 463(E) dated 05th June, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs.

   (e) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules 2014 and with accounting principles as prescribed in the Regulations or any order or direction issued by IRDA in this behalf.

3. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies(audit and auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us.

   (a) The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements - Refer Note 39 of the Schedule 17 to the Financial Statements;

   (b) The Company has not been required to make provisions under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts including derivative contracts - Refer Note 40 of the Schedule 17 to the Financial Statements;

   (c) An amount of ₹292 thousand is required to be transferred to the Investor Education Protection Fund by the Company- Refer Note No 41 of the Schedule 17 to the Financial Statement.

4. As required by Regulations, we report that :

   (a) The actuarial valuation of liabilities in respect of "Claims Incurred but not reported" and "claims incurred but not enough reported" and other liabilities as required for the purpose of ascertaining the employee benefits in accordance with AS 15 - Employee Benefits, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, are duly certified by the Company's appointed actuary and to the best of information's and according to explanation given to us the

सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, का बीमांककीय मूल्यांकन प्रमाणित किया गया है। उपलब्ध सूचनाओं तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार नियुक्त एक्चुअरी द्वारा प्रमाणित यह मूल्यांकन आईआरडीए, एक्चुरिअल सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप है।

ख) निवेशों का मूल्यांकन बीमा अधिनियम, 1938 एवं आईआरडीए विनिमय के प्रावधान के अनुसार हुआ है।

ग) हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याय उचित विवरणी क्षेत्रीय कार्यालयों, मंडलीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों तथा विदेशी शाखाओं से प्राप्त हुए है जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है।

5. विनियमन की आवश्यकता अनुसार, हम प्रमाणित करते है कि:

क) हमने प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की ओर इसके वित्तीय विवरण में किसी प्रकार की भूल या तात्विक असंगति नहीं है।

ख. कम्पनी ने बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वार पंजीकरण के नियम एवं शर्तो का पालन किया है।

ग. हमने नकदी ओर बैंक अधिशेष ऋणों से सम्बंधित निवेश ओर प्रतिभूतियों का वास्तविक निरिक्षण या प्रमाणपत्र तथा या अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा सत्यापन किया है, अनुसूची 17 के नोट संख्या 8, 17 एवं 18 को वर्णित सीमा के अलावा ;

घ. कम्पनी ने किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में किसी प्रकार का निवेश/लेनदेन नहीं किया है;

ङ. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण के आधार पर पालिसीधारकों के कोष की संपत्ति का कोई हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पालिसीधारकों के कोष के नियोजन और निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम 1938 (अद्यतन तथा संशोधित) के प्रावधानों के उल्लंघन में नियोजित नहीं है।

कृते एम. सी. भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 303002E

(नीरज जैन)
भागीदार
पंजीकरण संख्या 064393

कृते एस. घोष एंड कं.
सनदी लेखकार
पंजीकरण संख्या 302184E/E300007

(चंदन चटटोपाध्याय)
भागीदार
पंजीकरण संख्या 051254

कोलकाता, 19 जुन 2015

assumption considered by him for such valuation is in accordance with the guidelines and norms prescribed by IRDA and Actuarial Society of India in concurrence with IRDA.

(b) Investments have been valued in accordance with the provisions of Insurance Act, 1938 and IRDA Regulations.

(c) Proper returns and reports adequate for the purposes of our audit have been received from Regional Offices, Divisional Offices and Foreign Branches not visited by us.

5. As required by Regulations, we certify that :

(a) We have reviewed the Management Report and there is no apparent mistake or material inconsistencies with the Financial Statements.

(b) The Company has complied with the terms and conditions of the registration stipulated by the Insurance Regulatory and Development Authority.

(c) We have verified the cash and bank balances, securities relating to loans, investments by actual inspection or by production of certificates and/or other documentary evidences except to the extent stated in Notes No 8, 17 and 18 of Schedule 17

(d) The Company has not undertaken any investment or transactions relating to any trust as trustee; and

(e) To the best of our information and according to the explanations given to us and on the basis of representations made by the Company, no part of the assets of the Policyholders' Fund has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the Policyholders' Fund.

FOR M. C. BHANDARI & CO.
Chartered Accountants
FRN : 303002E

(Neeraj Jain)
Partner
Membership No. 064393

FOR S. GHOSE & CO. LLP
Chartered Accountants
FRN : 302184E/E300007

(Chandan Chattopadhay)
Partner
Membership No. 051254

Place : Kolkata
Date : 19.06.2015

एम. सी भण्डारी व कंपनी
सनदी लेखाकार
4, सीनागोग स्ट्रीट, 2 तल, रूम न. 205
कोलकाता-700 001

एस घोष व कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
11, पुराना पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट
कोलकाता-700 001

नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 143(5) के अधीन वित्तीय वर्ष 2014-15 के
लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को जारी किए गए निर्देशों का जवाब

क्रम संख्या	सवाल	जवाब
1	यदि कंपनी विनिवेश के लिए चुना गया है तो, विनिवेश प्रक्रिया के वर्तमान चरण और प्रणाली सहित परिसंपत्तियों (अमूर्त परिसम्पत्ति और भूमि सहित) और दायित्व (प्रितबद्ध और सामान्य रिज़र्व सहित) के मूल्यांकन अनुसार संपूर्ण स्थिति रिपोर्ट की जांच की जा सकती है।	कंपनी लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान विनिवेश के लिए नहीं चुनी गई है।
2	कृपया रिपोर्ट करें कि छूट और कर्ज / ऋण/ ब्याज आदि को बट्टे खाते डालने का कोई मामला है। यदि हॉ तो उसका कारण और शामिल राशि बताए	लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान छूट और कर्ज / ऋण/ ब्याज आदि को बट्टे खाते डालने का कोई मामला नहीं है
3	क्या तृतीय पक्ष से साथ मौजूद इन्वेंटरी व उपहार के रूप में सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्राप्त संपत्ति का उचित रिकॉर्ड रखा जाता है।	कंपनी किसी भी वस्तु के साथ काम नहीं करती है। इस लिए इन्वेंटरी हेतु कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई उपहार नहीं प्राप्त किया है।
4	सभी कानूनी (विदेशी और स्थानीय) मामले पर खर्च हेतु किसी नियंत्रण तंत्र की मौजूदगी / प्रभावशीलता और लंबित रहने के कारण सहित लंबित कानूनी मध्यस्थता मामले का उम्र वार विश्र्लेषण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।	जैसाकि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी के खिलाफ निम्नलिखित अदालत और मध्यस्थता में कानूनी/मध्यस्थता मामले लंबित है जिला फोरम-9130 राज्य आयोग-3461 राष्ट्रीय आयोग-390 सर्वोच्च न्यायालय-73 जिला फोरम और राज्य आयोग से संबंधित मामले मण्डल कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संभाला जाता है। राष्ट्रीय आयोग और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित मामाले कानूनी ऊर्ध्वाधर संभालता है और प्रधान कार्यालय के तकनीकी विधि निभाग द्वारा सीधे रूप से नियंत्रण किया जाता है। सर्वोच्च

M. C. Bhandari & Co.
Chartered Accountants,
4, Synagogue Street,
2nd Floor, Room No. 205
Kolkata - 700 001.

S. Ghose & Co. LLP
Chartered Accountants,
11, Old Post Office Street,
Kolkata - 700 001.

NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED

Replies to the Directions issued to Statutory Auditors under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 for the Financial Year 2014-15

Sr.No	Query	Reply
1	If the Company has been selected for disinvestment, a complete status report in terms of valuation of Assets (including intangible assets and land) and Liabilities (including Committed & General Reserves) may be examined including the mode and present stage of disinvestment process."	Company has not been selected for disinvestments during the period under audit.
2	Please report whether there are any cases of waiver/ write off of debts/loans/interest etc., if yes, the reasons there for and the amount involved.	There was no case of waiver/write off of debts/ loans/interest etc. during the year under audit.
3	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift from Govt. or other authorities.	The company is not dealing with any commodity. As such no record is maintained for inventories. During the year under audit, the company has not received any gift from Government or other authority.
4	A report on age-wise analysis of pending legal/ arbitration cases including the reasons of pendency and existence/ effectiveness of a monitoring mechanism for expenditure on all legal cases(foreign and local) may be given.	As informed by the management following nos. of legal/arbitration cases are pending against the company in various courts/arbitration: District Forum - 9130 nos. State Commission - 3461 nos. National commission 390 nos. Supreme Court - 73 nos. The District Forum and State Commission cases are handled by respective DOs/ROs. A list of major National Commission and Supreme Court level cases are handled by a Legal Vertical and directly monitored by Head Office Tech-Legal Department. Merits of appeals and SLP to

क्रम संख्या	सवाल	जवाब
		न्यायालय और राष्ट्रीय आयोग के अपील और एसएलपी की खूबियों के प्रधान कार्यालय स्तर पर देखा जाता है। अनुबंध 1 में कुल ₹461.97 करोड़ की 25 मुख्य मामले की जानकारी संलग्न है। लंबित होने का कारण कानूनी प्रक्रिया, पार्टी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत न करने तथा उसके पसा दस्तावेज न होने, पार्टी द्वारा स्थगन लेने, न्यायाधीश की अनुपलब्धता आदि और कानून के अनुसार औपचारिकताओं को पूरा करने में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया समय है। सभी कानूनी (विदेशी और स्थानीय) मामले पर खर्च हेतु किसी नियंत्रण तंत्र की मौजूदगी / प्रभावशीलता के मामले में, जैसाकि कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, विधि विभाग उन सभी लंबित मामलो का नियमित नियंत्रण किया जाता है। साधरणतः नियमित मामले दाखिल करने के लिए और उपस्थित होने के लिए कंपनी अधिवक्ताओं का दर संविदा तय करती है। जहॉ कोई दर संविदा नहीं होता है, खर्च को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ मामले के आधार पर उपगत किया जाता है।

एम. सी भंडारी व कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 303002E

(नीरज जैन)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 064393

एस घोष व कंपनी एलएलपी के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302184E/E300007

(चंदन चट्टोपाध्याय)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 051254

कोलकाता 19 जून 2015

Sr.No	Query	Reply
		Supreme Court and National Commission are considered at Head Office level. 25 nos. of major cases involving ₹461.97crore are enclosed in Annexure-I. The reasons for the pendency is due to legal procedure, non availability or non production of documents by the parties, adjournments taken by the parties, non availability of the judges etc. and time taken by the arbitral tribunal to complete formalities as per the statute. In the matter of existence/effectiveness of a monitoring mechanism for expenditure on all legal cases (foreign and local) in the company, as informed by the management, the legal department is regularly monitoring all those pending cases. In general the company fixes rate contract with advocates for appearance and filing of regular cases. Wherever there is no rate contract, expenditure is incurred with approval of the competent authority on case to case basis.

For M. C. Bhandari & Co.
Chartered Accountants
FRN: 303002E

(Neeraj Jain)
Partner
Membership No. 064393

For S. Ghose & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN: 302184E/E300007

(Chandan Chattopadhay)
Partner
Membership No. 051254

Kolkata, the 19th June, 2015

एम. सी भण्डारी व कंपनी
सनदी लेखाकार
4, सीनागोग स्ट्रीट, 2रा तल, रूम न. 205
कोलकाता-700 001

एस घोष व कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
11, पुराना पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट
कोलकाता-700 001

नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 143(5) के अधीन वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को जारी किए गए अतिरिक्त निर्देशों का जवाब

क्रम संख्या	सवाल	जवाब
1	कंपनी के बुक में दर्शाएं गए इक्विटी निवेश की राशि से संबंधित मामलों की संख्या वर्ष के अंत में एनएसई में अंतिम उद्दत मूल्य तक नहीं पहुँची और बीएसई में अंतिम उद्दत मूल्य पर एनआईसी मूल्यांकित, जो सत्यापित होना चाहिए और अंतर पायी जाए तो रीपोर्ट करनी चाहिए।	सक्रिय बाजारों में सूचीबद्ध इक्विटी शेयर व्यापार बैलेंस शीट के उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य का गणना करने के लिए सक्रिय कारोबार प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) या मूंबई शेयर बाजार (बीएसई) के अंतिम मूल्य से नीचे लिया जाता है। लेखा परीक्षण के दौरान इक्विटी निवेश के मूल्यांकन में हमें कोई अंतर नहीं मिला।
2	भौतिक/डीमैट फॉर्म में सीजीएस एसजीएस/बोंड/डीवेन्चर आदि से संबंध में उपलब्ध स्वामित्व का खिताब की संख्या और कंपनी के लेखा खाता में दर्शाए गए संबंधित राशि सहित इसमें से उन मामलों की संख्या जो समझौता में नहीं है और जिसे सत्यापित करना है और यदि अंतर पाया जाता है तो रीपोर्ट भी करना है।	कंपनी के लेखा खाता और डीवेन्चर के संबंध में संरक्षक प्रमाण–पत्र में दर्शाएं गए अंतर निम्न लिखित है– क) 20 मामले कम–₹20/- का बुक मूल्य ख) अतिरिक्त 1 मामले – बुक मूल्य ₹49,99,999/- सीजीएस/एसजीएस के संबंध में कौं विसंगति नहीं पाया गया है।
3(क)	**सांविधिक लेखा परीक्षक सत्यापित कर सकते है:** i) कंपनी द्वारा प्रदान की गई बकाया दावों की संख्या।	कंपनी द्वारा प्रदान की गँ बकाया दावों की संख्या 266195।
	ii) सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रघान कार्यालय में और शाखा लेखा परीक्षक द्वारा क्षे.का./मं.का./शा.का. स्तर पर जॉच किये गए मामलों की संख्या।	चूंकि यह दावा संचालन कार्यालय से संबंधित है इस लिए संबंधित लेखा परीक्षक द्वारा सत्यापित किया जाता है।
	iii) प्रारंभिक नुकसान सलाह अंतरिम/अंतिम सर्वेक्षण आदि की रिपोर्ट में अनुमानित राशि के आधार पर पर्याप्त प्रावधान नहीं किए जाने के मामलों की संख्या।	प्रावधान संचालन कार्यालय में तैयार की जाती है और शाखा लेखा परीक्षक द्वारा सत्यापित किया जाता है। शाखा लेखा परीक्षक द्वारा रीपोर्ट किया गया अपर्याप्त प्रावधानों को प्रधान कार्यालय के किताबों में पूरी तरह से प्रदान किया जाता है।
	iv) दावों का संक्षिप्त प्रावधानीकरण की राशि और चयनित नमूना का प्रतिशत सूचित करना है।	दावों हेतु प्रावधान शाखा लेखा परीक्षक द्वारा सत्यापित किया जाता है।

M. C. Bhandari & Co.
Chartered Accountants,
4, Synagogue Street,
2nd Floor, Room No. 205
Kolkata - 700 001.

S. Ghose & Co. LLP
Chartered Accountants,
11, Old Post Office Street,
Kolkata - 700 001.

NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED

Replies to the Directions issued to Statutory Auditors under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 for the Financial Year 2014-15

Sr.No	Query	Reply
1	Number of cases where the amount of equity investments depicted in the Company's books has not been arrived at with reference to year end last quoted price in NSE and stock not listed in NSE valued at last quoted price in BSE, may be verified and discrepancy found may be suitably reported.	Listed equity shares which are traded in active markets are measured at Fair Value as at the Balance Sheet. For the purpose of calculation of fair value, the market price of the actively traded securities is taken at the lower of the last quoted closing price at the National Stock Exchange (NSE) or Bombay Stock Exchange (BSE). During the course of audit we did not come across any discrepancy in the valuation of equity investments.
2	Number of titles of ownership in respect of CGS/ SGS/Bonds/Debentures etc. available in physical/demat form and out of these number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the Company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported.	Difference is shown between company's books of accounts and the custodian's (SHCIL) certificate in respect of Debenture which are as under: A. Short 20 cases - Book value of ₹20/- B. Excess 1 case - Book Value ₹49,99,999/- No discrepancy was observed in respect of CGS/SGS.
3(a)	Statutory auditor may verify:	
	(i) Total number of outstanding claims provided by the Company.	Total no. of outstanding claims provided by the company is 266195.
	(ii) The number of cases test checked by statutory auditor at HO and by the branch auditor at RO/DO/BO level.	Since these claims are dealt at operating offices, these are verified by the concerned auditors.
	(iii) The number of cases where adequate provisions have not been made on the basis of amounts estimated in preliminary loss advices, interim/final survey reports etc	Provisions are made at the operating offices and verified by the Branch Auditors. Inadequate provisions as reported by the Branch auditors have been fully provided for in the books of Head Office.
	(iv) The amount of short provisioning of claims and the percentage of sample selected may be reported.	Provisions for claims have been verified by the branch auditors.

क्रम संख्या	सवाल	जवाब
3(ख)	क्या कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड, लीव इंकैशमेन्ट, ग्रेच्यूटी आदि जैसे प्रावधान और आईबीएनआर व आईबीएनईआर दावे बीमांकिक मूल्यांकन के अनुरूप होने का आश्वासन दिया गया है।	कर्मचारियों के लिए पेंशन फेड, लीव इंकैशमेन्ट, ग्रेच्यूटी आदि जैसे प्रावधान और आईबीएनआर व आईबीएनईआर दावे बीमांकिक मूल्यांकन के अनुरूप है। जैसाकि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है और हमारे जॉच के आधार यह प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा बीमांकिक को प्रदान की गई सही और पूरी डाटा तथा बीमांकिक द्वारा डिस्कांउट दर और मुद्रास्फीति की दर जैसे का आकलन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली बेंच मार्क साधारणत: यथोचित है। हालकि, उपरोक्त कर्मचारी हेतु देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन वेतन संशोधन के अनुरूप नहीं किया गया है। प्रभाव का पता नहीं लगाया और न ही प्रदान किया गया।
4(क)	**सांविधिक लेखा परीक्षक सत्यापित कर सकते है:**	
	(i) अन्य बीमा कंपनियों से बकाया तथा बकाया हेतु प्रीमियम/दावा के संबंध में अपुष्ट सह-बीमा बैलेंसों के मामलों की कुल संख्या।	सह-बीमाकर्ताओं के साथ सह-बीमा लेन-देन की पुष्टि प्रक्रियाधीन है। सह-बीमा बैलेंस के उचित नोट के पुष्टिकरण के संबंध में लंबित पूरी सूचना **लेखा** नोट के नोट संख्या 17 के अंतर्गत दिया गया है।
	(ii) परीक्षण मामलों की संख्या का जांच शाखा कार्यालय/ मंडल कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के शाखा लेखा परीक्षक द्वारा तथा प्रधान कार्यालय के सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है।	संचालन कार्यालयों के संबंधित लेखा परीक्षक द्वारा इन मामलों को सत्यापित किया जाता है तथा प्रधान कार्यालय के सभी मामलों की रिपोर्टिंग शाखा लेखा परीक्षक द्वारा तथा निपटान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है।
	(iii) मामलों की संख्या जहां विसंगति का पर्यवेक्षण सह-बीमा अनुबंधों तथा/या बीमाकृत के साथ पत्राचार के संदर्भ में किया गया हो।	सह-बीमा अनुबंधों तथा/या बीमाकृत इत्यादि के साथ पत्राचार का प्रचालन कार्यालयों में संबंधित लेखा परीक्षक द्वारा सत्यापित किया जाता है। एक मामला विसंगति में उनके रिपोर्ट के आधार पर सूचित किया जाता है जो प्रधान कार्यालय में उपयुक्त रूप से पेश किया गया है।
	(iv) राजस्व लेखा पर ऐसे विसंगति का प्रभाव तथा चयनित नमूना का प्रतिशत सूचित किया जा सकता है।	प्रधान कार्यालय के स्तर पर शाखा लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर आधारित निम्नलिखित समायोजन को जारी किया गया। ₹45,42,914/- से बकाया राशि ₹6,42,471/- तक बकाया राशि
4(ख)	**सांविधिक लेखा परीक्षक सत्यापित कर सकते हैं:**	
	(i) पुनर्बीमा को सौंपे गए व्यवसाय के संबंध में पुनर्बीमा को भेजे गए प्रारंभिक हानि परामर्श तथा दावा हानि परामर्श की कुल संख्या।	अनुबंध-2 में संलग्न सूची के अनुसार "हुदहुद" तथा "जम्मू व काश्मीर" से संबंधित पुनर्बीमा को सौंपे गए व्यवसाय के संबंध में 28 पुनर्बीमाकर्ताओं को भेजे गए प्रारंभिक हानि परामर्श तथा दावा हानि परामर्श की कुल संख्या 56 है।

Sr.No	Query	Reply
3(b)	Whether there is an assurance that provision for employees liabilities such as pension fund, leave encashment, gratuity etc. and provision for IBNR & IBNER claims are as per actuarial valuation. Whether accurate & complete data was provided by the PSU to the Actuary and the benchmark used by Actuary for assumptions such as discount rate, inflation rates etc. were appropriate.	Provisions for employees liabilities such as pension fund, leave encashment, gratuity etc. and provision for IBNR & IBNER claims are as per actuarial valuation. As informed by the management and based upon our test check , it appears that accurate and complete data have been provided by the company to the actuary and the bench mark used by the actuary for assumptions such as discount rate, inflation rate etc. generally appears to be reasonable. However, Actuarial valuation of aforesaid employees' liabilities likely to arise on accounts of wage revision have not been made. Effects not ascertained and provided for.
4(a)	Statutory auditor may verify:	
	(i) The total number of cases of unconfirmed co-insurance balances in respect of premium/ claims due to and due from other insurance companies.	Confirmation of co-insurance transactions with co-insurers is an on going process. Pending full information about confirmation of co-insurance balances suitable note has been given under note no. 17 of the Notes on Accounts.
	(ii) The number of cases test checked by statutory auditor at HO and by the branch auditor at RO/DO/BO level.	These cases are verified by the concerned auditor at the operating offices and at Head office all the cases reported by the branch auditors are dealt by the Statutory auditors.
	(iii) The number of cases where discrepancy was observed with reference to co-insurance agreements and/or correspondences with insured etc.	Co-insurance agreements and/or correspondence with the insured etc. have been verified by the concerned auditors at operating offices. Based upon their reports in one case discrepancy was noticed which have suitably dealt at Head Office.
	(iv) The impact of such discrepancy on the revenue account and the percentage of sample selected may be reported.	Based upon the branch auditors report at Head office level following adjustment has been carried out: Amount due from ₹45,42,914/- Amount Due to ₹6,42,471/-
4(b)	Statutory auditor may verify:	
	(i) Total number of preliminary loss advices and claim loss advices sent to the reinsurers in respect of reinsurance ceded business.	56 number of preliminary loss advices and claim loss advices sent to the 28 nos. of reinsurers in respect of reinsurance ceded business relating to "Hudhud" and "J&K Floods" as per list enclosed in Annexure - 2

क्रम संख्या	सवाल	जवाब
4(ख)	(ii) पुनर्बीमा आवक स्वीकृतियों के संबंध में कंपनी द्वारा प्राप्त प्रारंभिक हानि परामर्श तथा दावा हानि परामर्श की कुल संख्या।	दो कंपनियों: i) एलांयन्स इंश्योरेंस तथा (ii) साधारण बीमा से पुनर्बीमा आवक स्वीकृतियों के संबंध में कंपनी द्वारा प्राप्त प्रारंभिक हानि परामर्श तथा दावा हानि परामर्श की कुल संख्या 25 है।
	(iii) सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा परीक्षण का जाँच उपरोक्त (i) तथा (ii) में वर्णित मामलों की संख्या।	सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा परीक्षण का जाँच उपरोक्त (i) तथा (ii) में वर्णित मामलों की संख्या 65 है।
	(iv) मामलों की संख्या जहां विसंगति का पर्यवेक्षण पुनर्बीमा अनुबंधों तथा/या पुनर्बीमा/ब्रोकरों के साथ पत्राचार के संदर्भ में किया गया हो।	हमारे लेखा परीक्षा के दौरान हम किसी विसंगति से सहमत नहीं हैं।
	(v) राजस्व लेखा पर ऐसे विसंगति का प्रभाव तथा चयनित	अनुच्छेद 4 (ख) (iv) के जबाब को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं है।
5	क्या कंपनी ने अपने लेखा में संबंधित लेखा वर्ष में चालू पॉलिसी के वास्तविक दिनों पर आधारित असमाप्त जोखिम हेतु रिजर्व प्रदान की है। यदि औसत आधार पर वही प्रदान किया गया हो तो कंपनी से उपयुक्त प्रकटीकरण/रिपोर्ट हेतु दोनों विधियों के तुलनात्मक आंकड़ों को प्राप्त किया जा सकता है।	कंपनी ने अपने लेखा में संबंधित लेखा वर्ष में चालू पॉलिसी के वास्तविक दिनों पर आधारित असमाप्त जोखिम हेतु रिजर्व प्रदान नहीं की है। लेकिन असमाप्त जोखिम हेतु रिजर्व वर्णित राशि के रुप में बनाया गया है जो लिखित शुद्ध प्रीमियम का हिस्सा जो की वजह से, और सफल लेखा अवधि हेतु आवंटित किया जाना है तथा रिजर्व पिछले वर्ष बीमा अधिनियम, 1938 में निर्धारित दर पर बनाया गया। असमाप्त जोखिम हेतु रिजर्व बनाने का उपरोक्त विधि आईआरडीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार है। हालाँकि, कंपनी द्वारा दोनों विधियों का तुलनात्मक आंकड़ा प्रदान नहीं किया जाता है।

एम. सी भंडारी व कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 303002E

(नीरज जैन)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 064393

एस घोष व कंपनी एलएलपी के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302184E/E300007

(चंदन चट्टोपाध्याय)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 051254

कोलकाता 19 जून 2015

Sr.No	Query	Reply
4(b)	(ii) Total number of preliminary loss advices and claim loss advices received by the company in respect of reinsurance inward acceptances.	25 number of preliminary loss advices and claim loss advices received by the company in respect of reinsurance inward acceptances from 2 companies namely: i) Alliance Insurance and ii) Sadharan Bima.
	(iii) The number of cases mentioned in (i) and (ii) above test checked by statutory auditor	65 number of cases mentioned in (i) and (ii) above test checked by statutory auditor.
	(iv) The number of cases where discrepancy was observed with reference to reinsurance agreements and/or correspondences with reinsurers/ brokers etc.	We did not come across any discrepancy during course of our audit.
	(v) The impact of such discrepancy on the revenue account and the percentage of sample selected may be reported.	Not applicable in view of the reply in para 4(b)(iv).
5	Whether the Company has provided in its accounts the Reserve for unexpired Risk based on actual days of policy in operation in the relevant accounting year. If the same is provided on average basis then comparative data of both methods may be obtained from the company for suitable disclosure/ report.	The company has not provided in its accounts, the Reserve for Unexpired Risk based on actual days of policy in operation in the relevant accounting year. But the Reserve for Unexpired Risk is created as the amount representing that part of the net premium written which is attributable to, and to be allocated to the succeeding accounting periods and the reserves created in the preceding year at the rate prescribed in the Insurance Act, 1938. The said method of creation of Reserve for Unexpired risk is also in accordance with the IRDA guidelines. However, the comparative data of both methods was not provided by the company.

For M. C. Bhandari & Co.
Chartered Accountants
FRN: 303002E

(Neeraj Jain)
Partner
Membership No. 064393

For S. Ghose & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN: 302184E/E300007

(Chandan Chattopadhay)
Partner
Membership No. 051254

Kolkata, the 19th June, 2015

नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
विचाराधीन प्रमुख कानूनी मामलों की सूची
अनुबंध-I

क्रम संख्या	केस का नाम	फोराम	बीमा के प्रकार	दावा राशि (करोड़ में)	टिप्पणी (वर्षवार)
1	एन्ध्रा पी स्पाइनिंग मिल्स बनाम एनआईसी	एनसीडीआरसी	पलांट एवं मेशिनरी	3.55	6 वर्ष
2	एस पी केमिकलस लि. बनाम एनआईसी	एनसीडीआरसी	अग्नि	1.75	7 वर्ष
3	मेसर्स साह देसाई बनाम एनआईसी	एनसीडीआरसी	अग्नि	1.037	3 वर्ष
4	सीमको बिड़ला बनाम एनआईसी	एनसीडीआरसी	अग्नि	12	2 वर्ष
5	ट्रमक इंजी. बनाम एनआईसी	एनसीडीआरसी	अग्नि	11	3 वर्ष
6	जगदम्बा फूडस बनाम एनआईसी	एनसीडीआरसी	डीओएस	18	2 वर्ष
7	जे के सिंथेटिक्स बनाम एनआईसी	एनसीडीआरसी	सेंधमारी	5.25	3 वर्ष
8	बिड़ला वीएक्सएल लि. बनाम एनआईसी	एनसीडीआरसी	मरीन	2.35	2 वर्ष
9	इंडियन एक्रिलिक्स बनाम एनआईसी	एनसीडीआरसी	मरीन	5.38	3 वर्ष
10	बी कृष्णमूर्ति बनाम एनआईसी	एनसीडीआरसी	सेंधमारी	4	3 वर्ष
11	विक्टोरिया ज्वेलर्स बनाम एनआईसी	एनसीडीआरसी	सेंधमारी	6	2 वर्ष
12	रत्नगिरि पावर	एनसीडीआरसी	एमबीएलओपी	133	5 वर्ष
13	पटेल इंजीनियरिंग	एनसीडीआरसी	सीएआर	123	5 वर्ष
14	अभास्कर कंसट्रक्षन	एआरबी	अग्नि	4	3 वर्ष
15	समुदर साड़ी	एआरबी	अग्नि	1	2 वर्ष
16	जमिल एयर कंडीनर	एआरबी	अग्नि	40	2 वर्ष
17	बालाजी इंटरनेानल	एआरबी	अग्नि	2	3 वर्ष
18	काबरा एक्सट्रान	एआरबी	अग्नि	2	5 वर्ष
19	सबेरो आर्गेनिक	एआरबी	अग्नि	2	1 वर्ष
20	मां आाीष	एआरबी	अग्नि	1	2 वर्ष
21	गिनि ग्लोबल	एआरबी	अग्नि	6	2 वर्ष
22	प्राइम टेक्सटाइल	एआरबी	अग्नि	7	3 वर्ष
23	अमरी	एआरबी	अग्नि	50	1 वर्ष
24	वेलमैन कारबो	एआरबी	अग्नि	10	5 वर्ष
25	अमरेश्वरी एग्री	एआरबी	अग्नि	10	5 वर्ष
				461.98	

NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED

LIST OF PENDING MAJOR LEGAL CASES

ANNEXURE-I

S. No.	Case Title	Forum	Type of Insurance	Amount Claimed (In Crores)	Remarks (Age Wise)
1	H. P. Spinning Mills Vs NIC	NCDRC	Plant & Machinery	3.55	6yrs
2	S. P. Chemicals Ltd Vs NIC	NCDRC	Fire	1.75	7yrs
3	M/s Shah Desai V NIC	NCDRC	Fire	1.037	3yrs
4	Cimmco Birla Vs NIC	NCDRC	Fire	12	2yrs
5	Trumac Engg Vs NIC	NCDRC	Fire	11	3yrs
6	Jagdamba Foods Vs NIC	NCDRC	Dos	18	2yrs
7	J. K Synthetics Vs NIC	NCDRC	Burglary	5.25	3yrs
8	Birla VXL Limited Vs NIC	NCDRC	Marine	2.35	2yrs
9	Indian Acrylics Vs NIC	NCDRC	Marine	5.38	3yrs
10	B. Krishnamurthi Vs NIC	NCDRC	Burglary	4	3yrs
11	Victoria Jewellers Vs NIC	NCDRC	Burglary	6	2yrs
12	Ratnagiri Power	NCDRC	MBLOP	133	5yrs
13	Patel Engineering	NCDRC	Car	123	5yrs
14	Abhaskar Constructions	ARB	Fire	4	3yrs
15	Samunder Saree	ARB	Fire	1	2yrs
16	Zamil Air Conditioners	ARB	Fire	40	2yrs
17	Balaji International	ARB	Fire	2	3yrs
18	Kabra Extrusion	ARB	Fire	2	5yrs
19	Sabero Organic	ARB	Fire	2	1yr
20	Maa Ashish	ARB	Fire	1	2yrs
21	Ginni Global	ARB	Fire	6	2yrs
22	Prime Textiles	ARB	Fire	7	3yrs
23	AMRI	ARB	Fire Scp	50	1yr
24	Welman CARBO	ARB	Fire	10	5yrs
25	Amreshwari Agri	ARB	Fire	10	5yrs
				461.98	

नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

अनुबंध-II

"हुद हुद" और जम्मू कश्मीर के दावों से संबंधित सीडेड व्यापार के संदर्भ में कंपनियों के नाम

क्रम संख्या	पूनर्बीमाकर्ता	देश	ब्रोकर	साईन लाईन (%)
1	एड्स एल री	साइप्रस	आलमोनड पूर्नबीमा प्राइवेट लिमिटेड	8.0
2	लीबर्टी सिंडीकेट	यूनाइटेड किंगडम	मार्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2.5
3	केन्या पूर्नबीमा निगम	केन्या	टावर बीमा प्राइवेट लिमिटेड	0.5
4	मलेीया री	मलेशिया	यूआईबी बीमा प्राइवेट लिमिटेड	2.0
5	कुवैट री	कुवैट	इंडिपेंडेंट बीमा प्राइवेट लिमिटेड	0.75
6	सिरियस इंटल	विदेशी	एओन आईरिक्स प्राइवेट लिमिटेड	22.5
7	साधारण बीमा निगम	भारत		33.0
8	केन्या पूनर्बीमा निगम	केन्या	एस बीमा प्राइवेट लिमिटेड	1.0
9	एशु म्यूटेल(ग्रुप एजेड)	फ्रांस	एम. बी. बोडा पूनर्बीमा प्राइवेट लिमिटेड	0.75
10	अमीरात बीमा कंपनी लिमिटेड	संयुक्त अरब अमीरात	आलमोनड पूर्नबीमा प्राइवेट लिमिटेड	3.0
11	कुवैट पूनर्बीमा कंपनी	कुवैट	मार्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1.0
12	यूनटी री, रूस	रूस	पाओनिर बीमा प्राइवेट लिमिटेड	0.25
13	ट्रीगलैब री	जर्मनी	के एम डस्तूर प्राइवेट लिमिटेड	0.5
14	यूरीय बीमा कंपनी, कजाखस्तान	रूस	मार्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1.0
15	लैनफोरसाक्रिंगर	विदेशी	एम. बी. बोडा पूनर्बीमा प्राइवेट लिमिटेड	1.75
16	मलेीया री	मलेशिया	जे.बी. बोडा पूनर्बीमा प्राइवेट लिमिटेड	1.75
17	अमीरात रीटाकाफूल	संयुक्त अरब अमीरात	आलमोनड पूर्नबीमा प्राइवेट लिमिटेड	2.5
18	यूरीय बीमा कंपनी, कजाखस्तान	रूस	रीस्क केयर बीमा प्राइवेट लिमिटेड	2.25
19	फेयर पूल	तुर्की		1.5
20	पीटीए री केन्या	केन्या	जे.बी. बोडा पूनर्बीमा प्राइवेट लिमिटेड	0.5
21	फेयर पूल	तुर्की	जे.बी. बोडा पूनर्बीमा प्राइवेट लिमिटेड	0.5
22	मिं।ा बीमा कंपनी	इजीप्ट	एम. बी. बोडा पूनर्बीमा प्राइवेट लिमिटेड	1.5
23	कतार बीमा	कतर		3.0
24	सवा री	रूस	एम. बी. बोडा पूनर्बीमा प्राइवेट लिमिटेड	1.25
25	यूरीय बीमा कंपनी, कजाखस्तान	रूस	लिमटेक्स बीमा प्राइवेट लिमिटेड	3.75
26	केन्या पूनर्बीमा निगम	केन्या	पाओनिर बीमा प्राइवेट लिमिटेड	0.5
27	अफरीकन रूनिगम मॉरीस	मॉरीशस	जे.बी. बोडा पूनर्बीमा प्राइवेट लिमिटेड	0.5
28 -a	केन्या पूनर्बीमा निगम	केन्या	जे.बी. बोडा पूनर्बीमा प्राइवेट लिमिटेड	1.0
28 -b	केन्या पूनर्बीमा निगम	केन्या	भारत पूनर्बीमा प्राइवेट लिमिटेड	1.0
		कुल		100.000000

NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED

ANNEXURE-II

NAME OF THE COMPANIES IN RESPECT OF CEDED BUSINESS PERTAINING TO CLAIMS OF "HUD HUD" AND "J & K FLOODS" EACH

Sl No.	Reinsurer	Country	Broker	Signed Line(%)
1	XI Re	Cyprus	Almondz Rein	8.0
2	Liberty Syndicate	United Kingdom	K M Dastur Reins. brokers P Ltd	2.5
3	Kenya Reinsurance Corporation	Kenya	Tower Insurance&Reins Services(i)Pvt Lt d Mumbai	0.5
4	Malaysian Re	Malaysia	UIB Insurance Brokers (India) Pvt. Ltd.	2.0
5	Kuwait Re.	Kuwait	Independent Insurance Brokers Pvt Ltd	0.75
6	Sirius Intl	Foreign	Aon-irics	22.5
7	General Insurance Corporation Of India	India		33.0
8	Kenya Reinsurance Corporation	Kenya	Ace Insurance Brokers Pvt.ltd.	1.0
9	Assu Mutuelle(group Azur)	France	M B Boda Reins.brokers Pvt Ltd	0.75
10	Emirates Insurance Co. Ltd	United Arab Emirates	Almondz Reinsurance Brokers Pvt Ltd	3.0
11	Kuwait Reinsurance Co. Kuwait	Kuwait	Marsh India Pvt Ltd	1.0
12	Unity Re, Russia	Russia	Pioneer Insurance & Reinsurance Brokers Pvt. Ltd.	0.25
13	Triglab Re	Germany	K M Dastur Reins.brokers P Ltd	0.5
14	Eurasia Insurance Co., Kazaksthan	Russia	Marsh India Pvt Ltd	1.0
15	Lanforsakringar	Foreign	M B Boda Reins.brokers Pvt Ltd	1.75
16	Malaysian Re	Malaysia	J. B. Boda Reinsurance Brokers Pvt. Ltd.	1.75
17	Emirates Retakaful	United Arab Emirates	Almondz Reinsurance Brokers Pvt Ltd	2.5
18	Eurasia Insurance Co., Kazaksthan	Russia	Risk Care Insurance Broker Sevice Pvt. Ltd.	2.25
19	Fair Pool	Turkey		1.5
20	Pta Re Kenya	Kenya	J. B. Boda Reinsurance Brokers Pvt. Ltd.	0.5
21	Fair Pool	Turkey	J. B. Boda Reinsurance Brokers Pvt. Ltd.	0.5
22	Misr Insurance Co.	Egypt	M B Boda Reins.brokers Pvt Ltd	1.5
23	Qatar Insurance	Qatar		3.0
24	Sava Re	Russia	Brokers Pvt Ltd	1.25
25	Eurasia Insurance Co., Kazaksthan	Ruissia	Limtex Insurance Broker Pvt. Ltd.	3.75
26	Kenya Reinsurance Corporation	Kenya	Pioneer Insurance & Reinsurance Brokers Pvt. Ltd.	0.5
27	African Re Corp. Mauritius	Mauritius	J. B. Boda Reinsurance Brokers Pvt. Ltd.	0.5
28 -a	Kenya Reinsurance Corporation	Kenya	J. B. Boda Reinsurance Brokers Pvt. Ltd.	1.0
28 -b	Kenya Reinsurance Corporation	Kenya	Bharat Reinsurance Services Pvt Ltd	1.0
		Total		**100.000000**

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी और बीमा कंपनियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियम, 2002 और कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पढ़े गये बीमा अधिनियम, 1938 के तहत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों की तैयारी कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करने के लिए अधिनियम के धारा 139 (5) के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक जिम्मेदार है । कहा गया है कि यह उनके द्वारा 19 जून 2015 को दिनांकित उनकी अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए किया गया है । मैने भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों की धारा 143 (6)(च) के तहत एक अनुपूरक लेखा परीक्षा का आयोजन किया है।

मैंने, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नेानल इन्श्र्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों के अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत एक अनुपूरक लेखा परीक्षा का आयोजन किया है । इस अनुपूरक लेखापरीक्षा का आयोजन सांविधिक लेखा परीक्षकों के काम के कागजात का उपयोग किए बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और सांविधिक लेखा परीक्षकों की जांच और कंपनी के कार्मिकों और लेखा अभिलेखों में से कुछ के चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है । मैं अपनी अनुपूरक लेखापरीक्षा पर आधारित, अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूँगी जो मेरी ध्यान में आया है और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणियों की बेहतर समझ और संबंधित लेखा रिपोर्ट को सक्षम करने के लिए आवश्र्यक हैं।

क. लाभप्रदता पर टिप्पणी
31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता
कर पश्चात लाभ ₹970.11 करोड़

ऊपर्युक्त राशि ₹455.35 करोड़ (कुल) से ज्यादा है क्योंकि यह आईबीएनआर दावों के पुनरांकन के कारण अतिरंजित है और पहले से 22/03/2012 दिनांकित इरडा के आदेश के साथ सहमति में भारतीय मोटर थर्ड पार्टी बीमा पूल के निराकरण के खाते पर उपलब्ध कराई दावा है। पुनरांकन के परिणामस्वरूप, आईबीएनआर दावों से सम्बन्धित दायित्व आईआरडीए द्वारा निर्धारित स्तर से नीचे गिर गया है, जिसके परिणामस्वरूप कर पश्चात लाभ की अतिशयोक्तिपूर्ण कथन और मौजूदा देनदारियों (विविध लेनदार) को कम करके आंका जा रहा है

कृते नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत

(यशोधरा राय चौधुरी)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
तथा पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-II
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
11 सितम्बर, 2015

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015.

The preparation of financial statements of National Insurance Company Limited for the year ended 31st March 2015 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller & Auditor General of India under Section 139(5) of the Act, is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 19 June 2015.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of National Insurance Company Limited for the year ended 31st March 2015. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

A. Comments on Profitability

Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2015

Profit After Tax - ₹970.11 crore.

The above is overstated by ₹455.35 crore (Net) due to write back of IBNR claims previously provided on account of dismantling of Indian Motor Third Party Insurance Pool in concurrence with IRDA's order dated 22.03.2012. As a result of the write back, the liability on account of IBNR claims has fallen below the level initially prescribed by IRDA resulting in overstatement of Profit After Tax and understatement of Current Liabilities (Sundry Creditors) by the same amount.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Yashodhara Ray Chaudhuri)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-officio Member, Audit Board - II
Kolkata

Place: Kolkata
Dated: the 11th of September, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

टिप्पणी	निदेशकों का जवाब
31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता **कर पश्चात लाभ ₹970.11 करोड़** ऊपर्युक्त राशि ₹455.35 करोड़ (कुल) से ज्यादा है क्योंकि यह आईबीएनआर दावों के पुनरांकन के कारण अतिरंजित है और पहले से 22/03/2012 दिनांकित इरडा के आदेश के साथ सहमति में भारतीय मोटर थर्ड पार्टी बीमा पूल के निराकरण के खाते पर उपलब्ध कराई दावा है। पुनरांकन के परिणामस्वरूप, आईबीएनआर दावों से सम्बन्धित दायित्व आईआरडीए द्वारा निर्धारित स्तर से नीचे गिर गया है, जिसके परिणामस्वरूप कर पश्चात लाभ की अतिशयोक्तिपूर्ण कथन और मौजूदा देनदारियों (विविध लेनदार) को कम करके आंका जा रहा है	एक्च्यूरी द्वारा भारतीय मोटर तृतीय पक्ष इन्श्योरेन्स पूल आईबीएनआर दावों से संबंधित वार्षिक आकलन दिनांक 31/03/2015 तक के मामले में कम्पनी सही मायने में अपना निष्पक्ष स्थिति पेश करती है। विविध लेनदारों के तहत आयोजित 31/03/2014 तक के संक्रमणकालीन दायित्व का अधिशेष, उपरोक्तलिखित 31/03/2015 तक आईबीएनआर दावे एसए-540 के उचित मूल्य लेखांकन के प्रावधानों के अनुसार है। इस लक्ष्य को उपरोक्त लेखा का हिस्सा बनाने के लिए नोट में खुलासा किया गया है।
(यशोधरा राय चौधुरी) प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक और पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोड-II कोलकाता	निदेशक मंडल के लिए और की ओर से (राजेश अग्रवाल, आईएएस) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
स्थान : कोलकाता दिनांक : 11 सितम्बर, 2015	कोलकाता, 24 सितम्बर, 2015

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(B) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015.

COMMENTS OF C&AG	DIRECTORS REPLY
Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2015	
Profit After Tax - ₹970.11 crore	
The above is overstated by ₹455.35 crore (Net) due to write back of IBNR claims previously provided on account of dismantling of Indian Motor Third Party Insurance Pool in concurrence with IRDA's order dated 22.03.2012. As a result of the write back, the liability on account of IBNR claims has fallen below the level initially prescribed by IRDA resulting in overstatement of Profit After Tax and understatement of Current Liabilities (Sundry Creditors) by the same amount.	To present the state of affairs of the Company truly and fairly, the annual re-estimation of IBNR claims as on 31.03.2015 was done by the Actuary in respect of Indian Motor Third Party Insurance Pool. The surplus of transitional liability as on 31.03.2014, held under sundry creditors, over the above mentioned IBNR claims as on 31.03.2015, was written back in the accounts, as per fair value accounting provisions of SA-540. The fact was suitably disclosed in the Notes forming part of the Accounts.
Sd/- (Yashodhara Ray Chaudhuri) Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio Member, Audit Board-II Kolkata	For and on behalf of the Board of Directors (Rajesh Aggarwal, IAS) Chairman-cum-Managing Director
Place : Kolkata Dated: The 11th of September , 2015	Kolkata, 24th September , 2015

वार्षिक

लेखा

2014-15

ANNUAL

ACCOUNTS

2014-15

आईआरडीए पंजीकरण सं.58 दिनांक 25 फरवरी 2014
CIN: U10200WB1906GOI001713

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए अग्नि बीमा आय लेखा

विवरण	अनुसूची	2014-2015	2013-2014
		(₹ '000)	(₹ '000)
1 अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1	7,533,129	7,212,304
2 निवेशों की बिक्री/पुनर्विमोचन पर लाभ (शुद्ध)		956,927	863,293
3 विनिमय लाभ		-	5,832
4 ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल		1,020,406	996,040
योग (क)		**9,510,462**	**9,077,469**
1 उपगत दावे (शुद्ध)	2	5,633,301	5,278,589
2 कमीशन	3	609,525	656,207
3 बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय	4	2,536,114	1,867,734
4 विनिमय हानि		153	-
योग (ख)		**8,779,093**	**7,802,530**
अग्रिम व्यवसाय से प्रचालन लाभ = (क-ख)		731,369	1,274,939
विनियोजन			
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण		731,369	1,274,939
योग (ग)		**731,369**	**1,274,939**

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए यह अग्नि बीमा आय लेखा इस तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है।

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं सूचना के अनुसार अग्नि बीमा के सम्बन्ध में कहीं भी किये गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों अथवा परोक्ष रूप से, सभी प्रबंधन व्यय लेखांकन नीति संख्या 9 ए के अनुसार उक्त आय लेखा में व्यय के रूप में पूर्णत: नाम किये गए हैं।

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 सी(2) के अपेक्षानुसार हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि अग्नि बीमा व्यवसाय के सम्बन्ध में कहीं भी किये गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों अथवा परोक्ष रूप से, सभी प्रबंधन व्यय लेखांकन नीति संख्या 9 ए के अनुसार उक्त आय लेखा में व्यय के रूप में पूर्णत: नाम किये गए हैं।

कृते निदेशक मंडल

एम. सी. भंडारी एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजी.सं. 303002E	एस. घोष एंड कं. एलएलपी सनदी लेखाकार फर्म पंजी.सं.302184E/E300007	राजेश अग्रवाल (भा.प्र.से.)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (DIN: 03566931)
		के. पी. ब्रह्म	निदेशक (DIN: 02919395)
(नीरज जैन) भागीदार सदस्यता संख्या 064393	(चन्दन चट्टोपाध्याय) भागीदार सदस्यता संख्या 051254	एम. वसंत कृष्णा	निदेशक (DIN: 06960731)
		पी सी सुबुधि	मुख्य वित्तीय अधिकारी
		रीना माडिया	कम्पनी सचिव

कोलकाता 19 जून, 2015

IRDA Registration no. 58 dated 25th February, 2014
CIN: U10200WB1906GOI001713

Fire Revenue Account for the financial year ended 31st March, 2015

	Particulars	Schedule	2014-2015 (₹ '000)	2013-2014 (₹ '000)
1	Premium Earned (Net)	1	**7,533,129**	7,212,304
2	Profit on sale/redemption of Investments (Net)		**956,927**	863,293
3	Exchange Gain		**-**	5,832
4	Interest, Dividend & Rent (Gross)		**1,020,406**	996,040
	Total (A)		**9,510,462**	**9,077,469**
1	Claims Incurred (Net)	2	**5,633,301**	5,278,589
2	Commission	3	**609,525**	656,207
3	Operating Expenses related to Insurance Business	4	**2,536,114**	1,867,734
4	Exchange Loss		**153**	-
	Total (B)		**8,779,093**	**7,802,530**
	Operating Profit from Fire Business (A - B)		**731,369**	1,274,939
	APPROPRIATIONS			
	Transfer to Shareholders' Account		**731,369**	1,274,939
	Total (C)		**731,369**	**1,274,939**

This is the Fire Insurance Revenue Account for the year ended 31st March, 2015 referred to in our report of even date.

We hereby certify that to the best of our knowledge and information, all expenses of management wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Fire Insurance Business have been fully debited in the above Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No. 9A.

As required by Section 40C(2) of the Insurance Act, 1938, we hereby certify that all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Fire Insurance Business have been fully debited in the Fire Insurance Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No. 9A.

For and on behalf of the Board of Directors

For M. C. Bhandari & Co.
Chartered Accountants
FRN 303002E

(Neeraj Jain)
Partner
Membership No. 064393

For S. Ghose & Co.LLP
Chartered Accountants
FRN 302184E/E300007

(Chandan Chattopadhay)
Partner
Membership No. 051254

Rajesh Aggarwal (IAS)	Chairman-cum-Managing Director (DIN: 03566931)
K. P. Brahma	Director (DIN: 02919395)
M. Vasantha Krishna	Director (DIN: 06960731)
P. C. Subudhi	Chief Financial Officer
Rina Madia	Company Secretary

Kolkata, the 19th June 2015

आईआरडीए पंजीकरण सं.58 दिनांक 25 फरवरी 2014
CIN: U10200WB1906GOI001713

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए मरीन बीमा आय लेखा

विवरण	अनुसूची	2014-2015 (₹ '000)	2013-2014 (₹ '000)
1 अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1	2,013,777	1,912,925
2 निवेशों की बिक्री/पुनर्विमोचन पर लाभ (शुद्ध)		305,788	267,299
3 विनिमय लाभ		-	3,310
4 ब्याज, लाभांश एवं किराया (सकल)		326,073	308,400
योग (क)		2,645,638	2,491,934
1 उपगत दावे (शुद्ध)	2	1,174,794	1,380,529
2 कमीशन	3	207,082	181,980
3 बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय	4	580,283	491,322
4 विनिमय हानि		87	-
योग (ख)		1,962,246	2,053,831
मरीन व्यवसाय से प्रचालन लाभ = (क-ख)		683,392	438,103
विनियोजन			
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण		683,392	438,103
योग (ग)		683,392	438,103

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए यह मरीन बीमा आय लेखा इस तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है।

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं सूचना के अनुसार मरीन बीमा व्यवसाय के सम्बन्ध में कहीं भी किये गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों अथवा परोक्ष रूप से, सभी प्रबंधन व्यय लेखांकन नीति संख्या 9 ए के अनुसार उक्त आय लेखा में व्यय के रूप में पूर्णत: नाम किये गए हैं।

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 सी(2) के अपेक्षानुसार हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि मरीन बीमा व्यवसाय के सम्बन्ध में कहीं भी किये गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों अथवा परोक्ष रूप से, सभी प्रबंधन व्यय लेखांकन नीति संख्या 9 ए के अनुसार उक्त आय लेखा में व्यय के रूप में पूर्णत: नाम किये गए हैं।

कृते निदेशक मंडल

एम. सी. भंडारी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 303002E

(नीरज जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 064393

एस. घोष एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं./E300007

(चन्दन चट्टोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता संख्या 051254

राजेश अग्रवाल (भा.प्र.से.)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (DIN: 03566931)
के. पी. ब्रह्म	निदेशक (DIN: 02919395)
एम. वसंत कृष्णा	निदेशक (DIN: 06960731)
पी सी सुबुधि	मुख्य वित्तीय अधिकारी
रीना माडिया	कम्पनी सचिव

कोलकाता 19 जून, 2015

IRDA Registration no. 58 dated 25th February, 2014
CIN: U10200WB1906GOI001713

Marine Revenue Account for the financial year ended 31st March, 2015

	Particulars	Schedule	2014-2015 (₹ '000)	2013-2014 (₹ '000)
1	Premium Earned (Net)	1	**2,013,777**	1,912,925
2	Profit on sale/redemption of Investments(Net)		**305,788**	267,299
3	Exchange Gain		-	3,310
4	Interest, Dividend & Rent (Gross)		**326,073**	308,400
	Total (A)		**2,645,638**	**2,491,934**
1	Claims Incurred (Net)	2	**1,174,794**	1,380,529
2	Commission	3	**207,082**	181,980
3	Operating Expenses related to Insurance Business	4	**580,283**	491,322
4	Exchange Loss		**87**	-
	Total (B)		**1,962,246**	**2,053,831**
	Operating Profit from Marine Business = (A - B)		**683,392**	438,103
	Appropriations :			
	Transfer to Shareholders' Account		**683,392**	438,103
	Total (C)		**683,392**	**438,103**

This is the Marine Insurance Revenue Account for the year ended 31st March, 2015 referred to in our report of even date.

We hereby certify that to the best of our knowledge and information, all expenses of management wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Marine Insurance Business have been fully debited in the above Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No. 9A.

As required by Section 40C(2) of the Insurance Act, 1938, we hereby certify that all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Marine Insurance Business have been fully debited in the Marine Insurance Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No. 9A.

For and on behalf of the Board of Directors

For M. C. Bhandari & Co. Chartered Accountants FRN 303002E	For S. Ghose & Co.LLP Chartered Accountants FRN 302184E/E300007	Rajesh Aggarwal (IAS)	Chairman-cum-Managing Director (DIN: 03566931)
		K. P. Brahma	Director (DIN: 02919395)
		M. Vasantha Krishna	Director (DIN: 06960731)
(Neeraj Jain) Partner Membership No. 064393	(Chandan Chattopadhay) Partner Membership No. 051254	P. C. Subudhi	Chief Financial Officer
		Rina Madia	Company Secretary

Kolkata, the 19th June 2015

आईआरडीए पंजीकरण सं.58 दिनांक 25 फरवरी 2014
CIN: U10200WB1906GOI001713

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए विविध बीमा आय लेखा

विवरण	अनुसूची	2014-2015 (₹ '000)	2013-2014 (₹ '000)
1 अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1	**89,434,655**	77,701,469
2 निवेशों की बिक्री/पुनर्विमोचा पर लाभ (शुद्ध)		**8,896,089**	7,253,982
3 विनिमय लाभ		**14,052**	44,218
4 ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल		**9,486,227**	8,369,408
योग (क)		**107,831,023**	**93,369,077**
1 उपगत दावे (शुद्ध)	2	**69,943,690**	63,826,939
2 कमीशन	3	**4,829,287**	4,992,881
3 बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय	4	**23,840,553**	16,930,441
3A **मोटर व्यवसाय से संबंधित प्रशासनिक व्यय**		**4,266,931**	3,451,670
4 विनिमय हानि		**-**	-
योग (ख)		**102,880,461**	**89,201,931**
अग्रिम व्यवसाय से प्रचालन लाभ - (क-ख)		**4,950,562**	**4,167,146**
विनियोजन			
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण		**4,950,562**	4,167,146
योग (ग)		**4,950,562**	**4,167,146**

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए यह विविध बीमा आय लेखा इस तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है।

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं सूचना के अनुसार विविध बीमा के सम्बन्ध में कहीं भी किये गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों अथवा परोक्ष रूप से, सभी प्रबंधन व्यय लेखांकन नीति संख्या 9 ए के अनुसार उक्त आय लेखा में व्यय के रूप में पूर्णत: नाम किये गए हैं।

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 सी(2) के अपेक्षानुसार हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि विविध बीमा व्यवसाय के सम्बन्ध में कहीं भी किये गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों अथवा परोक्ष रूप से, सभी प्रबंधन व्यय लेखांकन नीति संख्या 9 ए के अनुसार उक्त आय लेखा में व्यय के रूप में पूर्णत: नाम किये गए हैं।

कृते निदेशक मंडल

एम. सी. भंडारी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 303002E

(नीरज जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 064393

एस. घोष एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.302184E/E300007

(चन्दन चट्टोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता संख्या 051254

राजेश अग्रवाल (भा.प्र.से.)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (DIN: 03566931)
के. पी. ब्रह्म	निदेशक (DIN: 02919395)
एम. वसंत कृष्णा	निदेशक (DIN: 06960731)
पी सी सुबुधि	मुख्य वित्तीय अधिकारी
रीना माडिया	कम्पनी सचिव

कोलकाता 19 जून, 2015

IRDA Registration no. 58 dated 25th February, 2014
CIN: U10200WB1906GOI001713

Miscellaneous Revenue Account for the financial year ended 31st March, 2015

	Particulars	Schedule	2014-2015 (₹ '000)	2013-2014 (₹ '000)
1	Premium Earned (Net)	1	**89,434,655**	77,701,469
2	Profit on sale/redemption of Investments(Net)		**8,896,089**	7,253,982
3	Exchange Gain		**14,052**	44,218
4	Interest, Dividend & Rent (Gross)		**9,486,227**	8,369,408
	Total (A)		**107,831,023**	**93,369,077**
1	Claims Incurred (Net)	2	**69,943,690**	63,826,939
2	Commission	3	**4,829,287**	4,992,881
3	Operating Expenses related to Insurance Business	4	**23,840,553**	16,930,441
3A	Administrative Expenses Related to Motor Business		**4,266,931**	3,451,670
4	Exchange Loss		-	-
	Total (B)		**102,880,461**	**89,201,931**
	Operating Profit from Miscellaneous Business = (A - B)		**4,950,562**	**4,167,146**
	Appropriations :			
	Transfer to Shareholders' Account		**4,950,562**	4,167,146
	Total (C)		**4,950,562**	**4,167,146**

This is the Miscellaneous Insurance Revenue Account for the year ended 31st March, 2015 referred to in our report of even date.

We hereby certify that to the best of our knowledge and information, all expenses of management wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Miscellaneous Insurance Business have been fully debited in the above Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No. 9A.

As required by Section 40C (2) of the Insurance Act, 1938, we hereby certify that all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Miscellaneous Insurance Business have been fully debited in the Miscellaneous Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No. 9A.

For and on behalf of the Board of Directors

For M. C. Bhandari & Co.	For S. Ghose & Co.LLP		
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Rajesh Aggarwal (IAS)	Chairman-cum-Managing Director (DIN: 03566931)
FRN 303002E	FRN 302184E/E300007	K. P. Brahma	Director (DIN: 02919395)
		M. Vasantha Krishna	Director (DIN: 06960731)
(Neeraj Jain) Partner	(Chandan Chattopadhay) Partner	P. C. Subudhi	Chief Financial Officer
Membership No. 064393	Membership No. 051254	Rina Madia	Company Secretary

Kolkata, the 19th June 2015

आईआरडीए पंजीकरण सं.58 दिनांक 25 फरवरी 2014
CIN: U10200WB1906GOI001713

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि लेखा

	विवरण	2014 – 2015 (₹ '000)	2013 – 2014 (₹ '000)
1	**प्रचालन लाभ/(हानि)**	**6,365,323**	5,880,188
	अ) अग्नि बीमा	**731,369**	1,274,939
	(ब) समुद्री बीमा	**683,392**	438,103
	स) विविध बीमा	**4,950,562**	4,167,146
2	**निवेशों से आय**	**5,548,295**	4,569,412
	अ) ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल	**2,863,208**	2,447,822
	ब) निवेशों की बिक्री/पुनर्विमोचन से लाभ	**2,685,132**	2,124,710
	घटाएं: निवेशों की बिक्री/पुनर्विमोचन से हानि	**45**	3,120
3	**अन्य आय**	**54,799**	56,474
	अ) अन्य सम्पत्ति की बिक्री से लाभ	**1,081**	1
	ब) विविध आय	**53,709**	56,030
	स) विनिमय लाभ/हानि	**9**	443
	द) देनदारियां अब आवश्यक नहीं	**0**	0
	योग (क)	**11,968,417**	10,506,074
4	**प्रावधान (कराधान के अलावा)**	**(110,605)**	250,682
	अ) निवेशों के मूल्य में कमी के लिए	**(20,796)**	41,531
	ब) संदिग्ध ऋणों के लिए	**(89,809)**	209,151
5	**अन्य व्यय**	**111,631**	**177,463**
	अ) बीमा व्यवसाय से सम्बंधित व्ययों के अलावा व्यय	**37,901**	36,273
	ब) निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन	**58,911**	57,844
	स) निवेश के मूल्यह्रास के संबंध में बट्टे खाते गयी राशि	**13,358**	45,002
	द) विनिमय हानि	**-**	-
	य) बट्टे खाते परिसम्पत्ति	**99**	3,697
	र) सम्पत्ति बिक्री में हानि	**1,362**	6,448
	ल) प्रदत्त विदेशी आयकर	**-**	28,199
	व) प्रदर्शन से सम्बंधित प्रोत्साहन	**-**	-
	योग (ख)	**1,026**	**428,145**

IRDA Registration no. 58 dated 25th February, 2014
CIN: U10200WB1906GOI001713

Profit and Loss Account for the financial year ended 31st March, 2015

	Particulars	2014 – 2015 (₹ '000)	2013 – 2014 (₹ '000)
1	**OPERATING PROFIT/(LOSS)**	**6,365,323**	5,880,188
(a)	Fire Insurance	**731,369**	1,274,939
(b)	Marine Insurance	**683,392**	438,103
(c)	Miscellaneous Insurance	**4,950,562**	4,167,146
2	**INCOME FROM INVESTMENTS**	**5,548,295**	4,569,412
(a)	Interest, Dividend & Rent – Gross	**2,863,208**	2,447,822
(b)	Profit on sale/redemption of investments	**2,685,132**	2,124,710
	Less: Loss on sale/redemption of investments	**45**	3,120
3	**OTHER INCOME**	**54,799**	56,474
a)	Profit on sale of other Asset	**1,081**	1
b)	Miscellaneous Income	**53,709**	56,030
c)	Exchange Gain / Loss	**9**	443
d)	Liabilities no longer required	**0**	0
	TOTAL (A)	**11,968,417**	10,506,074
4	**PROVISIONS (Other than taxation)**	**(110,605)**	250,682
(a)	For diminution in the value of investments	**(20,796)**	41,531
(b)	For doubtful debts	**(89,809)**	209,151
5	**OTHER EXPENSES**	**111,631**	**177,463**
(a)	Expenses other than those related to Insurance Business	**37,901**	36,273
(b)	Amortisation of Premium on Investments	**58,911**	57,844
(c)	Amount written off in respect of depreciated Investments	**13,358**	45,002
(d)	Exchange Loss	**-**	-
(e)	Assets written off	**99**	3,697
(f)	Loss on Sale on Asset	**1,362**	6,448
(g)	Foreign Income tax paid	**-**	28,199
(h)	Performance Linked Incentive	**-**	-
	TOTAL (B)	**1,026**	**428,145**

विवरण	2014 – 2015 (₹ '000)	2013 – 2014 (₹ '000)
कर पूर्व लाभ (क-ख)	**11,967,391**	10,077,929
कराधान के लिए प्रावधान :		
वर्तमान कर (एमएटी)	**2,291,000**	1,845,000
आस्थगित कर	**-**	-
पूर्व वर्षों का कराधान समायोजन	**24,693**	-4,056
कर पश्चात लाभ	**9,701,084**	**8,228,873**
विनियोजन		
(अ) प्रस्तावित लाभांश	**1,935,279**	1,646,586
(ब) लाभांश संवितरण कर	**328,901**	279,837
(स) सामान्य आरक्षित में अन्तरित	**6,936,904**	6,052,450
(द) भूमि एवं भवनों के लिए आकस्मिक आरक्षित में अंतरण	**500,000**	250,000
	9,701,084	**8,228,873**

यह लाभ तथा हानि लेखा इस दिनांक को हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है

कृते निदेशक मंडल

एम. सी. भंडारी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 303002E

(नीरज जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 064393

एस. घोष एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.302184E/E300007

(चन्दन चट्टोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता संख्या 051254

राजेश अग्रवाल (भा.प्र.से.)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (DIN: 03566931)
के. पी. ब्रह्म	निदेशक (DIN: 02919395)
एम. वसंत कृष्णा	निदेशक (DIN: 06960731)
पी सी सुबुधि	मुख्य वित्तीय अधिकारी
रीना माडिया	कम्पनी सचिव

कोलकाता 19 जून, 2015

Particulars	2014 – 2015 (₹ '000)	2013 – 2014 (₹ '000)
PROFIT BEFORE TAX (A - B)	**11,967,391**	10,077,929
Provision for Taxation :		
Current Tax (MAT)	**2,291,000**	1,845,000
Deferred Tax	**-**	-
Adjustment of Taxation for earlier years	**24,693**	-4,056
PROFIT AFTER TAX	**9,701,084**	**8,228,873**
APPROPRIATIONS		
(a) Proposed dividend	**1,935,279**	1,646,586
(b) Dividend distribution tax	**328,901**	279,837
(c) Transfer to General Reserve	**6,936,904**	6,052,450
(d) Transfer to Contingency Reserve for Land & Building	**500,000**	250,000
	9,701,084	**8,228,873**

This is the Profit and Loss Account referred to in our report of even date.

For and on behalf of the Board of Directors

For M. C. Bhandari & Co.
Chartered Accountants
FRN 303002E

(Neeraj Jain)
Partner
Membership No. 064393

For S. Ghose & Co.LLP
Chartered Accountants
FRN 302184E/E300007

(Chandan Chattopadhay)
Partner
Membership No. 051254

Rajesh Aggarwal (IAS)	Chairman-cum-Managing Director (DIN: 03566931)
K. P. Brahma	Director (DIN: 02919395)
M. Vasantha Krishna	Director (DIN: 06960731)
P. C. Subudhi	Chief Financial Officer
Rina Madia	Company Secretary

Kolkata, the 19th June 2015

आईआरडीए पंजीकरण सं.58 दिनांक 25 फरवरी 2014
CIN: U10200WB1906GOI001713

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का तुलन-पत्र

विवरण	अनुसूची	2014 – 2015 (₹ '000)	2013 – 2014 (₹ '000)
निधियों को स्रोत			
शेयर पूंजी	5	**1,000,000**	1,000,000
आरक्षित तथा आधिक्य	6	**37,912,532**	30,484,173
उचित मूल्य परिवर्तन लेखा		**87,386,331**	77,889,289
उधार	7	**-**	-
योग		**126,298,863**	**109,373,462**
निधियों के अनुप्रयोग			
निवेश	8	**245,449,558**	218,959,324
ऋण	9	**2,187,234**	2,272,736
स्थायी परिसम्पतियां	10	**2,016,457**	1,830,150
आस्थगित कर सम्पत्ति		**-**	-
वर्तमान परिसम्पत्तियां:			
नगद तथा बैंक अतिशेष	11	**13,164,549**	14,890,011
अग्रिम तथा अन्य परिसम्पत्तियां	12	**40,204,865**	32,549,736
उप-योग (क)		**53,369,414**	**47,439,747**
वर्तमान देयताएं	13	**120,494,980**	110,012,766
प्रावधान	14	**56,228,820**	51,115,729
उप-योग (ख)		**176,723,800**	**161,128,495**
शुद्ध वर्तमान परिसम्पत्तियां (ग)=(क-ख)		**(123,354,386)**	(113,688,748)
विविध **खर्च** (बट्टे खाते डाले गए अथवा समायोजित नहीं की सीमा तक)	15	**-**	-
योग		**126,298,863**	109,373,462
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	16		
लेखा पर टिप्पणियां	17		

यह-तुलन-पत्र इस तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है।

कृते निदेशक मंडल

एम. सी. भंडारी एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजी.सं. 303002E	एस. घोष एंड कं. एलएलपी सनदी लेखाकार फर्म पंजी.सं.302184E/E300007	राजेश अग्रवाल (भा.प्र.से.)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (DIN: 03566931)
		के. पी. ब्रह्म	निदेशक (DIN: 02919395)
		एम. वसंत कृष्णा	निदेशक (DIN: 06960731)
(नीरज जैन) भागीदार सदस्यता संख्या 064393	(चन्दन चट्टोपाध्याय) भागीदार सदस्यता संख्या 051254	पी सी सुबुधि	मुख्य वित्तीय अधिकारी
		रीना माडिया	कम्पनी सचिव

कोलकाता 19 जून, 2015

IRDA Registration no. 58 dated 25th February, 2014
CIN: U10200WB1906GOI001713

Balance Sheet as at 31st March, 2015

Particulars	Schedule	2014 – 2015 (₹ '000)	2013 – 2014 (₹ '000)
SOURCES OF FUNDS			
SHARE CAPITAL	5	**1,000,000**	1,000,000
RESERVES AND SURPLUS	6	**37,912,532**	30,484,173
FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		**87,386,331**	77,889,289
BORROWINGS	7	**-**	-
TOTAL		**126,298,863**	**109,373,462**
APPLICATION OF FUNDS			
INVESTMENTS	8	**245,449,558**	218,959,324
LOANS	9	**2,187,234**	2,272,736
FIXED ASSETS	10	**2,016,457**	1,830,150
DEFERRED TAX ASSET		**-**	-
CURRENT ASSETS :			
Cash and Bank Balances	11	**13,164,549**	14,890,011
Advances and Other Assets	12	**40,204,865**	32,549,736
Sub-Total (A)		**53,369,414**	**47,439,747**
CURRENT LIABILITIES	13	**120,494,980**	110,012,766
PROVISIONS	14	**56,228,820**	51,115,729
Sub-total (B)		**176,723,800**	**161,128,495**
NET CURRENT ASSETS (C) (A- B)		**(123,354,386)**	(113,688,748)
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	**-**	-
TOTAL		**126,298,863**	109,373,462
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	16		
NOTES ON ACCOUNTS	17		

This is the Balance Sheet referred to our report of even date.

For and on behalf of the Board of Directors

For M. C. Bhandari & Co.
Chartered Accountants
FRN 303002E

(Neeraj Jain)
Partner
Membership No. 064393

For S. Ghose & Co.LLP
Chartered Accountants
FRN 302184E/E300007

(Chandan Chattopadhay)
Partner
Membership No. 051254

Rajesh Aggarwal (IAS)	Chairman-cum-Managing Director (DIN: 03566931)
K. P. Brahma	Director (DIN: 02919395)
M. Vasantha Krishna	Director (DIN: 06960731)
P. C. Subudhi	Chief Financial Officer
Rina Madia	Company Secretary

Kolkata, the 19th June 2015

आईआरडीए पंजीकरण सं.58 दिनांक 25 फरवरी 2014
CIN: U10200WB1906GOI001713

31 मार्च 2015 को नकदी प्रवाह विवरण

	2014-15 (₹ '000)	2013-14 (₹ '000)
ए. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
1. पलिसीधारकों से प्राप्त अग्रिम सहित प्राप्त प्रीमियम	80543672	53053230
2. अन्य प्राप्तियां	116266218	171833668
3. पुनर्बीमाकर्ता, कमीशन एवं दावा भुगतान	-5221928	-5303635
4. सह बीमाकर्ता को भुगतान, शुद्ध दावा रिकवरी	-3022308	-1195402
5. दावा भुगतान	-27628857	-20689678
6. कमीशन एवं ब्रोकरेज का भुगतान	-4820791	-4506543
7. अन्य प्रचालन व्ययों का भुगतान	-13704287	-11152943
8. प्राथमिक एवं पूर्व प्रचालन व्यय	0	0
9. डिपॉजिट, एडवान्स एवं स्टाफ लोन (गृह निर्माण ऋण सहित)	-699971	-694255
10. आयकर भुगतान (शुद्ध) (वेल्थ टेक्स सहित)	-3239674	-25573
11. सेवाकर भुगतान	-11330485	-10868159
12. अन्य भुगतान	-136127912	-170321872
13. विशेष मदों के पूर्व नकदी प्रवाह	-8986323	128838
14. विशेष व्ययों से नकदी प्रवाह (भर्ती प्रक्रिया से आय)	0	160088
15. प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ए)	-8986323	288926
बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
1. अचल परिसम्पत्तियों की खरीद	-234425	-2381763
2. अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त	2080	15682
3. निवेश की खरीद (मुद्रा बाजार के साधन और लिक्विड म्यूचुअल फंड के अलावा)	-48346399	-101941883
4. वितरित ऋण	0	0
5. निवेश की बिक्री	46898373	285970741
6. प्राप्त रि-पेमेन्ट	46824	3346
7. प्राप्त किराया/ब्याज /डिविडेन्टस	13098882	11384368
8. मनी मार्केट इन्सट्रूमेन्ट एवं लिक्विड म्यूचुल फंड में निवेश	-2241909	-190839211
9. निवेश सम्बंधी व्यय	-37652	-35917
10. निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (वी)	9185774	2175363

IRDA Registration no. 58 dated 25th February, 2014
CIN: U10200WB1906GOI001713

Cash Flow Statement as at 31st March, 2015

		2014-15 (₹ '000)	2013-14 (₹ '000)
A.	**Cash Flows from the operating activities:**		
1.	Premium received from policyholders, including advance receipts	**80543672**	53053230
2.	Other receipts	**116266218**	171833668
3.	Payments to the re-insurers, net of commissions and claims	**-5221928**	-5303635
4.	Payments to co-insurers, net of claims recovery	**-3022308**	-1195402
5.	Payments of claims	**-27628857**	-20689678
6.	Payments of commission and brokerage	**-4820791**	-4506543
7.	Payments of other operating expenses	**-13704287**	-11152943
8.	Preliminary and pre-operative expenses	**0**	0
9.	Deposits, advances and staff loans (including House building Loan)	**-699971**	-694255
10.	Income taxes paid (Net) (Including Wealth Tax)	**-3239674**	-25573
11.	Service tax paid	**-11330485**	-10868159
12.	Other payments	**-136127912**	-170321872
13.	Cash flows before extraordinary items	**-8986323**	128838
14.	Cash flow from extraordinary operations (Income from Recruitment exercise)	**0**	160088
15.	Net cash flow from operating activities (A)	**-8986323**	288926
B.	**Cash flows from investing activities:**		
1.	Purchase of fixed assets	**-234425**	-2381763
2.	Proceeds from sale of fixed assets	**2080**	15682
3.	Purchases of investments (Other than money market instrument & liquid mutual funds)	**-48346399**	-101941883
4.	Loans disbursed	**0**	0
5.	Sales of investments	**46898373**	285970741
6.	Repayments received	**46824**	3346
7.	Rents/Interests/Dividends received	**13098882**	11384368
8.	Investments in money market instruments and in liquid mutual funds	**-2241909**	-190839211
9.	Expenses related to investments	**-37652**	-35917
10.	Net cash flow from investing activities (B)	**9185774**	2175363

31 मार्च 2015 को नकदी प्रवाह विवरण	2014-15 (₹ '000)	2013-14 (₹ '000)
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
1. शेयर केपिटल जारी करने से प्राप्ति	0	0
2. ऋण से प्राप्ति	0	0
3. ऋण का रिपेमेन्ट	0	0
4. भुगतान ब्याज/ लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)	-1926423	-1627865
5. वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (सी)	-1926423	-1627865
डी. नकद एवं नकदी के समतुल्य पर विदेशी विनिमय दर का प्रभाव, (शुद्ध) (सम्पत्ति एवं देनदारियों के ट्रान्सलेशन के कारण)	1510	0
ई. नकद एवं नकदी के समतुल्य में शुद्ध वृद्धि : (ए+बी+सी+डी)	-1725462	836424
1. वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी के समतुल्य	14890011	14053587
2. वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी के समतुल्य	13164549	14890011

कृते निदेशक मंडल

एम. सी. भंडारी एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजी.सं. 303002E	एस. घोष एंड कं. एलएलपी सनदी लेखाकार फर्म पंजी.सं.302184E/E300007	राजेश अग्रवाल (भा.प्र.से.)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (DIN: 03566931)
		के. पी. ब्रह्म	निदेशक (DIN: 02919395)
		एम. वसंत कृष्णा	निदेशक (DIN: 06960731)
(नीरज जैन) भागीदार सदस्यता संख्या 064393	(चन्दन चट्टोपाध्याय) भागीदार सदस्यता संख्या 051254	पी सी सुबुधि	मुख्य वित्तीय अधिकारी
		रीना माडिया	कम्पनी सचिव

कोलकाता 19 जून, 2015

Cash Flow Statement as at 31 March, 2015

		2014-15 (₹ '000)	2013-14 (₹ '000)
C.	**Cash flows from financing activities:**		
	1. Proceeds from issuance of share capital	**0**	0
	2. Proceeds from borrowing	**0**	0
	3. Repayments of borrowing	**0**	0
	4. Interest / dividends (including dividend distribution tax) paid	**-1926423**	-1627865
	5. Net cash flow from financing activities (C)	**-1926423**	-1627865
D.	**Effect of Foreign Exchange rates on Cash & Cash Equivalents, net (due to translation of assets and liabilities) :**	**1510**	0
E.	**Net increase in Cash & Cash Equivalents: (A+B+C+D)**	**-1725462**	836424
	1. Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year	**14890011**	14053587
	2. Cash & Cash equivalents at the end of the year	**13164549**	14890011

For and on behalf of the Board of Directors

For M. C. Bhandari & Co.	For S. Ghose & Co.LLP		
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Rajesh Aggarwal (IAS)	Chairman-cum-Managing Director (DIN: 03566931)
FRN 303002E	FRN 302184E/E300007	K. P. Brahma	Director (DIN: 02919395)
		M. Vasantha Krishna	Director (DIN: 06960731)
(Neeraj Jain) Partner	(Chandan Chattopadhay) Partner	P. C. Subudhi	Chief Financial Officer
Membership No. 064393	Membership No. 051254	Rina Madia	Company Secretary

Kolkata, the 19th June 2015

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट

(₹ हजार में)

विवरण	अग्नि	
	2014-15	2013-14
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)		
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम	9327230	8877669
जोड़ेः स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	1657508	1388483
घटाये:अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	3383740	2800895
शुद्ध प्रीमियम	7600998	7465257
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन	-67871	-252953
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	**7533127**	**7212304**
उपगत दावा (शुद्ध)		
उपगत दावा-प्रत्यक्ष	7149354	3850374
जोडे: स्वीकृत पुनर्बीमा	1079659	1218346
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा	4359284	435330
शुद्ध प्रदत्त दावे	3869729	4633390
जोडे: वर्ष के अंत में बकाया दावे	9067705	7304133
घटाये: आरम्भ में बकाया दावे	7304133	6658934
कुल उपगत दावा	**5633301**	**5278589**
कमीशन		
प्रदत्त कमीशन-प्रत्यक्ष	594516	550563
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	346567	521361
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा	331558	415717
शुद्ध कमीशन	**609525**	**656207**
प्रचालन व्यय	**2536267**	**1861902**
बीमालेखन परिणाम	**-1245966**	**-584394**

Segmental Report for the financial year ended 31st March, 2015

(₹ in Thousand)

PARTICULARS	FIRE	
	2014-15	2013-14
PREMIUM EARNED (NET)		
PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	9327230	8877669
ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	1657508	1388483
LESS : PREMIUM ON R/I CEDED	3383740	2800895
NET PREMIUM	7600998	7465257
ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	-67871	-252953
TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	**7533127**	**7212304**
CLAIMS INCURRED (NET)		
CLAIMS PAID – DIRECT	7149354	3850374
ADD : R/I ACCEPTANCE	1079659	1218346
LESS : R/I CEDED	4359284	435330
NET CLAIMS PAID	3869729	4633390
ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	9067705	7304133
LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	7304133	6658934
TOTAL CLAIMS INCURRED	**5633301**	**5278589**
COMMISSION		
COMMISSION PAID – DIRECT	594516	550563
ADD: R/I ACCEPTANCE	346567	521361
LESS: R/I CEDED	331558	415717
NET COMMISSION	**609525**	**656207**
OPERATING EXPENSES	**2536267**	**1861902**
UNDERWRITING RESULT	**-1245966**	**-584394**

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट

(₹ हजार में)

विवरण	मरीन कार्गो		मरीन कार्गो के अलावा		कुल मरीन	
	2014-15	2013-14	**2014-15**	2013-14	**2014-15**	2013-14
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)						
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम	**1934112**	1951395	**1104672**	1425585	**3038784**	3376980
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	**7785**	52852	**312228**	173922	**320013**	226774
घटाये:अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	**328631**	322262	**935944**	1233355	**1264575**	1555617
शुद्ध प्रीमियम	**1613266**	1681985	**480956**	366152	**2094222**	2048137
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन	**34359**	-9039	**-114804**	-126173	**-80445**	-135212
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	**1647625**	**1672946**	**366152**	**239979**	**2013777**	**1912925**
उपगत दावा (शुद्ध)						
उपगत दावे-प्रत्यक्ष	**1151127**	1125758	**1082592**	156960	**2233719**	1282718
जोडे: स्वीकृत पुनर्बीमा	**124496**	31912	**224205**	97399	**348701**	129311
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा	**188822**	171487	**1007297**	112438	**1196119**	283925
शुद्ध प्रदत्त दावे	**1086801**	986183	**299500**	141921	**1386301**	1128104
जोडे: वर्ष के अंत में बकाया दावे	**1261123**	1526944	**847049**	792734	**2108172**	2319678
घटाये: आरम्भ में बकाया दावे	**1526945**	1130731	**792734**	936522	**2319679**	2067253
कुल उपगत दावे	**820979**	**1382396**	**353815**	**-1867**	**1174794**	**1380529**
कमीशन						
प्रदत्त कमीशन–प्रत्यक्ष	**236099**	236849	**18031**	26841	**254130**	263690
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	**2384**	15457	**56195**	27519	**58579**	42976
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा	**52436**	51663	**53191**	73023	**105627**	124686
शुद्ध कमीशन	**186047**	**200643**	**21035**	**-18663**	**207082**	**181980**
प्रचालन व्यय	**333999**	**269332**	**246371**	**218681**	**580370**	**488013**
बीमालेखन परिणाम	**306600**	**-179425**	**-255069**	**41828**	**51531**	**-137597**

Segmental Report for the financial year ended 31st March, 2015

(₹ in Thousand)

PARTICULARS	MARINE CARGO		OTHER THAN MARINE CARGO		TOTAL MARINE	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
PREMIUM EARNED (NET)						
PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	1934112	1951395	1104672	1425585	3038784	3376980
ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	7785	52852	312228	173922	320013	226774
LESS : PREMIUM ON R/I CEDED	328631	322262	935944	1233355	1264575	1555617
NET PREMIUM	1613266	1681985	480956	366152	2094222	2048137
ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	34359	-9039	-114804	-126173	-80445	-135212
TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	**1647625**	**1672946**	**366152**	**239979**	**2013777**	**1912925**
CLAIMS INCURRED (NET)						
CLAIMS PAID – DIRECT	1151127	1125758	1082592	156960	2233719	1282718
ADD : R/I ACCEPTANCE	124496	31912	224205	97399	348701	129311
LESS : R/I CEDED	188822	171487	1007297	112438	1196119	283925
NET CLAIMS PAID	1086801	986183	299500	141921	1386301	1128104
ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	1261123	1526944	847049	792734	2108172	2319678
LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	1526945	1130731	792734	936522	2319679	2067253
TOTAL CLAIMS INCURRED	**820979**	**1382396**	**353815**	**-1867**	**1174794**	**1380529**
COMMISSION						
COMMISSION PAID – DIRECT	236099	236849	18031	26841	254130	263690
ADD: R/I ACCEPTANCE	2384	15457	56195	27519	58579	42976
LESS: R/I CEDED	52436	51663	53191	73023	105627	124686
NET COMMISSION	**186047**	**200643**	**21035**	**-18663**	**207082**	**181980**
OPERATING EXPENSES	**333999**	**269332**	**246371**	**218681**	**580370**	**488013**
UNDERWRITING RESULT	**306600**	**-179425**	**-255069**	**41828**	**51531**	**-137597**

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट

(₹ हजार में)

विवरण	मोटर निजी क्षति		मोटर तृतीय पक्ष		कुल मोटर	
	2014-15	2013-14	**2014-15**	2013-14	**2014-15**	2013-14
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)						
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम	**25755317**	25696207	**26142109**	22817761	**51897426**	48513968
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	**-37**	28226	**870478**	700561	**870441**	728787
घटाये:अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	**1436896**	1433046	**1884313**	1773150	**3321209**	3206196
शुद्ध प्रीमियम	**24318384**	24291387	**25128274**	21745172	**49446658**	46036559
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन	**-13500**	-1177857	**-1691551**	-2672603	**-1705051**	-3850460
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	**24304884**	**23113530**	**23436723**	**19072569**	**47741607**	**42186099**
उपगत दावे (शुद्ध)						
उपगत दावा-प्रत्यक्ष	**15954583**	15238155	**15807096**	13102180	**31761679**	28340335
जोडे : स्वीकृत पुनर्बीमा	**1454**	19001	**-5568257**	2908211	**-5566803**	2927212
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा	**881466**	1226637	**7246440**	6783345	**8127906**	8009982
शुद्ध प्रदत्त दावे	**15074571**	14030519	**2992399**	9227046	**18066970**	23257565
जोडे :वर्ष के अंत में बकाया दावे	**4991943**	4552258	**46492988**	38792268	**51484931**	43344526
घटाये:आरम्भ में बकाया दावे	**4552258**	4794478	**38792268**	32550192	**43344526**	37344670
कुल उपगत दावे	**15514256**	**13788299**	**10693119**	**15469122**	**26207375**	**29257421**
कमीशन						
प्रदत्त कमीशन–प्रत्यक्ष	**2135399**	2268555	**-2**	-1	**2135397**	2268554
जोड़ं : स्वीकृत पुनर्बीमा	**924**	14419	**5561**	67316	**6485**	81735
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा	**196655**	200017	**109101**	-2	**305756**	200015
शुद्ध कमीशन	**1939668**	**2082957**	**-103542**	**67317**	**1836126**	**2150274**
प्रचालन व्यय	**10240004**	**8147299**	**6260998**	**4287302**	**16501002**	**12434601**
बीमालेखन परिणाम	**-3389044**	**-905025**	**6586148**	**-751172**	**3197104**	**-1656197**

Segmental Report for the financial year ended 31st March, 2015

(₹ in Thousand)

PARTICULARS	MOTOR OWN DAMAGE		MOTOR THIRD PARTY		TOTAL MOTOR	
	2014-15	2013-14	**2014-15**	2013-14	**2014-15**	2013-14
PREMIUM EARNED (NET)						
PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	**25755317**	25696207	**26142109**	22817761	**51897426**	48513968
ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	**-37**	28226	**870478**	700561	**870441**	728787
LESS : PREMIUM ON R/I CEDED	**1436896**	1433046	**1884313**	1773150	**3321209**	3206196
NET PREMIUM	**24318384**	24291387	**25128274**	21745172	**49446658**	46036559
ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	**-13500**	-1177857	**-1691551**	-2672603	**-1705051**	-3850460
TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	**24304884**	**23113530**	**23436723**	**19072569**	**47741607**	**42186099**
CLAIMS INCURRED (NET)						
CLAIMS PAID – DIRECT	**15954583**	15238155	**15807096**	13102180	**31761679**	28340335
ADD : R/I ACCEPTANCE	**1454**	19001	**-5568257**	2908211	**-5566803**	2927212
LESS : R/I CEDED	**881466**	1226637	**7246440**	6783345	**8127906**	8009982
NET CLAIMS PAID	**15074571**	14030519	**2992399**	9227046	**18066970**	23257565
ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	**4991943**	4552258	**46492988**	38792268	**51484931**	43344526
LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	**4552258**	4794478	**38792268**	32550192	**43344526**	37344670
TOTAL CLAIMS INCURRED	**15514256**	**13788299**	**10693119**	**15469122**	**26207375**	**29257421**
COMMISSION						
COMMISSION PAID – DIRECT	**2135399**	2268555	**-2**	-1	**2135397**	2268554
ADD: R/I ACCEPTANCE	**924**	14419	**5561**	67316	**6485**	81735
LESS: R/I CEDED	**196655**	200017	**109101**	-2	**305756**	200015
NET COMMISSION	**1939668**	**2082957**	**-103542**	**67317**	**1836126**	**2150274**
OPERATING EXPENSES	**10240004**	**8147299**	**6260998**	**4287302**	**16501002**	**12434601**
UNDERWRITING RESULT	**-3389044**	**-905025**	**6586148**	**-751172**	**3197104**	**-1656197**

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट

(₹ हजार में)

विवरण	नियोक्ता की देयता		जन देयता		इंजिनीयरिंग	
	2014-15	2013-14	**2014-15**	2013-14	**2014-15**	2013-14
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)						
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम	**643455**	670333	**552625**	526517	**3058226**	3265644
जोड़ेः स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	**0**	0	**0**	0	**531343**	568673
घटायेः अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	**32117**	33455	**27628**	26323	**1156146**	1191237
शुद्ध प्रीमियम	611338	636878	**524997**	500194	**2433423**	2643080
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवतन हेतु समायोजन	**12770**	-4583	**-12402**	-92055	**104827**	-89465
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	**624108**	**632295**	**512595**	**408139**	**2538250**	**2553615**
उपगत दावा (शुद्ध)						
उपगत दावा-प्रत्यक्ष	**161399**	132847	**130812**	81621	**1786422**	1394970
जोडे : स्वीकृत पुनर्बीमा	**-1574**	0	**0**	0	**263210**	208430
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा	**8022**	6642	**6541**	4081	**969895**	719715
शुद्ध प्रदत्त दावे	**151803**	126205	**124271**	77540	**1079737**	883685
जोडे : वर्ष के अंत में बकाया दावे	**283991**	350242	**265964**	367714	**3492513**	3418128
घटाये : आरम्भ में बकाया दावे	**360779**	345499	**384877**	273632	**3418128**	1920387
कुल उपगत दावे	**75015**	**130948**	**5358**	**171622**	**1154122**	**2381426**
कमीशन						
प्रदत्त कमीशन–प्रत्यक्ष	**61938**	63917	**64807**	59809	**216539**	207952
जोड़ं : स्वीकृत पुनर्बीमा	**0**	-	**0**	-	**153900**	256812
घटायेंः अर्पित पुनर्बीमा	**0**	-	**0**	-	**140860**	187076
शुद्ध कमीशन	**61938**	**63917**	**64807**	**59809**	**229579**	**277688**
प्रचालन व्यय	**149342**	**122422**	**128161**	**96015**	**827695**	**697113**
बीमालेखन परिणाम	**337813**	**315008**	**314269**	**80693**	**326854**	**-802612**

Segmental Report for the financial year ended 31st March, 2015

(₹ in Thousand)

PARTICULARS	EMPLOYERS' LIABILITY		PUBLIC LIABILITY		ENGINEERING	
	2014-15	2013-14	**2014-15**	2013-14	**2014-15**	2013-14
PREMIUM EARNED (NET)						
PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	**643455**	670333	**552625**	526517	**3058226**	3265644
ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	**0**	0	**0**	0	**531343**	568673
LESS : PREMIUM ON R/I CEDED	**32117**	33455	**27628**	26323	**1156146**	1191237
NET PREMIUM	**611338**	636878	**524997**	500194	**2433423**	2643080
ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	**12770**	-4583	**-12402**	-92055	**104827**	-89465
TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	**624108**	**632295**	**512595**	**408139**	**2538250**	**2553615**
CLAIMS INCURRED (NET)						
CLAIMS PAID – DIRECT	**161399**	132847	**130812**	81621	**1786422**	1394970
ADD : R/I ACCEPTANCE	**-1574**	0	**0**	0	**263210**	208430
LESS : R/I CEDED	**8022**	6642	**6541**	4081	**969895**	719715
NET CLAIMS PAID	**151803**	126205	**124271**	77540	**1079737**	883685
ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	**283991**	350242	**265964**	367714	**3492513**	3418128
LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	**360779**	345499	**384877**	273632	**3418128**	1920387
TOTAL CLAIMS INCURRED	**75015**	**130948**	**5358**	**171622**	**1154122**	**2381426**
COMMISSION						
COMMISSION PAID – DIRECT	**61938**	63917	**64807**	59809	**216539**	207952
ADD: R/I ACCEPTANCE	**0**	-	**0**	-	**153900**	256812
LESS: R/I CEDED	**0**	-	**0**	-	**140860**	187076
NET COMMISSION	**61938**	**63917**	**64807**	**59809**	**229579**	**277688**
OPERATING EXPENSES	**149342**	**122422**	**128161**	**96015**	**827695**	**697113**
UNDERWRITING RESULT	**337813**	**315008**	**314269**	**80693**	**326854**	**-802612**

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट

(₹ हजार में)

विवरण	उड्डया		व्यक्तिगत दुर्घटना		स्वास्थ्य बीमा	
	2014-15	2013-14	**2014-15**	2013-14	**2014-15**	2013-14
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)						
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम	**807376**	971458	**1447401**	1464994	**37525553**	30313337
जोड़ेः स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	**157261**	128621	**0**	0	**0**	0
घटायेः अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	**742346**	1065148	**72370**	73281	**2497296**	1515260
शुद्ध प्रीमियम	**222291**	34931	**1375031**	1391713	**35028257**	28798077
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन	**-93679**	67936	**8340**	-39831	**-3115089**	-2876438
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	**128612**	**102867**	**1383371**	**1351882**	**31913168**	**25921639**
उपगत दावा (शुद्ध)						
उपगत दावा-प्रत्यक्ष	**828822**	281210	**952256**	860348	**36662823**	27438878
जोडे : स्वीकृत पुनर्बीमा	**105436**	50314	**0**	0	**0**	0
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा	**750004**	260360	**47613**	43017	**1585522**	1371991
शुद्ध प्रदत्त दावा	**184254**	71164	**904643**	817331	**35077301**	26066887
जोडे : वर्ष के अंत में बकाया दावा	**181483**	158061	**986010**	1154636	**8139484**	7083050
घटायेः आरम्भ में बकाया दावे	**158061**	248876	**1197451**	1058366	**7275619**	6116879
कुल उपगत दावे	**207676**	**-19651**	**693202**	**913601**	**35941166**	**27033058**
कमीशन						
प्रदत्त कमीशन-प्रत्यक्ष	**3786**	3451	**174687**	173144	**2389368**	1937713
जोड़ं : स्वीकृत पुनर्बीमा	**25065**	4174	**0**	0	**0**	0
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा	**19133**	47218	**0**	16	**278289**	0
शुद्ध कमीशन	**9718**	**-39593**	**174687**	**173128**	**2111079**	**1937713**
प्रचालन व्यय	**220960**	**198745**	**359860**	**289219**	**8700877**	**5527733**
बीमालेखन परिणाम	**-309742**	**-36634**	**155622**	**-24066**	**-14839954**	**-8576865**

Segmental Report for the financial year ended 31st March, 2015

(₹ in Thousand)

PARTICULARS	AVIATION		PERSONAL ACCIDENT		HEALTH INSURANCE	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
PREMIUM EARNED (NET)						
PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	807376	971458	1447401	1464994	37525553	30313337
ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	157261	128621	0	0	0	0
LESS : PREMIUM ON R/I CEDED	742346	1065148	72370	73281	2497296	1515260
NET PREMIUM	222291	34931	1375031	1391713	35028257	28798077
ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	-93679	67936	8340	-39831	-3115089	-2876438
TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	**128612**	**102867**	**1383371**	**1351882**	**31913168**	**25921639**
CLAIMS INCURRED (NET)						
CLAIMS PAID – DIRECT	828822	281210	952256	860348	36662823	27438878
ADD : R/I ACCEPTANCE	105436	50314	0	0	0	0
LESS : R/I CEDED	750004	260360	47613	43017	1585522	1371991
NET CLAIMS PAID	184254	71164	904643	817331	35077301	26066887
ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	181483	158061	986010	1154636	8139484	7083050
LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	158061	248876	1197451	1058366	7275619	6116879
TOTAL CLAIMS INCURRED	**207676**	**-19651**	**693202**	**913601**	**35941166**	**27033058**
COMMISSION						
COMMISSION PAID – DIRECT	3786	3451	174687	173144	2389368	1937713
ADD: R/I ACCEPTANCE	25065	4174	0	0	0	0
LESS: R/I CEDED	19133	47218	0	16	278289	0
NET COMMISSION	**9718**	**-39593**	**174687**	**173128**	**2111079**	**1937713**
OPERATING EXPENSES	**220960**	**198745**	**359860**	**289219**	**8700877**	**5527733**
UNDERWRITING RESULT	**-309742**	**-36634**	**155622**	**-24066**	**-14839954**	**-8576865**

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट

(₹ हजार में)

विवरण	विविध अन्य		विविध योग	
	2014-15	2013-14	**2014-15**	2013-14
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)				
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम	**4528261**	4628861	**100460323**	90355112
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	**738795**	943563	**2297840**	2369644
घटाये: अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	**736769**	916823	**8585881**	8027723
शुद्ध प्रीमियम	**4530287**	4655601	**94172282**	84697033
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवतन हेतु समायोजन	**62657**	-110668	**-4737627**	-6995564
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	**4592944**	**4544933**	**89434655**	**77701469**
उपगत दावा (शुद्ध)				
उपगत दावा - प्रत्यक्ष	**4930992**	2894338	**77215205**	61424547
जोडे : स्वीकृत पुनर्बीमा	**725394**	611050	**-4474337**	3797006
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा	**885575**	1395194	**12381078**	11810982
शुद्ध प्रदत्त दावा	**4770811**	2110194	**60359790**	53410571
जोडे : वर्ष के अंत में बकाया दावा	**5004490**	4378607	**69838866**	60254964
घटाये:आरम्भ में बकाया दावे	**4115525**	2530287	**60254966**	49838596
कुल उपगत दावे	**5659776**	**3958514**	**69943690**	**63826939**
कमीशन				
प्रदत्त कमीशन-प्रत्यक्ष	**526291**	526898	**5572813**	5241438
जोड़ : स्वीकृत पुनर्बीमा	**128457**	174261	**313907**	516982
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा	**313395**	331214	**1057433**	765539
शुद्ध कमीशन	**341353**	**369945**	**4829287**	**4992881**
प्रचालन व्यय	**1205536**	**972045**	**28093433**	**20337893**
बीमालेखन परिणाम	**-2613721**	**-755571**	**-13431755**	**-11456244**

Segmental Report for the financial year ended 31st March, 2015

(₹ in Thousand)

PARTICULARS	MISCELLANEOUS OTHERS		MISCELLANEOUS TOTAL	
	2014-15	2013-14	**2014-15**	2013-14
PREMIUM EARNED (NET)				
PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	**4528261**	4628861	**100460323**	90355112
ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	**738795**	943563	**2297840**	2369644
LESS : PREMIUM ON R/I CEDED	**736769**	916823	**8585881**	8027723
NET PREMIUM	**4530287**	4655601	**94172282**	84697033
ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	**62657**	-110668	**-4737627**	-6995564
TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	**4592944**	**4544933**	**89434655**	**77701469**
CLAIMS INCURRED (NET)				
CLAIMS PAID – DIRECT	**4930992**	2894338	**77215205**	61424547
ADD : R/I ACCEPTANCE	**725394**	611050	**-4474337**	3797006
LESS : R/I CEDED	**885575**	1395194	**12381078**	11810982
NET CLAIMS PAID	**4770811**	2110194	**60359790**	53410571
ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	**5004490**	4378607	**69838866**	60254964
LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	**4115525**	2530287	**60254966**	49838596
TOTAL CLAIMS INCURRED	**5659776**	**3958514**	**69943690**	**63826939**
COMMISSION				
COMMISSION PAID – DIRECT	**526291**	526898	**5572813**	5241438
ADD: R/I ACCEPTANCE	**128457**	174261	**313907**	516982
LESS: R/I CEDED	**313395**	331214	**1057433**	765539
NET COMMISSION	**341353**	**369945**	**4829287**	**4992881**
OPERATING EXPENSES	**1205536**	**972045**	**28093433**	**20337893**
UNDERWRITING RESULT	**-2613721**	**-755571**	**-13431755**	**-11456244**

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची - 1 अग्नि

अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)

विवरण	2014 - 2015 (₹ '000)	2013- 2014 (₹ '000)
प्रत्यक्ष लिखित व्यवसाय से प्रीमियम	9,327,230	8,877,669
जोड़ेः स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	1,657,510	1,388,483
घटाएंः अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	3,383,740	2,800,895
शुद्ध प्रीमियम	7,601,000	7,465,257
असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित में परिवर्तन के लिए समायोजन	(67,871)	(252,953)
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	7,533,129	7,212,304

अनुसूची - 2 अग्नि

उपगत दावा (शुद्ध)

विवरण	2014 - 2015 (₹ '000)	2013 – 2014 (₹ '000)
प्रदत्त दावे		
प्रत्यक्ष	7,149,354	3,850,374
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	1,079,659	1,218,346
घटाए : अर्पित पुनर्बीमा	4,359,284	435,330
शुद्ध प्रदत्त दावे	3,869,729	4,633,390
जोड़ें : वर्ष के अंत में बकाया दावे	9,067,705	7,304,133
घटाएं : वर्ष के शुरू में बकाया दावे	7,304,133	6,658,934
कुल उपगत दावे	5,633,301	5,278,589

अनुसूची - 3 अग्नि

कमीशन

विवरण	2014 - 2015 (₹ '000)	2013 – 2014 (₹ '000)
प्रदत्त कमीशन		
प्रत्यक्ष	594,516	550,563
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन	346,567	521,361
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन	331,558	415,717
शुद्ध कमीशन	609,525	656,207

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE – 1 FIRE

PREMIUM EARNED [NET]

Particulars	2014 - 2015 (₹ '000)	2013 - 2014 (₹ '000)
Premium from direct business written	9,327,230	8,877,669
Add: Premium on reinsurance accepted	1,657,510	1,388,483
Less : Premium on reinsurance ceded	3,383,740	2,800,895
Net Premium	7,601,000	7,465,257
Adjustment for change in reserve for unexpired risks	(67,871)	(252,953)
Total Premium Earned (Net)	7,533,129	7,212,304

SCHEDULE – 2 FIRE

CLAIMS INCURRED [NET]

Particulars	2014 - 2015 (₹ '000)	2013 - 2014 (₹ '000)
Claims paid		
Direct	7,149,354	3,850,374
Add :Re-insurance accepted	1,079,659	1,218,346
Less :Re-insurance ceded	4,359,284	435,330
Net Claims paid	3,869,729	4,633,390
Add Claims Outstanding at the end of the year	9,067,705	7,304,133
Less Claims Outstanding at the beginning of the year	7,304,133	6,658,934
Total Claims Incurred	5,633,301	5,278,589

SCHEDULE- 3 FIRE

COMMISSION

Particulars	2014 - 2015 (₹ '000)	2013 - 2014 (₹ '000)
Commission paid		
Direct	594,516	550,563
Add: Commission on Re-insurance accepted	346,567	521,361
Less: Commission on Re-insurance ceded	331,558	415,717
Net Commission	609,525	656,207

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची – 1 समुद्री
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)

विवरण	2014 - 2015 (₹ '000)	2013 – 2014 (₹ '000)
प्रत्यक्ष लिखित व्यवसाय से प्रीमियम	3,038,784	3,376,980
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	320,013	226,774
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	1,264,575	1,555,617
शुद्ध प्रीमियम	2,094,222	2,048,137
असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित में परिवर्तन के लिए समायोजन	(80,445)	(135,212)
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	2,013,777	1,912,925

अनुसूची - 2 समुद्री
उपगत दावा (शुद्ध)

विवरण	2014 - 2015 (₹ '000)	2013 – 2014 (₹ '000)
प्रदत्त दावे		
प्रत्यक्ष	2,233,719	1,282,718
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	348,701	129,311
घटाए : अर्पित पुनर्बीमा	1,196,119	283,925
शुद्ध प्रदत्त दावे	1,386,301	1,128,104
जोड़ें : वर्ष के अंत में बकाया दावे	2.108,172	2,319,678
घटाएं : वर्ष के शुरू में बकाया दावे	2,319,679	2,067,253
कुल उपगत दावा	1,174,794	1,380,529

अनुसूची - 3 समुद्री
कमीशन

विवरण	2014 - 2015 (₹ '000)	2013 – 2014 (₹ '000)
प्रदत्त कमीशन		
प्रत्यक्ष	254,130	263,690
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन	58,579	42,976
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन	105,627	124,686
शुद्ध कमीशन	207,082	181,980

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE – 1 MARINE
PREMIUM EARNED [NET]

Particulars	2014 - 2015 (₹ '000)	2013 - 2014 (₹ '000)
Premium from direct business written	**3,038,784**	3,376,980
Add: Premium on reinsurance accepted	**320,013**	226,774
Less : Premium on reinsurance ceded	**1,264,575**	1,555,617
Net Premium	**2,094,222**	2,048,137
Adjustment for change in reserve for unexpired risks	**(80,445)**	(135,212)
Total Premium Earned (Net)	**2,013,777**	1,912,925

SCHEDULE – 2 MARINE
CLAIMS INCURRED [NET]

Particulars	2014 - 2015 (₹ '000)	2013 - 2014 (₹ '000)
Claims paid		
Direct	**2,233,719**	1,282,718
Add :Re-insurance accepted	**348,701**	129,311
Less :Re-insurance ceded	**1,196,119**	283,925
Net Claims paid	**1,386,301**	1,128,104
Add Claims Outstanding at the end of the year	**2,108,172**	2,319,678
Less Claims Outstanding at the beginning	**2,319,679**	2,067,253
Total Claims Incurred	**1,174,794**	1,380,529

SCHEDULE- 3 MARINE
COMMISSION

Particulars	2014 - 2015 (₹ '000)	2013 - 2014 (₹ '000)
Commission paid		
Direct	**254,130**	263,690
Add: Commission on Re-insurance accepted	**58,579**	42,976
Less: Commission on Re-insurance ceded	**105,627**	124,686
Net Commission	**207,082**	181,980

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची – 1 विविध

अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)

विवरण	2014 - 2015 (₹ '000)	2013 – 2014 (₹ '000)
प्रत्यक्ष लिखित व्यवसाय से प्रीमियम	100,460,323	90,355,112
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	2,297,840	2,369,644
घटाएं: अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	8,585,881	8,027,723
शुद्ध प्रीमियम	94,172,282	84,697,033
असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित में परिवर्तन के लिए समायोजन	(4,737,627)	(6,995,564)
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	89,434,655	77,701,469

अनुसूची – 2 विविध

उपगत दावा (शुद्ध)

विवरण	2014 - 2015 (₹ '000)	2013 – 2014 (₹ '000)
प्रदत्त दावे		
प्रत्यक्ष	77,215,205	61,424,547
जोड़ें : स्वीकृत पुार्बीमा	-4,474,337	3,797,006
घटाएं : अर्पित पुार्बीमा	12,381,078	11,810,982
शुद्ध प्रदत्त दावे	60,359,790	53,410,571
जोड़ें : वर्ष के अंत में बकाया दावे	69,838,866	60,254,964
घटाएं : वर्ष के शुरू में बकाया दावे	60,254,966	49,838,596
कुल उपगत दावा	69,943,690	63,826,939

अनुसूची - 3 विविध

कमीशन

विवरण	2014 - 2015 (₹ '000)	2013 – 2014 (₹ '000)
प्रदत्त कमीशन		
प्रत्यक्ष	5,572,813	5,241,438
जोड़ें : स्वीकृत पनर्बीमा पर कमीशन	313,907	516,982
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन	1,057,433	765,539
शुद्ध कमीशन	4,829,287	4,992,881

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE – 1 MISCELLANEOUS PREMIUM EARNED [NET]

Particulars	2014 - 2015 (₹ '000)	2013 - 2014 (₹ '000)
Premium from direct business written	**100,460,323**	90,355,112
Add: Premium on reinsurance accepted	**2,297,840**	2,369,644
Less : Premium on reinsurance ceded	**8,585,881**	8,027,723
Net Premium	**94,172,282**	84,697,033
Adjustment for change in reserve for unexpired risks	**(4,737,627)**	(6,995,564)
Total Premium Earned (Net)	**89,434,655**	77,701,469

SCHEDULE – 2 MISCELLANEOUS CLAIMS INCURRED [NET]

Particulars	2014 - 2015 (₹ '000)	2013 - 2014 (₹ '000)
Claims paid		
Direct	**77,215,205**	61,424,547
Add :Re-insurance accepted	**-4,474,337**	3,797,006
Less :Re-insurance ceded	**12,381,078**	11,810,982
Net Claims paid	**60,359,790**	53,410,571
Add: Claims Outstanding at the end of the year	**69,838,866**	60,254,964
Less: Claims Outstanding at the beginning	**60,254,966**	49,838,596
Total Claims Incurred	**69,943,690**	63,826,939

SCHEDULE- 3 MISCELLANEOUS COMMISSION

Particulars	2014 - 2015 (₹ '000)	2013 - 2014 (₹ '000)
Commission paid		
Direct	**5,572,813**	5,241,438
Add: Commission on Re-insurance accepted	**313,907**	516,982
Less: Commission on Re-insurance ceded	**1,057,433**	765,539
Net Commission	**4,829,287**	4,992,881

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची – 4

बीमा व्यवसाय से सम्बंधित प्रचालन व्यय

विवरण	2014 - 2015 (₹ '000)	2013 – 2014 (₹ '000)
1. कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं कल्याण सुविधाएं	**21,164,335**	14,210,526
2. यात्रा, परिवहन तथा वाहन चालन व्यय	**513,228**	549,887
3. प्रशिक्षण खर्च	**72,214**	31,781
4. किराया, दर एवं कर	**722,032**	663,522
5. मरम्मत	**50,545**	42,353
6. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**283,190**	264,815
7. सम्प्रेषण	**202,082**	200,998
8. विधिक एवं पेशेवर शुल्क	**172,069**	132,918
9. लेखा परीक्षकों का शुल्क, खर्च आदि		
(क) लेखा परीक्षक के रूप में	**31,998**	30,812
(ख) निम्नलिखित के सम्बंध में सलाहकार अथवा किसी अन्य रूप में	**-**	-
(i) कराधान के मामलों में	**-**	-
(ii) बीमा के मामलों में	**-**	-
(iii) प्रबधन सेवा के मामलों में, एवं	**-**	-
(ग) किसी अन्य रूप में	**-**	-
10. विज्ञापन तथा प्रचार	**222,906**	141,941
11. ब्याज एवं बैंक प्रभार	**26,502**	17,229
12. अन्य	**2,989,996**	1,846,629
13. मूल्यह्रास	**683,959**	858,495
14. सेवा कर व्यय	**-178,106**	297,591
कुल	**26,956,950**	19,289,497
निम्न को आबंटित :		
अग्नि	**2,536,114**	1,867,734
समुद्री	**580,283**	491,322
विविध	**23,840,553**	16,930,441
योग	**26,956,950**	19,289,497

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE – 4

OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

Particulars	2014 - 2015 (₹ '000)	2013 - 2014 (₹ '000)
1. Employees' remuneration & welfare benefits	**21,164,335**	14,210,526
2. Travel, conveyance and vehicle running expenses	**513,228**	549,887
3. Training expenses	**72,214**	31,781
4. Rents, rates & taxes	**722,032**	663,522
5. Repairs	**50,545**	42,353
6. Printing & stationery	**283,190**	264,815
7. Communication	**202,082**	200,998
8. Legal & professional charges	**172,069**	132,918
9. Auditors' fees, expenses etc		
(a) as auditor	**31,998**	30,812
(b) as adviser or in any other capacity, in respect of	-	-
(i) Taxation matters	-	-
(ii) Insurance matters	-	-
(iii) Management services; and	-	-
(c) in any other capacity	-	-
10. Advertisement and publicity	**222,906**	141,941
11. Interest & Bank Charges	**26,502**	17,229
12. Others	**2,989,996**	1,846,629
13. Depreciation	**683,959**	858,495
14. Service Tax Expenses	**-178,106**	297,591
Total	**26,956,950**	19,289,497
Allocated to :-		
Fire	**2,536,114**	1,867,734
Marine	**580,283**	491,322
Miscellaneous	**23,840,553**	16,930,441
Total	**26,956,950**	19,289,497

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची – 5

शेयर पूंजी

	विवरण	31.03.2015 को (₹ '000)	31.03.2014 को (₹ '000)
1	प्राधिकृत पूंजी ₹10 प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	**2,000,000**	2,000,000
2	निर्गत अभिदत्त तथा चुकता ₹10 प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर (इसमें शामिल है ₹10 प्रति के सामान्य आरक्षित तथा शेयर प्रीमियम के पूंजीकरण द्वारा पूर्णतः चुकता बोनस शेयर के रूप में 9,70,96,955 इक्विटी शेयर)	**1,000,000**	1,000,000
	कुल	**1,000,000**	1,000,000

अनुसूची - 5क

शेयर पूंजी

शेयर धारण की परिपाटी

शेयरधारक	31.03.2015 को		31.03.2014 को	
	शेयरों की संख्या	% धारण	शेयरों की संख्या	% धारण
प्रोत्साहक				
● भारत	**100,000,000**	**100%**	100,000,000	100%
● विदेशी	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	
कुल	**100,000,000**		100,000,000	

अनुसूची – 6

आरक्षित तथा अधिशेष

	विवरण		31.03.2015 को (₹ '000)	31.03.2014 को (₹ '000)
1	सामान्य आरक्षित			
	पिछले वर्ष का अतिशेष		**29,968,626**	23,916,176
	लाभ हानि खाते से स्थानान्तरित		**6,936,904**	6,052,450
	असमाप्त जोखिम के लिए आकस्मिक रिजर्व से स्थानान्तरित			0
			36,905,530	29,968,626
2	भू संपदा व भवन के लिए आकस्मिक आरक्षित			500,000
	पिछले वर्ष का अतिशेष	500,000		
	जोड़े : वर्ष के दौरान	500,000	**1,000,000**	
3	विदेशी विनिमय ट्रांसलेसन रिजर्व			1,120
	पिछले वर्ष का अतिशेष	1,120		
	जोड़े : वर्ष के दौरान	-8,545	**-7,425**	
4	निवेश आरक्षित		**9,610**	9,610
5	विनिमय आरक्षित		**4,817**	4,817
	कुल		**37,912,532**	30,484,173

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE – 5

SHARE CAPITAL

	Particulars	As at 31.03.2015 (₹ '000)	As at 31.03.2014 (₹ '000)
1	Authorised Capital 20,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each	**2,000,000**	2,000,000
2	Issued, Subscribed and Paid-up 10,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each (include 9,70,96,955 Equity Shares of ₹10 each as fully paid-up Bonus Shares by capitalisation of General Reserve and Share Premium)	**1,000,000**	1,000,000
	Total	**1,000,000**	1,000,000

SCHEDULE – 5A

SHARE CAPITAL

PATTERN OF SHAREHOLDING

Shareholder	As at 31.03.2015		As at 31.03.2014	
	Number of Shares	% of Holding	Number of Shares	% of Holding
Promoters				
● India	**100,000,000**	**100%**	100,000,000	100%
● Foreign	-	-	-	-
Others	-	-	-	-
Total	**100,000,000**		100,000,000	

SCHEDULE – 6

RESERVES AND SURPLUS

	Particulars		As at 31.03.2015 (₹ '000)	As at 31.03.2014 (₹ '000)
1	General Reserve			
	Balance as per last account		**29,968,626**	23,916,176
	Transfer from Profit and Loss Account		**6,936,904**	6,052,450
	Transfer from Contingency Reserve for Unexpired Risk			0
			36,905,530	29,968,626
2	Contingency Reserve for Land & Building			500,000
	Balance as per last year account	500,000		
	Add: During the year	500,000	**1,000,000**	
3	Foreign Exchange Translation Reserve			1,120
	Balance as per last year account	1,120		
	Add: During the year	-8,545	**-7,425**	
4	Investment Reserve		**9,610**	9,610
5	Exchange Reserve		**4,817**	4,817
	TOTAL		**37,912,532**	30,484,173

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची - 7
उधार

	विवरण	31.03.2015 को (₹ '000)	31.03.2014 को (₹ '000)
1	ऋणपत्र/बंधपत्र	–	–
2	बैंक	–	–
3	वित्तीय संस्थाएं	–	–
4	अन्य (निर्दिष्ट करें)	–	–
	कुल	–	–

अनुसूची – 8
निवेश

	विवरण	31.03.2015 को (₹ '000)	31.03.2014 को (₹ '000)
	दीर्घकालिक निवेश		
1	ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा सरकार द्वारा प्रत्याभूत बंधपत्र (नीचे नोट (i) देंखें)	**68,322,960**	59,240,887
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	**278,325**	278,727
3	अन्य निवेश		
	क) शेयर		
	(कक) इक्विटी	**125,693,120**	111,493,006
	(खख) अधिमान	**40,282**	40,282
	(ख) म्युचुअल फंड		
	(ग) ऋणपत्र/बंधपत्र (नीचे नोट (ii) देंखें)	**22,364,457**	23,015,695
	(घ) स्व सहायक और वेंच्योर पूँजी	**88,027**	90,269
	(च) निवेश सम्पत्तियाँ - भूसंपत्ति	**5,712**	6,098
4	ढांचागत तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश (नीचे नोट (ii) देंखें)	**18,750,515**	17,363,409
5	अनुमोदित निवेश के अलावा	**61,835**	62,069
	अल्पकालिक निवेश		
1	ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा सरकार द्वारा प्रत्याभूत बंधपत्र	**1,379,410**	3,467,491
2	अन्य निवेश		
	(क) म्युचुअल फंड	**2,704,265**	159,498
	(ख) ऋणपत्र/बंधपत्र	**4,402,695**	2,207,364
	(ग) अन्य प्रतिभूतियाँ (वाणिज्यिक कागज)		
3	ढांचागत तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश	**1,146,204**	1,284,803
4	अनुमोदित निवेश के अलावा	**211,751**	249,726
	कुल	**245,449,558**	218,959,324

नोट: (i) बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुसरण में भा.रि.बैं. में जमा ₹100267 हजार शामिल है (विगत वर्ष ₹100340 हजार)

(ii) निष्क्रिय ऋणपत्र के लिए ₹216833 हजार (वि.व.₹225421 हजार) के प्रावधान को बैड और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के तहत अनुसूची 14 में शामिल किया गया है ।

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE - 7

BORROWINGS

	Particulars	As at 31.03.2015 (₹ '000)	As at 31.03.2014 (₹ '000)
1	Debentures/ Bonds	NIL	NIL
2	Banks	NIL	NIL
3	Financial Institutions	NIL	NIL
4	Others (to be specified)	NIL	NIL
	Total	NIL	NIL

SCHEDULE – 8

INVESTMENTS

	Particulars	As at 31.03.2015 (₹ '000)	As at 31.03.2014 (₹ '000)
LONG TERM INVESTMENTS			
1	Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills (See note (i) below)	**68,322,960**	59,240,887
2	Other Approved Securities	**278,325**	278,727
3	Other Investments		
	(a) Shares		
	(aa) Equity	**125,693,120**	111,493,006
	(bb) Preference	**40,282**	40,282
	(b) Mutual Funds		
	(c) Debentures/ Bonds [See note (ii) below]	**22,364,457**	23,015,695
	(d) Auto Ancillary and Venture Capital	**88,027**	90,269
	(e) Investment Properties-Real Estate	**5,712**	6,098
4	Investments in Infrastructure and Social Sector [See note (ii) below]	**18,750,515**	17,363,409
5	Other than Approved Investments	**61,835**	62,069
SHORT TERM INVESTMENTS			
1	Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	**1,379,410**	3,467,491
2	Other Investments		
	(a) Mutual Funds	**2,704,265**	159,498
	(b) Debentures/ Bonds	**4,402,695**	2,207,364
	(c) Other securities (Commercial Paper)		
3	Investments in Infrastructure and Social Sector	**1,146,204**	1,284,803
4	Other than Approved Investments	**211,751**	249,726
	Total	**245,449,558**	218,959,324

Notes: (i) Includes ₹100267 thousand (Previous year ₹100340 thousand) deposited with RBI in persuant to Section 7 of Insurance Act, 1938.

(ii) Provision of ₹216833 thousand (P.Y. ₹225421 thousand)against non-performing debentures is grouped under provision for bad and doubtful debts in Schedule 14.

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ
अनुसूची - 9
ऋण

	विवरण	31.03.2015 को (₹ '000)	31.03.2014 को (₹ '000)
1	**प्रतिभूति-वार वर्गीकरण**		
	सुरक्षित	**1,879,563**	1,926,590
	(क) सम्पत्ति के बधक पर		
	(कक) भारत में	**467,393**	482,773
	(खख) भारत से बाहर	-	-
	(ख) शेयरों, बंधपत्रों, सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
	(ग) अन्य - गृह ऋण	**1,412,170**	1,443,817
	असुरक्षित	**307,671**	346,146
	कुल	**2,187,234**	**2,272,736**
2	**ऋणी-वार वर्गीकरण**		
	(क) केन्द्र तथा राज्य सरकार	**216,741**	251,883
	(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थान	**15,000**	15,000
	(ग) अनुषंगियां	-	-
	(घ) औद्योगिक उपक्रम	**532,684**	548,065
	(च) अन्य	**1,422,809**	1,457,788
	कुल	**2,187,234**	**2,272,736**
3	**निष्पादन-वार वर्गीकरण**		
	(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण		
	(कक) भारत में	**1,791,280**	1,874,012
	(खख) भारत से बाहर	-	-
	(ख) निष्क्रिय ऋण से प्रावधान घटाकर		
	(कक) भारत में *	**395,954**	398,724
	(खख) भारत से बाहर	-	-
	कुल	**2,187,234**	**2,272,736**
4	**परिपक्वता-वार विवरण**		
	(क) अल्पकालिक	**1,673**	2,231
	(ख) दीर्घकालिक	**2,185,561**	2,270,505
	कुल	**2,187,234**	**2,272,736**

*** नोट :** निष्क्रिय ऋणपत्र के लिए **₹327422** हजार (वि.व.**₹321625** हजार) के प्रावधान को बैड और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के तहत अनुसूची 14 में शामिल किया गया है ।

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE - 9

LOANS

	Particulars	As at 31.03.2015 (₹ '000)	As at 31.03.2014 (₹ '000)
1	**SECURITY-WISE CLASSIFICATION**		
	Secured	**1,879,563**	1,926,590
	(a) On mortgage of property		
	(aa) In India	**467,393**	482,773
	(bb) Outside India	**-**	-
	(b) On Shares, Bonds, Govt. Securities	**-**	-
	(c) Others - HBL	**1,412,170**	1,443,817
	Unsecured	**307,671**	346,146
	Total	**2,187,234**	**2,272,736**
2	**BORROWER-WISE CLASSIFICATION**		
	(a) Central and State Governments	**216,741**	251,883
	(b) Banks and Financial Institutions	**15,000**	15,000
	(c) Subsidiaries	**-**	-
	(d) Industrial Undertakings	**532,684**	548,065
	(e) Others	**1,422,809**	1,457,788
	Total	**2,187,234**	**2,272,736**
3	**PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION**		
	(a) Loans classified as standard		
	(aa) In India	**1,791,280**	1,874,012
	(bb) Outside India	**-**	-
	(b) Non-performing loans less provisions		
	(aa) In India *	**395,954**	398,724
	(bb) Outside India	**-**	-
	Total	**2,187,234**	**2,272,736**
4	**MATURITY-WISE CLASSIFICATION**		
	(a) Short Term	**1,673**	2,231
	(b) Long Term	**2,185,561**	2,270,505
	Total	**2,187,234**	**2,272,736**

* Note : Provision of ₹327422 thousand (P.Y. ₹321625 thousand) against non-performing loans is grouped under provision for bad and doubtful debts in Schedule 14

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ
अनुसूची-10
31 मार्च 2015 को स्थायी सम्पत्ति

(₹ '000)

विवरण	लागत/सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लाक	
	01.04.2014 को आरम्भ	वर्ष के दौराा अतिरिक्त	वर्ष के दौराा कमी	को समाप्त 31.03.2015	31.03.14 तक	वर्ष के लिए	बिक्री/ समायोजा	31.03,15 तक	31.03.15 को	31.03.14 को
साख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अदृश्य (सॉफ्टवेयर)	716013	207,650	-	923,663	454,846	124,674		579,520	344,143	261,167
जमीन मुक्त	6,452	-	-	6,452				-	6,452	6,452
पत धारित सम्पत्ति @	317,573	-	-	317,573	5,775	3,226		9,001	308,572	311,798
भवन – आरसीसी @	501,652	6,841	-	508,493	282,171	11,106		293,277	215,216	219,481
फर्नीचर व फिटिंग	334,596	46,806	6,420	374,982	272,905	26,804	2,425	302,134	72,848	61,691
कम्प्यूटर एवं अन्य उपयोगी उपकरण	1,929,625	450,927	76,420	2,304,132	1,634,742	257,741	7,467	1,899,950	404,182	294,883
सर्वर एवं नेटवर्क	1,884,141	124,237	56,534	1,951,844	1,793,251	37,770	(33,354)	1,797,667	154,177	90,890
मोटर कार	767,171	279,192	235,178	811,185	349,097	151,197	(78,824)	421,470	389,715	418,074
कार्यालय उपकरण	276,517	17,602	8,532	285,587	185,791	44,740	447	230,978	54,609	90,726
विद्युत उपकरण	295,706	20,965	31,364	285,307	227,866	25,445	(19,766)	233,545	51,762	67,840
संयंत्र एवं मशीनरी (निरंतर प्रक्रिया संयत्र के अलावा)* @	14,239			14,239	7,091	1,25		8,347	5,892	7,148
कुल	**7,043,685**	**1,154,220**	**414,448**	**7,783,457**	**5,213,535**	**683,959**	**(121,605)**	**5,775,889**	**2,007,568**	**1,830,150**
मुख्य कार्य में प्रगति	-	8889		8,889	-	-	-	-	8,889	0
कुल योग	**7,043,685**	**1,163,109**	**414,448**	**7,792,346**	**5,213,535**	**683,959**	**(121,605)**	**5,775,889**	**2,016,457**	**1,830,150**
विगत वर्ष	**6,784,420**	**1,430,780**	**1,287,900**	**6,927,300**	**5,331,910**	**875,210**	**(1,109,970)**	**5,097,150**	**1,830,150**	**-**

*लिफ्टों, जल उपचार संयंत्र आदि सहित।

@31.03.2014 तक सकल ब्लॉक एवं मूल्यह्रास तथा अचल सम्पत्ति के लाइन में परिसम्पत्तियों को पेश करने को रिकास्ट कर दिया गया है हालाकि 31.03.2014 के अनुसार नेट ब्लॉक एक ही है।

SCHEDULE FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE – 10

FIXED ASSETS AS AT 31ST MARCH, 2015

(₹ '000)

Particulars	Cost/ Gross Block				Depreciation				Net Block	
	Opening as at 01.04.2014	Additions during the year	Deductions for the year	Closing as at 31.03.2015	Upto 31.03.2014	For the Year	On Sales/ Adjust-ments	As on 31.03.2015	As at 31.03.2015	As at 31.03.2014
Goodwill	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intangibles (software)	716013	207,650	-	923,663	454846	124,674		579,520	344,143	261,167
Land - Freehold	6,452	-	-	6,452				-	6,452	6,452
Land - Leasehold @	317,573	-	-	317,573	5,775	3,226		9,001	308,572	311,798
Buildings - RCC @	501,652	6,841	-	508,493	282,171	11,106		293,277	215,216	219,481
Furniture & Fittings	334,596	46,806	6,420	374,982	272,905	26,804	2,425	302,134	72,848	61,691
Computer and other end use devices	1,929,625	450,927	76,420	2,304,132	1,634,742	257,741	7,467	1,899,950	404,182	294,883
Servers & Network	1,884,141	124,237	56,534	1,951,844	1,793,251	37,770	(33,354)	1,797,667	154,177	90,890
Motor Cars	767,171	279,192	235,178	811,185	349,097	151,197	(78,824)	421,470	389,715	418,074
Office Equipment	276,517	17,602	8,532	285,587	185,791	44,740	447	230,978	54,609	90,726
Electrical Equipments	295,706	20,965	31,364	285,307	227,866	25,445	(19,766)	233,545	51,762	67,840
Plant & Machinery (Other than Continuous Process Plant)* @	14,239			14,239	7,091	1,25		8,347	5,892	7,148
TOTAL	**7,043,685**	**1,154,220**	**414,448**	**7,783,457**	**5,213,535**	**683,959**	**(121,605)**	**5,775,889**	**2,007,568**	**1,830,150**
Capital Work in progress	-	8889		8,889	-	-	-	-	8,889	0
Grand Total	**7,043,685**	**1,163,109**	**414,448**	**7,792,346**	**5,213,535**	**683,959**	**(121,605)**	**5,775,889**	**2,016,457**	**1,830,150**
PREVIOUS YEAR	**6,784,420**	**1,430,780**	**1,287,900**	**6,927,300**	**5,331,910**	**875,210**	**(1,109,970)**	**5,097,150**	**1,830,150**	**-**

* Includes lifts, Water treatment plant, etc.

@ Gross Block and depreciation upto 31.03.2014 have been recasted to present these assets in line with other Fixed Assets. Net Block as on 31.03.2014, however, remains same.

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची - 11

नकद तथा बैंक अतिशेष

	विवरण	31.03.2015 को (₹ '000)	31.03.2014 को (₹ '000)
1	नकद (चैक, ड्राफ्ट तथा स्टाम्प सहित)	887,361	1,263,189
2	बैंक अतिशेष		
	(क) जमा लेखा		
	(कक) अल्पकालिक (12 महीनों के अंदर देय) [नीचे के नोट पर ध्यान दें]	7,045,853	8,066,768
	(खख) अन्य	1,428,900	2,360,000
	(ख) चालू खाता	3,758,124	3,187,449
3	मांग पर तथा अल्प सूचना पर धन		
	(क) बैंक में	-	-
	(ख) अन्य संस्थानों में	-	-
4	पारवहन में जमा	44,311	12,605
	कुल	13,164,549	14,890,011
	उपर्युक्त 2 तथा 3 में शामिल हैं गैर अनुसूचित बैंकों में (नेपाल शाखा में) अतिशेष	903,862	729,163

नोट : सेबी के परिपत्र संख्या एमआरडी/डीओपी/एसई/परि.-07/2005 दिनांक 23 फरवरी 2005 के अनुसार एनएसई/बीएसई इक्विटी ट्रांजेक्सन के लिए मार्जिन मनी के रूप में ₹120000 हजार (विगत वर्ष ₹120000 हजार) रखा गया ।

अनुसूची – 12

अग्रिम तथा अन्य संपत्तियां

	विवरण	31.03.2015 को (₹ '000)	31.03.2014 को (₹ '000)
	अग्रिम		
1	अर्पित कम्पनियों में आरक्षित जमा	18,438	57,395
2	निवेश के लिए आवेदन राशि	-	-
3	अग्रिम प्रदत्त कर तथा स्रोत पर काटे गए कर (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान)	1,099,331	370,543
4	अग्रिम, जमा तथा पूर्व प्रदत्त खर्च	1,009,646	1,131,357
	कुल (क)	2,127,415	1,559,295
	अन्य सम्पत्तियां		
1	निवेशों पर प्रोद्भूत आय	4,250,711	4,122,611
2	बकाया प्रीमियम	9,220	3,185
3	एजेंटों का अतिशेष	21,447	22,745
4	बीमा व्यवसाय कर रहे अन्य संस्थानों से (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) प्राप्य	26,998,012	19,768,411
5	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुरूप)	-	-
6	अन्य -(ब्याज, लाभांश तथा बकाया किराया देदार तथा वाहा ऋण सहित)	6,228,674	6,440,802
7	अंतर-कार्यालय	569,386	632,687
	कुल (ख)	38,077,450	30,990,441
	कुल (क) +(ख)	40,204,865	32,549,736

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE- 11

CASH AND BANK BALANCES

	Particulars	As at 31.03.2015 (₹ '000)	As at 31.03.2014 (₹ '000)
1	Cash (including cheques, drafts and stamps)	887,361	1,263,189
2	Bank Balances		
	(a) Deposit Accounts		
	(aa) Short-term (due within 12 months) [note below]	7,045,853	8,066,768
	(bb) Others	1,428,900	2,360,000
	(b) Current Accounts	3,758,124	3,187,449
3	Money at Call and Short Notice		
	(a) With Banks	-	-
	(b) With other Institutions	-	-
4	Remittances in Transit	44,311	12,605
	Total	13,164,549	14,890,011
	Balances with non-scheduled banks included in 2 and 3 above (at Nepal Branch)	903,862	729,163

Note - Includes ₹120000 thousand (Previous year ₹120000 thousand) kept as margin money for NSE/BSE equity transactions as per SEBI circular no. MRD/DoP/SE/Cir-07/2005 dated 23rd February 2005.

SCHEDULE – 12

ADVANCES AND OTHER ASSETS

	Particulars	As at 31.03.2015 (₹ '000)	As at 31.03.2014 (₹ '000)
	ADVANCES		
1	Reserve deposits with ceding companies	18,438	57,395
2	Application money for investments	-	-
3	Advance tax paid and taxes deducted at source (Net of provision for taxation)	1,099,331	370,543
4	Advance,Deposits & Pre-paid Expenses	1,009,646	1,131,357
	TOTAL (A)	2,127,415	1,559,295
	OTHER ASSETS		
1	Income accrued on investments	4,250,711	4,122,611
2	Outstanding Premiums	9,220	3,185
3	Agents' Balances	21,447	22,745
4	Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)	26,998,012	19,768,411
5	Deposit with Reserve Bank of India [Pursuant to section 7 of Insurance Act,1938]	-	-
6	Others-(Interest,Dividend, Rent Outstanding, Debtors, Vehicle Loan and Service Tax unutilised credit)	6,228,674	6,440,802
7	Inter Office	569,386	632,687
	TOTAL (B)	38,077,450	30,990,441
	TOTAL (A+B)	40,204,865	32,549,736

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियों

अनुसूची - 13

वर्तमान देयताएं

	विवरण	31.03.2015 को (₹ '000)	31.03.2014 को (₹ '000)
1	एजेंटों के अतिशेष	855,695	727,154
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय अतिशेष	12,682,484	10,844,559
3	अर्पित पुनर्बीमा पर धारित जमा	0	0
4	अग्रिम प्राप्त प्रीमियम	1,030,538	840,950
5	विविध लेनदार	23,883,648	26,852,161
6	पुराने शेयरधारकों को देय	292	292
7	बकाया दावे	81,014,744	69,878,776
8	पॉलिसी होलडर्स की अदावी राशि	756,349	672,765
9	सेवा कर देयतायें	271,230	196,109
10	अंतर कार्यालय	-	-
	कुल	120,494,980	110,012,766

अनुसूची – 14

प्रावधान

	विवरण	As at 31.03.2015 (₹ '000)	As at 31.03.2014 (₹ '000)
1	असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित	52,174,228	47,288,289
2	प्रस्तावित लाभांश के लिए	1,935,279	1,646,586
3	लाभांश संवितरण कर के लिए	328,901	279,837
4	संदिग्ध ऋणो के लिए	1,790,412	1,901,017
	कुल	56,228,820	51,115,729

अनुसूची – 15

विविध खर्च

(जो बट्टे खाते या समायोजित न किए गए हों)

	विवरण	As at 31.03.2015 (₹ '000)	As at 31.03.2014 (₹ '000)
1	जारी किए गए शेयर/ऋणपत्र पर अनुमत छूट	-	-
2	आस्थगित राजस्व खर्च	-	-
	वर्ष के अंत में शेष	-	-

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
SCHEDULE - 13
CURRENT LIABILITIES

	Particulars	As at 31.03.2015 (₹ '000)	As at 31.03.2014 (₹ '000)
1	Agents' Balances	**855,695**	727,154
2	Balances due to other insurance companies	**12,682,484**	10,844,559
3	Deposits held on re-insurance ceded	**0**	0
4	Premiums received in advance	**1,030,538**	840,950
5	Sundry creditors	**23,883,648**	26,852,161
6	Due to former share holders	**292**	292
7	Claims Outstanding	**81,014,744**	69,878,776
8	Unclaimed Amount of Policyholders	**756,349**	672,765
9	Service Tax liability	**271,230**	196,109
10	Inter office	-	-
	TOTAL	**120,494,980**	**110,012,766**

SCHEDULE – 14
PROVISIONS

	Particulars	As at 31.03.2015 (₹ '000)	As at 31.03.2014 (₹ '000)
1	Reserve for Unexpired Risk	**52,174,228**	47,288,289
2	For proposed dividends	**1,935,279**	1,646,586
3	For dividend distribution tax	**328,901**	279,837
4	For doubtful debts	**1,790,412**	1,901,017
	Total	**56,228,820**	**51,115,729**

SCHEDULE – 15
MISCELLANEOUS EXPENDITURE
(To the extent not written off or adjusted)

	Particulars	As at 31.03.2015 (₹ '000)	As at 31.03.2014 (₹ '000)
1	Discount Allowed in issue of shares/ debentures	-	-
2	Deferred Revenue Expendiiture	-	-
			-
	BALANCE AT THE END OF THE YEAR	-	-

अनुसूची-16

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखांकन परम्परा

तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा, नगदी प्रवाह विवरण तथा राजस्व लेखा कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 11(1) एवं (1ए) के प्रवाधनों के अनुसार तैयार किये गये हैं। उक्त विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अनुसार तैयार किये गये हैं और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कम्पनियों के वित्तीय विवरण तथा लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन तैयार करने) विनियम, 2002 की प्रयोजनीयता सीमा तक अनुरूप है और अन्यथा वर्णित को छोड़कर भारत में साधारण बीमा उधोग में लागू सांविधिक प्रावधानों और व्यवहार के अनुरूप है।

1.1 वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए इस्टीमेट एवं पूर्वानुमान, जहाँ आवश्यक रहा, तत्काल बनाया गया। लेखा इस्टीमेट में किसी प्रकार के संशोधन को भविष्य के सापेक्ष मे लिया गया।

2. शेयर होल्डर्स एवं पॉलिसी होल्डर्स का फंड

शेयर होल्डर्स के फंड में केपिटल, जनरल रिजर्व एवं कैपिटल रिजर्व शामिल है। पॉलिसी होल्डर्स के फंड में तकनीकी रिजर्व तथा बकाये दावों का प्रावधान शामिल है।

3. पुनर्बीमा:

3.1 विदेशी बीमा कम्पनियों से 31 मार्च तक प्राप्त आवक विवरणी तथा भारतीय बीमा कम्पनियों से वर्तमान वर्ष की तृतीय तिमाही तक तथा पिछले वित्तीय वर्ष की चतुर्थ तिमाही तक के रिटर्न को लेखा में शामिल किया गया है। भारतीय कम्पनियों से चतुर्थ तिमाही का रिटर्न प्राप्त होने पर उसे भी शामिल कर लिया जायेगा।

3.2 प्रचालन कार्यालयों से प्राप्त सलाह/विवरणी के आधार पर पुनर्बीमा अर्पण किया जाता है जहां कहीं वास्तविक/पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है वहां पुनर्बीमा अर्पण, पुनर्बीमा विभाग में उपलब्ध जानकारी पर आधारित प्राक्कलन के आधार पर किया जाता है ।

3.3 मोटर पूल के भुगतान एवं बकाया दावों के आकड़े; प्रीमियम और अनिवार्य अर्पण के दावों के आकडे अपलब्ध सूचना के आधार पर अलग-अलग शामिल किये जाते हैं।

3.4 भारत और विदेशों के पार्टियों से संबंधित स्वीकृत और अर्पण लेखा लेन-देन एवं संबद्ध संस्थाओं के बीच खाते के बयान के आधार पर वित्तीय निपटान पर विचार किया गया है जो सही रुप में लगातार पिछले अभ्यास के अनुसार कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया है।

3.5 प्रत्येक तिमाही में विदेशी मुद्रा में पुनर्बीमा आय लेन-देन तिमाही के आरंभ की विनमय दर भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) की सलाह के अनुसार परिवर्तित की जाती है।

3.6 विदेशी मुद्रा में पुनर्बीमा की सभी परिसम्पत्तियां और देयताएं वर्ष की अंतिम तारीख की विनमय दर भारतीय साधारण बीमा निगम की सलाह के अनुसार परिवर्तित की जाती है।

3.7 विदेशी मुद्राओं के लेन-देन पर विनिमय लाभ/हानि का लेखांकन आय के रूप में किया जाता है।

4. विदेशी शाखा लेखा:

4.1 कम्पनी की विदेशी शाखाओं में विदेशी मुद्रा में धारित स्थायी परिसम्पत्तियों और निवेशों की लागत को अधिग्रहण वर्ष के अंत में विद्यमान दर पर परिवर्तित किया जाता है।

4.2 उपर्युक्त 4.1 में वर्णित के अलावा परिसम्पत्तियों तथा विदेशी शाखाओं की देयताओं को वर्ष के अंत की विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है ।

Schedule 16

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION :

The Balance Sheet, Profit and Loss Account, Cash Flow Statement and the Revenue Accounts are drawn up in accordance with the provisions of Section 11 (1) & (1A) of the Insurance Act, 1938, read with the relevant provisions of the Companies Act, 2013. The said statements are prepared on historical cost convention, accrual basis of accounting and comply with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and conform to the statutory provisions, applicable accounting standard and practices prevailing in the general insurance industry in India except as otherwise stated.

1.1 For preparation of the financial statements, estimates and assumptions wherever necessary are considered on prudent basis. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively.

2 Shareholders' and Policyholders' Fund

Shareholders' fund comprises of share capital, general reserve and capital reserve. The policyholders' fund comprises of reserve for unexpired risk and provision for outstanding claims.

3. RE-INSURANCE :

3.1 Inward returns from foreign insurance companies received upto 31st March and returns from Indian companies received upto 3rd quarter of the current year and the 4th quarter of the previous year are incorporated in the accounts. Returns of 4th quarter from Indian companies wherever received are also considered.

3.2 Re-insurance cessions is done on the basis and to the extent of advice/returns including amendments/supplements received from operating offices. Where full particulars are not available, cession is done on the basis of information available with the re-insurance department and/or on the basis of reasonable estimation of probable maximum loss wherever applicable.

3.3 Figures of Motor Pool claims paid and outstanding; bifurcation of premium and claims for varying obligatory cession percentage are considered on the basis of available information.

3.4 Accounting transactions pertaining to acceptance and cession relating to the parties in India and abroad and financial settlement are considered on the basis of exchange of statement of account between the concerned entities which are accepted as correct as per practice consistently followed by the company.

3.5 Revenue transactions of each quarter in foreign currencies are converted as per the rates of exchange for such quarter as advised by General Insurance Corporation of India (GIC).

3.6 Assets and liabilities in foreign currencies at the end of the year are converted at the rates of exchange prevailing on that date as advised by GIC.

3.7 Exchange gain/loss on conversion of revenue transactions, assets and liabilities in foreign currencies are accounted for as revenue.

4. FOREIGN BRANCH ACCOUNTS :

4.1 The cost of fixed assets held in foreign currencies at the company's foreign branches are converted at the exchange rates prevalent at the end of the year of acquisition.

4.2 Assets, other than those mentioned in 4.1 above, and liabilities of the foreign branches are converted at the rates of exchange at the year-end.

4.3 विदेशी शाखाओं से सम्बंधित राजस्व प्रत्येक तिमाही के आरंभ में प्रचलित विनिमय के दरों के औसत से वर्ष के अंत में परिवर्तित किया जाता है।

4.4 गैर अभिन्न विदेशी शाखा का विनिमय एएस-II के अनुसार-विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन, विदेशी शाखा (गैर अभिन्न शाखा) से संबंधित लेन-देन के कारण बचे शेष का विनिमय अंतर विदेशी मुद्रा अंतरण रिजर्व में शाखा के आपरेशन बंद होने तक जमा होता है।

4.5 लेन-देन के कारण हांगकांग शाखा में हुए विनिमय अंतर के लाभ एवं हानि खाते में परिवर्तित कर दिया गया है।

5. प्रीमियम की मान्यता :

5.1 प्रीमियम आय बीमे की शुद्ध मान्यता, संबंधित राजस्व खाते में जोखिम की धारणा पर आधारित होती है अगर पॉलिसियों में भुगतान किस्त में प्राप्त होती है तो राजस्व की मान्यता किस्त प्राप्त होने के समय होगी।

6. असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित :

6.1 जोखिम अपनाने के पश्चात प्रीमियम एक आय के रूप में हो जाती है क्योंकि जोखिम पद्धति समय बीतने के साथ संबंधित नहीं है। असमाप्त जोखिम की राशि नेट प्रीमियम का एक हिस्सा होती है जिसे भावी लेखा अवधि में, बीमा अधिनियम 1938 के द्वारा निर्धारित दर जो आईआरडीए के द्वारा अनुमत छूट के अधीन है, दर्शाया जाता है।

6.2 प्रीमियम में कमी के लिए रिजर्व की गणना, जहाँ अनुमानित दावा लागत, संबंधित व्यय तथा रख-रखाव लागत संबंधित अनर्जित प्रीमियम से अधिक होती है।

7. दावे :

7.1 दावा निम्न प्रकार से स्थापित किए जाते हैं :

क) भारत में प्रत्यक्ष व्यवसाय के संबंध में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त सूचना के आधार पर,

ख) बीमा कम्पनियों/ऐजेण्टों द्वारा पुर्नबीमा व्यवसाय के संबंध में लेखा तैयार होने के निर्धारित तिथि तक दी गई सूचना के आधार पर, जिन सूचित दावों से संबंधित सूचनायें उपलब्ध होती है वहां दावा देयता का निर्धारण एस्टीमेट के आधार पर किया जाता है जहां संबंधित सूचनाएं उपलब्ध नहीं होती वहां वर्तमान और विगत बीमा के आधार पर प्रवाधान लेखन अनुभव किया जाता है।

7.2 बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर उपगत किन्तु सूचित नहीं (आईबीएनआर) का प्रवाधान किया जाता है।

7.3 जहां कम्पनी की देयता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त पॉलिसी विवरणों के बिना कम्पनी को न्यायलय के सम्मन भेजे गये हैं, उन मोटर तृतीय पक्ष दावों के संबंध में विवरण रहित दावों के अनुमानित मूल्य की तिमाही सीमा तक का प्रावधान तथा एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़े दावों के लिए, वर्तमान पद्धति के अनुसार, पूरा प्रावधान किया जाता है।

7.4 कम्पनी द्वारा निरस्त किए गए दावें जो दोवेदारों द्वारा कोर्ट/लोकपाल/मध्यस्था में दिए जानेवाले का प्रावधान, जिसके बारे में प्रबंधन की यह राय है कि वे कम्पनी के विरूद्ध होगी।

7.5 मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) में अपील केसेज, दावा जिनका भुगतान न्यायलय में जमा किये गए राशि के साथ किया गया हो।

4.3 Revenue transactions relating to foreign branches are converted at the year end at the average of the rates of exchange prevailing at the beginning of each quarter.

4.4. Exchange difference in non-integral foreign branch -As per provision of AS-11, the effect of changes in Foreign Exchange Rates, exchange difference on account of transactions of the balances relating to foreign branch (non-integral-Nepal Branch) is accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the closure of the operation in the said branch. The cumulative amount of balance lying in aforesaid reserve would be recognized as income or as expenses in the year of closure of the branch.

4.5 Exchange difference arises on account of transactions of Hong Kong branch is changed to Profit & Loss Account.

5. RECOGNITION OF PREMIUM :

5.1 Premium income is recognized net of re-insurance, based on assumption of risk in related revenue account. In case of policies where payments are received in instalment, the revenue is recognized at the time of receipt of instalment.

6. RESERVE FOR UNEXPIRED RISK :

6.1 Reserves for unexpired risk is created as the amount representing that part of the net premium written which is attributable to, and to be allocated to the succeeding accounting periods and the reserves created in the preceding year.at the rate prescribed in the Insurance Act, 1938.

6.2 Reserve for premium deficiency is calculated and disclosed where the sum of expected claims costs, related expenses and maintenance costs exceed the related unearned premium.

7. CLAIMS :

7.1 Claims are considered in the following manner:

(a) in respect of direct business in India on the basis of claim intimations received upto the year end,

(b) in respect of re-insurance business as intimated by insurance companies/agents upto cut-off date of finalization of accounts.

In case of claims reported wherever supporting information are available, liabilities for claims are estimated on the basis of such information. Wherever supportings are not available, provisions are estimated on current trends and past underwriting experience.

7.2 Provisions for claims 'Incurred but Not Reported' (IBNR) and "Incurred but not enough Reported (IBNER) are made on the basis of actuarial valuation.

7.3 Provisions in respect of motor third party claims, where court summons have been served on the company without adequate policy particulars, are made to the extent of 1/3rd of the estimated value of such unidentified claims and for claims remaining unidentified over one year, full provision is made, in accordance with the existing practice.

7.4 Provisions for claims repudiated by the company but contested by the claimants in courts/ ombudsman/arbitration etc. have been made where the management is of the opinion that the final awards are likely to go against the company.

7.5 Claims paid includes Court Deposits in Motor Accident Claims Tribunal (MACT) appeal cases.

8. निवेश और ऋण

8.1 निवेश की लागत में दलाली, शेयर हस्तांतरण, शुल्क, कर आदि शामिल है। प्राप्त प्रोत्साहन को लागत से घटा दिया जाता है।

8.2 निवेशों का मूल्याकंन आईआरडीए विनियमों के अनुसार है जो निम्नवत है -

क) **ऋण प्रतिभूति -** सरकारी प्रतिभूतियां और पुनर्विमोचन योग्य अधिमान शेयर सहित ऋण प्रतिभूतियों को परिपक्वता के लिए धारित प्रतिभूति के रूप में माना जाता है और ऐतिहासिक लागत पर इन्हें मापा जाता है तथा प्रदत्त प्रीमियम को परिपक्वता की बाकी अवधि में किस्त बद्ध किया जाता है।

ऋण प्रतिभूतियों के लिए ऋण परिशोधन का आधार, जहां फेस वैल्यू (बीभी), बुक वैल्यू (बीभी) से कम है, हानि को शेष बची अवधि में समान रूप से विस्तारित किया जाता है।

ख) **इक्विटी प्रतिभूतियां जिनका सक्रिय बाजार में व्यापार होती है -** सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियां , जिनका व्यापार सक्रिय बाजारों में होता है, तुलन पत्र के तारीख को उचित मूल्य पर मापी जाती हैं। उचित मूल्य की गणना करने के प्रयोजन में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेन्ज (एनएसई) या बम्बई स्टॉक एक्सचेन्ज (बीएसई) में अंतिम उद्धृत न्यूनतम क्लोजिंग मूल्य पर किया जाता है। सूचीबद्ध इंक्विटी शेयरों के उचित मूल्य परिवर्तन के कारण अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन लेखा शीर्षक के अधीन इक्विटी में लिया गया है।

सूचीबद्ध एवं एक्टिवली ट्रेडेड इक्विटी शेयर के प्रकरण में पूंजी का ह्रास तब माना जाता है जब किसी प्रतिभूति विशेष का विघटित मूल्य उपलब्ध मूल्य इसके अंकित मूल्य से कम हो या वर्तमान विघटित उपलब्ध न हो। इस उद्देश्य के लिए विघटित मूल्य का निर्धारण नवीनतम तुलन-पत्र, जो मूल्यांकन तिथि से एक वर्ष पूर्व से अधिक नहीं होना चाहिए, किया जाता है।

ग) **गैर सूचीबद्ध और सक्रिय व्यवसाय प्रतिभूतियां -** इनकी आंकलन मूल्यह्रास के अधीन ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है।

गैर सूचीबद्ध और इक्विटी ट्रेडेड इक्विटी को छोड़कर पूंजी में ह्रास तब माना जाता है जब लगातार तीन वर्षों तक हानि का इतिहास रहा हो या तीन वर्ष का वार्षिक लेखा उपलब्ध न हो, वहां इक्विटी शेयर का धनात्मक विघटन मूल्य तक अपलिखित किया जाता है। अन्यथा नाम मात्र रू. 1/- प्रति कम्पनी पर लिखा जाता है।

पूंजी में ह्रास हुआ तब माना जाता है जब शेयर का ब्रेकअप वैल्यू इसके फेस वैल्यू से कम हो या जहां वर्तमान ब्रेकअप वैल्यू उपलब्ध नहीं है। इस उद्देश्य के लिए चालू बैलेन्सशीट के आधार पर ब्रेकअप वैल्यू निकाली जाती है, जो वैल्यूशन के एक वर्ष पूर्व से अधिक समय की नहीं होनी चाहिए।

अन्य मामलों में जहां विघटन मूल्य अधिग्रहणता से कम है वहां तत्कालिक वैलेन्सशीट से एक वर्ष से अधिक के वैल्यूएशन तिथि का नहीं है लेकिन यह लगातार हानि का ऐसा कोई इतिहास नहीं है, वहां अधिग्रहण लागत विघटन मूल्य में अंतर की राशि के बराबर का प्रावधान किया गया है। जहां विघटन मूल्य ऋणात्मक है वहां अधिग्रहण मूल्य और सामान्य मूल्य रू.1 प्रति कम्पनी बीच के अन्तर का प्रावधान होगा।

8. INVESTMENTS AND LOANS

8.1 Cost of investments includes brokerage, share transfer stamps, fees, taxes etc. Incentives received are deducted from cost.

8.2 Investments are valued as per IRDA Regulations as follows:

(a) **Debt Securities:** Debt securities including Government securities considered as "held to maturity" securities and are measured at historical cost and the premium paid is amortized over the residual period of maturity.

The premium arises where book value (BV) of the securities is greater than its face value (FV) and the same (BV-FV) is amortized uniformly over residual life of the security.

(b) **Equity Securities traded in active markets:** Listed equity shares which are traded in active markets are measured at Fair Value as at the Balance Sheet date. For the purpose of calculation of fair value, the market price of the actively traded securities is taken at the lower of the last quoted closing price at the National Stock Exchange (NSE) or Bombay Stock Exchange (BSE). Unrealised gain/loss arising due to changes in the fair value of listed and actively traded equity shares is taken to equity under the head "Fair Value Change Account".

In the case of listed and actively traded equity shares, capital is considered to be impaired if the break-up value of a particular security is less than its face value or where the current break-up value is not available. For this purpose the break-up value is arrived at as per the latest Balance Sheet, which should not be more than 1 (one) year prior to the date of valuation. When capital is impaired and there is three years' history of continuous loss or if the published annual accounts are not available for the last three years, equity shares are valued at lower of cost or market value.

(c) **Unlisted and other than actively traded Equity Securities:** These are measured at historical cost subject to impairment.

In the case of unlisted and other than actively traded equity shares when capital is impaired and there is three years' history of continuous loss or if the annual accounts are not available for last three years, such equity share are written down to the break-up value where it is positive otherwise to a nominal value of ₹1/- per company.

Capital is considered to be impaired if the break-up value of share is less than its face value or where the current break-up value is not available. For this purpose the break-up value is arrived at as per the latest balance sheet, which should not be more than one year prior to the date of valuation.

In other cases where break-up value is less than acquisition cost or unavailable (as per latest balance sheet not more than one year prior to date of valuation) but there is no such history of continuous losses, provision is made equivalent to the difference in acquisition cost and the break-up value of the share. When the break-up value is negative, provision shall be difference between the acquisition cost and a nominal value of ₹1/- per company.

घ) **अधिमान शेयर - ऐसी** कम्पनी के अधिमान शेयर में निवेश का मूल्यांकन प्रामियम परिशोधन के अधीन, यदि कोई हो, होता है। अधिमान शेयर में ह्रास उस समय होता है जब कंपनियां पूर्ववर्ती तीन लगातार वर्षों में हानि उठा रही हो या जिनकी पूंजी आंशिक/पूर्णतया ह्रास में हो या जिनका पूर्ववर्ती तीन वर्षो का वार्षिक लेखा उपलब्ध नहीं हो। ह्रास के प्रकरण में मूल्यांकन निम्नवत है -

i) यदि किसी कम्पनी के इक्विटी शेयर का सक्रिय कारोबार है तो इसके अधिमान शेयर के अवमूल्यन इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य र बाजार मूल्य के अनुपात में होता है।

ii) यदि किसी कम्पनी का इक्विटी शेयर सूचीबद्ध नहीं है या इसका कम कारोबार है, इसके अधिमान शेयर का अवमूल्यन इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य और विघटित मूल्य के अनुपात होता है। जहां इक्विटी शेयरों का विघटन मूल्य ऋणात्मक है या जहां मूल्यांकन की तिथि के 1 वर्ष पूर्व की नवीनतम तुलन-पत्र पर उपलब्ध नहीं है वहां अधिमान शेयर नाममात्र मूल्य ₹1/- प्रति कम्पनी पर लिखा जाता है।

ङ) **ऋण व ऋण-पत्र** - ऋण (ऋण पत्र सहित) मूल्यह्रास प्रावधान के अधीन ऐतिहासिक लागत पर मापे गए हैं। मूल्यह्रास प्रावधान आईआरडीए द्वारा वित्तीय संस्थानों के लिए लागू समय-समय पर जारी तय दिशा निर्देशों के अनुसार किए गए हैं। स्टेंडर्ड सरकारी बांड निवेशों के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं।

आय मान्यता, निष्क्रिय सम्पत्तियों के लिए प्रवाधान आदि के संबंध में आईआरडीए द्वारा निर्धारित ऋणों और ऋण-पत्रों के लिए विवेकपूर्ण नियमों का कम्पनी द्वारा पालन होता है। तथापि प्रावधान करने के प्रयोजन से प्रतिभूति का मूल्य कैपिटलाइन के पास उपलब्ध नवीनतम तुलन-पत्र के अनुसार परिसम्पत्ति संरक्षण अनुपात के आधार पर ज्ञात किया जाता है। जहां परिसम्पत्ति संरक्षण अनुपात एक से कम है वहां और असंरक्षित भाग के लिए संरक्षण दिया जाता है।

च) **अल्पकालिक मुद्रा बाजार साधन-** अल्पकालिक मुद्रा बाजार साधन जैसे- जमा प्रमाण-पत्र और व्यपारिक दस्तावेज, जिन्हें सहमत दर पर संविदा के समय घटाया जाता है, के लेखांकन उनके घटाए गए मूल्य होता है।

छ) निवेश ह्रास का आंकलन तुलन-पत्र की तिथि पर किया जाता है तथा लाभ एवं हानि को लेखा में व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

ज) वेन्चर कैपीटल फण्ड (भीसीएफ)/अल्टरनेटिव निवेश फण्ड (एआईएफ) में निवेश का मूल्याकंन वित्तीय वर्ष समाप्त होने के प्रथम तीन वर्ष के लागत के प्रारंभिक संवितरण पर किया जाता है। इसके बाद उस निवेश मूल्य में कमी का प्रावधान बैंलेससीट के तिथि में एनएवी लागत से कम हो। निवेशी कंपनियों का लेखा परीक्षा तुलनपत्र/वित्तीय विवरण एनएभी अंक मूल्यांकन के तिथि तक प्राप्त नहीं होते है तो निवेशों का मूल्य प्रति भीसीएफ/एआईएफ 1 रूपये होगा।

8.3 क) लाभांश घोषित होनेवाले वर्ष में ही लेखांकित किये जाते हैं चाहे सी वर्ष में प्राप्त नहीं किए गये हो।

ख) जो शेयर कम्पनी के नाम में अंतरित नहीं हुआ है उनका लभांश वसूली होने पर लेखांकित होता है।

(d) **Preference Shares:** Preference Shares is valued at cost subject to amortization of premium, Impairment in Preference Shares is recognized where the company is making losses continuously for the three immediately preceding years and whose capital is eroded or where the annual accounts for three immediately preceding years are not available. In case of impairment it is valued as under:

i) If the equity shares of the company are actively traded, its preference shares are written down to a value, which is in the same proportion that the market value of the equity share bears to its face value.

ii) If the equity shares of the company are unlisted/thinly traded, its preference shares are written down to a value, which is in the same proportion that the break up value of equity share bears to its face value. Where the break up value of equity shares is negative or where the latest published annual accounts is not available one year prior to the date of valuation, the preference shares are written down to a nominal value of ₹1/- per company.

(e) **Loans and Debentures:** Loans (including Bonds/Debentures) are measured at historical cost subject to impairment provision. The impairment provision is done on the basis of guidelines prescribed by IRDA. No provision is made against investments in Standard Government Bonds.

Prudential norms as prescribed by IRDA regarding recognition of income, provisioning for non-performing assets etc., are followed by the Company. Further the value of security is also ascertained based on asset coverage ratio as per latest available published annual accounts with `Capitaline'. Where asset coverage ratio is less than one, additional coverage is provided for the uncovered portion.

(f) **Short Term Money Market Instruments:** Short Term Money Market Instruments such as Certificates of Deposit and Commercial Papers, which are discounted at the time of contract at the agreed rate, are accounted for at their discounted value.

(g) Impairment in value of investments is assessed as at the Balance Sheet date and is recognized as an expense in the Profit and Loss Account.

(h) Investment in Venture Capital Fund (VCF)/Alternative Investment Fund (AIF) are valued at cost for the first three years from the end of the financial year in which the initial disbursement are made. Thereafter, provision is made for diminution in value of such investments where NAV as at the Balance Sheet date is lower than the cost. If the audited Balance Sheet/ Financial Statements of the investee companies showing NAV figures are not available continuously for more than 18 months as on the date of valuation, the investments are valued at Rupee 1 per VCF/AIF.

8.3 (a) Dividend is accounted for in the year in which right to receive is established.

(b) Dividend, on shares which are not transferred in the company's name, is accounted for on realization.

8.4 जहां शेयरों/ऋण पत्रों की खरीद की संविदा बनायी जाय किन्तु शेयर/ऋण-पत्र, प्रमाणपत्रों की सुपुर्दगी नहीं हुई हो तो उसका लेखांकन निवेश के रूप में होता है। यदि शेयरों के खरीद के तत्काल बाद सुपुर्दगी लम्बित रहने को दौरान लभांश घोषित होता है तो शेयर के मूल्य से लाभांश की राशि घट जाती है।

8.5 जहां बोनस शेयर प्राप्त हुए हो वहां बही मूल्य को प्रभावित किए बिना शेयरोंकी संख्या दर्ज है।

8.6 म्यूचुयल फंड की यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन शुद्ध संपत्ति मूल्य पर है और अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन लेखा में मान्यता है।

8.7 निवेश सम्पत्ति - भूसम्पत्ति का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत मूल्यह्रास घटाकर किया जाता है।

8.8 ब्याज, लाभांश और किराया पर आय, खर्च और बिक्री पर लाभ/हानि राजस्व खाते (पॉलिसी धारकों के खाते) और हानि खाते (शेयरहोल्डर्स खाते) के बीच वर्ष के आरंभ में पॉलिसीधारक और शेयरहोल्डर फण्ड के शेष निधि के अनुपात में विभजित होते हैं। आगे यही अग्नि,मरीन और विविध संबंधित पॉलिसीधारकों के फण्ड वर्ष के शुरूआत में अनुपात के आधार पर राजस्व खाते में विभाजित किये जाते हैं।

9. **क) प्रबंधन खर्च/प्रचालन खर्च**

लाभ और हानि लेखा मे प्रभारित व्ययों को छोड़कर अन्य प्रबंधन खर्च, समुद्री कारोबार के लिए 75% तथा अग्नि और विविध कारोबार के लिए 100% महत्व देते हुए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम तथा स्वीकृत पुनर्बीमा के योग के आधार पर आय लेखा में संविभाजित किये जाते हैं।

ख) स्थायी परिसंमपत्तिया एवं मूल्य ह्रास

i) स्थायी परिसम्पत्तियों की लागत संचयी मूल्यह्रास/ऋण परिशोधन और हानि को घटाकर की जाती है।

ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची -II भाग सी को आधार पर जीवन परिसंपतितियों के मूल्यह्रास नीचे लिखे मूल्य विधि (डब्लयूडीभी) के अनुसार प्रदान की जाती है। संपत्ति मूल्य के 95% मूल्यह्रास और शेष 5% मूल्य को मूल्यह्रासरहित के रूप में लिया जाता है। हालांकि अमूर्त आस्थियों (साफ्टवेयर) अनुमानित उपयोगी जीवन पर परिशोधित 5 वर्ष से अधिक नहीं हो।

iii) पट्टाधारित सम्पत्ति का लागत परिशोधन पट्टा अवधि के अनुसार किया जाता है।

iv) नये कम्पनी अधिनियम, 2013 के संक्रमण उद्देश्य के लिए

क) अगर किसी संपत्ति का डब्ल्यूडीभी शुरू में मूल लागत के 5% कम है तो अवशिष्ट मूल्य डब्ल्यूडीभी के आरंभ के अनुसार लिया जायेगा।

ख) 1 अप्रैल, 2014 को परिसंपत्तियों का डूल्यूडीभी शेष उपयोगी जीवन पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची II भाग-सी के अनुसार किया जायेगा।

ग) 1 अप्रैल, 2014 को परिसंपत्तियों का डब्ल्यूडीभी शेष उपयोगी जीवन में नहीं के बराबर है तब अवशिष्ट मूल्य लाभ व हानि लेखा में शून्य माना जायेगा।

8.4 Where contracts of purchase of shares/debentures are made but delivery/registration of certificates is pending, the same are accounted for as investments. If dividend is declared on such shares during the pendency of delivery immediately after purchase, the cost of shares is reduced by the amount of such dividend.

8.5 Where bonus shares are received, the number of shares is recorded as an increase without affecting the book value.

8.6 Investment in units of Mutual Fund is valued on Net Assets Value (NAV) basis and unrealized gain/loss is recognized in 'Fair Value Change Account'.

8.7 Investment Properties - Real Estates are valued at historical cost less depreciation and impairment loss.

8.8 Interest, dividend and rent income, net of expenses and profit/loss on sale/realisation of investments, are apportioned between Revenue Accounts (Policyholders' Account) and Profit and Loss Account (Shareholders' account) in the ratio of policyholders' fund and shareholders' fund balances at the beginning of the year. The same is further apportioned to Fire, Marine and Miscellaneous Revenue Accounts in proportion to the respective policyholders' fund at the beginning of the year.

9. (a) EXPENSES OF MANAGEMENT/OPERATING EXPENSES

Expenses of Management, other than those charged to Profit and Loss Account, are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of Gross Direct Premium plus Reinsurance Acceptance Premium giving weightage of 75% for Marine business and 100% for Fire and Miscellaneous business.

(b) FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

i) Fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation/amortization and impairment Losses.

ii) Depreciation is provided as per written down value method (WDV) on the basis of useful life of assets as set out in Schedule II - Part C of the Companies Act, 2013. 95% of the value of asset is considered depreciable and balance 5% is retained as un-depreciable amount. However intangible assets (software) are amortized over the estimated useful life not exceeding 5 years

iii) Cost of Leasehold properties is amortized over the period of Lease.

iv) For the purpose of transition to the new Companies Act, 2013,

a) In case opening WDV of any asset is less than 5% of the Original Cost, the Residual Value has been kept at the Opening WDV.

b) The WDV of the assets as on 1st April, 2014, shall be depreciated over the remaining useful life as per Schedule II - Part C of The Companies Act, 2013.

c) The WDV of the assets as on 1st April, 2014, after retaining the Residual Value, shall be charged to Profit & Loss A/c where the remaining useful life of an asset is NIL.

10. कर्मचारी सुविधा

अनुग्रह राशि, पेंशन, अवकाश नकदीकरण, बीमारी अवकाश एवं एलटीएस का प्रावधान लेखामानकों 15 (संशोधित 2005) के कर्मचारी सहायता के अनुसार बीमांकक मूल्यों के आधार पर किया गया है।

11. परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास

यदि मूल्यह्रास के कारण हानि के स्थिति में उस संपत्ति के ब्लॉक के वसूली योग्य राशि को अनुमानित किया जाता है तथा मूल्यह्रास हानि को दर्ज किया जाता है, यदि उस सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य उनके वसूली योग्य मूल्य से बढ़ जाता है।

12. सेगमेंट रिपोर्टिंग

सेगमेंट रिपोर्टिंग के उद्देश्य से सेगमेंट को आईआरडीए (बीमा कम्पनियों की वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षण रिपोर्ट तैयार करना) रेग्यूलेशन, 2002 द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार विभक्त किया गया है।

13. अनिश्चित देयताएं एवं अनिश्चित परिसम्पत्तियां

पिछले अवसरों के परिणाम के आधार पर अनिश्चित देयताओं को स्वीकार करने का प्रावाधान किया जाता है तथा आब्लिगेशन को सेटल करने में संसाधनों के आउटप्लो की संभाव्यता आवश्यक होगी। अनिश्चित परिसंपत्तियों को लेखा में नहीं रखा गया है।

14. आयकर

आयकर प्रावधान में प्रभारित को वसूल किये गये वर्तमान कर एवं आस्थगित कर शामिल होते हैं। आस्थगित कर, पुडेन्टस पर विचार, समय में भिन्नता, जो भिन्नता टेकसेवल एवं लेखा आय/व्यय में है, वह एक अवधि में प्रारम्भ होती है तथा एक या अधिक अवधि में उत्क्रमण में सक्षम होती है। आस्थगित कर को स्वीकार नहीं किया जाता, जब तक कि यह निश्चित न हो कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रतिकूल आस्थगित करों को स्वीकार किया जायेगा।

15. अन्य

15.1 कर वापसी पर ब्याज के लेखांकन आयकर प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के आधार पर किया जाता है।

15.2 साल्वेज वसूलियों का लेखांकन मिल जाने पर होता है तथा दावा लेखा में जमा होता है।

कृते निदेशक मंडल

एम. सी. भंडारी एण्ड कं.	एस. घोष एंड कं. एलएलपी	राजेश अग्रवाल (भा.प्र.से.)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (DIN: 03566931)
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	के. पी. ब्रह्म	निदेशक (DIN: 02919395)
फर्म पंजी.सं. 303002E	फर्म पंजी.सं.302184E/E300007	एम. वसंत कृष्णा	निदेशक (DIN: 06960731)
(नीरज जैन)	(चन्दन चट्टोपाध्याय)	पी सी सुबुधि	मुख्य वित्तीय अधिकारी
भागीदार	भागीदार	रीना माडिया	कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या 064393	सदस्यता संख्या 051254		

कोलकाता 19 जून, 2015

10. EMPLOYEES' BENEFITS

Provision for gratuity, pension, leave encashment, sick leave and leave travel subsidy is made on actuarial valuation in accordance with Accounting Standard 15 (Revised 2005), Employee Benefits.

11. IMPAIRMENT OF ASSETS

Loss on account of impairment is recognized when any indication about realizable value of block of assets is observed to be less than its carrying cost.

12. SEGMENTAL REPORTING

For the purpose of segmental reporting, segments have been classified as per directives given in The Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002.

13. CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS

Provision against contingent liabilities is recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation. Contingent assets are not recognized in the accounts.

14. TAXATION

Provision for income tax comprises of current tax and deferred tax Deferred tax is recognized, subject to the consideration of prudence, on timing differences, being the differences between taxable and accounting income / expenditure that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent period(s). Deferred tax asset is not recognized unless there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

15. OTHERS

15.1 Interest on tax refunds is accounted for on the basis of orders passed by the Tax Authorities.

15.2 Salvage recoveries are accounted for on realization and credited to claims account.

For and on behalf of the Board of Directors

For M. C. Bhandari & Co. Chartered Accountants FRN 303002E	For S. Ghose & Co.LLP Chartered Accountants FRN 302184E/E300007	Rajesh Aggarwal (IAS)	Chairman-cum-Managing Director (DIN: 03566931)
		K. P. Brahma	Director (DIN: 02919395)
		M. Vasantha Krishna	Director (DIN: 06960731)
(Neeraj Jain) Partner	(Chandan Chattopadhay) Partner	P. C. Subudhi	Chief Financial Officer
Membership No. 064393	Membership No. 051254	Rina Madia	Company Secretary

Kolkata, the 19th June 2015

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची-17

लेखा की अंगीभूत टिप्पणियां

1. प्रासंगिक देयता निम्नवत है :
   - क) आंशिक रूप से चुकता शेयरों में ₹4181 हजार (₹4181 हजार)
   - ख) कंपनी के खिलाफ अन्य दावे (पॉलिसी के अंतर्गत दावे के अलावा) जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं या विवादास्पद है ₹250613 हजार (₹119087 हजार)
   - ग) विवादित आय कर ₹2629240 हजार (₹2364482 हजार)।
   - घ) विवादित सेवा कर ₹3977614 हजार (₹3977100 हजार)
2. शेष पूंजीगत प्रतिबद्धता निम्नलिखित के लिए -
   - क) ऋण और निवेश ₹341350 हजार (₹103500 हजार)
   - ख) स्थायी सम्पत्तियां ₹2397491 हजार (₹594762 हजार)
   - ग) आईटी समर्थ बिजनेस प्रासेस रि इंजीनियरिंग (ईएएसआई) ₹1881600 हजार (₹2531240 हजार)।
3. क) पुनर्बीमा घटाकर दावे

(₹ हजार में)

	प्रदत्त	अग्नि	समुद्री	विविध	कुल
i)	भारत में दावाकर्ताओं को	3866162	1349288	60243579	65459029
		(4622280)	(1101065)	(53312400)	(59035745)
ii)	भारत से बाहर के दावाकर्ताओं को	3567	37014	116209	156790
		(11110)	(27039)	(98171)	(136320)

ख) पुनर्बीमा घटाकर प्रीमियम

		अग्नि	समुद्री	विविध	कुल
i)	भारत में व्यवसाय से	7516070	2041368	93997451	103554889
		(7401587)	(2006071)	(84516707)	(93924365)
ii)	भारत से बाहर व्यवसाय से	84930	52853	174829	312612
		(63669)	(42066)	(180327)	(286062)

Schedules forming part of Financial Statements

Schedule – 17

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. There are Contingent Liabilities as under:
   (a) Uncalled amount on partly paid shares ₹4181 thousand (₹4181 thousand)
   (b) Claims (other than claims under the policies) against the company not acknowledged as debts or under dispute ₹250613 thousand (₹119087 thousand)
   (c) Disputed Income Tax of ₹2629240 thousand (₹2364482 thousand).
   (d) Disputed Service Tax of ₹3977614 thousand (₹3977100 thousand)
2. Capital commitments remaining outstanding are:
   (a) Loans and Investments ₹341350 thousand (₹103500 thousand)
   (b) Fixed assets ₹2397491 thousand (₹594762 thousand).
   (c) IT enabled Business Process Re-engineering (EASI) including Data Migration ₹1881600 thousand (₹2531240 thousand).
3. (a) Claims, less reinsurance :

(₹ in thousand)

	Paid to	Fire	Marine	Miscellaneous	Total
i)	Claimants in India	3866162	1349288	60243579	65459029
		(4622280)	(1101065)	(53312400)	(59035745)
ii)	Claimants outside India	3567	37014	116209	156790
		(11110)	(27039)	(98171)	(136320)
(b)	Premiums, less reinsurance	Fire	Marine	Miscellaneous	Total
i)	in India	7516070	2041368	93997451	103554889
		(7401587)	(2006071)	(84516707)	(93924365)
ii)	outside India	84930	52853	174829	312612
		(63669)	(42066)	(180327)	(286062)

4. बकाया दावों की अवधि (भारतीय सकल व्यवसाय पर) निम्नवत है-

(₹ हजार में)

	छह माह से कम	छह माह से अधिक	कुल
अग्नि	5512355 (4333790)	8078227 (9969077)	13590582 (14302867)
समुद्री	1213869 (1280896)	18998851 (2766434)	3113720 (4047330)
विविध	18513634 (16163095)	35512620 (32668405)	54026254 (48831500)

5. (क) आईआरडीए द्वारा निधारित लेखांकन विनियमों का पालन करने के क्रम में विदेशी विनिमय और व्युत्पन्न साधनों को छोड़कर सूचीबद्ध ईक्विटी शेयर और म्यूचुअल फण्ड के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण हुये ₹87386330 हजार (₹77889289 हजार) के गैर वसूल लाभ (शुद्ध) को उचित मूल्य परिवर्तन लेखा शीर्षक में लिया गया है। उन निवेशों की ऐतिहासिक लागत ₹40969328 हजार (₹33721461 हजार) है। उचित मूल्य लेखन परिवर्तन के जमा शेष की लंबित वसूली वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है ।

उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित बाजार मूल्य एवं ऐतिहासिक लागत का विवरण निम्नवत है :

(₹ हजार में)

	बाजार मूल्य	ऐतिहासिक लागत	उचित मूल्य परिवर्ता लेखा (अपुष्ट लाभ/हानि)
पीएसयू का इक्विटी शेयर	17476906 (14236864)	14830733 (14242115)	2646173 (-5251)
पीएसयू के अलावा भारतीय कम्पनियों का इक्विटी शेयर	108174487 (97214388)	23497597 (19319848)	84676890 (77894540)
म्यूचुअल फण्ड	2482893 (0)	2481500 (0)	1393 (0)
इक्विटी ईटीएफ	221372 (159498)	159498 (159498)	61874 (0)
कुल	128355658 (111610750)	40969328 (33721461)	87386330 (77889289)

(ख) भारत के बाहर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीवद्ध ईक्विटी शेयर जिनकी बुक वैल्यू ₹43615 हजार (₹43615 हजार) हैं तथा जिनके लिये समूचित रूप से मार्केट वैल्यू उपलब्ध नहीं है। उन्हे 'फेयर वैल्यू चेंज एकाउन्ट' के उद्देश्य से लेखा में नही लिया गया है।

6. सुरक्षित ऋणों के सभी मामलों में प्रतिभूतियों की प्रकृति निम्नतिखित है (अनुसूची 9 का संदर्भ लें)

क) कर्जदार की सभी स्थायी सम्पत्तियों, वर्तमान और भविष्य दोनों, का कंपनी के पक्ष में प्रथम बंधक और प्रभार, तथा

4. Ageing of claims outstanding of Indian gross business:

(₹ in thousand)

	Less than six months	Six months and more	Total
Fire	5512355	8078227	13590582
	(4333790)	(9969077)	(14302867)
Marine	1213869	18998851	3113720
	(1280896)	(2766434)	(4047330)
Miscellaneous	18513634	35512620	54026254
	(16163095)	(32668405)	(48831500)

5. (a) In accordance with the regulations prescribed by IRDA, unrealized gains (net) amounting to ₹87386330 thousand (₹77889289 thousand), arising due to changes in the Fair Value of listed equity shares and mutual funds (excepting equities listed in stock exchanges outside India, thinly traded equity shares and venture capital), are taken to 'Fair Value Change Account'. The historical cost of such investments amounted to ₹40969328 thousand (₹33721461 thousand). Pending realization, the credit balance in the Fair Value Change Account is not available for distribution.

Break-up of Market Value and Historical Cost which have been valued on fair value basis is as follows:

(₹ in thousand)

	Market Value	Historical Cost	Fair Value Change Amount (Unrealised Gain/Loss)
Equity Shares of PSU	17476906 (14236864)	14830733 (14242115)	2646173 (-5251)
Equity Shares of Indian Companies other than PSUs	108174487 (97214388)	23497597 (19319848)	84676890 (77894540)
Mutual Fund	2482893 (0)	2481500 (0)	1393 (0)
Equity ETF	221372 (159498)	159498 (159498)	61874 (0)
Total	128355658 (111610750)	40969328 (33721461)	87386330 (77889289)

(b) Equity shares listed in Stock Exchange outside India having book value of ₹43615 thousand (₹43615 thousand) for which market value is not readily available have not been taken into account for the purpose of "Fair Value Change Account" and have been taken at book value.

6. The nature of securities (referred to Schedule 9) in all cases of long term secured loans (more than one year) are:

(a) a first charge of the borrowers' all immovable properties both present and future, and

ख) बही ऋण सहित कर्जदार की सभी चल सम्पत्ति, सभी चल सामग्री और ऐसे अन्य तल समान जिनके बारे में दूसरे ऋण दाता/वित्तीय संस्थान सहमत हो का कंपनी के पक्ष में गिरवी रखते हुए प्रथम ऋण भार।

हालांकि प्रबंधन की राय में संदर्भित प्रतिभूति का मूल्य ऋण के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय ऋण राशि के 1.25 गुना से कम नहीं होगा।

बंधक और प्रभार सभी ऋण दाता/वित्तीय संस्थानों के पक्ष में बंधक तथा निर्धारित होनेवाले प्रभार बराबर होगें।

मूल प्रतिभूति दस्तावेज लीड संस्थान स्तर पर रखे जाते हैं तथा संरक्षण की सीमा सावधि ऋण के बारे में तथा ऋण पत्रों के मामले में ऋण पत्र न्यासी स्तर से ज्ञात किया जा सकता है।

7. क) पिछले वर्षों के विपरीत कुछ अचल सम्पत्तियों में स्वामित्व के रूप में कंपनी द्वारा धारित ₹1888 हजार (₹1888 हजार) के इक्विटी शेयरों में निवेश को निवेश सम्पत्ति भू सम्पदा (अनुसूची 8) के अधीन दिखाया गया है।

ख) स्वतन्त्र मूल्यांकन कर्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कुल फेयर वैल्यु ₹235336 हजार (₹235336 हजार) का कंपनी द्वारा भाड़े पर दिये गये भाग की भूसम्पदा का उचित मूल्य ₹117897 हजार (₹117897 हजार) है। इस प्रकार के भूसम्पदा की अनुपातिक लागत निवेश प्रापर्टी अनुसूची 8 में दर्शाया गया है।

8. कम्पनी होल्डिंग और भारतीय स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एसएचसीआईएल) के बीच प्रमाण-पत्र के अंतर लेखा में दिए गए हैं।

9. क) पुनर्गठन के अधीन ऋण/अन्य सम्पत्तियों की कुल राशि निम्नवत हैं -

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
क) मानक सम्पत्ति	167295	183462
ख) उप मानक सम्पत्ति	शून्य	85666
ग) संदिग्ध सम्पत्ति	85666	शून्य
कुल	**252961**	**269128**

ख) सक्रिय और निष्क्रिय के रूप में ऋण,बॉण्ड और डिवेन्चर का पृथक्करण निम्नवत है -

i)	सक्रिय	₹47109734 हजार (₹44397840 हजार)
ii)	निष्क्रिय	₹612787 हजार (₹624145 हजार)
	कुल बही मूल्य	₹47722521 हजार (₹45021985 हजार)

ग) वर्ष के दौरान निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन ₹58285 हजार (₹57844 हजार) है।

10. प्रतिभूतियों पर छूट परिपक्वता के समय में आय के रूप में मान्य है।

11. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपकरणों के लिए वित्त पोषित ऋण (एफआईटीएल) को परिवर्तित कर एक "सेण्ड्री क्रेडीटरस- एफआईटीएल" नाम का लेखा तैयार किया गया है और एफआईटीएल का ब्याज ₹ 'शून्य' हजार (₹6282 हजार) उस खाते में स्थानांतरित किया गया है।

12. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-II में अचल सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास लाने के क्रम में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया गया है -

(b) a first charge by way of hypothecation of the borrowers' all movables including book debts, all movable articles and such other movables as may be agreed to by other lending/financial institutions.

However in the opinion of management the value of securities referred to herein above at any time during the pendency of the loan should not be less than 1.25 times of the loan amount outstanding.

The mortgages and charges referred to above ranks pari-passu with the mortgages and charges created and/or to be created in favour of all lending/financial Institutions.

Original security documents and extent of coverage on any particular date are ascertainable at the lead institutions level in case of term loan and debenture trustee level in case of debentures.

7. (a) Investments in Equity Shares of ₹1888 thousand (₹1888 thousand) held by the Company against ownership of certain immovable properties have been included under `Investment Properties - Real Estate' in Schedule 8.

(b) As per valuation report of independent approved valuer out of aggregate fair value of ₹235336 thousand (₹235336 thousand) proportionate fair value of real estate occupied by tenants is ₹117897 thousand (₹117897 thousand). Proportionate cost of such real estate is shown under Investment Properties (Schedule-8).

8. Differences between the Company's holding and certificate of holding from Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL) has been provided in the accounts.

9. (a) Total amount of Loan/ other Assets subjected to restructuring is given below:

(₹ in thousand)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
a) Standard Assets	167295	183462
b) Substandard Assets	nil	85666
c) Doubtful Assets	85666	nil
Total	**252961**	**269128**

(b) Segregation of loans, bonds and debentures into performing and non-performing asset is given below:

i)	Performing	₹47109734 thousand (₹44397840 thousand)
ii)	Non-performing	₹612787 thousand (₹624145 thousand)
	Total book value	₹47722521 thousand (₹45021985 thousand)

(c) Amortization of premium on investment during the year is ₹58285 thousand (₹57844 thousand)

10. The discount on securities is recognized as income at the time of maturity.

11. In pursuance to RBI guidelines regarding treatment of funded interest on loan (FITL) interest converted to instruments with an account name "Sundry Creditors-FITL" has been created and FITL interest of ₹'nil' thousand (₹6282 thousand) been transferred to that account.

12. In order to bring the depreciation on Fixed Assets in line with the requirement of Schedule-II of the Companies Act, 2013 following factors have been considered:

क) किसी भी सम्पत्ति का डब्ल्यूडीभी खोलने के मामले में मूल लागत 5% से कम है तो अवशिष्ट मूल्य डब्ल्यूडीभी के शुरूआत में रखा जायेगा।

ख) 1 अपैल, 2014 तक कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-II के भाग-सी के अनुसार परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास शेष उपयोगी जीवन पर किया गया है।

ग) 1 अपैल, 2014 तक सम्पत्ति के डब्ल्यूडीभी का अवशिष्ट मूल्य बनाएं रखने के लिए लाभ/हानि लेखा में रोक लगाएं गए हैं जहां सम्पत्तियां शेष उपयोगी जीवन के पहले ही खत्म हो गये होते हैं।

13. क) पिछले वर्ष तक ह्रासमूल्य चार्ज करने के बदले वर्ष के दौरान अमूर्त अस्तियों (साप्टवेयर) को परिशोधित कर दिया गया है।

ख) वर्ष के दौरान अचल सम्पत्तियों के मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-II के भाग-सी के अनुसार तय किये गये है। इस पॉलिसी के परिवर्तन के तहत ₹126689 हजार से कम मूल्यह्रास को प्रभावित किया है जो उच्चतम लाभ के अनुरूप है।

ग) भारत में भूमि एवं घर आदि (अनुसूची-10) के अन्तर्गत अचल संपत्ति के ₹42529 हजार (₹44640 हजार) दास्तावेजों का कार्यान्वयन लंबित हैं। दास्तावेजों के कार्यान्वयन के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण खर्च इस वर्ष के लेखा में ले लिए गए हैं।

घ) मासिक किराये के आधार पर लिये और दिये जानेवाले संम्पत्तियों के पट्टे का नवीकरण/रद्द आपसी समझौते से कर लिये गये हैं। पट्टे की शर्त्ते किरायादारी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं जो अलग-अलग समझौते पर आधारित होता है।

14. "बकाया से और तक" शीर्षक के अंतर्गत लम्बे समय से बकाया समुह के सम्मान के साथ वसूली जांच का विवरण के साथ भुगतान और शेष बकाया आज के तिथि में प्राप्य एवं देय दोनों शीर्षक अंतर्गत पार्टियों के बकाया शेष को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। ऐसे लंबित प्रक्रिया को सावधानी के साथ करने के लिए ₹500000 हजार (₹415000 हजार) का तदर्थ प्रवाधान खाते में कर दिया गया है।

15. क) आईआरडीए के परिपत्र सं. आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/एमपीएल/277/12/2011 दिनांक-23/12/2011 के अनुसार तीसरी पार्टी देयता बीमा (केवल देयता बीमा) डिक्लाइन पूल जोखिम बनाया गया है जो 01/04/2012 से प्रभावी है। व्यवसायिक वाहनों के लिए केवल देयता पॉलिसी जिन्हें आईआरडीए नियम के अंतर्गत के साथ ही संबंधित कम्पनी के बीमालेखन नीति के तहत अस्वीकार कर दिये जाते हैं उन्हें इस पूल के अंतर्गत आवरित किया जाता है।

ख) डिक्लाइन जोखिम पूल के तहत कम्पनी द्वारा किये गए व्यवसाय निम्नवत हैं -

विवरण	प्रीमियम (₹ हजार में)	प्रत्यक्ष सकल*(₹ हजार में)
उपगत दावे	755000 (807400)	255200 (188200)
5% पर अनिवार्य अर्पण	37700 (40300)	12700 (9400)
75% पर डीआर पूल अर्पण	566200 (605500)	990800 (1059600)

* उपगत दावे प्रीमियम के 175% (210%) हुए।

ग) डी आर पूल की राशि ₹103200 हजार (₹96400 हजार (शुद्ध) प्राप्त) अनंतिम नकदी निपटान (शुद्ध) के लिए भुगतान किया गया।

(a) In case opening WDV of any asset is less than 5% of the Original Cost, the Residual Value has been kept at the Opening WDV.

(b) The WDV of the assets as on 1st April, 2014, has been depreciated over the remaining useful life as per Schedule II - Part C of The Companies Act, 2013.

(c) The WDV of the assets as on 1st April, 2014, after retaining the Residual Value, has been charged to Profit & Loss A/c where the remaining useful life of an asset is already elapsed.

13. (a) During the year intangible assets (software) have been amortized instead of charging of depreciation upto previous year.

(b) During the year depreciation of fixed assets have been charged as per the requirement of Schedule-II Part C of the Companies Act, 2013. Change in said policy has effected lower depreciation by ₹126689 thousand and corresponding higher profit to that extent.

(c) Land and House property in India under fixed assets (Schedule - 10) includes ₹42529 thousand (₹44640 thousand) for which executions of deed of conveyance are pending. Stamp duty and registration cost will be taken into account in the year of execution of conveyance deeds.

(d) Properties occupied on monthly rental basis or given on monthly rental are in the nature of operating leases renewable / cancellable at mutual consent. Lease terms are based on individual agreements which fall under Premises Tenancy Act.

14. Detailed scrutiny of long outstanding transactions grouped under the head "Due From" & "Due To" with respect to subsequent recovery, payment and balance outstanding as on date as well as linking of amount receivable and payable to same parties under both the aforesaid heads are in progress. Pending such exercise, an adhoc provision of ₹500000 thousand (₹415000 thousand) has been made in the accounts as an abundant caution and considered to be adequate.

15. (a) As per IRDA circular no. IRDA/NL/ORD/MPL/277/12/2011 dated 23.12.2011 the Declined risk Pool has been created for standalone Third Party Liability Insurance (Act only insurance) with effect from 01-04-2012. The act only insurance policies of commercial vehicles which are declined under the norms of IRDA as well as underwriting policy of respective company are covered under the pool.

(b) The business transacted by the company on account of Declined Risk Pool is as follows:

Paticulars	Premium (₹ in '000)	Claims incurred*(₹ in '000)
Gross Direct	755000 (807400)	255200 (188200)
Obligatory Cession at 5%	37700 (40300)	12700 (9400)
DR Pool cession at 75%	566200 (605500)	990800 (1059600)

* Claims incurred have been accounted for at 175% (210%) of the premium

(c) The provisional cash settlement (net) paid to the DR Pool amounting to ₹103200 thousand (₹ 96400 thousand (net) received).

16. आतंकवाद पूल रेट्रो के लिए जीआईसी (पूल प्रशासन) से प्राप्त वर्ष 2014-15 के आकड़ों में वर्तमान वर्ष की तीसरी तिमाही के आकड़े और चौथे तिमाही की अनंतिम आकड़े को पुष्टि कर शामिल किया किया गया है।

17. अभिकर्ताओं से संबंधित लेखा, ऋण और अग्रिम, अंतर कार्यालय समायोजन, बीमा व्यवसाय में नये व्यक्तियों/निकायों से बकाया राशि, अस्पष्टीकृत बैंक डेबिट व क्रेडिट, विविध लेनदारों,विविध देनदारों आदि के बकाया शेष सुलह और पुष्टि के अधीन हैं। सुलह एक लगातार प्रक्रिया है यदि किसी समायोजन की अवश्यकता हो तो उसे पहचान के बाद किया जा सकता है।

18. कम्पनी के सीएमएस बैंक खातों की सुलह प्रगति पर हैं और पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है। 31/03/2015 तक बैंक में कुल ₹1129964 हजार (₹9865676 हजार) चेक द्वारा जमा किये गये का बैंक विवरण से पहचान बाकी है और बैंक विवरण में अज्ञात क्रेडिट कुल ₹1611095 हजार (₹9521212 हजार) का सुलह किया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त संचालन कार्यालयों के बही शेष (जेनेसिस) और केन्द्रीकृत (जेम) बही शेष के बीच के अंतर कुल ₹7668 हजार (₹1469758 हजार) सुलह किया जाना है। विवेकपूर्ण निर्णय के रूप में ₹7668 हजार (₹170000 हजार) का प्रवाधान खातों में कर दिया गया है।

19. क) न्यूइंडिया एशेयोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, हांगकांग शाखा के दिनांक 27/12/2006 के समझौते के अनुसार सभी सम्पत्तियों एवं देनदारियों के साथ कंपनी का स्थानांतरण उस कंपनी में कर दिया गया है जो बीमा प्राधिकरण हांगकांग और सभी बकायें दावों के निपटान के अधीन है। प्राधिकार की मंजूरी प्राप्त हो गई है लेकिन दावों के निपटान का कार्य प्रगति पर है।

ख) वर्तमान व्यवस्था में इस तरह के लंबित संपूर्ण बकाया का हस्तांतरण जारी है एवं अभी तक ₹58251 हजार (₹51665 हजार) के देनदारियों का निपटान पूर्ण हो चुका है।

ग) सम्पत्ति और देनदारियों के निपटान के कारण राशि में लाभ/हानि बंद आपरेशन के उपक्रम में हस्तांतरण के लिए जिम्मेवार होगें।

20. संबंधित पार्टियों के विवरण निम्नलिखित हैं:

(क) सहायक संस्था:

1. इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेस प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर

लेन-देन की प्रकृति:

धारित शेयरों की संख्या	--	1,00,00,000	(1,00,00,000)
शेयरों का बही मूल्य	--	₹28576 हजार	(₹28576 हजार)
प्राप्त लाभांश	--	₹35680 हजार	(₹23365 हजार)

2. केनडिया एश्योरेन्स कं. लि.,नेरौबी

लेनदेन की प्रकृति:

शेयरों की संख्या	--	515776	(515776)
शेयर की बुक वैल्यू -		₹7132 हजार	(₹7132 हजार)
प्राप्त लाभांश	--	₹3169 हजार	(₹1772 हजार)

16. Terrorism pool retro figures received from GIC (Pool administrator) accounted in 2014-15 includes confirmed figures for the 3 quarters of the current year and provisional figure of the 4th quarter.

17. Balances in respect of Agents' account, Loans and Advances, Inter Office Adjustments, Amount due from/to other persons or bodies carrying on Insurance Business, Unexplained Bank Debit and Credit, Sundry Debtors, Sundry Creditors etc. are subject to reconciliation and confirmation. Reconciliation however being a continuous exercise, adjustments if any required to be made are carried out as and when identified.

18. The reconciliation of CMS bank accounts of the company are in progress and has improved over the previous year. As on 31.3.2015 cheques aggregating ₹1129964 thousand (₹9865676 thousand) deposited in banks are yet to be identified from the bank statement and unidentified credits in bank statement aggregating ₹1611095 thousand (₹9521212 thousand) are yet to be reconciled. In addition to above difference between operating offices ledger balances (GENISYS) and centralized balances (GEM) aggregating ₹7668 thousand (₹1469758 thousand) are still to be reconciled. As a matter of prudent decision a provision of ₹7668 thousand (₹170000 thousand) has been made in the accounts.

19. (a) As per agreement with New India Assurance Co. Ltd. dated 27.12.2006 Hong Kong branch of the company along with it assets and liabilities has to be transfer to said company subject to approval of the Insurance Authority of Hong Kong and subject to settlement of all the outstanding claims. Though approval from said from said authority has since been obtained but settlement of all the claims are in progress.

(b) Pending such transfer of undertaking the present arrangement would continue as a pure run-off operation till the entire outstanding liability of ₹58251 thousand (₹51665 thousand) is fully settled.

(c) The amount of Gain/Loss on disposal of assets or settlement of liabilities attributable to the discontinuing operation will be accounted for on transfer of undertaking.

20. Related party disclosures are given below:

(a) Associates:

1. India International Insurance Pte. Ltd., Singapore

Nature of transactions:

No. of shares held	--	1,00,00,000	(1,00,00,000)
Book value of share	--	₹28576 thousand	(₹28576 thousand)
Dividend received	--	₹35680 thousand	(₹23365 thousand)

2. Kenindia Assurance Co. Ltd., Nairobi

Nature of transactions:

No. of shares held	--	515776	(515776)
Book value of shares -		₹7132 thousand	(₹7132 thousand)
Dividend received	--	₹3169 thousand	(₹1772 thousand)

3. हेल्थ इन्श्योरेन्स टीपीए ऑफ इंडिया लि.

लेनदेन की प्रकृतिः

शेयरों की संख्या	--	4750000	(शून्य)
शेयर की बुक वैल्यू		₹47500 हजार	(₹शून्य हजार)
प्राप्त लभांश	--	₹शून्य हजार	(₹शून्य हजार)

(ख) प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक:

1. श्री के पी ब्रह्म, निदेशक
2. श्री ए वी गिरजाकुमार, निदेशक (14 जनवरी, 2015 तक)
3. श्री एम वसंत कृष्णा, निदेशक (4 फरवरी, 2015 से)
4. श्री पी सी सुबुद्धि, सीएफओ
5. श्रीमती रीना माडिया, कम्पनी सचिव

(ग) संस्थाएं जिन पर मौजूद नियंत्रण है:

1. नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी भविष्य निधि
2. नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (कर्मचारी) पेंशन फण्ड
3. नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी ग्रेच्यूटी फण्ड

लेनदेन की प्रकृति:

वेतन, भत्ता और अंशदान - ₹5908 हजार (₹4723 हजार)

ऋण और अग्रिम - ₹1672 हजार (₹1595 हजार)

21. प्रत्यक्ष सकल अनर्जित प्रीमियम के प्रीमियम में कमी की गणना 1/12 (प्रति महीने के आधार) पर अनर्जित शुद्ध प्रीमियम पहुंचने के लिए उसके शुद्ध प्रीमियम को व्यवहार में लाया जाता है। शुद्ध अनर्जित प्रीमियम की तुलना अगले वर्ष के अपेक्षित दावों (दावों से संबंधित लागत सहित) के साथ की जाती है। शुद्ध अनर्जित प्रीमियम अपेक्षित दावा लागत से अधिक हो तो प्रीमियम में कमी आती है।

अग्नि (+) ₹706638 हजार [(+) ₹1228700 हजार], मरीन (+) ₹666388 हजार [(+) ₹359900 हजार] और विविध (+) ₹8647593 हजार [(+) ₹9136000 हजार] में उपरोक्त विधि के अनुसार असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व अपेक्षित दावा संबंधित और रखरखाव लागत सहित से अधिक है। इसलिए नियुक्त एक्चुयूरी द्वारा प्रीमियम में कमी को प्रमाणित नहीं किया गया है।

22. कम्पनी ने कर्मचारी लाभ के संबंध में भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानक 15 (2005 में संशोधित) को अपनाया है, जो निम्नवत है -

3. Health Insurance TPA of India Ltd.

Nature of transactions:

No. of shares held	--	4750000	(Nil)
Book value of shares -		₹47500 thousand	(₹Nil thousand)
Dividend received	--	₹Nil thousand	(₹Nil thousand)

(b) Key Management Personnel:

1. Sri K. P. Brahma, Director
2. Sri A. V. Girijakumar, Director (upto 14th January, 2015)
3. Sri M. Vasantha Krishna, Director (w.e.f. 4th February, 2015)
4. Sri P. C. Subudhi, CFO
5. Smt. Rina Madia, Company Secretary

(c) Entities over which control exist:

1. National Insurance Company Limited Employees' Provident Fund
2. National Insurance Company (Employees') Pension Fund
3. National Insurance Company Limited Employees' Gratuity Fund

Nature of transactions:

Salaries, allowances & contributions ₹5908 thousand (₹4723 thousand)

Loans and Advances ₹1672 thousand (₹1595 thousand).

21. For calculation of Premium Deficiency, the gross direct unearned premium is arrived at 1/12 (per month basis) and the same is applied on Net Premium to arrive at Net Unearned Premium. The Net Unearned Premium is compared with expected Net Incurred claim in the next year (including claims related cost). When Expected Claim Cost exceeds Net Unearned premium then Premium Deficiency occurs.

On the basis of the above method the Reserve for Unexpired Risk exceeds the expected claim costs along with the related expenses and maintenance cost in respect of Fire (+) ₹706638 thousand [(+) ₹1228700 thousand], Marine (+) ₹666388 thousand [(+) ₹359900 thousand] and Miscellaneous (+) ₹8647593 thousand [(+) ₹9136000 thousand]. Hence no premium deficiency arises which has been duly certified by the Appointed Actuary.

22. The Company has adopted the Accounting Standard 15 (Revised 2005) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) in respect of following employee benefits.

कार्ययोजना की वस्तुस्थिति निम्नवत है -

(₹ हजार में)

	ग्रेच्यूटी	पेंशन	अवकाश नकदीकरण	बीमारी अवकाश	यात्रा छुट्टी सहायता
क) देयता का वर्तमान मूल्य					
वर्ष के प्रारंभ में	6080465 (5825003)	11281834 (10642502)	3412702 (3088152)	659665 (608744)	202503 (17706)
ब्याज लागत	459507 (472251)	766947 (776263)	253147 (243658)	52773 (51743)	16200 (15105)
सेवा मूल्य	340691 (352465)	618433 (496107)	443980 (300151)	68659 (90045)	- (-)
एक्च्यूरियल (लाभ) /हानि	-55853 (-31028)	7017320 (2386962)	50627 (223905)	-52133 (-90867)	88742 (79397)
हित लाभ भुगतान	673242 (538226)	3390000 (3020000)	496734 (443164)	- (-)	72011 (69705)
वर्ष के अंत में	6151567 (6080465)	16294533 (11281834)	3663723 (3412702)	728964 (659665)	235434 (202503)

ख) सम्पत्ति योजना में परिवर्तन

(₹ हजार में)

	ग्रेच्यूटी	पेंशन	अवकाश नकदीकरण	बीमारी अवकाश	यात्रा छुट्टी सहायता
वर्ष के प्रारंभ में उचित मूल्य	5822058 (5364342)	10730000 (9535000)	- (-)	- (-)	- (-)
प्रत्याशित आय	465765 (455969)	912050 (810475)	- (-)	- (-)	- (-)
योगदान	258406 (460661)	361603 (370000)	- (-)	- (-)	- (-)
एक्च्यूरियल (लाभ) /हानि	-471645 (79312)	823281 (1457525)	- (-)	- (-)	- (-)
हित लाभ भुगतान	673242 (538226)	3390000 (3020000)	- (-)	- (-)	- (-)
वर्ष के अंत में उचित मूल्य	5401342 (5822058)	9436934 (9153000)	- (-)	- (-)	- (-)

The status of the plan is given below:

(₹ in thousand)

		Gratuity	Pension	Leave Encashment	Sick Leave	LTS
A)	Present Value of Obligation					
	At beginning of the year	6080465 (5825003)	11281834 (10642502)	3412702 (3088152)	659665 (608744)	202503 (17706)
	Interest Cost	459507 (472251)	766947 (776263)	253147 (243658)	52773 (51743)	16200 (15105)
	Service Cost	340691 (352465)	618433 (496107)	443980 (300151)	68659 (90045)	- (-)
	Actuarial (Gain)/Loss	-55853 (-31028)	7017320 (2386962)	50627 (223905)	-52133 (-90867)	88742 (79397)
	Benefits Paid	673242 (538226)	3390000 (3020000)	496734 (443164)	- (-)	72011 (69705)
	At the end of the year	6151567 (6080465)	16294533 (11281834)	3663723 (3412702)	728964 (659665)	235434 (202503)

B) Change in Plan Assets:

(₹ in thousand)

	Gratuity	Pension	Leave Encashment	Sick Leave	LTS
Fair Value at beginning of the year	5822058 (5364342)	10730000 (9535000)	- (-)	- (-)	- (-)
Expected Return	465765 (455969)	912050 (810475)	- (-)	- (-)	- (-)
Contributions	258406 (460661)	361603 (370000)	- (-)	- (-)	- (-)
Actuarial (Gain)/Loss	-471645 (79312)	823281 (1457525)	- (-)	- (-)	- (-)
Benefits Paid	673242 (538226)	3390000 (3020000)	- (-)	- (-)	- (-)
Fair Value at end of the year	5401342 (5822058)	9436934 (9153000)	- (-)	- (-)	- (-)

(₹ हजार में)

	ग्रेच्यूटी	अवकाश पेंशन	अवकाश नकदीकरण	बीमारी अवकाश	यात्रा छुट्टी सहायता
ग) देयताओं के उचित मूल्य का समाधान एवं सम्पत्ति योजना का वर्तमान मूल्य					
वर्ष के अंत में उचित मूल्य	5401342 (5822058)	9436934 (9153000)	- (-)	- (-)	- (-)
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य	6151567 (6080463)	16294533 (11281834)	3663723 (3412702)	728964 (659665)	235434 (202503)
तुलन-पत्र में दर्शायी गयी शुद्ध (देयता)	750225 (258405)	6857599 (2128834)	3663723 (3412702)	728964 (659665)	235434 (202503)
घ) लाभ/हानि के विवरण में मान्य					
खर्चे	340691 (352465)	618433 (496107)	443980 (300151)	68659 (90045)	0 (0)
ब्याज लागत	459507 (472251)	766947 (776263)	253147 (243658)	52773 (51743)	16200 (0)
सम्पत्ति योजना में प्रत्याशित वापसी	465765 (455969)	912050 (810475)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
वर्ष में मान्य एक्च्यूरियल लाभ/हानि	415792 (-110340)	6194039 (929436)	50627 (223905)	-52133 (-90867)	88742 (79397)
लाभ/हानि के विवरण में मान्य खर्चे	750225 (258406)	6667369 (1391331)	747754 (767714)	69299 (50921)	104942 (94502)
ड) अस्थि योजना के निवेश का मुख्य श्रेणी					
निश्चित आय/ऋण प्रतिभूतियां	100% (100%)	100% (100%)	- (-)	- (-)	- (-)
ङ) संभावनाएं					
छूट की दर (%)	8.00 (8.50)	8.00 (8.50)	8.00 (8.50)	8.00 (8.50)	8.00 (8.50)
सम्पत्ति योजना पर आय (%)	8.00 (8.50)	8.50 (8.50)	- (-)	- (-)	- (-)
महंगाई दर (%)	4.00 (6.00)	4.00 (6.00)	4.00 (6.00)	4.00 (6.00)	- (-)
अवशिष्ट कार्य जीवन (वर्ष)	10.00 (10.00)	8.00 (10.00)	10.00 (10.00)	10.00 (10.00)	10.00 (10.00)

(₹ in thousand)

		Gratuity	Pension	Leave Encashment	Sick Leave	LTS
C)	**Reconciliation of Fair Value of obligation and Present Value of Plan Assets**					
	Fair Value at the year end	5401342 (5822058)	9436934 (9153000)	- (-)	- (-)	- (-)
	Present Value at the year end	6151567 (6080463)	16294533 (11281834)	3663723 (3412702)	728964 (659665)	235434 (202503)
	Net (Liability) recognized in Balance Sheet	750225 (258405)	6857599 (2128834)	3663723 (3412702)	728964 (659665)	235434 (202503)
D)	**Expenses recognized in Statement of Profit / Loss:**					
	Current Service Cost	340691 (352465)	618433 (496107)	443980 (300151)	68659 (90045)	0 (0)
	Interest Cost	459507 (472251)	766947 (776263)	253147 (243658)	52773 (51743)	16200 (0)
	Expected return on Plan Asset	465765 (455969)	912050 (810475)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	Actuarial gain/loss Recognized in the year	415792 (-110340)	6194039 (929436)	50627 (223905)	-52133 (-90867)	88742 (79397)
	Expense recognized in Statement of Profit/Loss	750225 (258406)	6667369 (1391331)	747754 (767714)	69299 (50921)	104942 (94502)
E)	**Major category of Investment of Plan Assets**					
	Fixed income/Debt securities	100% (100%)	100% (100%)	- (-)	- (-)	- (-)
F)	**Assumptions**					
	Discount Rate (%)	8.00 (8.50)	8.00 (8.50)	8.00 (8.50)	8.00 (8.50)	8.00 (8.50)
	Return on Plan Asset (%)	8.00 (8.50)	8.50 (8.50)	- (-)	- (-)	- (-)
	Inflation rate (%)	4.00 (6.00)	4.00 (6.00)	4.00 (6.00)	4.00 (6.00)	- (-)
	Residual Working life (years)	10.00 (10.00)	8.00 (10.00)	10.00 (10.00)	10.00 (10.00)	10.00 (10.00)

31/03/2015 के वर्तमान पेंशन मूल्य में सेवा/सेवानिवृति पर मृत्यु के बाद विधवा के मासिक पेंशन में डी ए घटक को शामिल नहीं किया गया है। उक्त दायित्व भुगतान के रूप में बाहर होने के बाद राजस्व खाते में डेबिट होता है।

उपरोक्त मूल्यांकन को अभी तक अवधारित नहीं किया गया है जो वेतन संशोधन के कारण लाभ में शामिल नहीं हैं।

23. सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्दम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार जो पात्र एमएसएमई कंपनी को माल और सेवा प्रदान करते हैं उनका पहचान अभी बाकी हैं। इसलिए इस तरह के उद्दयमों के देय राशि का प्रकटीकरण 31/03/2015 के वित्तीय विवरण में नहीं किया गया है।

24. कम्पनी में स्वास्थ्य खंड के "फ्री लुक अवधि" के तहत वर्ष के दौरान जारी की गई पॉलिसियों के रद्द होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए बीमांकक मूल्याकंन में इसे लेने की अवश्यकता नहीं है।

25. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक 28 के अनुसार प्रबंधन की राय में कम्पनी के सम्पत्ति की कोई हानि नहीं हुई है।

26. आकस्मिक देयताओं सहित आयकर और सेवा कर के अंतर्गत जारी मुक्दमों के लिए अपीलीय आदेश के आधार पर प्रावधान की आवश्कता नहीं है जो इसी तरह से पिछले आकलन वर्ष मे कानूनी विशेषज्ञों के राय के अनुसार थे।

27. कम्पनी के विभिन्न कार्यालयों के अंतिम डाटा के लंबित रसीदे जिनका भुगतान सेवाकर देनदारियों से संबंधित है के विरूद्ध सेवाकर प्राधिकरण ने अनुमानित रूप में अनुमति दे दी है। सेवा कर और एवेलमेण्ट का सेन्वेट क्रेडिट का भुगतान संबंधित डाटा को वास्तविक देनदारियों के अंतिम रूप देने के समय किया जाता है। इस खाते को शेष फर्क का उचित समायोजन अगले वर्ष में किया जाता है।

28. वर्तमान कर में सम्मिलित है -

(₹ हजार में)

	31.03.2015	31.03.2014
समपदा कर	9000	10000
आयकर (मैट)	2282000	1835000

29. कम्पनी के पास आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत अग्रेसित काफी हानि एवं अनएवजर्वड मूल्यह्रास हैं जिनके कारण आस्थगित कर योग्य सम्पत्तियां बढ़ी हैं।तथापि सावधानी पूर्ण एवं लेखा मानक (एएस 22) के अनुसार, भविष्य के आयकर योग्य आय की अनिश्चितता के कारण वित्तीय विवरण में आस्थगति कर सम्पत्ति का निर्धारण नहीं किया जा सका। इस पर विचार आयकर योग्य आय की प्रचुरता की उपलब्धता होने पर किया जायेगा जिसके प्रतिकूल इस प्रकार के आस्थगित कर सम्पत्ति को वसूल किया जा सके।

30. आईसीएआई द्वारा लेखा मानक (एएस) 20 के अनुसार प्रकटीकरण -

(₹ हजार में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
शेयर होल्डर का शुद्ध लाभ	97,01,084	82,28,873
शेयर की औसत संख्या वेटेज	10,00,00,000	10,00,00,000
मूल एवं मिश्रित आय, प्राप्त प्रति शेयर ₹10/-	97.01	82.29

The present value of pension obligation as on 31.3.2015 does not include future DA component on monthly pension and widow pension on death in Service/after retirement. The said obligation is paid out as and when arise by debit to the revenue account.

The above valuations does not include benefits due to wage revision which is yet to be determined.

23. In accordance with the requirement of Micro, small and Medium enterprises Development Act, 2006, the company is yet to identify the eligible MSME enterprises which are providing goods and services to the company. Hence, disclosure in respect of the amount payable to such enterprises has not been made in the financial statement as at 31.3.2015.

24. During the year the company has not received any notice for cancellation of any policy issued under Health Segment having Free look period feature. Therefore, actuarial valuation has not required to be carried out.

25. In the opinion of management, there is no impairment of assets of the Company in terms of Accounting Standard 28 issued by the ICAI.

26. Contingent liabilities include issues under litigation with respect to Income Tax and service tax for which no provision is considered necessary on the basis of appellate orders on similar issues relating to earlier assessment years and also as per opinion of legal expert.

27. Pending receipts of final data from various offices of the company relating to service tax liabilities, payment there against is made on provisional basis as permitted by the service tax authority. Actual liability is ascertained after finalization of data relating to collection, payment of service tax and availment of Cenvat credit. Difference remaining in these accounts is carried forward in subsequent year for proper adjustment.

28. Current Tax includes:

(₹ in thousand)

	31.03.2015	31.03.2014
Wealth Tax	9000	10000
Income Tax (MAT)	2282000	1835000

29. The Company has substantial carried forward losses and unabsorbed depreciation under the Income Tax Act, 1961 giving rise to deferred tax asset. However, as a matter of prudence owing to uncertainty over future taxable income, the deferred tax asset has not been recognized in the financial statements as per requirement of Accounting Standard (AS-22-Accounting of Taxes on income). The same would be considered in the year when sufficient taxable income is available to realize the deferred tax assets.

30. Disclosure as per Accounting Standard (AS) 20 issued by ICAI.

(₹ in thousand)

Particulars	Current Year	Previous Year
Net Profit attributable to Shareholders	97,01,084	82,28,873
Weighted average number of Shares	10,00,00,000	10,00,00,000
Basic and diluted earnings per share of ₹10 each	97.01	82.29

कम्पनी के पास कोई बकाया डाइल्यूटेड पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं है। प्रति शेयर पर कम्पनी के मूल एवं डाइल्यूटेड आय बराबर रही।

31. आईआरडीए द्वारा निर्धारित लेखा अनुपात अनुलग्नक-I में दिए गये हैं।

32. आईआरडीए द्वारा निर्धारित पिछले 5 वर्षों के कार्यनिष्पादन का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

33. पॉलिसीधारक द्वारा नहीं किये गए दावों की राशि वर्षवार विवरण संलग्नक-III में दिया गया है।

34. व्यय (पूर्व अवधि मद सहित)

(₹ हजार में)

लेखा मद	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
कर्मचारी पारिश्रमिक और कल्याण सुविधाएं	0	99
यात्रा, यातायात एवं वाहन चालन व्यय	318	304
किराया, दर एवं कर	835	61
मरम्मत	97	255
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	341	179
संप्रेषण	256	308
विज्ञापन	762	330
अन्य	788	47
विद्युत शुल्क	125	640
कार्यालय रख-रखाव	148	1526
प्रोफेशनल एवं कांट्रक्टर को भुगतान	100	1691
योग	**3770**	**5440**

35. वेतन संशोधन निपटान जो 01/08/2012 ले लंबित है के लिए कुल ₹2289380 हजार वर्तमान वर्ष (₹3836605 हजार इस वर्ष तक) के लेखा में जिप्सा के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार प्रवाधान किया गया है।

36. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रवाधानों के अनुसार कम्पनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के प्रति ₹68000 हजार (₹शून्य हजार) व्यय का वहन किया है।

The Company does not have any outstanding diluted potential equity share. Consequently, the basic and diluted earnings per share of the Company remain the same.

31. Accounting Ratios prescribed by IRDA have been furnished in Annexure I.
32. Summary of working results for the last 5 years as prescribed by IRDA is furnished in Annexure II.
33. Age-wise analysis of the Unclaimed Amount of Policyholders is furnished in Annexure III.
34. Expenditure includes Prior Period Items:

(₹ in thousand)

Head of Account	As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
Employee Remuneration and Welfare benefits	0	99
Travel, conveyance and vehicle running expenses	318	304
Rents, Rates and Taxes	835	61
Repairs	97	255
Printing & Stationery	341	179
Communication	256	308
Advertisement	762	330
Others	788	47
Electricity charges	125	640
Office up-keep & Maintenance	148	1526
Payment to Professionals & Contractors	100	1691
Total	**3770**	**5440**

35. Pending settlement of Wage revision which is due from 1st August, 2012 a sum of ₹2289380 thousand been provided in the accounts in current year (upto the year ₹3836605 thousand) as per the guidelines prescribed by GIPSA.
36. As per provisions of section 135 of the Companies Act, 2013, the Company has incurred expenditure to the tune of ₹68000 thousand (₹Nil thousand) towards Corporate Social Responsibility.

37. विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा दण्ड कार्रवाई सम्बन्धी विवरणः

(₹ हजार में)

क्रम सं.	प्राधिकारी	आुपालन न होना/ उलंघा	दंड आदेश	दंड भुगतान	दंड समाप्त/कम होना
1	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	-	-	-	-
2	सेवा कर प्रभारी	-	-	-	-
3	आयकर प्राधिकारी	-	-	-	-
4	अन्य कर प्राधिकारी (नगरपालिका निगम)	-	-	-	-
5	जो प्रवर्तन निदेशालय/न्यायाधिकरण एफईएमए के अंतर्गत को अन्य प्राधिकारी	-	-	-	-
6	कम्पनी के रजिस्ट्रार/नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल/कम्पनी लॉ बोर्ड/निगमित मामलों के विभाग या कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कोई अन्य प्राधिकारी	-	-	-	-
7	दावा निष्पादन सहित किसी मामले में, किन्तु प्रतिपूर्ति को छोड़कर किसी न्यायालय/ट्रिब्यूनल द्वारा दंड का आदेश	-	-	-	-
8	सिक्यूरिटी एवं एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया	-	-	-	-
9	कंम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया	-	-	-	-
10	कोई अन्य केद्रीय/राज्य/ स्थानीय सरकार/सांविधिक प्राधिकारी	-	-	-	-

37. Details of penal actions taken by various Government Authorities :

(₹ in thousand)

Sl. No.	Authority	Non-Compliance/ Violation	Penalty Awarded	Penalty paid	Penalty Waived/ Reduced
1.	Insurance Regulatory and Development Authority of India	-	-	-	-
2.	Service Tax Authorities	-	-	-	-
3.	Income Tax Authorities	-	-	-	-
4.	Any other Tax Authorities (Municipal Corporation)	-	-	-	-
5.	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/Tribunal or any Authority under FEMA	-	-	-	-
6.	Registrar of Companies/NCLT/ CLB/Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 1956.	-	-	-	-
7.	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation.	-	-	-	-
8.	Securities and Exchange Board of India	-	-	-	-
9.	Competition Commission of India	-	-	-	-
10.	Any other Central/State/Local Government/Statutory Authority	-	-	-	-

38. आईबीएनआर दायित्व के बाहर मोटर धवस्त पूल के कारण ₹12289850 हजार अवशिष्ट लेखा के लिए, कम्पनी ने एक्चूरियल वैल्यूएशन के आधार पर आईबीएनआर के ₹7736300 हजार का प्रावधान बरकरार रखा है इस शेष राशि ₹4553550 हजार के अतिरिक्त प्रावधान की अवश्यकता नहीं है जिसे वापस लिया जा रहा है।

39. प्रबंधन की राय में, वित्तीय स्थिति को पहले से ही लेखा के वित्तीय विवरण में रखा गया है। इसलिए लंबित मुकदमों तथा अन्य से कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

40. कम्पनी किसी लम्बी अवधि के अनुबंध में प्रवेश कर निकट में घाटे का उम्मीद नहीं कर रहा है। कम्पनी ने किसी भी व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश नहीं किया है।

41. रू. 292 हजार के सिवाय कोई भी राशि शिक्षा और सुरक्षा निवेशक फण्ड में हस्तांतरित करने की अवश्यकता नहीं है। उक्त राशि का विवरण भी हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

42. कोष्टक में दिए गए आकड़े पिछले वर्ष के हैं। वर्तमान वर्ष के प्रस्तुति के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आकड़ों को जहां आवश्यक समझा गया है एक साथ प्रयोग में लाया गया है।

कृते निदेशक मंडल

एम. सी. भंडारी एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजी.सं. 303002E	एस. घोष एंड कं. एलएलपी सनदी लेखाकार फर्म पंजी.सं.302184E/E300007	राजेश अग्रवाल (भा.प्र.से.)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (DIN: 03566931)
		के. पी. ब्रह्म	निदेशक (DIN: 02919395)
		एम. वसंत कृष्णा	निदेशक (DIN: 06960731)
(नीरज जैन) भागीदार सदस्यता संख्या 064393	(चन्दन चट्टोपाध्याय) भागीदार सदस्यता संख्या 051254	पी सी सुबुधि	मुख्य वित्तीय अधिकारी
		रीना माडिया	कम्पनी सचिव

कोलकाता 19 जून, 2015

38. Out of the residual IBNR Liability of ₹12289850 thousand on account of dismantled Motor Pool, the company, based on the actuarial valuation of IBNR has retained a provision of ₹7736300 thousand and the balance amount of ₹4553550 thousand being considered as excess provision no longer required has been written back.
39. In the opinion of the Management, there is not any significant likely impact on its financial position in its Financial Statements due to pending litigations, save otherwise, which have already been provided for in the Accounts.
40. Management is not expecting any foreseeable losses on the long-term contracts it has entered into. The company has not entered into any derivative contracts.
41. Except ₹292 thousand, no amount is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company. The aforesaid amount could not be transferred for want of details.
42. Figures in brackets are of the previous year. To conform to current year's presentation previous year's figures are regrouped or rearranged wherever considered necessary.

For and on behalf of the Board of Directors

For M. C. Bhandari & Co. Chartered Accountants FRN 303002E	For S. Ghose & Co.LLP Chartered Accountants FRN 302184E/E300007	Rajesh Aggarwal (IAS)	Chairman-cum-Managing Director (DIN: 03566931)
		K. P. Brahma	Director (DIN: 02919395)
		M. Vasantha Krishna	Director (DIN: 06960731)
(Neeraj Jain) Partner Membership No. 064393	(Chandan Chattopadhay) Partner Membership No. 051254	P. C. Subudhi	Chief Financial Officer
		Rina Madia	Company Secretary

Kolkata, the 19th June 2015

31/03/2015 को समाप्त वर्ष के लिए साधारण बीमा कम्पनियों के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात

परिशिष्ट - I

क्र. सं.	निष्पादन अनुपात	गणना निधि	2014-15			2013-14		
			योग	भारत	विदेश	योग	भारत	विदेश
1.	**सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम**	शुद्ध कमीशन / शुद्ध लीखित प्रीमियम	9.96%	9.97%	6.95%	11.60%	11.53%	31.89%
	क) अग्नि		5.06%	4.92%	18.62%	3.95%	3.78%	21.92%
	ख) समुद्री माल		-0.89%	-1.47%	25.82%	-9.18%	-9.74%	26.10%
	ग) समुद्री माल के अतिरिक्त		-22.51%	-22.51%	-	1.52%	1.52%	-
	घ) मोटर निजी क्षति		0.23%	0.26%	-6.29%	5.03%	5.00%	11.79%
	ङ) मोटर तृतीय पार्टी		14.57%	14.56%	18.86%	22.80%	22.81%	12.93%
	च) इंजीनियरिंग		-6.35%	-6.55%	8.34%	0.77%	0.24%	63.69%
	छ) कर्मकार क्षतिपूर्ति		-4.01%	-4.00%	-11.38%	-3.87%	-3.88%	0.96%
	ज) जन देयता		4.96%	4.96%	16.67%	49.92%	49.92%	31.71%
	झ) व्यक्तिगत दुर्घटना		-1.20%	-1.13%	-100.00%	0.49%	0.46%	68.81%
	ञ) स्वास्थ्य बीमा		23.79%	23.78%	63.24%	18.34%	18.32%	242.63%
	ट) उड्डयन		-16.89%	-16.27%	-30.84%	29.35%	26.45%	168.84%
	ठ) ग्रमीण		-13.93%	-13.93%	-	8.43%	8.43%	-
	ड) विविध अन्य		0.17%	0.06%	19.21%	-3.11%	-3.22%	18.55%
2.	**सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम से निवल मूल्य अनुपात**	चालू वर्ष का सकल प्रीमियम/ निवल मूल्य	2.98			3.31		
3.	**निवल मूल्य का वृद्धि दर (%)**	वर्तमान वर्ष के निवल मूल्य- पिछले वर्ष के निवल मूल्य	22.40%			24.29%		
4.	**सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (%)**	शुद्ध प्रीमियम/(जीडीपीआई + पुर्नबीमा स्वीकृत)	88.70%	88.75%	75.31%	88.38%	88.43%	74.20%
	क) अग्नि		69.20%	69.17%	71.14%	72.72%	72.81%	63.69%
	ख) समुद्री माल		83.08%	82.60%	100.00%	83.92%	83.58%	100.00%
	ग) समुद्री माल के अतिरिक्त		33.94%	33.94%	-	22.89%	22.89%	-
	घ) मोटर निजी क्षति		94.42%	94.47%	80.15%	94.43%	94.50%	76.76%
	ङ) मोटर तृतीय पार्टी		93.02%	93.02%	100.00%	92.46%	92.45%	100.00%
	च) इंजीनियरिंग		67.79%	67.50%	89.26%	68.93%	68.84%	76.40%
	छ) कर्मकार क्षतिपूर्ति		95.01%	95.00%	100.00%	95.01%	95.00%	99.84%
	ज) जन देयता		95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%
	झ) व्यक्तिगत दुर्घटना		95.00%	95.00%	-	95.00%	95.00%	92.21%
	ञ) स्वास्थ्य बीमा		93.35%	93.34%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%
	ट) उड्डयन		23.04%	23.76%	-0.67%	3.18%	1.85%	37.39%
	ठ) ग्रामीण		95.00%	95.00%	-	95.00%	95.00%	-
	ड) विविध अन्य		84.72%	84.96%	45.94%	81.71%	81.70%	83.68%

ANALYTICAL RATIOS FOR NON-LIFE INSURANCE COMPANIES FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015

Annexure-I

Sr. No.	Performance Ratio	Method of Calculation	2014-15			2013-14		
			Total	India	Foreign	Total	India	Foreign
1.	**Gross Direct Premium**	(GDPI(CY)/GDPI(PY))/ GDPI(PY)	9.96%	9.97%	6.95%	11.60%	11.53%	31.89%
	a) Fire		5.06%	4.92%	18.62%	3.95%	3.78%	21.92%
	b) Marine Cargo		-0.89%	-1.47%	25.82%	-9.18%	-9.74%	26.10%
	c) Marine other than Cargo		-22.51%	-22.51%	-	1.52%	1.52%	-
	d) Motor Own Damage		0.23%	0.26%	-6.29%	5.03%	5.00%	11.79%
	e) Motor Third Party		14.57%	14.56%	18.86%	22.80%	22.81%	12.93%
	f) Engineering		-6.35%	-6.55%	8.34%	0.77%	0.24%	63.69%
	g) Workmen's Compensation		-4.01%	-4.00%	-11.38%	-3.87%	-3.88%	0.96%
	h) Public Liability		4.96%	4.96%	16.67%	49.92%	49.92%	31.71%
	i) Personal Accident		-1.20%	-1.13%	-100.00%	0.49%	0.46%	68.81%
	j) Health Insurance		23.79%	23.78%	63.24%	18.34%	18.32%	242.63%
	k) Aviation		-16.89%	-16.27%	-30.84%	29.35%	26.45%	168.84%
	l) Rural		-13.93%	-13.93%	-	8.43%	8.43%	-
	m) Misc. Others		0.17%	0.06%	19.21%	-3.11%	-3.22%	18.55%
2.	**Gross Direct Premium to Net worth ratio (Times)**	GDPI/Net worth	2.98			3.31		
3.	**Growth rate of Net Worth (%)**	[(Net worth of CY–Net worth of PY)] / Net Worth-PY	22.40%			24.29%		
4.	**Net Retention Ratio (%)**	Net Premium/(Gross Direct Premium Income+ Reinsurance Accepted)	88.70%	88.75%	75.31%	88.38%	88.43%	74.20%
	a) Fire		69.20%	69.17%	71.14%	72.72%	72.81%	63.69%
	b) Marine Cargo		83.08%	82.60%	100.00%	83.92%	83.58%	100.00%
	c) Marine other than Cargo		33.94%	33.94%	-	22.89%	22.89%	-
	d) Motor Own Damage		94.42%	94.47%	80.15%	94.43%	94.50%	76.76%
	e) Motor Third Party		93.02%	93.02%	100.00%	92.46%	92.45%	100.00%
	f) Engineering		67.79%	67.50%	89.26%	68.93%	68.84%	76.40%
	g) Workmen's Compensation		95.01%	95.00%	100.00%	95.01%	95.00%	99.84%
	h) Public Liability		95.00%	95.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%
	i) Personal Accident		95.00%	95.00%	-	95.00%	95.00%	92.21%
	j) Health Insurance		93.35%	93.34%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%
	k) Aviation		23.04%	23.76%	-0.67%	3.18%	1.85%	37.39%
	l) Rural		95.00%	95.00%	-	95.00%	95.00%	-
	m) Misc. Others		84.72%	84.96%	45.94%	81.71%	81.70%	83.68%

परिशिष्ट - I

क्र. सं.	निष्पादन अनुपात	गणना निधि	2014-15			2013-14		
			योग	भारत	विदेश	योग	भारत	विदेश
5.	**शुद्ध कमीशन अनुपात (%)**	शुद्ध कमीशन/शुद्ध बीमा लेखन प्रीमियम	5.44%	5.45%	1.44%	6.19%	6.20%	3.51%
	क) अग्नि		8.02%	8.15%	-3.67%	8.79%	8.88%	-1.76%
	ख) समुद्री माल		11.53%	11.83%	2.83%	11.93%	12.11%	4.79%
	ग) समुद्री माल के अतिरिक्त		4.37%	4.37%	-	-5.10%	-5.10%	-
	घ) मोटर निजी क्षति		7.98%	7.98%	7.32%	8.57%	8.58%	7.83%
	ङ) मोटर तृतीय पार्टी		-0.41%	-0.41%	0.00%	0.31%	0.31%	0.00%
	च) इंजीनियरिंग		9.43%	9.63%	-1.32%	10.51%	10.58%	5.17%
	छ) कर्मकार क्षतिपूर्ति		10.13%	10.12%	13.74%	10.04%	10.03%	14.96%
	ज) जन देयता		12.34%	12.34%	12.70%	11.96%	11.96%	11.11%
	झ) व्यक्तिगत दुर्घटना		12.70%	12.70%	-	12.44%	12.44%	13.46%
	ञ) स्वास्थ्य बीमा		6.03%	6.03%	2.25%	6.73%	6.73%	4.59%
	ट) उड्डयन		4.37%	4.61%	290.48%	-113.35%	-198.19%	-5.20%
	ठ) ग्रमीण		11.40%	11.40%	-	10.07%	10.07%	-
	ड) विविध अन्य		6.91%	6.90%	9.69%	7.55%	7.55%	7.76%
6.	**प्रबंधन खर्च से सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का अनुपात (%)**	प्रबंधन खर्चअप्रत्यक्ष कमीशन/ प्रत्यक्ष सकल प्रीमियम	33.37%			28.06%		
7.	**प्रबंधन खर्च से शुद्ध बीमा लेखन प्रीमियम का अनुपात (%)**	प्रबंधन खर्च अप्रत्यक्ष कमीशन/एनडब्ल्यूपीआई	36.24%			30.57%		
8.	**शुद्ध उपगत दावों से अर्जित प्रीमियम का (%)**	शुद्ध उपगत दावे/शुद्ध अर्जित प्रीमियम	77.54%			81.18%		
9.	**संयुक्त अनुपात (%)**	शुद्ध उपगत दावे/शुद्ध अर्जित प्रीमियमअप+प्रबंधन खर्च (शुद्ध कमीशन के साथ)/ शुद्ध बीमालेखन प्रीमियम	113.04%	113.10%	91.48%	111.51%	111.59%	84.46%
10.	**तकनीकी आरक्षित से शुद्ध लाभ**	(यूआरआऱअप्रीमियम कमी आरक्षित अबकाया दावा आरक्षित आईबीएनआर और आईबीएनईआऱ सहित) शुद्ध प्रीमियम		1.28			1.24	
11.	**शेष बीमा लेखन का अनुपात**	(बीमा लेखन लाभ/हानि)/शुद्ध प्रीमियम		-0.15			-0.14	
12.	**प्रचालन लाभ अनुपात (%)**	(बीमालेखन लाभ या हानि + निवेश आय) शुद्ध अर्जित प्रीमियम		6.42%			6.71%	

Annexure-I

Sr. No.	Performance Ratio	Method of Calculation	2014-15			2013-14		
			Total	India	Foreign	Total	India	Foreign
5.	**Net Commission Ratio (%)**	Net Commission / Net Written premium	5.44%	5.45%	1.44%	6.19%	6.20%	3.51%
	a) Fire		8.02%	8.15%	-3.67%	8.79%	8.88%	-1.76%
	b) Marine Cargo		11.53%	11.83%	2.83%	11.93%	12.11%	4.79%
	c) Marine other than Cargo		4.37%	4.37%	-	-5.10%	-5.10%	-
	d) Motor Own Damage		7.98%	7.98%	7.32%	8.57%	8.58%	7.83%
	e) Motor Third Party		-0.41%	-0.41%	0.00%	0.31%	0.31%	0.00%
	f) Engineering		9.43%	9.63%	-1.32%	10.51%	10.58%	5.17%
	g) Workmen's Compensation		10.13%	10.12%	13.74%	10.04%	10.03%	14.96%
	h) Public Liability		12.34%	12.34%	12.70%	11.96%	11.96%	11.11%
	i) Personal Accident		12.70%	12.70%	-	12.44%	12.44%	13.46%
	j) Health Insurance		6.03%	6.03%	2.25%	6.73%	6.73%	4.59%
	k) Aviation		4.37%	4.61%	290.48%	-113.35%	-198.19%	-5.20%
	l) Rural		11.40%	11.40%	-	10.07%	10.07%	-
	m) Misc. Others		6.91%	6.90%	9.69%	7.55%	7.55%	7.76%
6.	**Expenses of Management to Gross Direct Premium Ratio (%)**	Expenses of Management+ Direct Commission)/GDPI	33.37%			28.06%		
7.	**Expenses of Management to Net Written Premium Ratio (%)**	Expenses of Management+ Direct Commission)/NWPI	36.24%			30.57%		
8.	**Net Incurred Claims to Net Earned Premium (%)**	Net Incurred Claims/Net Earned Premium	77.54%			81.18%		
9.	**Combined Ratio (%)**	Net Incurred Coaim/Net earned Premium+[Expenses of management (including net commission)/net written premium	113.04%	113.10%	91.48%	111.51%	111.59%	84.46%
10.	**Technical Reserves to net premium ratio (Times)**	(URR + Reserve for premium deficiency + Reserve for outstanding claims including IBNR and IBNER) / Net Premium		1.28			1.24	
11.	**Underwriting balance ratio**	(Underwriting Profit/loss)/net premium		-0.15			-0.14	
12.	**Operating profit ratio (%)**	(Underwriting Profit or loss + Investment Income)/Net earned Premium		6.42%			6.71%	

परिशिष्ट - I

क्र. सं.	निष्पादन अनुपात	गणना निधि	2014-15			2013-14		
			योग	भारत	विदेश	योग	भारत	विदेश
13.	देयता अनुपात पर नकद सम्पत्ति	बीमाकर्ता की नकद सम्पत्ति/ पालिसी धारकों की देयताएं		0.17			0.18	
14.	शुद्ध आय अनुपात (%)	कर पश्चात लाभ/ शुद्ध प्रीमियम		9.34%			8.73%	
15.	नेट वर्ष अनुपात पर रिर्टन (%)	कर पश्चात लाभ/ शुद्ध सम्पत्ति		25.59%			26.57%	
16.	वांछित शोधन क्षमता के परिपेक्ष्य में वास्तविक शोधन क्षमता	वास्तविक शोधन क्षमता/ वांछित शोधन क्षमता		1.52			1.55	
17.	एनपीए अनुपात सकल एनपीए अनुपात शुद्ध एनपीए अनुपात			 1.28% 0.15%			 1.39% 0.17%	

Annexure-I

Sr. No.	Performance Ratio	Method of Calculation	2014-15			2013-14		
			Total	India	Foreign	Total	India	Foreign
13.	**Liquid Assets to liabilities ratio (Times)**	Liquid Assets/Policy holders liabilities		0.17			0.18	
14.	**Net earnings ratio (%)**	Profit after tax/net premium		9.34%			8.73%	
15.	**Return on net worth ratio (%)**	Profit after tax/Net Worth		25.59%			26.57%	
16.	**Available Solvency Margin (ASM) to Required Solvency Margin (RSM) ratio (Times)**	ASM / RSM		1.52			1.55	
17.	**NPA ratio (%)**							
	Gross NPA Ratio			1.28%			1.39%	
	Net NPA Ratio			0.15%			0.17%	

परिशिष्ट - II

वित्तीय विवरण का सारांश

(₹ लाख में)

क्रम. सं.	विवरण	प्रथम वर्ष*	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
	प्रचालन परिणाम					
1.	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	1128263	1026098	919462	781569	624517
2.	शुद्ध अर्जित प्रिमियम #	1038675	942104	795692	695285	538971
3.	निवेश में आय शुद्ध @	209915	180584	169885	141976	144950
4.	अन्य आय (स्पष्ट करे)	-428	-676	-180	-12287	-513
5.	कुल आय	1248162	1122012	965397	824974	683408
6.	कमीशन (शुद्ध) (ब्रोकरेज सहित)	56459	58311	39052	36138	25544
7.	प्रचालन व्यय	311133	229918	192903	165584	162484
8.	शुद्ध उपगत दावा	767518	704861	639053	531407	462327
9.	रिजर्व असमाप्त जोखिम में परिवर्तन	48859	73837	48844	87932	62576
10.	प्रचालन लाभ/हानि	64193	55085	45545	3913	-29523
	प्रचालन रहित परिणाम					
11.	शेयर होल्डर्स के खाते से कुल आय	55480	45694	40305	29193	37063
12.	लाभ/(हानि) कर पूर्व	119673	100779	85850	33106	7540
13.	कर प्रावधान	22662	18491	16065	585	51
14.	कर पश्चात लाभ/(हानि)	97011	82288	69785	32521	7489
	विविध					
15.	पॉलिसी धारक खाता:					
	कुल फंड	837064	1171671	984694	835231	769124
	कुल निवेश	1250192	1114687	1045604	867262	695631
	निवेश पर प्राप्ति	16.87%	16.16%	17.69%	17.90%	24.66%
16.	शेयर धारक खाता:					
	कुल फंड	379055	309686	249162	198156	158146
	कुल निवेश	330440	296013	264574	205755	143035
	निवेश पर प्राप्ति	16.87%	16.16%	17.69%	17.90%	24.66%
17.	पेड आप ईक्विटी कैपिटल	10000	10000	10000	10000	10000
18.	शुद्ध कीमत	379055	309686	251806	198300	165779
19.	कुल परिसम्पत्तियां	3030227	2705020	2400308	1993254	1942692
20.	कुल निवेश पर प्राप्तियां	16.87%	16.16%	17.69%	17.90%	24.66%
21.	प्रति शेयर अर्जन (₹)	97.01	82.29	69.79	32.52	7.49
22.	प्रति शेयर बुक वैल्यू (₹)	379.06	309.69	251.81	198.30	165.78
23.	कुल लाभांश	19353	16466	13914	शुन्य	शुन्य
24.	प्रति शेयर लाभांश (₹)	19.35	16.47	13.91	शुन्य	शुन्य

\# रिइंश्योरेन्स पर शुद्ध

@ शुद्ध हानियां

यदि संभव हो तो बिन्दु सं. 15 एवं 16 अलग-अलग दिया जा सकता है।

* प्रथम वर्ष का तात्पर्य तत्कालिक वित्तीय वर्ष।

Annexure - II

SUMMARY OF FINANCIAL STATEMENTS

(₹ in lakh)

Sl. No.	Particulars	1st year*	2nd year	3rd year	4th year	5th year
	OPERATING RESULT					
1.	Gross direct premiums	1128263	1026098	919462	781569	624517
2.	Net premium #	1038675	942104	795692	695285	538971
3.	Income from investments (net) @	209915	180584	169885	141976	144950
4.	Other income	-428	-676	-180	-12287	-513
5.	Total income	1248162	1122012	965397	824974	683408
6.	Commissions (Net) (Including brokerage)	56459	58311	39052	36138	25544
7.	Operating Expenses	311133	229918	192903	165584	162484
8.	Net Incurred Claims	767518	704861	639053	531407	462327
9.	Change in Unexpired Risk Reserve	48859	73837	48844	87932	62576
10.	Operating profit/loss	64193	55085	45545	3913	-29523
	NON-OPERATING RESULT					
11.	Total Income under shareholder's account	55480	45694	40305	29193	37063
12.	Profit/(loss) before tax	119673	100779	85850	33106	7540
13.	Provision for tax	22662	18491	16065	585	51
14.	Profit/(loss) after tax	97011	82288	69785	32521	7489
	MISCELLANEOUS					
15.	Policyholder's Account:					
	Total funds	837064	1171671	984694	835231	769124
	Total investments	1250192	1114687	1045604	867262	695631
	Yield on investments	16.87%	16.16%	17.69%	17.90%	24.66%
16.	Shareholders' Account:					
	Total funds	379055	309686	249162	198156	158146
	Total investments	330440	296013	264574	205755	143035
	Yield on investments	16.87%	16.16%	17.69%	17.90%	24.66%
17.	Paid up equity capital	10000	10000	10000	10000	10000
18.	Net worth	379055	309686	251806	198300	165779
19.	Total assets	3030227	2705020	2400308	1993254	1942692
20.	Yield on total investments	16.87%	16.16%	17.69%	17.90%	24.66%
21.	Earnings per share (₹)	97.01	82.29	69.79	32.52	7.49
22.	Book value per share (₹)	379.06	309.69	251.81	198.30	165.78
23.	Total dividend	19353	16466	13914	NIL	NIL
24.	Dividend per share (₹)	19.35	16.47	13.91	NIL	NIL

\# Net of reinsurance

@ Net of losses

Points 15 & 16 may be given separately, if it is feasible.

* 1st year means the most recent concluded financial year.

कमीशन व्यय विवरण (भारत में) :

(₹ हजार में)

व्यवसाय श्रेणी	वर्ष 2014-15			वर्ष 2013-14		
	अग्नि	मरीन	विविध	अग्नि	मरीन	विविध
अभिकर्ता कमीशन	292743	163225	3267808	286841	171025	3000026
ब्रोकर्स कमीशन	183728	88758	1131525	153936	89956	940675
कार्पोरेट एजेंट कमीशन	113812	651	285357	103148	699	290923
रेफरल फीस कमीशन	0	0	1886	0	0	1019
अन्य कमीशन	0	0	870237	0	0	991179
कुल	**590283**	**252634**	**5556812**	**543925**	**261680**	**5223822**

Break up of Commission Expenses (In India) :

(₹ in Thousand)

CLASS OF BUSINESS	FOR THE YEAR 2014-15			FOR THE YEAR 2013-14		
	FIRE	MARINE	MISCELLANEOUS	FIRE	MARINE	MISCELLANEOUS
Agents Commission	292743	163225	3267808	286841	171025	3000026
Brokers Commission	183728	88758	1131525	153936	89956	940675
Corporate Agents Commission	113812	651	285357	103148	699	290923
Referral Commission	0	0	1886	0	0	1019
Other Commission	0	0	870237	0	0	991179
Total	**590283**	**252634**	**5556812**	**543925**	**261680**	**5223822**

परिशिष्ट - III

पालिसीधारक के द्वारा दावा न की गई राशि का अवधिवार विवरण :

(₹ '000)

विवरण	अवधिवार विश्लेषण							
	1 से 6 माह	7 से 12 माह	13 से 18 माह	19 से 24 माह	25 से 30 माह	31 से 36 माह	36 माह से अधिक	कुल
(क) दावा निस्तारित किन्तु भुगतान नहीं, बीमित/ पालिसीहोल्डर्स के साथ किसी विवाद के अलावा	—	—	—	—	—	—	—	—
(ख) परिपक्वता अवधि या आय पर बीमाधारक/ पालिसीहोल्डर्स पर बकाया राशि	—	—	—	—	—	—	—	—
(ग) किसी प्रकार के प्रीमियम/टैक्स या अन्य कोई अधिभार का अधिक संग्रहण जिसे पालिसी होल्डर्स को पालिसी की शर्तों के अधीन या नियम के अधीन या प्राधिकारी के निर्देशानुसार वापस किया जाना था परन्तु अभी तक वापस नहीं किया गया	323001	596	543	611	399	448	4878	330476
(घ) पालिसी होल्डर्स/बीमित को चैक जारी किया गया किन्तु भुनाया नहीं गया	417712	416	526	757	703	419	5341	425873
	740713	**1011**	**1069**	**1368**	**1102**	**867**	**10219**	**756349**

Annexure - III

Age-wise Analysis of the Unclaimed Amount of the Policyholders :

(₹ '000)

Particulars	Age-wise Analysis							
	1 to 6 Months	7 to 12 Months	13 to 18 Months	19 to 24 Months	25 to 30 Months	31 to 36 Months	Beyond 36 Months	**Total**
(a) Claims settled but not paid to the Policyholders/ Insureds due to any reasons except under litigation from Insureds / policyholders	—	—	—	—	—	—	—	—
(b) Sum due to the Insureds / Policyholders on maturity or otherwise	—	—	—	—	—	—	—	—
(c) Any excess collection of the Premium / Tax or any other charges which is refundable to the Policyholders either as terms of conditions of the Policy or as per the law or as may be directed by the authority but not refunded to so far.	323001	596	543	611	399	448	4878	330476
(d) Cheques issued but not encashed by the Policyholders / Insureds	417712	416	526	757	703	419	5341	425873
	740713	**1011**	**1069**	**1368**	**1102**	**867**	**10219**	**756349**

NOTES

Certificate of Registration

Intertek

This is to certify that the quality management system of

National Centre For Insurance Learning
Corporate Training Centre Of National Insurance Co. Ltd.
79, NSC, Road, Narendrapur, Kolkata - 700103, West Bengal, India

has been assessed and registered by Intertek as conforming to the requirements of:

ISO 9001:2008

The quality management system is applicable to

To design, arrange and impart training to the employees suiting to the requirements of National Insurance Co, as per modules designed by the organization. Also to conduct training for outside participants from General Insurance Companies from other SAARC countries.

Certificate Number:	0017327-00
Issue Date:	02 December 2014
Certificate Expiry Date:	01 December 2017

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
014

Authorised Signature: Calin Moldovean – President, Business Assurance
Intertek Certification Limited, 10A Victory Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United Kingdom

Intertek Certification Limited is a UKAS accredited body under schedule of accreditation no. 014.

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate's validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek's requirements for systems certification. Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone.

The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.

CT-ISO 9001:2008-UKAS-EN-A4-P-20.jun.13

Intertek Intertek Intertek Intertek

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

Since 1906

National Insurance Company Limited (A Govt. of India Undertaking)

Registered & Head Office: 3, Middleton Street, Kolkata-700 071 | 24x7 Toll Free Number 1800 200 7710
CIN: U10200WB1906GOI001713, IRDA Registration No. 58 | www.nationalinsuranceindia.com

www.floranceoffsetprocess.com